खण्ड-394, अंक-6
मंगलवार, 26 पौष, शक संवत् 1911
(16 जनवरी, 1990 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1990)

खण्ड 394 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	ङ
विधान सभा सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान पर हुए हमले के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव लाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	42
नियम 301 की सूचनायें	42
नियम 301 के अन्तर्गत सूचना में सदन में अनुपस्थित सदस्यों की सूचना न पढ़े जाने एवं 2 शलाका अतिरिक्त निकाल कर प्रतीक्षा सूची बनाने की सूचना	42
जनपद देवरिया के रामकोला चीनी मिल को पुनः चलवाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43
जनपद गोंडा के तहसील गोण्डा व तरबगंज में ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई फसल से प्रभावित किसानों को राहत देने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43
जनपद बस्ती के कस्बा बभनान में इन्टरमीडिएट बालिका विद्यालय खोले जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44
जनपद लखनऊ के शक्तिनगर में सड़क पक्की करने एवं स्वच्छ पेयजल, सीवर एवं नालियों की व्यवस्था करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44
जनपद वाराणसी में सीवर व सफाई की व्यवस्था की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड कौशाम्बी, सरसता एवं मंझनपुर के ग्रामों में गंभीर पेयजल संकट को दूर करने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	46
नियम 301 के अन्तर्गत शलाका द्वारा बनायी गयी प्रतीक्षा सूची में 2 के स्थान पर 5 सूचनायें लिये जाना	46
श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान स0वि0स0 के निवास पर बदमाशों द्वारा हत्या हेतु षड़यन्त्र किये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	46
श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी की सूचना को मुख्य मंत्री के पास भेजे जाने की सूचना ..	48
प्रदेश के गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान के संबंध में औचित्य का प्रश्न	49
सदन के चलते सदन में सदस्यों द्वारा नेता सदन और नेता विरोधी दल को आवेदन पत्र देने पर आपत्ति	50
नीतिगत प्रश्नों पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस (आई) के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न की अनुमति न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	51

अध्यक्ष पीठ की इजाजत के बिना मंत्री द्वारा जबाब देने हेतु खड़े होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न 53

उपाध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी) .. 54

नीतिगत प्रश्नों पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस (आई) के सदस्यों को अनुपरक प्रश्न की अनुमति न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न 56

श्री उपाध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न .. . 57

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1988 .. 58
(सदन के पटल पर रखी गयी)

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग 2 की विज्ञप्ति संख्या–एस0 टी0 दो0 2646/दस–9(66) 1984–उ0प्र0 अधि0–15–48–आदेश–89 58
(सदन के पटल पर रखी गयी)

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 58
(सदन के पटल पर रखी गयी)

जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ (सातवां संशोधन), नियमावली 1989
(सदन के पटल पर रखी गयी) 59

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (पांचवा संशोधन) नियमावली, 1987 (सदन के पटल पर रखी गयी) 59

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (छटां संशोधन) नियमावली, 1987 (सदन के पटल पर रखी गयी) 59

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की के वर्ष 1985-86 का सम्परीक्षित वार्षिक लेखा एवं महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा परीक्षित रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की का वार्षिक लेखा वर्ष 1985–86 ..
(सदन के पटल पर रखा गया) 60

उत्तर प्रदेश आबकारी संशोधन, विधेयक, 1990 .. ..
(विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 60

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 60
(विधान परिषद् से वापसी की सूचना)

दिनांक 15 जनवरी, 1990 को डा0 शिवानन्द नौटियाल के भारतीय जनता पार्टी तथा कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता पक्ष में शामिल माना जायेगा अथवा नहीं के संबंध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 60

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव 61
(जारी)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का समय बढ़ाये जाने की जानकारी .. 114

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) .. 114

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव लाने हेतु व्यवस्था का प्रश्न 118

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) .. 119

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1990 (जारी) 126
सदन में अनुपस्थित सदस्य के ऊपर आरोप लगाने पर व्यवस्था का प्रश्न .. 128
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1990 (जारी) 129
प्रस्तुत विधेयक पर विचार हेतु सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव (अस्वीकृत) 134
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1990 (पारित) 136
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 (जारी) .. 137
सदस्यों के भाषण दिये जाने के समय के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न .. 142
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 (पारित) 147
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1990 (पारित) .. 149
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें 150
दुधवा नेशनल पार्क, जनपद लखीमपुर खीरी के हाथी, सुअर, चीतल, पाढ़ा, सांभर, बारहसिंघा आदि जानवरों द्वारा समीपवर्ती गांवों की फसलों को क्षतिग्रस्त किये जाने के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन .. 150
नन्थियां 151

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 16 जनवरी, 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11.00 बजे दिन में अध्यक्ष श्री हरी किशन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

		बरफिया लाल जुंवाठा, श्री	उत्तर काशी
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	भोलानाथ, श्री	बलिया
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	राजनाथ सोनकर शास्त्री, श्री	गाजीपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
करन चन्द्र सिंह, श्री	नैनीताल	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	शिवराज सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
गोमती यादव, श्री	आजमगढ़	संतोष कुमारी पाठक, श्रीमती	बदायूं
दीपनारायन, श्री	आजमगढ़	समीउल्ला, श्री	गोण्डा
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्यमेव जयते

विधान सभा सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान पर हुये हमले के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव लाने का प्रयास

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, अलीगढ़ के जो विधायक माननीय सुरेन्द्र सिंह चौहान हैं वह जब यहां सदन के अधिवेशन में भाग लेने के लिए आ रहे थे तो उन पर तथा उनके परिवार के लोगों पर कातिलाना हमला किया गया किन्तु वह बाल-बाल बच गये . . .

श्री अध्यक्ष–

आप उनसे कह दें कि इसके लिये जब समय आये तब वे अपनी बात प्रस्तुत करें । उनकी बात सुन ली जायेगी । इस समय कृपया प्रश्न होने दें ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 16 जनवरी, 1990

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला कारागार, वाराणसी एवं सुल्तानपुर में एक्स-रे मशीनों की खरीद

*1–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिछली सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक कारागार में लगाने हेतु एक्स-रे मशीन खरीदी गयी थी ? यदि हां, तो कुल कितने एक्स-रे प्लान्ट कितनी कीमत के कब-कब खरीदे गये थे और किन-किन कारागारों में यह प्लान्ट लगा दिये गये हैं ?

नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शीरुद्र प्रकाश)–

सप्तम् वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश के 28 कारागारों में स्थित चिकित्सालयों के लिए 28 एक्स-रे मशीनें खरीदी गयी थीं । रु0 50,37,760/- मूल्य की 28 एक्स-रे मशीनें खरीदने के आदेश कारागार महानिरीक्षक द्वारा मार्च, 1984 में दिए गये थे । 26 कारागारों में एक्स-रे प्लान्ट लगा दिए गये हैं, जिनकी सूची संलग्न है ।

जिला कारागार, वाराणसी में एक्स-रे मशीन जुलाई, 1985 में स्थापित हुई परन्तु माह सितम्बर, 1987 में अत्यधिक वर्षा से भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण मशीन को वहां से हटाकर अन्यत्र रख दिया गया है । जिला कारागार, सुल्तानपुर में एक्स–रे मशीन अभी इसलिए स्थापित नहीं हो सकी है, क्योंकि इसके लिए जो कक्ष बनाया गया है, उसमें कुछ कमियां हैं ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 15 पर)

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, सरकार तो बदल गयी लेकिन मंत्री लोगों का सदन में उत्तर देने का अन्दाज नहीं बदला है । मैं कहना चाहता हूं कि सदन में अधिकारियों को बचाने का प्रयास न किया जाये । मैंने अपने प्रश्न में यह बात स्पष्ट रूप से पूछी थी कि ये मशीने कब खरीदी गयीं ? उसका उत्तर नहीं दिया गया । इसी कारण मैंने कहा कि सरकार का उत्तर देने का अन्दाज नहीं बदला है और वह बदलना चाहिए । मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि यह मशीने कब खरीदी गयीं और किस कम्पनी की खरीदी गयीं, तथा इन मशीनों को खरीदने से पहले क्या यह बात सुनिश्चित कर ली गयी थी कि कारागारों में जिस जगह इन एक्स–रे मशीनों को लगाया जाना है वहां पर इसके लिए भवन आदि का निर्माण हो गया है अथवा नहीं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, सरकार तो जो कायदे कानून हैं उसी से चलती है और सरकार की यह मंशा नहीं है कि किसी चीज को छिपाया जाये । मान्यवर, सप्तम् वित्तीय आयोग ने अपनी स्वीकृति इन मशीनों को क्रय करने के लिए दी थी और इसके लिए दो किश्तों में धनराशि प्राप्त हुई थी । पहली किश्त 9 लाख रुपये की 5 एक्स-रे मशीनों को क्रय करने के लिए प्राप्त हुयी थी और दूसरी किश्त 41 लाख 40 हजार की 23 एक्स-रे मशीनों को खरीदने के लिए मिली थी । इसके बाद निदेशक उद्योग विभाग के द्वारा इसकी निविदा करायी गयी है उसके बाद ये मशीनें खरीदी गयीं । यह बात सही है कि मशीनें खरीदने के बाद उनको जिस तरह से और जहां लगाना चाहिए था वह वहीं हुआ और कई कारागारों में ये मशीनें इस समय कार्यरत नहीं हैं । हम गलती स्वीकार करते हैं, किन्तु अब जल्द ही व्यापक पैमाने पर उनको चलाने की कार्यवाही की जायेगी और यह व्यवस्था की जायेगी कि जेलों के अन्दर यह मशीनें सुचारु रूप से चल सकें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि 9 लाख रुपया और 41 लाख रुपया इन एक्स-रे प्लान्ट को खरीदने के लिए दिया गया । आगरा की दोनों जेलों–केन्द्रीय कारागार और जिला कारागार में अभी तक कोई एक्स-रे प्लान्ट नहीं लगा है । यह मेरी निश्चित जानकारी है । वहां पर उसके लिये न भवन हैं और न एक्स-रे मशीनें हैं । वहां पर इस तरह के जो लोग इलाज के लिए आते हैं वे जिला अस्पताल आगरा भेज दिये जाते हैं । इस तरह से कोई एक्स-रे मशीन इन कारागारों में नहीं है । श्रीमन्, मैं भी कई बार वहां पर रहा और कुछ दिन पहले भी रहा । मैं जानना चाहता हूं कि इन जेलों के लिए एक्स-रे प्लान्ट ही खरीदने के लिये जो धन दिया गया था, वह नहीं खरीदे गये और न वहां पर ऐसी मशीनें लगाई गईं तो क्या आप कारागार अधीक्षकों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

माननीय सदस्य आगरा ने सदन को सूचित किया है कि आगरा की किसी भी जेल में एक्स-रे का कार्य नहीं हो पा रहा है । यह केवल आगरा में ही नहीं नैनी जेल को छोड़कर प्रदेश के किसी भी कारागार में इसका कार्य नहीं हो रहा है । मान्यवर, 28 मशीनें खरीदी गईं थीं और फिर भी एक्स-रे का कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है । इस सम्बन्ध में सचिव स्तर पर एक जांच समिति बैठा दी गई है । वह समिति इसकी जांच करेगी और उसके पश्चात् इस बारे में कार्यवाही की जायेगी ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, 50 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की 28 एक्स-रे मशीनें 3/4 साल पहले खरीदी गईं थीं । मेरी निश्चित जानकारी है कि आगरा में ही नहीं, बरेली में भी यह कार्य नहीं चल रहा है । मैं समझता हूं कि प्रदेश के किसी भी कारागार में नहीं चल रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि इन मशीनों को कब चालू कर देंगे क्योंकि जब तक इनके लिये कायदे के कमरे और विद्युत कनेक्शन नहीं होगा तब तक यह मशीनें चालू नहीं हो सकती हैं । मेरी निश्चित जानकारी है कि

मैडिकल कालेज के लिए कैंसर की जांच हेतु एक कोबाल्ट की मशीन क्रय की गई थी । वह 2 साल से नहीं चल रही है क्योंकि वहां पर विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था नहीं है । इससे ज्यादा पैसे के दुरुपयोग का और कोई नमूना नहीं हो सकता है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह सही है कि कोई एक्स–रे की मशीन बिजली के बगैर नहीं चल सकती । बिजली की आपूर्ति न होने से कई जगहों पर यह मशीन नहीं चल रही है । जैसे इटावा है, धुर्मा (सितारगंज), हरदोई, गोंडा, शाहजहांपुर, गोरखपुर आदि ऐसे जनपद हैं जहां पर विभिन्न कारणों से एक्स-रे की मशीनों पर काम नहीं हो पा रहा है । यह भी सही है कि कन्ही पर इनके लिए जो रेडियोलोजिस्ट, टेक्नीशियन होने चाहिए वह नहीं मिल रहे हैं । कुछ वित्तीय कठिनाई सामने आयी है, उसको दूर करके बहुत जल्दी ही कार्यवाही की जायेगी ताकि यह मशीनें चालू हो जायं और माननीय सदस्यों की चिन्ता दूर हो जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी के अनुसार इस खरीद में बड़ा भारी भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताऐं भी की गई हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जो जांच समिति बनी है वह कब बनी है, उसमें कौन-कौन से लोग हैं और क्या उस समिति को यह बिन्दु भी समर्पित किया गया है कि टैक्नीशियन की नियुक्ति किये बिना, एक्स-रे के लिए भवन की व्यवस्था किये बिना, चपरासी की व्यवस्था किये बिना यह बड़ी भारी खरीद जल्दबाजी में कर भी ली गई तो यह व्यवस्था तत्काल क्यों नहीं की गई ? मेरी जानकारी है कि किसी एक्स–रे मशीन सप्लाई करने वाले मालिक की उच्च पद के अधिकारियों से सांठ-गांठ हो चुकी है । इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को मिली होगी और पत्रावली में यह होगा । आज तक मशीनें बेकार पड़ी हैं । मैं सीतापुर से आता हूं । वहां पर भी यही स्थिति है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस समिति को यह सब मामला संदर्भित करेंगे. (व्यवधान)

उस डील के अन्दर इनवाल्वमेन्ट इनके जो महानिदेशक स्वास्थ्य और सचिव, स्वास्थ्य थे उन सब का था इसलिये समिति इनके स्तर से नीचे के अधिकारियों की नहीं होनी चाहिये तो इस बात को दृष्टि में रखते हुये समिति का भी पुनर्गठन करने की कृपा करेंगे और उनसे वरिष्ठ अधिकारियों से जांच की जायेगी और अगर सम्भव समझें तो इस आदरणीय सदन के सदस्य जो डाक्टर हैं उनको भी इसमें एसोशियेट करेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, गुप्ता जी बहुत पुराने सदस्य हैं और जानकार भी है । विचारणीय मूल बिन्दु एक्स-रे मशीनों के खरीदने का है और वह कार्य क्यों नहीं कर रही हैं और कार्य करने में क्यों देर हो रही है इसमें किसकी गलती है इसके लिये सचिव स्तर की कमेटी बनाने की बात है . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं मूल सवाल क्या पूछा गया उससे मेरा कोई मतलब नहीं है जो उत्तर कारागार मंत्री जी ने दिया वह सदन की सम्पत्ति बन गया है उसके संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछने की इजाजत मान्यवर, आपने दे दी तो अब वह यह कह कर नहीं बच सकते हैं कि मूल प्रश्न में यह नहीं था . . .

श्री अध्यक्ष–

जो सूचना हो आप दे दें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

इसमें बचने बचाने की कोई बात नहीं है, मैं आपके आदेश के मुताबिक जबाब दे रहा हूं । जो गुप्ता जी पूछ रहे हैं उसे बताने की कोशिश कर रहा हूं । उनका कहना है कि मशीनों के खरीदने में भारी घपला हुआ है । मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मशीनें कारागार विभाग ने नहीं खरीदी है यह उद्योग विभाग द्वारा मैसर्स सीमेन इण्डिया लि0 नई दिल्ली से खरीदी गयीं और उद्योग विभाग ने खरीद कर कारागार विभाग को दी ।

श्री अध्यक्ष–

जिम्मेदारी संयुक्त है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

संयुक्त जिम्मेदारी है जो जांच होगी उससे स्पष्ट हो जायेगा कि किसकी जिम्मेदारी है, यह स्पष्ट संस्तुति करनी पड़ेगी कि किसकी जिम्मेदारी है । मैं गुप्ता जी को स्पष्ट करना चाहूंगा कि कारागार विभाग का कोई हाथ इसमें नहीं है। लेकिन इनको लगता है कि खरीद में घपला है और धांधली हुई है तो जो जानकारी उन्होंने सदन में दी है इस संबंध में भी हम दिखवा लेंगे, हमारे विभाग ने अगर कोई इस तरह की धांधली की है तो उसकी जांच कर लेंगे और सख्त कार्यवाही करेंगे ।

श्री मुईद अहमद–

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं यहां पर यह लोग नूरी कुश्ती लड़ते हैं और आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के जमाने का है तो जब कांग्रेस पार्टी के राज्य में आरोप लगाते थे या शिकायत करते थे तो क्या उनकी जांच नहीं होती थी ?

श्री अध्यक्ष–

यह कोई आपका प्रश्न नहीं है ।

श्री मुईद अहमद–

बीच में इण्टरफियर कर दिया इसलिए कहना पड़ता है । मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि सुलतानपुर जेल में प्रदेश भर का सबसे बड़ा टी0 बी0 सैनिटोरियम है जहां जेल के मरीजों का इलाज होता है तो उसके लिए एक्स-रे मशीन की परम आवश्यकता है । तो टी0 बी0 सैनिटोरियम को ध्यान में रखते हुए सरकार वहां शीघ्र एक्सरे प्लान्ट चालू करेगी ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मुईद साहब जानते हैं कि सुल्तानपुर भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी का क्षेत्र रहा है और यह भी सत्य है कि एक्सरे मशीन लगाने के लिए जिस डार्क-रूम की आवश्यकता होती है वह सबसे पहले सुल्तानपुर में ही खोला जा रहा है जहां तक उनका कहना है कि कब तक चालू कर दिया जायेगा तो बहुत जल्द ही एक्स-रे मशीन वहां चालू कर दी जायेगी ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि सचिव स्तर पर जांच कराई जायेगी, फिर

कहा कि विभिन्न कारणों से एक्सरे मशीनें नहीं चल रही हैं, तो कारण मंत्री जी को मालूम है, तो फिर सचिव स्तर पर जांच कराने की क्या जरूरत है ?

दूसरी बात उद्योग मंत्रालय ने इन मशीनों को खरीदा तो क्या मंत्री जी जांच में सुनिश्चित करायेंगे कि उस समय के किस अधिकारी और मंत्री का हाथ इसमें था कि इतनी जल्दबाजी में मशीनें खरीदी गयीं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जांच की सदन के माननीय सदस्यों ने मांग किया इसलिए उनकी भावनाओं का आदर करते हुए यहां घोषणा की गयी । जहां तक किन-किन लोगों ने एक्सरे मशीनें जल्दबाजी में खरीदा, तो बिना जांच कैसे बताया जा सकता है, इसलिए जांच के बाद ही बताया जा सकेगा ।

नयी नियुक्तियों पर लगाये गए प्रतिबन्ध को हटाये जाने की मांग

**2–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी एवं श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या सरकार प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारों की संख्या को कम करने के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सभी विभागों में नयी नियुक्तियों पर लगाई गई रोक को हटाने और सभी विभागों की वर्तमान रिक्तियों को शीघ्र और एक निर्धारित अवधि के भीतर भरने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)–

जी नहीं ।

मितव्ययिता की दृष्टि से शासनादेश दिनांक 13 नवम्बर, 1987 द्वारा यह निदेश किए गए हैं कि आयोजनेतर पक्ष के श्रेणी–3 (लिपिक वर्ग) व श्रेणी–4 (तकनीकी पदों को छोड़कर), के सीधी भर्ती के जितने भी पद रिक्त हैं अथवा भविष्य में रिक्त होंगे उनके विरुद्ध तब तक नई नियुक्तियां न की जायं जब तक संबंधित संवर्ग के कुल पदों के 5 प्रतिशत के बराबर पद कम न कर लिए जायं ।

इसके बाद प्रशासनिक व्यय पर नियंत्रण को और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 10 मार्च, 1989 द्वारा पर्यवेक्षक कोटि के सीधी भर्ती के श्रेणी–2 व 1 के आयोजनेतर पदों पर भी यही प्रतिबंध लागू कर दिया गया है, लेकिन साथ में इस प्रतिबन्ध से अनुसूचित जातियों व जनजातियों के कोटे को पूरा करने के लिए छूट भी प्रदान की गयी है । यही छूट शासनादेश दिनांक 13 जुलाई, 1988 द्वारा कतिपय शर्तों के साथ, सभी श्रेणी के पदों के विषय में प्रदान कर दी गई है, लेकिन इस आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस शिथिलीकरण से जो भी नियुक्तियां की जायेंगी वे केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों की ही होंगी । शेष के बारे में प्रतिबंध यथावत् रहेगा।

इस प्रतिबंध को उठाने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि प्रश्नगत आदेश के अनुसार 5 प्रतिशत पद कम कर लेने की दशा में स्वत: नई नियुक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं रह जाता और सभी विभाग सक्षम होंगे कि वे अपने नियंत्रणाधीन रिक्त पदों पर नियुक्तियां कार्य की वास्तविक आवश्यकता अनुसार कर लें । चूंकि विभिन्न विभागों में पद रिक्तियों की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, अत: भावी नई भर्तियों के लिए कोई समय सीमा तय कर देना उचित न होगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं मुख्य मंत्री जी से, जो सदन में हैं, अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न के साथ वह न्याय करें। प्रश्न के उत्तर के पैराग्राफ–1 में जिस शासनादेश, 13 नवम्बर, 1987 का हवाला दिया गया है उसको देखें तो पता चल जायेगा कि किस तरह निरंकुश नौकरशाही के सामने आपको समर्पण कर दिया था, कांग्रेस सरकार ने, उस शासनादेश में कहा गया है कि राज्याधीन सेवाओं में विशेषकर समूह "ग" और "घ" में पदों के सृजन, नई नियुक्तियां करते हुए यह सुनिश्चित किया जाना है कि प्रत्येक संवर्ग में उतने ही पद सृजित हों जितने आवश्यक हों। तो श्रीमन्, यह केवल समूह "ग" और "घ" के संबंध में आपत्ति है, वर्ग एक और दो संवर्ग में आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 सर्विसेज आती हैं, उन पर कोई रोक नहीं लगायी गयी थी। संवर्ग एक की नियुक्ति पर जितना खर्च आता है उतने में श्रेणी "ग" और "घ" में 10 व्यक्ति नियुक्ति पा सकते हैं। तो मैं मंत्री जी के उत्तर के संबंध में जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने उत्तर दिया है 5 प्रतिशत की कमी करने का "ग" और "घ" संवर्गों में वह किसी सर्वेक्षण के आधार पर कराया गया है या वह लाल बुझक्कड़ वाली कथा के आधार पर मनमाना निर्णय ले लिया गया है? नम्बर–2, जो टैक्निकल पदों के लिए कहा कि उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है तो क्या सर्वेक्षण में यह पाया गया था कि टैक्निकल में कोई सरप्लस स्टाफ नहीं है ? और वर्ग 1 व 2 में रोक क्यों नहीं लगाई गई?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मान्यवर, शासनादेश दिनांक 13-11-87 में रोक लगाई गई थी, जब प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा था और इसमें टोटल रोक लगा दी गई थी। उसके बाद यह रोक हटा दी गई थी और 4-4-88 में यह केवल श्रेणी 3 व 4 में लगाई गई थी, क्योंकि एक्सचेकर पर ज्यादा खर्चा आ रहा था। इसके बाद तिवारी जी के प्रश्न पर, उनकी भावनाओं को देखते हुए 10-3-89 को क्लास 1 व 2 पर यह पांच परसेंट की रोक लगा दी गई और जैसा मैंने उत्तर में कहा है कि टैक्निकल को छोड़कर, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को छोड़कर यह उन पर लागू नहीं होता है और सभी क्लास पर यह रोक लगा दी गई है।

श्री राम कुमार शुक्ल–

1987 का यह जो शासनादेश है यह जन विरोधी है, क्योंकि पहले से ही बेरोजगारी बहुत अधिक है, तो क्या सरकार 87 वाले ऐसे जनविरोधी शासनादेश को वापस लेगी, समाप्त करने का कष्ट करेगी? और क्या मंत्री जी यह भी बताएंगी कि श्रेणी 3 व 4 में इस समय जितने स्थान रिक्त हैं, उन्हें कब तक भरा जाएगा? 1987 में अनुसूचित जाति के कितने स्थान रिक्त थे और इस समय कितने रिक्त हैं?

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें, आप तो पढ़ रहे हैं, जो ठीक नहीं है।

श्री राम कुमार शुक्ला–

क्या सरकार इस प्रकार का जो जनहितकारी नियम नहीं है 87 का उसको समाप्त करेगी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

बेरोजगारी की बात माननीय सदस्य ने कही है, वह सही है, लेकिन साथ-साथ सरकार के ऊपर इसका खर्चा बहुत ज्यादा है और मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगी कि यदि हम 5 परसेन्ट बढ़ायेंगे तो हमारे ऊपर 30 करोड़ रुपये का खर्च और बढ़ जाएगा। मैं चाहती हूं कि यह 30 या 35 करोड़ रुपया कहीं और स्कीमों में लगाकर बेरोजगारी दूर करने का प्रयास हम करें।

श्री अध्यक्ष–

अब अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों को समय समाप्त।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, मैंने आपसे कहा था, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने जो प्रश्न पूछा, मंत्री जी ने उसका उत्तर नहीं दिया। तो जो 13-9-87 का शासनादेश जारी किया था, जिसका जिक्र मंत्री जी ने अपने उत्तर के पैरा 1 में किया था, वह किसी सर्वेक्षण के आधार पर किया गया था या अपने आप कर दिया था? और यदि सर्वेक्षण के आधार पर किया गया था, तो आई० ए० एस० और पी० सी० एस० में क्या किसी कटौती की गुंजाइश नहीं थी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

हमने कहा 13-11-87 को यह किया गया था, उस समय प्रदेश में बहुत सूखा था। वह आम नोटिस लिया गया था, किसी सर्वेक्षण के आधार पर वह नहीं था।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष पीठ पर बैठाया गया है, लेकिन आपकी नजर इधर जाती ही नहीं है। हम सबका विश्वास आप पर है हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो मुख्य विरोधी दल है उस पर आप कृपा दृष्टि डाल दिया करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न में जिस व्यक्ति का नाम होता है, जिसका प्रश्न होता है, उसको प्रश्न करने का अनुपूरक प्रश्न करने का पहला अधिकार होता है, उसके बाद जिस माननीय सदस्य का प्रश्न पर नाम होता है उसको बुलवाया जाएगा, तो मेरा मा० सदस्य से निवेदन है कि वह कृपया इस सदन पर, मुझ पर ऐसे आक्षेप न लगाएं।

[मंगलवार दिनांक 16 जनवरी के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

किसानों के 10 हजार तक के ऋण माफी की घोषना

*1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री राम छबीला, श्री मदन गोविन्द राव, श्री किशन गोपाल तथा डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की जनता पर दस हजार रुपये तक के जो कर्जे हैं उन्हें माफ किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो माफी की घोषणा कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

जी हां। इस विषय पर केन्द्रीय सरकार से मार्ग दर्शन की प्रतीक्षा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं इस सरकार का आभारी हूं कि उसमें दस हजार तक के कर्जे माफ करने की घोषणा की है और यह संदर्भ शासन के विचाराधीन है । मैं इतना जानना चाहूंगा कि 10 हजार कर्जा माफ करने की बात जो शासन के विचाराधीन है । माननीय मंत्री जी ने इसमें कहा है कि इस विषय पर केन्द्रीय सरकार से मार्गदर्शन की प्रतीक्षा है तो क्या इसमें कोई अभियाचन केन्द्रीय सरकार को लिखा है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय गुप्ता जी वरिष्ठ सदस्य हैं वह जानते हैं कि चुनाव घोषणा पत्र में जनता से वायदा था, पिछली सरकार ने किसानों के कृषि उत्पादन मूल्य में शोषण किया है उसकी एवज में उनको हम कुछ राहत देंगे । इसी तहत 10 हजार का कर्जा माफ करने को कहा गया है । आल इण्डिया चुनाव घोषणा पत्र जो है, संसंदीय चुनाव घोषणा पत्र जो है उसमें यह वायदा है । इस विषय में मार्गदर्शन प्राप्त होते ही इस पर निर्णय हो जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों का मूल प्रश्न है, उनको तो समय देना ही देना है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरे सवाल का उत्तर आया ही नहीं । मैंने माननीय मंत्री जी को बधायी दी थी । मेरे प्रश्न का दूसरा हिस्सा जो है उसका उत्तर नहीं आया । इन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार से मार्गदर्शन की प्रतीक्षा है, केन्द्र सरकार पैसा देगी तो यह व्यवस्था करेंगे । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि स्वविवेक से मार्गदर्शन वह दें, यह बात तो अपनी जगह है, लेकिन क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को इस बारे में कोई पत्र लिखा है या कोई अभियाचना की है । 10 हजार का कर्जा राज्य सरकार माफ करना चाहती है, तो क्या इस बारे में कोई पत्र केन्द्र सरकार को गया है । अगर वह गोपनीय नहीं है तो आदरणीय सदन को बताने का कष्ट करें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैंने मूल उत्तर में कहा कि केन्द्रीय सरकार से मार्ग दर्शन की प्रतीक्षा है । भारत सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं उस संदर्भ में जो कार्यवाही अपेक्षित है वह की जा रही है । इस संदर्भ में क्या पत्र लिखा गया, उसको मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा । आपका प्रश्न न कार्यवाही में लिखा जायगा और न मंत्री जी उसका उत्तर देंगे । माननीय नेता सदन आए मा0 सदस्यों को नियंत्रित करें ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने बताया कि वह राष्ट्रीय मोर्चे की घोषणा थी जिसको पूरा करना है । मैं यह जानना चाहूंगा कि 10 हजार तक किसानों, बुनकरों के किन-किन कर्जों को सरकार माफ करना चाहती है और क्या इस बारे में कितना व्यय भार आयेगा उसके बारे में अपनी ओर से केन्द्र सरकार को संस्तुति करेगी ताकि केन्द्र सरकार के संज्ञान में यह आ सके कि 10 हजार तक कर्जे माफ करने पर कितना व्यय भार वहन करना पड़ेगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, तिवारी जी ने जो प्रश्न किया कि कितना व्यय भार आयेगा उसका परीक्षण करवाया जा रहा है और 10 हजार तक के जो किसानों को ऋण हैं उनकी वसूली तात्कालिक प्रभाव से स्थगित कर दी गई है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि किसान बड़ी आशा भरी नजर से देख रहे हैं । मंत्री जी ने बताया कि इस बात के निर्देश दिये गये हैं कि यह कर्जे जब तक अन्तिम रूप से निर्णय न हो जाय तब तक वसूली रोक दी गयी है ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके ऊपर अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

वसूली स्थगित तब तक रहेगी जब तक अन्तिम निर्णय हमारा नहीं हो जायगा । अन्तिम निर्णय जब होगा जब भारत सरकार से मार्गदर्शन हमको प्राप्त हो जायेगा ।

श्री राम छबीला–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि 10 हजार तक वसूली स्थगित कर दी गयी है । राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तथा कोआपरेटिव विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं क्या इस बात की जानकारी मंत्री जी को है ?

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर आ चुका है कि वसूली स्थगित कर दी गयी है।

श्री मदन गोविन्द राव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी मंत्री जी ने बताया कि कर्जों की वसूली स्थगित कर दी गयी है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस घोषणा के बावजूद जिलों में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी तेजी से वसूली कर रहे हैं । क्या वास्तव में कर्जे स्थगित कर दिये गये हैं । यदि इसका उल्लंघन हो रहा है तो क्या माननीय मंत्री जी उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के सभी सदस्यों की भावनाओं का मैं आदर करता हूं हमें जो बधाई दे रहे हैं । किसानों के कर्जे माफ करेंगे इसमें कहीं कोई

कन्फ्यूजन, भ्रम नहीं है । किसानों के 10 हजार तक के कर्जे माफ करने के लिए सरकार पूरी तरह बचनबद्ध है । दूसरी बात यह है, साफ इसलिए करना चाहता हूं कि अगर जल्दबाजी में हमने कर दिया, तो केन्द्रीय सहायता जो हम प्रदेश के हित में, विकास के हित में चाहते हैं, उसके मिलने में कठिनाई होगी । जो भी सहकारी समितियों के ऋण हैं, या अन्य ऋण हैं, अपना जल्दबाजी में कानून बनाकर कर देते हैं, तो हमें केन्द्रीय सहायता मिलना संदिग्ध हो जायगा । उससे हमारे प्रदेश का अहित हो सकता है । इसलिए हम माननीय सदन के सदस्यों से निवेदन करते हैं कि अगर हम इसे माफ करते हैं, तो केन्द्रीय सहायता मिलने में कठिनाई होगी । हमने माननीय वित्त मंत्री जो केन्द्र के हैं, उनसे बात कर ली है तथा और भी लोगों से बात कर ली है । कर्जा माफी किसानों की होगी और उसकी तारीख आपके सामने बहुत जल्दी आ जायगी, उसी दिन से कर्जे माफ होंगे । जो हमारे स्तर से करने की बात थी, उसे हमने कर दिया है । वसूली पूरी तरह से स्थगित है । अगर कहीं पर वसूली हो रही है, तो उसके बारे में माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे, तो उसको हम रिकवा लेंगे । जिन लोगों ने अभी तक एक रुपया भी वापस नहीं किया है, उन पर वसूली होगी, इसलिए कहीं-कहीं पर ऐसा भ्रम हो सकता है । जिन्होंने कुछ रुपया वापस कर दिया है और शेष रुपया अपनी मजबूरी के कारण नहीं दिया है, तो उनकी वसूली माफ हो जायगी ।

पिछली सरकार की नीति कुछ ऐसी रही है, जिसके कारण कर्जा बढ़ा है, उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिला है । अगर राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार का कोई फैसला है, तो उसमें जनता दल एक अंग है । अगर कोई कहता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव घोषणा-पत्र में ऐसा नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के चुनाव घोषणा-पत्र में है । जब राष्ट्रीय मोर्चा उत्तर प्रदेश का एक अंग है, तो जनता दल एक अंग है । इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि इस पर जोर न दें । घोषणा तो मैं अभी कर सकता हूं, लेकिन उससे हमें केन्द्रीय सहायता मिलने में संदिग्धता पैदा हो सकती है । इसकी हम जल्दी ही घोषणा कर देंगे ।

(डा0 दिनेश जौहरी का नाम पुकारे जाने पर-व्यवधान)

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, इस प्रश्न के संदर्भ में मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूं । मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र के 10 हजार रुपये के कर्जे माफ करने के लिए तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है, लेकिन शहरी क्षेत्र के लोगों के भी 10 हजार रुपये के कर्जे माफ होने चाहिए । शिक्षित बेरोजगार, निर्बल वर्ग के लोगों ने बैंक के माध्यम से जो 10 हजार रुपये कर्जे लिये हैं, उनका तो 5 हजार रुपये बैंक के लोगों को घूस देने में ही खर्च हो गया, इसलिए मेरा अनुरोध है कि शहरी क्षेत्र के भी 10 हजार रुपये के कर्जे माफ करने का प्रयास करेंगे ?

गन्ना विकास एवं राजस्व मंत्री (श्री राम शरण दास)–

जो दस्तकार हैं, जो शहरों में रहते हैं, वह तो पहले से ही उसमें है । दस्तकार, बुनकर, गरीब लोग, छोटे लोग जो हैं, उनका तो हम करेंगे, उनका तो इसमें है ही ।

श्री शिव बहादुर सक्सेना–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप वही बात दोहरा रहे हैं ? कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा ।

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था तारांकित प्रश्न संख्या–12 जो पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त हो गया । इसमें मैंने दस हजार तक के कर्जे माफ करने की सरकार की घोषणा के बारे में प्रश्न किया था ? मैं जानना चाहता हूं कि यह दस हजार रुपये तक के कर्जे की माफी केवल किसानों तक ही सीमित रहेगी या उसमें गन्य गरीब लोगों जैसे जूता बनाने वाले कारीगर आदि को भी शामिल किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष–

इसके बारे में स्पष्ट रूप से और विस्तृत रूप से मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इधर से भी एक प्रश्न करने दें ।

श्री अध्यक्ष–

पहले आप यह तय कर लें कि यह एक प्रश्न कौन करेगा ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक प्रश्न मैं करूंगा और दूसरे प्रश्न के अधिकारी दूसरे लोग हैं । आप इस प्रश्न पर मुख्य विपक्षी दल का जवाब नहीं दिलायेंगे तो मैं कहूंगा कि सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही है ।

(घोर व्यवधान)

मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सरकार की रक्षा करने का प्रयत्न न करें । इस पर सरकार गलत जवाब दे रही है और गलत जवाब देकर मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

आप भाषण न करें । मैं कह रहा हूं कि कोई प्रश्न कर रहे हों तो करें । आप प्रश्न करिये भाषण न दीजिये (घोर व्यवधान) यदि आप भाषण देंगे तो मैं सदन कैसे चला पाऊंगा ? जब आप बिना अनुमति के खड़े होंगे तो कैसे सुन सकूंगा ? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसमें केवल एक प्रश्न कर लें और समय देख लें और कितने प्रश्न बाकी हैं, यह भी देख लें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो स्पष्ट किया है उससे कई भ्रांतियां दूर हुई हैं, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर से एक भ्रांति हो गयी है । उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को पत्र लिखा गया है, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि कोई पत्र केन्द्रीय सरकार

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

को लिखा गया है तो उसके दिशा बिन्दु क्या हैं और इस कर्जे की माफी पर जो धनराशि खर्च होंगे उसके लिए संसाधन कहां से लायेंगे ? जब तक सदन को इसका जवाब नहीं देंगे, तब तक ये मात्र मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही दिखायेंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से . . . .

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपकी इस प्रश्न में रुचि नहीं है, इसलिए मैं यह आदेश दे रहा हूं और यह मेरा निर्णय है कि तारांकित प्रश्न संख्या–2 लिया जाय ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ स्थापित किए जाने पर विचार

*2–श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य तथा श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट––

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ स्थापित करने के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है एवं यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कब एवं किस स्थान पर स्थापित होने जा रही है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरी सरकार ने 5 दिसम्बर, 1989 को कार्यभार ग्रहण किया है और अब इस बिन्दु पर विचार किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी ने उत्तर पढ़ दिया है, अब मा0 कृष्ण स्वरूप वैश्य जी प्रश्न पूछें ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के वादकारी जनता की बहुत दिनों से यह मांग रही है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में खोली जाय । इसके अभाव में मेरठ, मुजफ्फरनगर और बुलन्दशहर की जनता को न्याय मिलने में विलम्ब होता है, न्याय मंहगा होता है। तो क्या शासन सिद्धांत रूप से इस मांग को स्वीकार करता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में खोली जाय ? दूसरे यह जो सेन्ट्रल यू0 पी0 है बदायूं पीलीभीत शाहजहांपुर आदि व–या इनके जनपदों को लखनऊ बेंच से सम्बद्ध करने के लिए सिद्धान्त रूप से सहमत है?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, सचमुच में यह प्रश्न काफी दिनों से चला आ रहा है, लाखों जनता से यह सम्बन्धित है और, इस सम्बन्ध में 1976 से लगातार आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, 1976 में यह पहली बार मंत्रिपरिषद् के समक्ष आया और उस मंत्रिपरिषद् ने फैसला किया कि मेरठ में खंडपीठ स्थापित की जाय। मार्च 1978 में इस फैसले की पुष्टि की, 1 मई, 1979 में मेरठ में वहां पर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने

के लिये केन्द्र सरकार से भी सिफारिश की गयी। इसके बाद 81 में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को एक पत्र लिखा और कहा कि पश्चिमी जिलों के किसी भी जनपद में खंडपीठ स्थापित कर दी जाय, स्थान के बारे में केन्द्र सरकार तय करे। उसके बाद एक जसवंत सिंह आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी कुछ संस्तुतियां (रिकमन्डेशंस) दी हैं। उसके बाद यह हुआ कि मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल महोदय से इसकी बाबत उनकी राय ले ली जाय। मान्यवर, माननीय कृष्ण स्वरूप वैश्य जी भी जानते हैं कि 5 दिसम्बर को इस सरकार ने शपथ ली है और सरकार अस्तित्व में आयी है। यह सवाल जितना सुलझा हुआ पहले था उतना ही ज्यादा अब उलझ गया है। पूरे पश्चिम में एक आन्दोलन हो रहा है। बरेली वाले अलग मांग कर रहे हैं मुरादाबाद वाले अलग मांग कर रहे हैं, मेरठ आगरा वाले अलग मांग कर रहे हैं। यह सवाल बहुत उलझ गया है। इसलिये अब यह सवाल इतने आसान रूप में नहीं रह गया है। एक सुलझा हुआ सवाल एक उलझे हुए शक्ल में इस सरकार को मिला है। माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि सरकार को कुछ मौका दिया जाय ताकि इसका कुछ सुनिश्चित हल जनहित में करने के लिए कुछ समय मिले और इसके बाद कुछ हल निकल सके।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

मैं यह जानना चाह रहा हूं कि सरकार इस प्रश्न पर सिद्धान्त रूप से सहमत है या नहीं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंडपीठ खोली जाय। सरकार इस बिन्दु पर कब तक विचार कर लेगी?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जैसा कि माननीय वैश्य जी जानते हैं, वे इससे पहले भी सदन में चुनकर आये हैं, इस सरकार ने कभी किसी प्रकार की असहमति जाहिर नहीं की। विचार की प्रक्रिया चल रही है और इस पर शीघ्र निर्णय कर लिया जायेगा। किसी भी प्रकार की विसंगति इस सरकार द्वारा उत्पन्न ही नहीं की गयी है।

(श्री हरद्वार दुबे को पुकारे जाने पर)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, हरद्वार दुबे जी इस समय नहीं है, उनके स्थान पर मुझे प्रश्न कर लेने दें।

श्री अध्यक्ष–

जिनका प्रश्न है उनको अधिकार है, वरीयता उन्हीं की है। बाकी सबके अधिकार बराबर हैं।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, वर्तमान में कुमायूं और गढ़वाल के जो मण्डल हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। सुविधा की दृष्टि से इन दोनों मण्डलों को लखनऊ बैंच से वह सुविधा मिल सकती है। तो क्या सरकार कुमायूं और गढ़वाल मंडलों को लखनऊ खंडपीठ से जोड़ने की कृपा करेगी?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि गढ़वाल कुमायूं मंडलों को लखनऊ खंड पीठ से संबद्ध किया जाय । मैं सदन की जानकारी में यह बात लाना चाहूंगा कि जसवंत सिंह आयोग ने जो अपनी संस्तुति दी है, उसमें पर्वतीय क्षेत्र के कुमायूं मंडल तथा गढ़वाल के संबंध में यह व्यवस्था की गयी है कि वादकारियों को यह विकल्प रहेगा कि कुमायूं के वादकारी पश्चिमी जिले में अथवा नैनीताल में तथा गढ़वाल के लोग पश्चिमी जिले की खंड पीठ अथवा देहरादून में जाकर अधिकारी के समक्ष अपना वाद दायर कर सकते हैं, जिसे अधिकारी द्वारा संबंधित बेंच के समक्ष भेजा जायगा।

चूंकि यह संस्तुति अभी विचाराधीन है, इसलिये जब तक सरकार इस पर पूरा विचार नहीं कर लेगी, तब तक इस समय तत्काल कोई भी सुनिश्चित आश्वासन देने की स्थिति में सरकार नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सम्बन्धित मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सिद्धान्त रूप में जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करती है?

दूसरा प्रश्न यह है कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि आगरा में इसके लिये आन्दोलन हो रहा है, बरेली में हो रहा है, मुरादाबाद में हो रहा है, तो क्या यह सरकार कहीं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर खंडपीठ खोलने के लिये तैयार है?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय सुरेन्द्र सिंह चौहान जी पिछली सरकार में राज्य स्तर के मंत्री भी थे और सदन में न्याय संबंधी प्रश्नों का जवाब भी दिया करते थे और वह दोबारा चुनकर इस सदन में आये हैं, उनका स्वागत है। कृष्ण स्वरूप वैश्य जी ने इस संबंध में प्रश्न किया था, मैंने उस समय भी बता दिया था, अब उसको पुनः दुहरा रहा हूं कि कभी भी इस सरकार ने खंडपीठ के मामले पर अपनी कोई असहमति जाहिर नहीं की है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जसवन्त सिंह आयोग ने क्या आगरा में इलाहाबाद खंड पीठ की एक बैंच स्थापित करने की संस्तुति की है तथा क्या उन्हें यह भी जानकारी है कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह पूछा है कि वह खंडपीठ की स्थापना के लिये कौन सा स्थान उपयुक्त समझते हैं और अन्तिम प्रश्न कि क्या स्थान की घोषणा आप शीघ्र ही करने की कृपा करेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, वर्मा जी काफी जानकार और अनुभवी सदस्य हैं और जो उनकी जानकारी है, वह सही है, वैसे मुझे आगरा से थोड़ा डर जरूर लगता है। लेकिन आपके माध्यम से मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभी तो हम लोग विचार कर रहे हैं और यह बहुत उलझा हुआ सवाल है और मैं चाहता हूं कि माननीय वर्मा जी इसमें हमारी मदद करेंगे, उनसे भी इसके बारे में राय ली जायगी।

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी, समस्त आयोगों की रिपोर्ट यहां पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, आप वहां इसे पढ़ लें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, आप इजाजत दें, तो मैं इतना और स्पष्ट कर दूं कि माननीय वर्मा जी पढ़ लिखकर आते हैं और उनकी जानकारी सही है कि जसवंत सिंह आयोग ने आगरा में खंडपीठ स्थापित करने की संस्तुति दी है।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुए कि इस पूर्ववर्ती सरकार ने इस मामले को कई वर्षों तक लटकाये रखा, लेकिन आप इस पर विचार कर रहे हैं। केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रदेश सरकार की ओर से इस बारे में अभी तक कोई संस्तुति नहीं भेजी गयी है, जबकि माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में कहा है, उसी के संदर्भ में जानना चाहूंगा। जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट को प्रस्तुत हुए तीन वर्ष से अधिक का समय हो गया है। मुझे खुशी है कि सरकार उस पर विचार कर रही है। इस रिपोर्ट पर विचार करके और प्रक्रिया को पूरी करके सरकार क्या कोई समय सीमा निश्चित बताने की कृपा करेगी कि इस समय तक केन्द्र सरकार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर और कब तक खण्ड पीठ की स्थापना हो इसकी संस्तुति करके भेज देगी?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, इसकी समय सीमा भी निश्चित कर दी जायेगी ।

ग्राम मानपुर राह, परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी की सार्वजनिक भूमि पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा किये गये अनधिकृत कब्जे को हटाने की कार्यवाही

*3–श्री जयराज गौतम–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1989 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत भूमि पर से कितने अनधिकृत काबिजदार व्यक्तियों के कब्जों को हटाया गया है और कितने अनधिकृत कब्जों को अभी हटाना शेष है ? क्या प्रश्नगत भूमि पर से हटाये गये अनधिकृत कब्जेदारों को दण्डित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

प्रश्नगत भूमि में से गाटा संख्या-61, 65, 67, 70, 80, 99 व 101 पर नौ व्यक्तियों का अनधिकृत कब्जा है, जिनके विरुद्ध जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-122 (बी) के अन्तर्गत कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है । निर्णयोपरान्त अनधिकृत कब्जों को हटाने आदि की यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री जयराज गौतम–

मान्यवर, पिछले सत्र में भी यह प्रश्न पूछा गया था । उस समय भी इसी तरह का उत्तर लिखकर भेज दिया गया था । ठीक उसी तरह का उत्तर माननीय मंत्री जी इस सत्र में भी पढ़ रहे हैं । मूल उत्तर में श्रीमन्, गाटा संख्या 83 व 84 का उल्लेख नहीं है ।

जबकि गाटा संख्या 101 में आम रास्ता है । जिन मूल नम्बरों का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 122 (बी) के अन्तर्गत मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन गाटा संख्याओं का मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, उनकी जांच करवा के अवैध कब्जों को तुरन्त हटवाने की कृपा करेंगे ?

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, जो पहला उनका प्रश्न था उसमें गाटा संख्या 73, 75, 83, 84 व 113 पर अनधिकृत कब्जा नहीं पाया गया । गाटा संख्या 83 व 84 का उत्तर तो इन्हें पिछले ही सेशन में मिल गया था । 101 के संबंध में कहा गया कि किसी श्री दुर्गा प्रसाद का कब्जा है जो एक वर्ष से है, उस पर कार्यवाही की जा रही है ।

श्री जयराज गौतम–

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि ग्राम समाज की जो जमीन है, उन पर कतिपय असरदार व्यक्तियों ने सम्पूर्ण जमीन पर कब्जा कर रखा है, यदि हां तो क्या उन अवैध कब्जों को, जैसा कि मैंने अपने प्रार्थना में कहा भी है कि जिन पर अभी मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, उन समस्त पर अवैध कब्जों को हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैं पहले भी कह चुका हूं कि पिछले सेशन में ही इसका उत्तर आ चुका था । गाटा नम्बर 73, 75, 83, 84 व 113 पर कब्जा नहीं पाया गया । गाटा संख्या 101 पर कार्यवाही चल रही है । उस पर यह बता रहे हैं कि कब्जा ही नहीं है । परन्तु हमारा रिकार्ड बता रहा है कि उस पर कब्जा है । अब मान्यवर, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य को बुलाकर उन्हें इस पर संतुष्ट कर दें क्योंकि उनकी यह निजी जानकारी है ।

(व्यवधान)

राजस्व परिषद् की संस्तुति पर वाराणसी जनपद में ज्ञानपुर को नवीन जनपद के गठन पर विचार किए जाने की मांग

*4–**श्री अमरनाथ यादव–**

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को दे दी है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों जिलों तथा मण्डल के पुनर्गठन के संदर्भ में राजस्व परिषद् के पर मण्डल, जिले तथा तहसीलों को गठित करने का सुझाव उक्त समिति द्वारा दिया गया है और उसके गठन हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या उक्त समिति ने वाराणसी जनपद में ज्ञानपुर नाम से नवीन जनपद गठित करने की संस्तुति दी है ? यदि हां, तो उसे कब तक गठित किया जायेगा ?

श्री राम शरण दास–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अभी समिति की संस्तुतियां प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अमर नाथ यादव–

मैं जानना चाहता हूं कि वाराणसी जनपद में ज्ञानपुर नाम से नवीन जनपद गठित करने की संस्तुति कब तक प्राप्त हो जायगी ?

श्री राम शरण दास–

यह तो राजस्व परिषद् से जब आ जायगा उस पर कार्यवाही होगी।

श्री अमर नाथ यादव–

निश्चित समय बतायें?

श्री राम शरण दास–

जल्द मंगाने की कोशिश करेंगे।

श्री उदल–

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में ज्ञानपुर को जिला बनाने का दर्जा दिया गया है, इसको सरकार ने मान लिया है और अपनी घोषणा में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा। क्या उसको देखते हुए ज्ञानपुर को जल्द से जल्द जिला बना दिया जायगा ?

श्री राम शरण दास–

राजस्व परिषद् से जब संस्तुतियां आ जायेंगी, आपके हुक्म का पालन करेंगे।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर सिंह–

मान्यवर, यह बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है। यह वहां की जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ज्ञानपुर को जिला बनाने के लिये कई बार अपने उधर के मित्रों के राज्य में जेल भी जा चुके हैं और लाठियां भी खा चुके हैं कि ज्ञानपुर को जिला बनाया जाय। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बनाने के लिए घोषणा अगर विचाराधीन है तो उसका निर्णायक हल कब तक प्राप्त होगा और उसकी तिथि और समय सीमा घोषित करने की कृपा करेंगे ? क्योंकि समय सीमा निश्चित कर देने से ठीक रहेगा, मैं यह नहीं कहता दो महीने कर दें, तीन महीने कर दें।

श्री अध्यक्ष–

दो बार माननीय मन्त्री जी कह चुके हैं कि राजस्व परिषद् की संस्तुति आने पर होगा।

श्री मूल चन्द्र–

इन्होंने क्षेत्र में यह आश्वासन दिया था कि सरकार बनने पर जिला बना देंगे, उसके मुताबिक लोग प्रभावित हुए । मैं यह जानना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट माननीय मंत्री जी कब तक मंगा लेंगे और कब तक जिले की घोषणा करेंगे? यह बता दें।

श्री अध्यक्ष–

यही प्रश्न चन्द्रशेखर जी ने भी किया है। आप लोग बार-बार वही प्रश्न करते हैं।

श्री गनपत सिंह–

मैं राजस्व मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गोरखपुर जिले का क्या पुनर्गठन किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है, यह बात इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, आप इसके लिए अलग से प्रश्न कर लीजियेगा ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं राजस्व मंत्री जी से जानकारी करना चाहता हूं कि क्या राजस्व परिषद् की तहसील पुनर्गठन समिति ने 29 तहसीलों की स्थापना के संबंध में शासन को प्रस्ताव दिया था ? यदि हां, तो मा0 भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने कितनी नई तहसीलों की स्थापना की है और कितनी अभी करनी शेष हैं और इन शेष तहसीलों की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मूल चन्द्र–

माननीय अध्यक्ष जी, आप पहले मेरे प्रश्न का तो उत्तर दिलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

सदन में प्रश्न पूछने के कुछ नियम हैं । यह सदन नियमों के अन्तर्गत ही चलेगा । आप बैठ जायं । मा0 मंत्री जी आप उत्तर दें ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, प्रश्न क्या है ? कोई प्रश्न हो तभी तो उत्तर दूं ?

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर तो मिल जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ऐसी स्थिति में आप लोग मा0 मंत्री जी से प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं । जब मा0 मंत्री जी आपके प्रश्नों को सुन ही नहीं पा रहे हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर कैसे आयेगा ? मैं आप सभी सदस्यगणों से स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मा0 मंत्री जी से उत्तर चाहते हैं तो जब वे आपकी बात सुन ही नहीं पा रहे हैं तब उत्तर क्या देंगे ?

(घोर व्यवधान)

माननीय मंत्री जी, आपने सुन लिया हो तो उत्तर दे दीजिये ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैं कुछ नहीं सुन पा रहा हूं । अगर एक सदस्य प्रश्न करें तो मैं उत्तर दूं ।

(प्रश्न संख्या 5 पुकारे जाने पर)

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

मान्यवर, इस तरह से सदन को गुमराह किया जा रहा है जबकि राजस्व परिषद् ने 29 तहसीलों की स्थापना के संबंध में शासन को प्रस्ताव दिया था ।

(व्यवधान)

ी अध्यक्ष–

आप लोग कोई प्रश्न का उत्तर सुनने के लिये उत्सुक ही नहीं हैं इसलिये अब मैंने प्रश्न संख्या 5 के प्रश्नकर्ता का नाम बुला लिया है ।

(घोर व्यवधान)

ी इम्तियाज मोहम्मद खां–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा सदन को गुमराह किया जा रहा है ।

(घोर व्यवधान)

ी अध्यक्ष–

आप सभी लोग शांत हो जायें, मा0 सदस्य अगर आप भी शांत हो जाएं तो मैं उत्तर दिलवा दूं, लेकिन आप खुद उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं, आपके आचरण से यही महसूस हो रहा है । जब मैं खुद आपकी बात को सुन नहीं पा रहा हूं तो मंत्री जी क्या सुनेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सम्भवत: माननीय सदस्य (मोहम्मद इम्तियाज खां) मा0 मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हो पाये हैं और कह रहे हैं कि मा0 मंत्री सदन को गलत सूचना देकर गुमराह कर रहे हैं, इसलिए वह मौखिक रूप से विशेषाधिकार हनन की सूचना आपको दे रहे हैं, जिसे आप कृपया ग्रहण कर लें ।

ी अध्यक्ष–

ठीक है आपने उनकी सूचना हमें दे दी, मैं आपकी सूचना पर ही उनसे कह रहा हूं कि वह लिखकर इसे दे दें ।

र्ष 1988-89 में उप गन्ना आयुक्तों को संयुक्त गन्ना आयुक्त पदों पर की गयी कथित प्रोन्नतियां

*5–श्री राज किशोर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1988-89 में कुल कितने व किन-किन उप न्ना आयुक्तों को संयुक्त गन्ना आयुक्त पद पर प्रोन्नति दी गयी है ? प्रोन्नति का आधार या है ? क्या यह सच है कि प्रोन्नति प्राप्त कुछ अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर अपात्र अधिकारियों की प्रोन्नति रद्द कर गलत प्रोन्नति देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ी रामशरण दास–

वर्ष 1988-89 में किसी उप गन्ना आयुक्त को संयुक्त गन्ना आयुक्त के पद पर ोन्नति प्रदान नहीं की गई है । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता है ।

ी राज किशोर सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह उम्मीद न करता था कि वह भी इतनी जल्दी धिकारियों के जाल में फंस जायेंगे । यह मामला मान्यवर, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार से बंधित मामला है, जिसकी हिफाजत की जा रही है ।

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर रूप में भ्रष्टाचार का मामला है, इसलिए मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कितने उप गन्ना आयुक्तों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के मामले विचाराधीन हैं और दूसरी बात माननीय मंत्री जी कृपया यह बताएं कि पिछले तीन वर्षों में कितने उप गन्ना आयुक्तयों की पदोन्नतियां हुयी हैं, और उनके नाम क्या-क्या हैं ?

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, माननीय राजकिशोर सिंह हमारे साथ के हमारे पुराने सदस्य हैं और काफी अनुभवी भी हैं । मान्यवर, यह जो साल शुरू होता है वह अप्रैल से होता है न कि पहली जनवरी से । और यह जो माननीय सदस्य का सवाल, 4 आदमियों की पदोन्नति का कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वह भी मुझे पता है । जिन लोगों की पदोन्नतियां हुयीं हैं जो मा0 सदस्य जानना चाहते हैं, वह इस प्रकार है ।

सर्वश्री राम मूर्ति सिंह, उप गन्ना आयुक्त
आर0 पी0 विश्वकर्मा, उप गन्ना आयुक्त
के0 एम0 संत, उप गन्ना आयुक्त तथा
श्री गिरीश दत्त त्रिपाठी, उप गन्ना आयुक्त हैं ।

यही 4 आदमी हैं, जिनको तरक्की दी गयी है और किसी को नहीं दी गयी है ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, एक और सवाल कर लूं । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसकी अब नये सिरे से जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम शरण दास–

किस संबंध में और किस आदमी की ? जितनी तरक्की हुई हैं, उन 4 आदमियों में से 2 के खिलाफ कोई मामला था नहीं और दो के खिलाफ था । एक स्टे ले आया ट्रिब्यूनल से और एक के खिलाफ चार्जशीट नहीं दी गयी थी, इसलिए वह तरक्की पा गए । तो अब आपका कोई सवाल बनता नहीं है ।

*6–डाक्टर दिनेश जौहरी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*7–श्री शमेंन्द्र त्यागी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

रत्ना शुगर मिल्स लि0, शाहगंज जनपद जौनपुर के किसानों की बकाया धनराशि

*8–श्री अकबर हुसैन बाबर (अनुपस्थित)–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रत्ना शुगर मिल, लि0, शाहगंज, जौनपुर में जनपद फैजाबाद, आजमगढ़, सुल्तानपुर के किसानों का वर्ष 85-86 के गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो संबंधित धनराशि कितनी है और इसके भुगतान के विलम्ब का कारण क्या है ? यह धनराशि किसानों को कब तक अदा करा दी जायेगी ?

श्री राम शरण दास–

रत्ना शुगर मिल्स लि0, शाहगंज, जनपद जौनपुर में जनपद फैजाबाद एवं सुल्तानपुर के किसानों का वर्ष 85-86 का क्रमश: रु0 8.03 लाख तथा रु0 7.56 लाख बकाया है । जनपद आजमगढ़ का कोई बकाया नहीं है । चीनी मिल की वित्तीय एवं विधिक कठिनाईयों के कारण उक्त का भुगतान अभी तक सम्भव नहीं हो सका है । चूंकि उक्त चीनी मिल अधिग्रहीत होकर अब उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम में निहित हो गयी है अत: मिल के विरुद्ध गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान उ0 प्र0 चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम 1971 के प्राविधानों के अन्तर्गत होना है ।

जनपद आजमगढ़ के कतिपय ग्रामों में नदी के कटाव से क्षतिग्रस्त भूमि एवं मकानों को प्रदत्त अनुदान

*9–श्री पंचानन राय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित हरैया ब्लाक के रोशनगंज उरदिहा तथा हैदराबाद गांव के अलग-अलग कितनी भूमि तथा घर घाघरा नदी के कटान में वर्ष 1989 में विलीन हो गये ? प्रभावित लोगों को क्या राहत दी गयी है ?

श्री राम शरण दास–

वर्ष 1989 में जनपद आजमगढ़ में ग्राम रोशनगंज, उरदिहा एवं हैदारबाद की क्रमश: 80 हेक्टेयर, 40 हेक्टेयर एवं 30 हेक्टेयर भूमि घाघरा नदी के कटाव से नदी में विलीन हो गयी । ग्राम रोशनगंज एवं उरदिहा में कटान से क्रमश: 58 घर तथा 8 घर नदी में विलीन हो गये । ग्राम हैदराबाद में कोई घर वर्ष 1989 में नदी में विलीन नहीं हुआ है । राहत के रूप में भूमि के कटाव से प्रभावित कृषकों को नियमानुसार मुख्य दरों की वसूली स्थगित कर दी गई है । ग्राम रोशनगंज के 58 परिवारों को रुपया 58,000 तथा ग्राम उरदिहा के 8 परिवारों को रुपया 8,000 कुल 66,000 रुपया गृह अनुदान के एप में वितरित किया गया है ।

श्री पंचानन राय–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो 58 घर कट गये हैं, उनमें से कितने पक्के हैं, कितने कच्चे हैं और कितने फूस के हैं ।

श्री राम शरण दास–

58 मकान थे । पक्के कच्चे की सूचना दी नहीं है ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के पास सूचना है, तो मेरा निवेदन है कि आप इसको प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को भेज दें । सिंचाई मंत्री ने कहा कि फूस के मकान थे ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, अगर पूरा मकान क्षतिग्रस्त होता है तो एक हजार की सहायता दी

जाती है और अगर उसका कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त होता है तो 200 रुपये की सहायता दी जाती है । तो एक-एक हजार रुपये दिये गये हैं ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, इनके पास इतनी छोटी सी सूचना नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि सूचना है कि कितने पक्के हैं और कितने कच्चे हैं । तो इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दें, वहां पर सारी सूचना आ जायेगी ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैं अगले सेशन में उत्तर दे दूंगा । मुझे कोई दिक्कत नहीं है । हो सकता हो सब एक साइज के मकान हों ।

श्री अध्यक्ष–

सूचना पूरी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति को जांच एवं प्रतिवेदन हेतु निर्दिष्ट किया जा रहा है ।

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

*10–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

बलरामपुर जनपद गोण्डा को नया जिला गठित किए जाने की मांग

*11–श्री अकबाल हसन उर्फ अकबाल हुसैन तथा श्री हनुमन्त सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा प्रदेश में नया जिला बनाने की क्या नीति है ? क्या बलरामपुर जनपद गोण्डा को शासन ने जिला बनाने के बारे में कोई फैसला लिया है ? यदि हां, तो बलरामपुर को कब तक नया जिला बनाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

नया जिला गठित करने के लिये जिले के क्षेत्रफल, जनसंख्या, भौगोलिक सामाजिक तथा औद्योगिक विकास की स्थिति को आधार माना जाता है ।

जी नहीं ।

प्रदेश में नए जिलों, मण्डलों एवं तहसीलों के सृजन एवं पुनर्गठन पर विचार कर संस्तुति देने हेतु अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति को बलरामपुर को जिला बनाये जाने संबंधी मांग पत्र एवं ज्ञापन को संदर्भित कर दिया गया है । समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने के उपरान्त यथोचित निर्णय लिया जायेगा ।

*12–श्री किशन गोपाल–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम, हरदोई में कार्यरत कर्मचारी श्री शराफत अली पर लगाये गये कथित आरोप

***13–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–**

क्या गन्ना मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई हरदोई में कार्यरत कर्मचारी शराफत अली जो कत्ल के मुकदमें में मुल्जिम है, को दौरान मुकदमा बहाल कर पदोन्नति कर दिया गया जबकि मिल में कार्यरत रामचन्द्र त्रिपाठी जो कत्ल के मुकदमों का मुल्जिम था और अदालत द्वारा छोड़ दिया गया, को अभी तक बहाल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो किस मानक के आधार पर और उसके लिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राम शरण दास–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शराफत अली के किसी कत्ल के मुकदमें में मुल्जिम होने का कोई अभिलेख मिल में नहीं है । अतः दौरान मुकदमा उन्हें बहाल करके पदोन्नति करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम चन्द्र त्रिपाठी पुत्र श्री गजाधर प्रसाद हरदोई चीनी मिल में सुरक्षा निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे जिन्होंने दिनांक 2-8-1984 को मिल परिसर में ही मिल के सुरक्षा गार्ड को बन्दूक से गोली मार कर हत्या कर दी थी । श्री त्रिपाठी पर फौजदारी का मुकदमा अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज, हरदोई में चलाया गया तथा श्री त्रिपाठी को सेवा से निलम्बित कर दिया गया । सेशन जज, हरदोई द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 2-2-1988 के अनुसार श्री त्रिपाठी को बरी कर दिया गया था जिसके विरुद्ध अपील माननीय उच्च न्यायालय बेन्च लखनऊ में लम्बित है । अतः अपील के दौरान श्री त्रिपाठी को बहाल करने का प्रश्न नहीं उठता ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ शहर के नयी सहकारी आवास समितियों के पंजीकरण पर लगी रोक को हटाने की मांग

***14–श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री राकेश धर त्रिपाठी–**

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ शहर हेतु नयी सहकारी आवास समितियों के पंजीकरण पर रोक लगी हुई है जिससे इन सहकारी आवास समितियों के माध्यम से जन साधारण को उचित दर पर भूखण्ड आदि नहीं मिल पा रहे हैं? यदि हां, तो क्या बढ़ती हुई आवास समस्या को दृष्टिगत रखते हुए लखनऊ में सहकारी आवास समितियों के पंजीकरण पर लगी रोक को तत्काल हटाने के आदेश जारी किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0प्र0 राज्य चीनी निगम द्वारा उत्पादित चीनी का रेट निर्धारण

***15–श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम द्वारा निर्धारित

चीनी का औसत रेट क्या है और रेट को निर्धारित करने में किन-किन बातों पर ध्यान दिया गया है ? क्या मंत्री जी रेट निर्धारण संबंधी विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम द्वारा पेराई सत्र 1988-89 के अन्तर्गत विक्रय की गयी लेबी मुक्त (फ्री सेल) चीनी का औसत रेट रु0 775.33 प्रति बोरा (कुन्तल) रहा।

मिलों द्वारा उत्पादित लेवी चीनी का रेट भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है । पेराई सत्र 1988-89 में उत्पादित क्षेत्रवार चीनी के लिये निर्धारित श्रेणी के अनुसार रेट निम्न प्रकार है:–

ग्रेड	मध्य क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	पश्चमी क्षेत्र
एल/एम–30	440.92	473.34	462.02
एल/एम–29	439.92	472.34	461.02
एस–30	439.77	472.19	460.87
एस–29	438.92	471.34	460.02

रेट निर्धारित करने में निम्न बातों पर ध्यान दिया गया:–

1–चीनी की किस्म (क्वालिटी)
2–चीनी मिल की स्थिति (लोकेशन)
3–मांग तथा पूर्ति का सिद्धान्त,
4–अन्य मीठे पदार्थ जैसे गुड़ एवं खाण्डसारी की उपलब्धता (अधिक या कम)
5–संबंधित मिल की वित्तीय स्थिति,
6–बैंक सम्बन्धी सुविधाएं एवं अन्य व्यापारिक सुविधायें ।
7–भारत सरकार द्वारा निर्गत किये गये कोटे की मात्रा
8–मुख्य-मुख्य बाजारों में चीनी के प्रचलित भाव ।
9–दैनिक समाचार-पत्रों में छापे गये चीनी की दर ।
10–निकटवर्ती चीनी मिलों में चीनी विक्रय की दर ।

किसी भी चीनी मिल द्वारा उत्पादित चीनी का रेट निर्धारण करते समय उपरोक्त वर्णित पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है जिसके लिये फोन पर सम्पर्क करके निगम द्वारा नियुक्त किये गये एजेन्ट समय-समय पर बाजार में प्रचलित अन्य मिलों के भाव विभिन्न स्थानों से अवगत कराते रहते हैं । इन भावों की पुष्टि अन्य स्रोतों से करने के उपरान्त निगम की चीनी के विक्रय के लिये दर का निर्धारण किया जाता है । उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई विवरण पटल पर रखने हेतु वांछित प्रतीत नहीं होता ।

किसानों को गन्ने का उचित मूल्य दिलवाए जाने की मांग

*16–श्री नकली सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि चीनी मिलों के अतिरिक्त किसान को गन्ने का मूल्य 25 रुपये से 30 रुपये मिल रहा है? यदि हां, तो चीनी मिलों के अतिरिक्त निश्चित मूल्य किसान को दिलाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है?

श्री रामशरण दास–

जी हां ।

जहां से गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं वहां जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे गये हैं कि वे क्रेशर मालिकों को सहमत करें कि वे गन्ना किसानों को उचित मूल्य दें जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक न्यूनतम गन्ना मूल्य से कम न हो । साथ ही किसानों को गन्ने का उचित मूल्य मिले इसके लिए प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा गन्ना पेराई क्षमता बढ़ायी जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद इटावा की तहसील विधूना में बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों को आवंटित धनराशि

1–श्री धनीराम वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि सन् 1988 में अतिवृष्टि के कारण इटावा जनपद की तहसील विधूना में बहने वाली पाण्डव अहनईया पुरहा, अरिन्द और सियारी नदियों में बाढ़ के भयंकर रूप के कारण तहसील की 80 प्रतिशत से अधिक खरीफ की फसले नष्ट हो गयी थीं? यदि हां, तो क्या सरकार ने गृह अनुदान के रूप में कुछ धनराशि स्वीकृत किया था? यदि हां, तो कितनी और उसका किस तरह प्रयोग किया गया?

श्री राम शरण दास–

जी हां । इटावा जनपद के तहसील विधूना में 205 ग्रामों में 80 प्रतिशत से अधिक खरीफ की फसलों की हानि हुई थी?

शासन द्वारा गृह अनुदान की मद में मु0 3 लाख रुपया जनपद इटावा को वर्ष 1988-89 में आवंटित किया गया था, उसमें से तहसील विधूना को 90,000 रु0 का आवंटन प्रदान किया गया था ।

गत वर्ष 1988-89 में जनपद इटावा की तहसील विधूना में बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित 88 व्यक्तियों को मु0 21,600 गृह अनुदान की मद में वितरित किया गया था । इसमें 5 पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के स्वामियों को प्रत्येक को एक एक हजार रुपया (कुल 5000 रु0) तथा 83 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के स्वामियों को प्रत्येक को दो दो सौ रुपया (कुल 16600) रुपया प्रदान किया गया । शासन स्तर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि जनपद में सभी पात्र व्यक्तियों को जिनके मकान 1988 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए थे,, गृह अनुदान नहीं दिया गया है । इस पर जांच करवाई गयी व जांच के पश्चात् शासन द्वारा जिला अधिकारी इटावा को निर्देशित किया गया कि जिनके मकान वर्ष 1988 की बाढ़/अतिवृष्टि में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन मकान स्वामियों को पुनः जांच/सत्यापन करके नियमानुसार जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं गृह अनुदान की राशि वितरित की जाय, इसके अनुपालन में जिला अधिकारी, इटावा की आख्या के अनुसार तहसील विधूना में पुनः जांचोपरन्त 1362 व्यक्तियों को 2,86,800 रु0 की धनराशि वितरित की जानी है । 151 व्यक्तियों को 30,200 रु0 की धनराशि दिनांक 4-1-90 तक वितरित की जा चुकी है । शेष 1211 व्यक्तियों को 2,56,600 रु0 की धनराशि वितरित की जानी है । सभी सम्बन्धित अधिकारियों को शेष पात्र व्यक्तियों को सहायता राशि शीघ्र वितरण किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं व कार्य प्रगति पर है ।

जनपद बरेली में मीरगंज तथा नवाबगंज तहसीलों में चीनी मिल लगाने की मांग

2–डाक्टर दिनेश जौहरी–

चीनी उद्योग मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने बरेली जनपद की नवाबगंज व मीरगंज तहसीलों में चीनी मिल लगाने की वर्ष 89 में घोषणा की थी? यदि हां, तो उक्त चीनी मिलों का निर्माण कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री राम शरण दास–

जनपद बरेली में मीरगंज तथा नवाबगंज में चीनी मिल लगाने के लिये दोनों मिलों के प्रस्ताव लाइसेंस की स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजे गये थे जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया ।

बरेली की नगरीय बस सेवा (मुन्द्री सेवा) को बढ़ाने की मांग

3–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि बरेली की नगरीय बस सेवा (मुन्द्री सेवा) में 4 बसें बढ़ाने की आवश्यकता को लेकर बरेली की जनता काफी समय से मांग कर रही है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बरेली की मुन्द्री सेवा में 4 बसें और बढ़ाने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

वर्तमान में 4 बसें मुन्द्री सेवा के रूप में संचालित की जा रही है । इन बसों की औसत आय रु0 1.80 प्रति कि0मी0 तथा लोडफैक्टर 30 प्रतिशत आ रहा है । एक और सेवा दिनांक 2-11-89 से बढ़ायी गयी थी जिसकी आय रु0 1.12 प्रति कि0मी0 तथा लोडफैक्टर 18 प्रतिशत ही आया जिसके कारण इस सेवा को दिनांक 9-12-89 से बन्द करना पड़ा । अतः मुन्द्री सेवा में अभी और अधिक बसें बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है ।

इन्दिरा नगर कालोनी, लखनऊ में भवन संख्या ए-801 के आवंटी द्वारा ओवरसीज बैंक में जमा की गयी धनराशि

4–श्री चन्द्र शेखर सिंह–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित इन्दिरा नगर कालोनी में भवन संख्या ए–801, एच0 आई0 जी0 जो पूर्व विधायक एवं भूतपूर्व खाद्य मंत्री श्री हरिश्चन्द्र, हरीज जी के नाम से आवंटित है, के किश्त के रूप में ओवरसीज बैंक शाखा इन्दिरा नगर में तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय, इन्दिरा नगर में कुल कितना रुपया दिसम्बर, 89 तक जमा है.? क्या दोनों संख्याओं की धनराशि में अंतर है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत भवन संख्या–ए-801 के विरुद्ध ओवरसीय बैंक आफ इण्डया, इन्दिरा-नगर, लखनऊ के माध्यम से आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि 1,49,183.45 आवास एवं विकास परिषद् को प्राप्त हुई है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा की तहसील अतर्रा में उप-निबन्धक के नये कार्यालय की स्थापना

5–डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बांदा जनपद की तहसील अतर्रा मुख्यालय में रजिस्ट्री कार्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रख-कर अविलम्ब रजिस्ट्री कार्यालय खोला जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । प्रदेश के जनपद बादां में तहसील अतर्रा का सृजन दिनांक 14-8-89 से किया गया है। तहसील अतर्रा में उप निबन्धक के नये कार्यालय की तत्काल स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद बांदा की तहसील अतर्रा में उप-कोषागार कार्यालय की स्थापना की मांग

6–डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि बांदा जनपद की तहसील अतर्रा में उप कोषागार कार्यालय नहीं है ? यदि नहीं, तो क्या जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर वहां उप-कोषागार कार्यालय अविलम्ब खोला जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

7–श्री शारदानन्द अंचल–

[दूसरे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 29 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

बरेली नगर के पर्यटन विभाग के टूरिस्ट काम्पलेक्स में नवीन कमरों के निर्माण की मांग

8–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि बरेली नगर में स्थित पर्यटन विभाग के टूरिस्ट काम्पलेक्स में ठहरने के लिए केवल 4 कमरे हैं जो कि आवश्यकता से बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार आवश्यकता को देखते हुए 8 कमरे और निर्माण कराने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बरेली नगर स्थित मार्गीय सुविधा में ठहरने के लिए उपलब्ध 4 कमरे वर्तमान में उपयोग को देखते हुए आवश्यकता से कम नहीं है । अतः और कमरों के निर्माण का औचित्य नहीं है ।

लखनऊ, कारागार महानिदेशक कार्यालय में लम्बित अपीलों के निस्तारण का प्रयास

9–श्री राज किशोर सिंह–

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बन्धित कुल कितनी अपीलें वर्ष 1978 से कारागार महानिरीक्षक कार्यालय, लखनऊ में लम्बित हैं तथा लम्बित अपीलों का निस्तारण कब तक किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

कारागार महानिरीक्षक कार्यालय लखनऊ में अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित कुल 213 अपीलें वर्ष 1978 से लम्बित हैं ।

इन लम्बित अपीलों का निस्तारण यथाशीघ्र किए जाने का प्रयास किया जा रहा है । प्रश्न नहीं उठता ।

10–श्री राज किशोर सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद आजमगढ़ के कतिपय ग्रामों में चकबन्दी कार्य को शीघ्र पूरा कराये जाने की कार्यवाही

11–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगसड़ा मुस्तफाबाद जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1980 में आरम्भ हुए चकबन्दी कार्य के अब तक पूरा न होने का कारण क्या है ? कार्य में विलम्ब के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है ? कार्य में गति लाने के लिए क्या उपाय किया जा रहा है ?

श्री रामशरण दास–

ग्राम अगसड़ा मुस्तफाबाद, परगना निजामाबाद तहसील सदर, जनपद आजमगढ़ में धारा–4 (2) का प्रकाशन दिनांक 13-10-80 को हुआ है ।

उक्त ग्राम में धारा–9 के अंतर्गत प्रकाशन दिनांक 31-8-82 तथा धारा–10 के अंतर्गत प्रकाशन 2-2-84 को हुआ । सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा चक निर्माण का कार्य एवं धारा–20 का प्रकाशन दिनांक 15-7-84 को किया गया ।

चकबन्दी योजना के विरुद्ध चक आपत्तियों की सुनवायी तथा निस्तारण चकबन्दी अधिकारी द्वारा दिनांक 24-1-87 को किया गया । चक आपत्तियों के विरुद्ध 78 चक अपीलें बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी स्तर पर प्राप्त हुई हैं, जिनका निस्तारण अवशेष है । न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत अपीलें निस्तारित न हो पाने के कारण चकबन्दी कार्य पूरा नहीं हो सका है ।

चक अपीलों के निस्तारण में हुए विलम्ब के लिए तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, श्री सुभाष चन्द्र कौशिक दोषी हैं, जो दिनांक 31-12-87 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं ।

वर्तमान बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को निर्देशित कर दिया गया है कि वे प्राथमिकता के आधार पर चक अपीलों का निस्तारण करके उक्त ग्राम का चकबन्दी कार्य शीघ्र पूरा करायें ।

जनपद लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के ग्राम तरहिया के श्री प्रभू को आवंटित भूमि पर प्राप्त कब्जा

12–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री प्रभू पुत्र श्री थन्ना, अनुसूचित जाति, निवासी-ग्राम-तरहिया, परगना-महोबा, तहसील मलिहाबाद, थाना मड़ियांव, जनपद-लखनऊ का आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने विषयक खतौनी की नकल सहित दिनांक 29-8-89 का रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र, जिला अधिकारी लखनऊ तथा तत्कालीन राजस्व

मंत्री उत्तर प्रदेश को रजिस्टर्ड सं0 2912/उपा0 विस0/5-9-89 पर प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पत्र/नकल में अंकित सम्पूर्ण गाटों/रकबों पर कब्जा दिला दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

श्री राम शरण दास–

जी हां, प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न खतौनी में अंकित गाटों पर दिनांक 12-10-89 को मौके पर पैमाइश कराकर कब्जा दिला दिया गया ।

जिलाधिकारी मथुरा की लखनऊ यात्रा पर व्यय सरकारी धनराशि

13–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री की जानकारी में है कि रेल यात्रा की विशेष सुविधा रहते हुये भी जिलाधिकारी मथुरा ने फरवरी, 1989 के प्रथम सप्ताह में अपनी सरकारी गाड़ी से लखनऊ की यात्रा की थी ? यदि हां, तो क्यों ? जिलाधिकारी का लखनऊ आने का उद्देश्य क्या और कितने दिन का था तथा वे कितने दिन लखनऊ में रुके ? क्या वे उद्देश्य से अधिक दिन लखनऊ में ठहरे थे ? यदि हां, तो क्यों ? इस यात्रा पर सरकारी खजाने का कितना व्यय हुआ और क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

दिनांक 6 फरवरी व 8 फरवरी, 1989 को क्रमशः मा0 मुख्य मंत्री जी एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा आहूत बैठकों में भाग लेने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मथुरा द्वारा कार से लखनऊ की यात्रा की गई थी । दिनांक 9 फरवरी, 1989 को जिलाधिकारी मथुरा द्वारा अस्वस्थता के कारण आकस्मिक अवकाश का उपयोग किया गया । इस प्रकार आकस्मिक अवकाश को सम्मिलित करके जिलाधिकारी मथुरा 4 दिन (दिनांक 6, 7, 8 व 9 फरवरी, 1989) लखनऊ में ठहरे ।

प्रश्नगत यात्रा में दिनांक 6, 7, व 8 फरवरी, 1989 के लिए तीन दिन का दैनिक भत्ता रु0 150 तथा इन्सीडेन्टल चार्जेज के रूप में रु0 65.94 पै0 एवं स्टाफ कार के ईंधन पर लगभग रु0 850 कुल मिला कर रु0 1065.94 पै0 सरकारी खजाने से व्यय हुआ ।

किसान सहकारी चीनी मिल लि0 सम्पूर्णानगर एवं खीरी में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण प्रक्रिया

14–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी चीनी मिल सम्पूर्णानगर व विलरायां जनपद लखीमपुर खीरी के विभिन्न विभागों में कुल कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कब तक नियमित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामशरण दास–

किसान सहकारी चीनी मिल लि0, सम्पूर्णानगर में कुल 239 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पेराई सत्र 1985-86, 1986-87 एवं 1987-88 से तथा सहकारी चीनी मिल बेलरायां (खीरी) में कुल 280 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पेराई सत्र 1981-82,

1982-83, 1983-84 एवं 1984-85 से कार्यरत हैं । उक्त मिलों के लिए निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार रिक्त पदों पर नियमितीकरण की प्रक्रिया जारी है।

जनपद जौनपुर में पात्र व्यक्तियों को कृषि योग्य भूमि का पट्टा

15–श्री गुलाब सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा निजामुद्दीनपुर तहसील मछली शहर जनपद जौनपुर की ग्राम समाज की सार्वजनिक उपयोग में आने वाली भूमि को ग्राम प्रधान एवं लेखपाल की मिली भगत से ऐसे व्यक्तियों को पट्टा कर दी गई है जो पट्टा प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या उपर्युक्त मामले की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने तथा अवैध पट्टा को निरस्त कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रामशरण दास–

जी नहीं । सार्वजनिक उपयोग की भूमि का पट्टा नहीं किया गया है । कृषि योग्य भूमि के पट्टे पात्र व्यक्तियों को ही किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पिंडरा बुकिंग स्टेशन पर बसों को रोकने हेतु यातायात निरीक्षकों की ड्यूटी

16–श्री ऊदल–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी जौनपुर मार्ग पर पिंडरा सब-स्टेशन पर बहुत कम बसें रोकी जा रही हैं ? क्या यह सही है कि सरकार ने पिंडरा में सभी बसों को रोकने का कई बार आदेश दिया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और पुनः आदेश देगी कि इस बड़े कस्बे में सभी बसों को रोका जाय ? क्या यह भी सही है कि प्रश्नकर्ता ने अक्टूबर, 89 में उप प्रधान प्रबन्धक वाराणसी तथा क्षेत्रीय प्रबंधक वाराणसी को इस बारे में पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

वाराणसी जौनपुर मार्ग पर वाराणसी से 25 किमी0 दूर स्थित पिंडरा बुकिंग स्टेशन से होकर 71 अप तथा 71 डाउन ट्रिपें संचालित हैं जिनमें से इस समय 55 अप तथा 55 डाउन ट्रिपें पिंडरा बुकिंग स्टेशन पर रुकती हैं ।

जी नहीं ।

वर्तमान में पिंडरा कस्बे में स्थित बुकिंग स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में बसें रुककर यात्रियों को आवागमन की पर्याप्त सुविधा प्रदान कर रही है ।

जी हां ।

पिंडरा बुकिंग स्टेशन मई, 87 में बन्द कर दिया गया था जिसे यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दिनांक 2-1-90 को पुनः खोल दिया गया है । बसों को रोकने का कार्य सुनिश्चित करने के लिए दो यातायात निरीक्षकों की ड्यूटी पिंडरा बुकिंग स्टेशन पर लगा दी गयी है ।

जनपद फैजाबाद को विभाजित करके अकबरपुर को नया जिला बनाये जाने पर विचार की मांग

17–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की टाण्डा और अकबरपुर तहसीलों को मिलाकर अकबरपुर के नाम से नया जिला बनाने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो इस प्रस्ताव के लागू होने में कितना समय लगेगा ?

श्री रामशरण दास–

जी नहीं । अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

जनपद फैजाबाद को विभाजित करके एक नया जिला बनाये जाने की मांग प्राप्त हुई है जिसे राजस्व परिषद की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति को संदर्भित कर दिया गया है । समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने के उपरान्त उपरोक्त निर्णय लिया जायेगा ।

जनपद फैजाबाद के साधन सहकारी समिति लि0 रामपुर में सचिव पद हेतु उप निबन्धक सहकारी समितियों के आदेश

18–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के साधन सहकारी समिति लि0 रामपुर रामपट्टी विकास खण्ड अकबरपुर फैजाबाद पर कार्यवाहक सचिव के पद पर कार्यरत श्री जयप्रकाश शुक्ल को उसी पद पर कार्य करने हेतु उप निबन्धक सहकारी समितियों ने दि0 1-6-89 को आदेश किया था ? यदि हां, तो क्या आदेश का क्रियान्वयन हो गया है ? यदि नहीं, तो उक्त आदेश पर क्रियान्वयन कब तक हो जायेगा ? क्या इस समय उक्त सहकारी समिति में कोई नियमित पद पर नियुक्त सचिव कार्य कर रहा है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

19–श्री अकबर हुसैन बाबर–

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन प्रेस भवन को स्वीकृत देय धनराशि

20–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री ने 17 सितम्बर, 89 को बरेली में उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन प्रेस भवन के विस्तार के लिए 5 लाख रुपये देने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त धनराशि यथाशीघ्र बरेली उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन को दिलाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

शासकीय स्वीकृत जारी हो चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाबतपुर क्रासिंग से वाराणसी तक के मार्ग पर प्राइवेट बसों को परमिट प्रदान किये जाने की मांग

21–श्री ऊदल–

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दांदूपुर (धवलगंज) अनेई, वरहींनवादा, कठिरांव जनपद वाराणसी की प्राइवेट बसें चलकर बाबतपुर चौमुहानी जिला वाराणसी तक परमिट न होने से रुक जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राइवेट बसों को वाराणसी तक परमिट जारी करेगी और उनसे यात्रीकर तथा रोड टैक्स लेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

बाबतपुर क्रासिंग से वाराणसी तक का मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग है । इसलिये तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा हिन्दुस्तान ट्रान्सपोर्ट बनाम उत्तर प्रदेश में पारित निर्णय के अनुपालन में राष्ट्रीयकृत मार्ग पर प्राइवेट बसों को परमिट देना सम्भव नहीं है । मार्ग के राष्ट्रीयकरण से पूर्व बाबतपुर क्रासिंग से तिलारी, जमालपुर तथा मडियाहूं मार्गों पर कुल 17 परमिट स्वीकृत थे जिनका संचालन अभी भी हो रहा है । एक परमिट मडियाहूं से कठिरांव, जमालपुर, बाबतपुर होते हुए वाराणसी मार्ग पर भी संचालित है।

श्री अकबर हुसैन बाबर से प्राप्त शिकायती पत्र पर परिचालक के विरुद्ध की गयी दण्डात्मक कार्यवाही

22–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 7-10-88 जिसकी प्राप्ति की सूचना 22-10-88 को पत्रांक-838/वी0आई0पी0/88 द्वारा प्रश्नकर्ता को दी गयी है तथा जिसमें परिचालक द्वारा सहवर्ती का पूरा टिकट बनाने एवं दुर्व्यवहार करने की पूरी शिकायत थी, की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी और जांच करने वाले अधिकारी ने प्रश्नकर्ता से किस तिथि को सम्पर्क किया तथा आरोपित परिचालक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त परिवाद पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (संचालन), फैजाबाद द्वारा कराई गई । चूंकि जांच में परिचालक को दोषी पाया गया, अतः प्रश्नकर्ता से सम्पर्क करने की आवश्यकता नहीं समझी गई । परिचालक को दोषी मानते हुये, निम्नांकित दण्ड दिया गया :–

1–परिचालक की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करते हुये उसका वेतन माह का सच्चरित्र भत्ता काट लिया गया ।

2–परिचालक का अमेठी डिपो से फैजाबाद डिपो में स्थानान्तरण कर दिया गया ।

श्री राम खेलावन, ग्राम कोड़िया मौजा दिवारी को पट्टे पर मिली भूमि पर अवैध कब्जा एवं कृत कार्यवाही

23–श्री राम पाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री राम आसरे वर्मा पूर्व सदस्य विधान सभा के उपरिपत्र दि0 7-6-89 के साथ संलग्न श्री राम खेलावन पुत्र श्री शिव चरण

निवासी ग्राम मढ़िया मौजा दिवारी परगना व तहसील सण्डीला जिला हरदोई का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उसे पट्टे पर मिली जमीन को अन्य जबरदस्त लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर काश्त किए जाने के संबंध में शिकायत की गई है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामशरण दास–

जी हां ।

श्री राम खेलावन निवासी ग्राम मड़ैया मजरा दिवारी को पट्टे पर दी गई गाटा संख्या–186 क्षेत्रफल 0.266 हेक्टेयर में से 0.189 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा दिया गया क्योंकि भूचित्र के अनुसार इस गाटे का क्षेत्रफल 0.189 हेक्टेयर ही पाया गया है । शेष 0.077 क्षेत्रफल के संबंध में पट्टा निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के हरैया ब्लाक में बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों एवं फसलों को देय गृह-अनुदान

24–श्री पंचानन राय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की हरैया तथा अजमतगढ़ ब्लाक में घाघरा नदी की बाढ़ के कारण वर्ष 1989 में कितनी क्षति हुई है ? प्रभावित लोगों को क्या राहत दी गयी है ?

श्री रामशरण दास–

वर्ष 1989 में जनपद आजमगढ़ के हरैया ब्लाक के 44 ग्राम तथा अजमतगढ़ ब्लाक के 3 ग्राम घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित हुये । ब्लाक हरैया के ग्रामों में बाढ़ से खरीफ फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई तथा कटान से 66 मकान पूर्णरूप से कटकर घाघरा नदी ने विलीन हो गये । बाढ़ से 2 मनुष्यों के जीवन की भी हानि हुई । राहत कार्य के रूप में 66 परिवारों को जिनके मकान कटाव से घाघरा नदी में पूर्ण रूप से विलीन हो गये थे, प्रत्येक को एक-एक हजार रुपये की दर से कुल 66000/- रु0 गृह अनुदान के रूप में वितरित किया गया । दो मृतक व्यक्तियों के वारिसों को पांच-पांच हजार रुपये की दर से कुल 10000/- रु0 अनुग्रह अनुदान के रूप में वितरित किया गया । ब्लाक अजमतगढ़ के प्रभावित ग्रामों में खरीफ फसलों की 50 प्रतिशत से कम की क्षति हुई है ।

वर्ष 1989 में खरीफ फसलों को जहां 50 प्रतिशत या उससे अधिक की क्षति हुई है वहां के प्रभावित कृषकों से खरीफ के मुख्य देयों की वसूली दिनांक 31 मार्च, 1990 तक स्थगित कर दी गई है ।

25–श्री अकबर हुसैन बाबर–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

वाराणसी जिले में पिंडरा को नई तहसील बनाये जाने पर विचार

26–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में एक नई तहसील पिंडरा खोलने की स्वीकृति वर्षों पूर्व दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार परगना कोल-

असला, परगना पन्द्रह तथा कुछ भाग परगना अठगांवा को मिलाकर स्थान पिंडरा में जहां काशी नरेश तहसील थी वहां तुरन्त तहसील खोलने का आदेश देगी ?

श्री राम शरण दास–

जी नहीं, नई तहसील पिंडरा के सृजन के संबंध में शासकीय विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है ।

प्रस्तावित तहसील के मुख्यालय के विषय में विवाद होने के फलस्वरूप मामला अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति को संदर्भित कर दिया गया है। इस विषय में समिति की संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद लखीमपुरखीरी में किसान सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानगर से सम्बन्धित की गयी शिकायतों पर कृत कार्यवाही

27–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1987-88 व 88-89 में सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानगर जनपद लखीमपुर-खीरी से संबंधित कितनी शिकायतें शासन व सहकारी चीनी मिल संघ, उ0 प्र0 के संज्ञान में आयी है ? मुख्य शिकायतें क्या हैं व शासन संघ के संज्ञान में आयी शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

किसान सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानगर जनपद लखीमपुर खीरी से संबंधित वर्ष 1987-88 व वर्ष 88-89 में, शासन व सहकारी चीनी मिल संघ के संज्ञान में क्रमशः कुल 11 एवं 7 शिकायते आयीं । मुख्य शिकायतें नियुक्तियों में अनियमितता, श्रमिकों पर अत्याचार, कमीशन लिये जाने, खरीद फरोख्त में अनियमितता बरतने एवं कर्मचारी विरोधी नीतियां अपनाने आदि की है । शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में विधिवत जांच करायी गयी । अनियमित पायी गयी नियुक्तियों को निरस्त किया गया एवं उसके लिये उत्तरदायी तत्कालीन प्रधान प्रबन्धक को, प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी । अन्य शिकायतें निराधार पायी गयीं ।

सहकारी चीनी मिल पुवायां जनपद शाहजहांपुर के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण

28–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी चीनी मिल पुवांया जनपद-शाहजहांपुर के विभिन्न विभागों में कुल कितने कर्मचारी, कब से दैनिक वेतन पर सेवारत हैं तथा ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कब तक नियमित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

सहकारी चीनी मिल पुवांया जनपद शाहजहांपुर के विभिन्न विभागों में 237 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी मिल के प्रथम पेराई सत्र 1987-88 से कार्यरत है । मिल के लिए निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार रिक्त पदों पर नियमितीकरण की प्रक्रिया जारी है ।

जनपद हरदोई के, ग्राम नेवादा में भूमि के कतिपय खसरा संख्या के पट्टा करने के सम्बन्ध में भेजे गये प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही की मांग

29–श्री केदार नाथ सिंह–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नेवादा नरपति परगना व तहसील सन्डीला, जनपद हरदोई में भूमि खसरा संख्या 257, 24, 25 व 35 पर पट्टा करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र परगना अधिकारी, सन्डीला को 5-9-88 को प्राप्त हुआ है जिसमें परगना अधिकारी द्वारा तहसील सन्डीला को आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो प्रार्थना पत्र में उल्लिखित पट्टों के सम्बन्ध में लेखपाल कानूनगो व नायब तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में उक्त खसरा सं0 पर देशराज, राम सेवक, रामेश्वर पुत्रगण श्यामलाल, रामेश्वर, नन्हू व सोने लाल पुत्रगण चेतराम सुरेन्द्र पाल पुत्र सरजू, श्रीमती राधी बेवा राधेलाल व महेन्द्र प्रताप पुत्र श्रीकृष्ण को दस-बारह वर्ष से काबिज होने तथा अनुसूचित जाति से संबंधित होने की रिपोर्ट तहसीलदार सन्डीला को उपलब्ध करा दी है ? यदि हां, तो अभी तक पट्टों का निस्तारण क्यों नहीं किया गया ? विलम्ब के लिए दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर पट्टों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त प्रार्थना-पत्र का प्राप्त होना नहीं पाया जाता है ।

क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा प्रश्न में नामांकित व्यक्तियों के सम्बन्ध में जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-122-ख (4-च) के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, परन्तु जांचोपरान्त उक्त व्यक्ति पात्रता की श्रेणी में नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

30–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

[दूसरे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 30 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

आवास विकास परिषद् में सहकारी अधिकारी (आ) के पद पर नियुक्ति का मामला

31–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आवास एवं विकास परिषद् में एक वर्षीय डिप्लोमा इन कोआपरेटिव मैनेजमेन्ट धारक अभ्यर्थी जो पिछले डेढ़ वर्ष से परिषद् के सहकारिता अनुभाग में सहकारिता विषयक व्यवहारिक प्रशिक्षण ले रहा है, की नियुक्ति सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी/शाखा प्रबन्धक आवास संघ /सहायक आवास आयुक्त (स0 प्र0) सहायक निदेशक (प्रचार) स0 लेखाधिकारी (आवास) पद पर परिषद् हित में अब तक नहीं की गयी ? क्या यह सही है कि सहकारिता अनुभाग में प्रतिनियुक्ति द्वारा ही अब तक कार्य कराया जाता रहा है ? यदि हां, तो परिषद् द्वारा अपने कर्मी की नियुक्ति सह0 अधि0 (आ) पद पर परिषद् हित में न किए जाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि शासन की अधिसूचना सं0-ए 843/12-सी-2-130 (1987)/लखनऊ/दि0 22-2-89 के तहत अन्य विभागों में उक्त डिप्लोमा धारकों की नियुक्तियां प्रथम, द्वितीय श्रेणी के अधिकारी/प्रबन्धकीय पदों पर की जा चुकी है ? यदि हां, तो परिषद् द्वारा उक्त कार्यवाही कर उक्त की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

परिषद् के सहकारिता अनुभाग में कोई भी अभ्यर्थी प्रशिक्षण नहीं ले रहा है अतः उसकी प्रश्न में अंकित किसी भी पद पर नियुक्ति किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

लिपिकीय वर्ग, स्टेनों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर शेष सभी पदों पर प्रतिनियुक्ति द्वारा प्राप्त कर्मचारी नियुक्त है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

22 फरवरी , 1989 की अभिसूचना परिषद् पर लागू नहीं होती । अन्य संसंगत विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद में सागरपेशा में निवासित लोगों को भूमि वितरित किए जाने की मांग

32–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के सिविल लाइन्स, राजापुर, जार्जटाउन, टैगोर टाउन, अशोक नगर आदि क्षेत्रों के नजूल पट्टों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया था ? यदि हां, तो उस निर्णय के आधार पर कितने पट्टों का नवीनीकरण किया गया और कितने पट्टे शेष हैं तथा बकाया पट्टों का नवीनीकरण न किये जाने का कारण क्या है ? कब तक उनका नवीनीकरण हो जायेगा तथा शेष भूमि सागरपेशा में निवासित लोगों (कमजोर, निर्बल वर्ग, हरिजनों) में वितरित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सागर पेशा में निवासित लोगों को भूमि वितरित किए जाने की कोई योजना इस समय नगर महापालिका/जिलाधिकारी, इलाहाबाद के समक्ष नहीं है ।

33–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

[पहले बुधवार में अता0 प्र0 सं0 66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला वाराणसी में चकबन्दी में धांधली के सम्बन्ध में भेजे गये प्रार्थना-पत्र पर जांच की कार्यवाही

34–श्री उदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांके वगैरह गांव पिंडरा रमईपुर जिला वाराणसी के प्रार्थना-पत्र को भूतपूर्व सदस्य विधान सभा ने माननीय भू0पू0 राजस्व मंत्री को चकबन्दी में हुई धांधली के बारे में अपने पत्र के साथ 1 अगस्त, 89 को दिया था और तत्कालीन राजस्व मंत्री ने कमिश्नर चकबन्दी को जांच का आदेश दिया था यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

उक्त जांच अभी पूर्ण नहीं हुयी है । जांचोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश में पंजीकृत पूर्वी-पाकिस्तान तथा पश्चिमी-पाकिस्तान के शरणार्थियों को प्रदत्त पुनर्वासन की सुविधायें

35–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या राजस्व एवं पुनर्वासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में निवासित, पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को पुनर्वासन हेतु क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करायी गयीं ? इलाहाबाद में 120 दरभंगा कौंसिल में बसे लगभग 62 शरणार्थी परिवारों के पुनर्वासन हेतु क्या-क्या व्यवस्था की गई है ? क्या सारी सुविधायें पूर्ण हो गई हैं? यदि नहीं, तो शासन इस संबंध में क्या प्रयास कर रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

उत्तर प्रदेश में पंजीकृत पूर्वी-पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वासन हेतु सामान्यतया निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं :–

(1) पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए
  (1) निःशुल्क कृषि भूमि
  (2) आवासीय ऋण
  (3) व्यवसायिक ऋण

(2) पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए
  (1) व्यवसायिक ऋण
  (2) आवास निर्माण कराकर दिया गया जिसके मूल्य का उनके द्वारा प्रस्तुत दावे से समायोजित कर लिया गया ।

दरभंगा कौंसिल में शरणार्थियों परिवारों की वास्तविक संख्या–17 थी, जिन्हें राजकीय प्रेस, इलाहाबाद में नौकरी देकर पुनर्वासित किया गया और दरभंगा कौंसिल भवन में उनके निःशुल्क रहने की व्यवस्था की गयी ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा श्री वीरेन्द्र भटनागर को भूखण्ड संख्या–डी/251 का आवंटन

36–श्री विजय सिंह–

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि गोमती नगर, लखनऊ में विभूति खण्ड में स्थित भूखण्ड संख्या डी/103 जो श्री वी0 एन0 भटनागर, निवासी सी-3936 इन्दिरा नगर को एलाट किया गया था और जिसकी सम्पूर्ण कीमत श्री भटनागर ने समय के अंदर ही विकास प्राधिकरण, लखनऊ को अदा कर दी थी, को कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अनियमित रूप से किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दिया है ? यदि हां, तो इस संबंध में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने एवं उक्त भूखण्ड को श्री भटनागर के हक में पुनः प्रदिष्ट करने के आदेश जारी करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा त्रुटिवश गोमतीनगर स्थित विभूति खण्ड में भूखण्ड संख्या-डी/103 की लाटरी दो बार डाली गयी । इसके परिणाम स्वरूप प्रथम बार प्रश्नगत भूखण्ड का आवंटन 10-4-86 को श्री जगदीश गुरूरानी को हुआ और यही भूखण्ड दुबारा श्री वी0 एन0 भटनागर के नाम 10-6-87 को आवंटित हुआ । जब मामला प्रकाश में आया तो पहले आवंटी श्री जगदीश गुरूरानी के पक्ष में ही प्रश्नगत भूखण्ड को रहने दिया गया और श्री वीरेन्द्र भटनागर को इसके स्थान पर गोमती नगर स्थित विभूति खण्ड में भूखण्ड संख्या-डी/251 आवंटित कर दिया गया ।

37–श्री विजय सिंह–

[दूसरे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

"आवास एवं विकास परिषद्" एवं "विकास प्राधिकरण" द्वारा आवंटित भवन/भूखण्ड की लीज रेन्ट को समाप्त किए जाने की मांग

38–श्री विजय सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1989 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारां-कित प्रश्न संख्या 51 के उत्तर के संदर्भ में क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन आवंटियों को 1980 के बाद भवन या भूखण्ड आवंटित किये गये हैं उनसे भी आवंटित सम्पत्ति का 10 प्रतिशत धनराशि लेकर बाकी 90 वर्षों के लीज रेन्ट को माफ किया जायगा और प्रत्येक 30 वर्ष बाद लीज को नवीनीकृत करवाने के प्राविधान को समाप्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जिन प्रकरणों में आवंटियों द्वारा भूखण्ड मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि जमा कर दी है उन आवंटियों से परिषद् द्वारा 90 वर्ष का पट्टा विलेख निष्पादित कराया जा रहा है । ऐसे प्रकरणों पर प्रत्येक तीस वर्ष बाद लीज की नवीनीकृत कराने की आवश्यकता नहीं होगी ।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम संशोधित विनियम जून 1986 के विनियम 25 के अनुसार परिषद् द्वारा आवंटित किये जाने वाली सम्पत्तियों की भूमि 90 वर्ष पट्टे पर भूमि मूल्य का 0.25 प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लेकर आवंटित की जाती है प्रत्येक तीस वर्ष की अवधि के उपरान्त पट्टे का नवीनीकरण पूर्व लीज रेन्ट में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि के साथ किये जाने का प्राविधान है ।

श्री राम मूर्ति सिंह, उप गन्ना आयुक्त के विरुद्ध की जा रही जांच की कार्यवाही के स्थगन आदेश एवं उनकी पदोन्नति

39–श्री हरिशंकर तिवारी–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम मूर्ति सिंह उप गन्ना आयुक्त के विरुद्ध गम्भीर प्रकृति के आरोप होने के कारण 1977 से सरकार द्वारा अनु-शासनिक कार्यवाही की जा रही है और वह कार्यवाही आज तक लम्बित है ? यदि

हां, तो सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

श्री राममूर्ति सिंह वर्ष 1974 सा 77 की अवधि में उप गन्ना आयुक्त (मध्य क्षेत्र) के पद पर कार्यरत रहे थे । उक्त अवधि में उनके द्वारा की गयी कतिपय अनियमितताओं के लिये उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने का निर्णय वर्ष 1979 में लिया गया था । माननीय उ0 प्र0 लोक सेवा अधिकरण के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में उनके विरुद्ध जांच की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी । स्थगन आदेश निरस्त होने पर ही जांच पूर्ण कराया जाना सम्भव होगा ।

40–श्री हरिशकर तिवारी–

क्या गन्ना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री राममूर्ति सिंह उप गन्ना आयुक्त के विरुद्ध गम्भीर आरोपों के कारण गन्ना आयुक्त ने 30 सितम्बर, 1988 के पत्र में उन्हें निलम्बित करने हेतु शासन को अपनी संस्तुति दी थी ? यदि हां, तो क्या इन्हें निलम्बित करने के बजाय श्री सिंह को पदोन्नति दी गई है ? यदि हां, तो गलत विधि से दी गई पदोन्नति को क्या सरकार अविलम्ब निरस्त कर उनका मामला स्क्रीनिंग कमेटी को भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम शरण दास–

यह सही है कि श्री राममूर्ति सिंह, तत्कालीन उप गन्ना आयुक्त (मध्य क्षेत्र) के विरुद्ध वर्ष, 1974 से 77 की अवधि की तथा अन्य प्राप्त शिकायतों के आधार पर तत्कालीन गन्ना आयुक्त से उन्हें निलम्बित किये जाने की संस्तुति की थी । परन्तु प्रारम्भिक जांच इन शिकायतों के संबंध में नहीं हो पाई थी । अतः बिना प्रारम्भिक जांच के, मात्र शिकायतों के आधार पर, निलम्बन का औचित्य नहीं पाया गया । चयन समिति ने सभी पहलुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राममूर्ति सिंह को संयुक्त गन्ना आयुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया । श्री राममूर्ति सिंह की पदोन्नति नियमानुसार ही हुई थी अतः उसे निरस्त करने का प्रश्न पैदा नहीं होता । श्री राममूर्ति सिंह की आयु 50 वर्ष से कम है अतः नियमानुसार उनके संबंध में "स्क्रीनिंग" कमेटी द्वारा विचार किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं में परिवहन निगम की बसों की संख्या एवं मरम्मत हेतु पड़ी बसों का विवरण

41–श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जनपद में इस समय कितनी सरकारी बसे हैं जो सड़कों पर चल रही हैं एवं कितनी बसें खराब पड़ी हैं और कितने समय से यह खराब हैं ? इनके खराब होने के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

परिवहन निगम की 87 बसें बदायूं डिपो से इस समय सम्बद्ध हैं जिनमें से 79 बसें

सड़कों पर चल रही हैं एवं 8 बसें नियमित रख-रखाव तथा मरम्मत हेतु पड़ी हैं जिनका विवरण निम्नवत् हैं जो निर्धारित नार्म्स के अनुरूप हैं ।

क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नं0	आफ रोड की तिथि	कार्य का विवरण
क्षेत्रीय कार्यशाला, बरेली			
1–	यू आर डब्लू–962	2-12-89	3 लाख किमी0 मेंटीनेंस
2–	यू एम ई–9660	21-12-89	1 लाख किमी0 मेंटीनेंस
3–	यू जी एल–696	27-12-89	–तदैव–
डिपो कार्यशाला, बदायूं			
1–	यू एच आई–207	9-12-89	इंजिन चेंज 32000 किमी0 मेंटीनेंस
2–	यू एम ई–9676	2-1-90	पिछले पहिये का कार्य
3–	यू जी एल–273	3-1-90	इंजिन का कार्य
4–	यू जी एल–533	3-1-90	इंजिन का कार्य
5–	यू आर डब्लू–684	3-1-90	इंजिन का कार्य

इलाहाबाद, बाधम्बरी आवास योजना के अनधिकृत कब्जों के विनियमितीकरण के विषय पर विचार हेतु समिति का गठन एवं समिति की अनुशंसा

42–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद में अल्लापुर के दोहरे विकास शुल्क तथा शोषण को समाप्त करने हेतु तत्कालीन माननीय मंत्री द्वारा दिनांक 9-1-89 को एक उप समिति का गठन मंडलायुक्त इलाहाबाद की अध्यक्षता में किया गया था ? यदि हां, तो क्या उस उपसमिति ने जांचोपरांत कोई रिपोर्ट दी है ? यदि हां, तो वह क्या है और उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बाधम्बरी आवास योजना के अनधिकृत कब्जों के विनियमितीकरण के विषय पर विचार कर संस्तुति प्रस्तुत किये जाने हेतु आयुक्त , इलाहाबाद मण्डल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी ।

जी हां ।

अल्लापुर अनाध्याप्त क्षेत्र के लिए शासन द्वारा सन् 1981 में लिए गए निर्णय कि अनधिकृत निर्माण के लिए रु0-60.90 प्रति वर्ग गज की दर से विकास शुल्क लिया जाय, को आधार बनाते हुए समिति ने यह मुख्य अनुशंसा की है कि अल्लापुर के अध्याप्त क्षेत्र के लिए भी रु0 6.90 प्रतिवर्ग गज की दर से विकास व्यय निर्धारित किया जाय जिस पर मार्च, 1988 से 8 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लिया जाय । समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिन भवन मालिकों ने अध्याप्त भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं लिया है, उनसे भूमि का कोई मूल्य नहीं लिया जाये ।

समिति ने यह भी अनुशंसा की है कि बाघम्बरी आवास योजना के अध्याप्त क्षेत्र में अतिक्रमणों को इस प्रकार नियमित करना एक दृष्टान्त नहीं होगा ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

43–श्री राम पाल वर्मा–

[2रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वाराणसी नगर महापालिका में मलिन बस्तियों के सुधार हेतु शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि

44–श्री अमरनाथ यादव–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर महापालिका में मलिन बस्तियो के सुधार हेतु 1987-88 88-89 व 89-90 में शासन द्वारा क्या धन दिया गया है ? यदि हां, तो कितना और उस धन का किस बस्ती में किस रूप में कितना धन खर्च किया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अंतर्गत वर्ष 1987–88 में नगर महापालिका वाराणसी की 6 मलिन बस्तियों की एक चालू योजना जिसकी कृत लागत रु0 13,06,800 है के विरुद्ध द्वितीय एवं अन्तिम किश्त के रूप में रु0 6,06,800.00 की धनराशि अवमुक्त की गई थी । योजना के अन्तर्गत कुल रु0 9,17,994.55 का उपयोग संलग्नक–1 में उल्लिखित विवरणानुसार कर लिया गया है । अवशेष धनराशि का उपयोग किया जा रहा है । वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में इस योजनान्तर्गत कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है ।

विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1988-89 में मलिन बस्तियों के उन्नयन हेतु कृत रु0 27,56,000.00 की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गई है जिसमें से रु0 13,93,025.00 का उपयोग संलग्नक-2 में दिये गये विवरण के अनुसार कर गया है अवशेष धनराशि का उपयोग किया जा रहा है ।

13 मलिन बस्तियों के सुधार हेतु कुल रु0 23,11,019.55 की धनराशि का व्यय संलग्नक-1 व 2 में दिये गये विवरण के अनुसार किया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 152 पर)

गोरखपुर विकास प्राधिकरण को रामगढ़ ताल परियोजना हेतु अवमुक्त की गई धनराशि

45–श्री शिव प्रताप शुक्ला–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामगढ़ ताल परियोजना पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण को दिसम्बर, 1989 तक कितना धन आवंटित किया गया है? उस धन के द्वारा क्या-क्या कार्य होने थे, क्या वह कार्य पूरे हो गये है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कार्य को पूरा न कराकर सिर्फ मिट्टी की पटाई की गई है ? यदि हां, तो सरकार अब तक के कराये गये कार्यों की तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों? क्या सरकार कार्य पूरा न करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गोरखपुर विकास प्राधिकरण को रामगढ़ ताल परियोजना हेतु दिसम्बर, 1989 तक 8 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है ।

उक्त धनराशि से निम्न कार्य प्रस्तावित थे

(1) भूमि अध्याप्ति
(2) प्रारम्भिक एवं विकास कार्य
(3) प्लेनेटोरियम का निर्माण
(4) चम्पा बिहार का निर्माण

उक्त कार्यान्शों में से भूमि अध्याप्ति का कार्य पूरा हो चुका है, शेष सभी कार्य प्रगति पर है ।

उक्त परियोजना में कई कार्य है, जो प्रगति पर है । मिट्टी भराई का कार्य वहीं किया गया है जहां योजनानुसार आवश्यक था अथवा भूमि में गड्ढे थे ।

शेष, प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(12 बजकर 20 मिनट)

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जिस दिन से यह सदन चल रहा है उस दिन से मैं देख रहा हूं कि हमारे सवाल का नम्बर रहा है उस दिन से मैं देख रहा हूं कि हमारे सवाल का नम्बर नहीं सदन की चल रही है कि 5–6 प्रश्न से ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं । हम लोगों ने भी प्रश्न पूछा है । एक घन्टे के अन्दर हमारे प्रश्न का नम्बर नहीं आया । 13वें नम्बर पर हमारा प्रश्न है। मंत्री जी से जो उत्तर मिला है वह भी ठीक नहीं है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो कठिनाई माननीय सदस्य की वही कठिनाई मेरी भी है । आपने आज ही देखा होगा कि इतनी रफ्तार से और जबरदस्ती मैं न करूं तो एक-दो प्रश्न ही हो पायें। इसके लिए सभी नेताओं से वार्ता करके इस बात का निश्चय किया जायेगा कि एक प्रश्न के लिये कितना समय दिया जाय । अन्यथा नित्य यही होना है ।

नियम 301 की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनायें प्राप्त हुई । इन सूचनाओं में शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गई । पहली सूचना श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी की, दूसरी श्री शारदा प्रताप शुक्ल की, तीसरी श्री दशरथ सिंह की, चौथी मदन गोविन्द राव की, पांचवी श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय की, छठी श्री कृष्ण किंकर सिंह तथा सातवीं श्री रिजवान जहीर उर्फ रज्जू की है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचना में सदन में अनुपस्थित सदस्यों की सूचना न पढ़े जाने एवं 2 शलाका अतिरिक्त निकाल कर सूची बनाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

इसके साथ ही मैं सदन को एक सूचना देना चाहूंगा । कल यहां पर एक स्थिति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्पन्न हो गई थी । कुछ माननीय सदस्य यहां पर उपस्थिति नहीं होते हैं और उनका नाम नियम 301 की सूचनाओं की शलाका में आ जाता है तो उनकी सूचनाओं को पढ़ा हुआ नहीं माना जायेगा । इसलिये ऐसा किया गया है कि 7 के अतिरिक्त 2 शलाका और निकाली जायेंगी आठवीं और नौवीं ?ताकि यदि कोई माननीय सदस्य जिसका नाम शलाका में आया हो और वह उपस्थित न हो तो इस प्रतीक्षा सुची के सदस्यों की सूचनाओं को ले लिया जायेगा ।

(श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री शारदा प्रताप शुक्ल तथा श्री दशरथ सिंह के सदन में उपस्थित न होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मालूम होता है कि प्रतीक्षा सूची लम्बी करनी पड़ेगी।

जनपद देवरिया के रामकोला चीनी मिल को पुनः चलवाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री मदन गोविन्द राव–**

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र स्थित गंगेश्वर लि0 रामकोला (देवरिया) में गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है। अभी तक उक्त चीनी मिल ने पेराई सत्र प्रारम्भ नहीं किया है। चीनी मिल क्षेत्र के गन्ने की कहीं और व्यवस्था नहीं की गई है फलतः हजारों गन्ना कास्तकारें ने इस वर्ष खेत खाली न हो जाने के कारण गेहूं तथा तिलहन की बुआई नहीं की है। गन्ना किसानों ने विरोध व्यक्त करने के लिए अपने खेतों से गन्ना काट कर रामकोला उपनगर में बैलगाड़ी के याडों, चीनी मिल परिसर तथा सड़कों पर गन्ना बिखेर दिया है जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है । चीनी मिल के प्रबंध तंत्र तथा किसानों के बीच गम्भीर तनाव उत्पन्न हो गया है। हिंसक झड़पों में अब तक दर्जनों किसान एवं मजदूर घायल हो चुके हैं। मालिकों एवं प्रबन्धकों के आपसी कलह, कुप्रबन्ध तथा कमीशन खोरी के चलते इस प्रकार की विषम स्थिति पैदा हो गयी है। गन्ना किसानों के आक्रोश को देखते हुए कभी भी स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

चीनी मिल के सेन्टरों के गन्ने को दूसरे मिलों को आवंटित करके रामकोला चीनी मिल को तुरन्त चलवाया जाय तथा सम्पूर्ण घटनाक्रम की जांच करायी जाय तथा मिल का नियंत्रण सरकार के हाथ में लाया जाय।

जनपद गोण्डा के तहसील गोण्डा व तरबगंज ओलावृष्टि के कारण हुई फसल से प्रभावित किसानों को राहत देने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूं।

गोण्डा जनपद विशेष रूप से तहसील गोण्डा तरबगंज में ओलावृष्टि के कारण फसल नष्ट हो गई है। तम्बाकू की फसल "कैस क्राप" (नगदी फसल) मानी जाती है जिसके पत्ते से ही तम्बाकू बनता है और इस खेती में बहुत ही मर्दी लगानी पड़ती है यह फसल तो बिल्कुल ही नष्ट हो गई है। तिलहन की फसल पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। अभी तक सरकार की तरफ से ओलावृष्टि के कुप्रभाव के कारण हुई क्षति के लिए राहत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संबंधी कोई कार्य किसानों के हित में नहीं किया गया है जिसके कारण किसानों में बड़ा ही असंतोष है एवं हाहाकार मचा हुआ है। काफी किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं।

अतः आपके माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षण करते हुए मांग करता हूं कि ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को अविलम्ब राहत तथा सरकारी देय सुविधाओं को दिलाने की कृपा करें।

जनपद बस्ती के कस्बा बभनान में इण्टरमीडिएट बालिका विद्यालय खोले जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कृष्ण किंकर सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि बस्ती जिले के बभनान कस्बे में .

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जरा नियम जान लें कि जो आपने लिख कर दिया है उसे ही पढ़ें, इसमें भाषण देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री कृष्ण किंकर सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का विशेष कर शिक्षा मंत्री का ध्यान जनपद बस्ती एवं गोण्डा को जोड़ने वाले कस्बे बभनान की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं यह कस्बा ऐसे स्थान पर बसा है जहां जनपद बस्ती की पश्चिमी सीमा तथा गोण्डा की पूर्वी सीमा जुड़ती है तथा यहां कस्बे से सटकर लखनऊ गोरखपुर रेलवे लाइन भी जाती है परन्तु खेद की बात है कि इस कस्बे के लड़कियों के शिक्षा के लिए कोई इन्टरमीडिएट व डिग्री कालेज नहीं है और इस कस्बे के तीस किलोमीटर चौतरफा कोई बालिका इन्टर कालेज नहीं है जिसके कारण उस क्षेत्र की लाखों छात्रायें बिना विद्यालय के उच्च शिक्षा से इच्छा और साधन होते हुए शिक्षा से वंचित रह रही है जब कि ऐसे विकसित युग में बिना शिक्षा के उनका विकास संभव नहीं है वहां पर जो इन्टरमीडिएट एवं डिग्री कालेज है वह छात्रों के लिए है वह भी सुरक्षित स्थान पर नहीं है जहां कोई अपनी लड़कियों को नहीं भेजना चाहता ।

अतः मेरा अनुरोध है बदली परिस्थितियों में जनता में नयी सरकार के प्रति भावना एवं विश्वास ले लाने के लिए आवश्यक है कि कस्बा बभनान जनपद बस्ती में एक इन्टरमीडिएट बालिका विद्यालय तत्काल खोला जाय।

जनपद लखनऊ के शक्तिनगर में सड़क पक्की करने एवं स्वच्छ पेयजल, सीवर एवं नालियों की व्यवस्था करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे शक्ति नगर के आस-पास सड़कों के विकास करने में कितना व्यय हुआ है जो ठेका दिया गया उसमें कितना कार्य हुआ?

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, जो आपने 301 में लिख कर दिया है क्या वही पढ़ रहे हैं? वह नहीं पढ़ रहे हैं जो लिख कर दिया है वही पढ़ें।

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, यह हाउस कैसे चलेगा (माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर इशारा करते हुए) हाउस की गरिमा बिल्कुल खत्म हो गयी है।

श्री अध्यक्ष–

यह परम्परा तो ऐसे ही चल रही है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी से कल भी मैंने निवेदन किया और आज भी कर रहा हूं। (व्यवधान) एक आंख उधर रहती है तो एक आंख आपकी ओर भी रहती है।

श्री रिजवान जहीर खां उर्फ रिज्जू–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन तथा शासन के नगर विकास विभाग के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि लखनऊ नगरमहापालिका का विस्तार हो जाने के कारण शक्तिनगर–कूर्मान्चल नगर क्षेत्र नगरपालिका की सीमा के भीतर आ गया है। यहां की आबादी 25 हजार है। नागरिकों से वर्ष 1988 से भवन कर वसूल किया जा रहा है। मोहल्ला शक्तिनगर इंदिरानगर कालोनी के पास में बसा है इसलिए इसे विकसित करने में अधिक खर्च नहीं होगा। इस मोहल्ले के आसपास की सड़कें पक्की बनी हैं किन्तु ए–1093/1 एल0 आई0 जी0, इंदिरा नगर के आगे शक्तिनगर में स्थित मंदिर से लेकर कूर्मांचल नगर तक मात्र दो किलोमीटर मुख्य कच्ची सड़क अभी तक पक्की नहीं बनायी गयी है जिससे वहां के नागरिक नारकीय जीवन-यापन कर रहे हैं। जल निकासी हेतु नालियां न होने से जलभराव के कारण बजबजाते कीड़े तथा मच्छर सर्वत्र देखे जा सकते हैं जिससे संक्रामक रोग फैलने की आशंका है।

आग्रह है कि इस मोहल्ले की मुख्य पुरानी सड़क पक्की बनाने, स्वच्छ पेयजल (टैप-वाटर) सीवर एवं नालियों की बरसात से पहले व्यवस्था करने की कृपा की जाये।

जनपद वाराणसी में सीवर व सफाई की व्यवस्था की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अमर नाथ यादव–

मान्यवर, वाराणसी एक धार्मिक, सांस्कृतिक औद्योगिक एवं शैक्षिक नगरी के साथ-साथ पर्यटन केन्द्र भी है। यहां की आबादी 15 लाख है तथा दो लाख लोग शहर में ग्रामीण क्षेत्रों तथा अन्य जनपदों से आते रहते हैं। प्राय: लोगों को रुकना भी पड़ता है यहां पर पुराने जमाने की सीवर लाइन बिछी हुई है जो जगह-जगह क्षतिग्रस्त है और कम माप की भी है एवं कई क्षेत्रों में सफाई भी नहीं होती है। जिससे सम्पूर्ण नगर गन्दगी एवं बदबू की पकड़ में रहता है और वर्षा काल में जगह-जगह जल जमाव, कीचड़ और गन्दगी का साम्राज्य बना रहता है । जनहित में सीवर व सफाई में आवश्यक सुधार अपेक्षित है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः जनहित के इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि सीवर व सफाई की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाय।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड कौशाम्बी, सरसवां एवं मंझनपुर के ग्रामों में गम्भीर पेयजल संकट को दूर करने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, मैं अपनी सूचना को पढ़ना चाहता हूं कृपया अनुमति प्रदान कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपका नाम सबसे पहले ही पुकारा था लेकिन आप नहीं थे। अच्छा अब पढ़ दें।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, जनपद इलाहाबाद में भयंकर सूखे से जलस्तर नीचा होने के कारण पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। विशेषकर तहसील मंझनपुर के तीनों विकास खण्ड (1) कौशाम्बी (2) सरसवां (3) मंझनपुर के सैकड़ों ग्रामों के कुओं में कीचड़ आ गया है, साधारण हैण्ड पाइप खराब पड़े हैं। इस गम्भीर पेयजल संकट से जनता में त्राहि-त्राहि पेयजल संकट में है। यहां तक की तालाब सूख गये हैं, जानवरों तक को पानी नहीं है।

टाउन एरिया मंझनपुर में टंकी का निर्माण हो चुका है विभागीय लापरवाही के कारण अभी तक इस गम्भीर संकट में भी पानी नहीं दिया जा रहा है। जनता की मांग है कि जहां-जहां पानी देने के ज्वाइन्ट बनाये गये हैं टोटी लगाई जावें।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है सदन के सामने सरकार से तत्काल प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।

नियम 301 के अन्तर्गत शलाका द्वारा बनायी गयी सूची में 2 के स्थान पर 5 सूचनाएं लिया जाना

श्री अध्यक्ष–

आज केवल 6 सूचनायें नियम 301 के अन्तर्गत पढ़ी जा सकी हैं। इसके अतिरिक्त अब अन्य कोई सूचना नहीं ली जा सकती है चूंकि शलाका के आधार पर सूचनायें ली जाती हैं लेकिन मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि कई माननीय सदस्य नहीं आते हैं इसलिए प्रतीक्षा सूची में दो के स्थान पर 5 सूचनायें कर दी जायं जिससे यदि कोई माननीय सदस्य नहीं होगा तो दूसरे माननीय सदस्य को स्थान मिल जायेगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान स0 वि0 स0 के निवास पर बदमाशों द्वारा हमला हेतु षडयन्त्र किये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत मा0 पंचानन राय जी की एक सूचना प्राप्त हुई है। मैं नियम 311 के अंतर्गत इसमें अनुमति नहीं दे सकता हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्य के संबंध में आप यह सूचना देना चाहते हैं यदि वह, श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान, मौजूद हैं और कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

श्री पंचानन राय–

वह मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष–

मौजूद हैं तो मैं उनको अनुमति देता हूं। वह अपने बारे में सदन में कह सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, यहां पर सदन की कार्यवाही में भाग लेने के बाद जब दिनांक 13-1 को अपने जनपद स्थित घर को गया तो मुझे वहां पर अपने परिवार के सम्बन्ध में एक गम्भीर घटना की सूचना मिली । मेरा जो घर का नौकर था, उसने अपनी बीबी का इलाज कराने के लिए उसे वहां अस्पताल में भर्ती करा रखा था, जो वहां पर रात में मौजूद था । वहीं पर रात में 12 बजे के करीब उसके पास कुछ अज्ञात बदमाश आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम सुरेन्द्र सिंह चौहान, भूतपूर्व मंत्री का दरवाजा खुलवा दो, इसके लिए तुम्हें 10 से 20 हजार तक का इनाम दिया जाएगा । जब वह इस जघन्य कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उनके द्वारा उसे काफी मारा पीटा जाता है और उसको मेरे घर का दरवाजा खुलवाने के लिए मजबूर किया जाता है । किसी तरह वह उन बदमाशों के चंगुल से छूट जाता है और उसे भागते हुए पड़ोस में एक पुलिस मोबाईल वान मिल जाती है, तो वह उससे बच निकलता है । वह लोग मेरे घर का दरवाजा खुलवाकर मेरे परिवारजनों को खत्म करने, उनका सफाया करने की नीयत से आए थे । वह इससे स्पष्ट था कि जब वह घर पर हमारा सर्वेन्ट पहुंचता है और मेरी पत्नी को यह बात बताता है कि उन्होंने यह कहने के लिए कहा था कि जाकर कह दो कि चौहान साहब के साले का एक्सीडेन्ट हो गया है और वह बहुत गम्भीर हालत, मरणासन्न अवस्था में हैं । इस तरह वह किसी तरह मेरे घर में प्रवेश पाना चाहते थे और घर का दरवाजा खुलवाना चाहते थे । पूरे परिवार को खत्म करने की नीयत थी । इसके लिए जब मेरी पत्नी ने एस0 एस0 पी0 से बात करनी चाही तो हमारे टेलीफोन के तार कटे हुए थे और वह उनसे बात नहीं कर सकी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान को मैंने अनुमति दी है । वह अपने संबंध में एक व्यक्तिगत मसला उठा रहे हैं, जिसके संबंध में वह विशेष अनुमति से बोल रहे हैं और उसकी ओर से वह आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं । मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि ऐसी बातें आप सुन लें, सम्भवतः सदन आपका उत्तर चाहेगा :

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मैंने उसके बारे में नेता विरोधी दल के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखकर भिजवा भी दिया है, और श्री शतरुद्र प्रकाश, कारागार मंत्री जी को भी उस बारे में बताया है । उन्होंने कहा है कि वहां पर इसके लिए कह दिया गया है । लेकिन यह बहुत ही अहम् और गम्भीर घटना है । अब भी हमारे पूरे परिवार में भय और आतंक का वातावरण बना हुआ है । इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस मामले को वर्क-आउट कराया जाए, खुलवाया जाए

और अज्ञात बदमाशों का पता लगाया जाए कि वह कौन लोग थे जो मेरे पूरे परिवार को खत्म करना चाहते थे, जब मैं सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए यहां आया हुआ था । मुझे यहां नहीं मालूम कि मेरे घर पर कोई सुरक्षा व्यवस्था हुई है या नहीं । यह बहुत गम्भीर महत्व का मसला है । मेरा दिल और दिमाग परिवार के सदस्यों की ओर लगा रहता है । वहां पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था की गई है या नहीं । मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे परिवार और मेरी सुरक्षा की व्यवस्था का ध्यान रखा जाए और जो एक सप्ताह बाद से ही मेरे घर से सुरक्षा गार्ड हटा दिया गया है उसे फिर लगाया जाए ।

मेरा 18/20 साल का राजनैतिक जीवन रहा है और चौथी बार यहां चुनकर आया हूं, मेरी किसी से दुश्मनी और रंजिश नहीं रहती है । लेकिन चूंकि मैंने तीन वर्ष तक गृह विभाग का कार्य देखा है . . .सरकार में रहा हूं । हो सकता है मेरे किसी कार्य से वह दुश्मनी मान बैठे हों । मेरा निवेदन है कि मेरे परिवार के सदस्यों और मेरी रक्षा की विशेष व्यवस्था की जाए क्योंकि वह घटना घट गई होती अगर उस नौकर ने वफादारी का सुबूत न दिया होता । अगर वह 20 हजार के लालच में आ गया होता और वह घर के दरवाजे खुलवा देता तो वह लोग मेरे घर की लूटमार करते । मान्यवर, टेलीफोन के तार कटना पूर्वनियोजित षड़यन्त्र था । मान्यवर, मेरी पत्नी 18–19 दिसम्बर को गांव गई थीं, जब वह लौट रही थीं तो डी0डी0ए0, 4727 नम्बर की मारुति ने पीछा किया । तो 18,19 दिसम्बर को यह भी हुआ । मेरे परिवार के पीछे षडयन्त्र चल रहा है । मान्यवर, इस सिलसिले में मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से एफ0 आई0 आर0 भी दर्ज करा दी गई है । मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे परिवार तथा मेरी सुरक्षा के प्रबन्ध कराए जाएं ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं उनके सम्मान और सुरक्षा का ध्यान रखने का हमारा कर्त्तव्य है । जो माननीय सदस्य की ओर से शिकायतें दर्ज हुई हैं उसमें विवेचना चल रही है, उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी । श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान के घर एक आर्म गार्ड की टुकड़ी नियुक्त कर दी गई है और विशेष सुरक्षा के आदेश दे दिए गये हैं । इसके अतिरिक्त अगर चौहान साहब कुछ चाहेंगे तो वह किया जाएगा ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

इस केस को शीघ्र वर्क आउट कर दिया जाए ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी की सूचना को मुख्य मंत्री के पास भेजे जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

विद्यार्थी जी जो आपने दिया है उसको मुख्य मंत्री जी के पास भेज दिया गया है । नियम–300 के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । उसमें. . . .

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । विद्यार्थी जी मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा । आप किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । इसको कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा ।

श्रीमती शारदा देवी–

मान्यवर, यह मेरे क्षेत्र का जो मामला है––

श्री अध्यक्ष–

यह स्वीकार नहीं हुआ है । इसको आप दुबारा दें अगर नियमों के अन्तर्गत यह आएगा तो इसमें विचार हो जाएगा और स्वीकार हो जाएगा ।

श्रीमती शारदा देवी–

लेकिन मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं कम महत्वपूर्ण नहीं कह रहा हूं ।

प्रदेश के गैर-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज मुझे श्री पंचानन राय, श्री मुईद अहमद तथा श्री माता प्रसाद जी की, यह तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, प्रदेश के गैर सरकारी माध्यमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों को 50 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रतिमाह वेतन मिल रहा है । भारत का संविधान के अनुच्छेद 23 में यह प्राविधान है कि बेगार लेना इस देश में वर्जित है । निर्धारित दर से कम मजदूरी देना बेगार की श्रेणी में आता है । इस सदन ने माध्यमिक शिक्षा अधिनियम बनाया है उसमें यह प्राविधान है कि सहायता प्राप्त विद्यालयों के जो वेतनमान होंगे वही वेतनमान असहायता प्राप्त विद्यालयों के होंगे । लेकिन व्यक्तिगत विद्यालयों के प्रबंधाधिकरण 50 रुपये से लेकर 100 रुपये मासिक वेतन दे रहे हैं । सितम्बर में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि 151 माध्यमिक और 200 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को इसी वर्ष अनुदान सूची में शामिल

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

किया जायगा । वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है अभी तक अनुदान सूची निर्गत नहीं हुयी है । इससे विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों और उनके परिवारों में घोर निराशा का वातावरण व्याप्त है । अतः इस औचित्य के प्रश्न को आपके संज्ञान में लाकर स्पष्टीकरण की मांग करता हूं ।

*शिक्षा एवं युवा कल्याण मंत्री (श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जैसा इंगित किया यह काम 1985 से शुरू हुआ, 1985 के बाद से कोई भी इस तरह का विद्यालय अनुदान सूची में नहीं लिया गया । सितम्बर में जो घोषणा हुयी उसके संबंध में मेरा कहना है कि हम उसका परीक्षण करवा रहे हैं। वित्तीय संशाधनों की कमी है। वित्त से और नियोजन विभाग से बात कर रहे हैं, जैसे ही निराकरण निकल आया वैसे ही निर्णय ले लेंगे ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि शासन का निर्णय था और उस संबंध में आप नियोजन और वित्त विभाग से बात कर रहे हैं । तो जो आप परीक्षण कर रहे हैं वह इसी वित्तीय वर्ष में हो जायगा ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर शासन का निर्णय नहीं हुआ था, तत्कालीन मुख्य मंत्री से अध्यापकों की बात हुयी थी । उसको हम दिखवा रहे हैं ।

सदन के चलते सदन में सदस्यों द्वारा नेता सदन एवं नेता विरोधी दल को आवेदन पत्र देने पर आपत्ति

(एक सदस्य द्वारा मुख्य मंत्री को आवेदन पत्र देने पर तथा मा0 अध्यक्ष द्वारा उन्हें रोके जाने पर)

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

मान्यवर, आप बार-बार हमकी टोकते हैं। आप इनको मुअत्तल कीजिये या सदन से निकालिये । बार-बार मुझे टोका जा रहा है । यह मैं पसंद नहीं करता ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिस समय सदन चल रहा है उस समय माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल की विशेष जिम्मेदारी होती है । माननीय नेता सदन की विशेष जिम्मेदारी होती है, प्रशासन की ओर से किस प्रकार का प्रश्न हो रहा है, किस प्रकार नीति स्पष्ट करनी है । यदि माननीय सदस्य माननीय नेता सदन को सुनने नहीं देंगे और उनको अपना आवेदन पत्र देते रहेंगे और इसको कार्यालय बना लेंगे तो यह इस सदन की गरिमा के विपरीत है । मैं चाहूंगा कि भविष्य में आप लोग इसका ध्यान रखें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नीतिगत प्रश्नों पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस (आई) के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न की अनुमति न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, कल की कार्यसूची में, प्रश्नों की नत्थी "ख" में एक नीति विषयक प्रश्न आया था । नीति विषयक प्रश्न जब आता है तो सभी दलों के किसी न किसी सदस्य की राय जरूर आ जानी चाहिये । कल का प्रश्न आप देखें, प्रश्न था कि क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे सरकार ने सबके लिये समान शिक्षा नीति लागू करने का निर्णय लिया है । यदि हां, तो इसका प्रारूप क्या है । इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है कांग्रेस (आई) इस सदन में, उसको इस नीति विषयक प्रश्न पर, उसके किसी सदस्य को अवसर नहीं दिया गया कि वह अपनी राय जाहिर कर सकें।

मान्यवर, ये बी0 जे0 पी0 के लोग सत्ता में नहीं हैं, लेकिन वे सत्ता का पूरा उपभोग कर रहे हैं । उन लोगों को आपने पूरा अवसर दिया और स्वयं सत्ता के लोगों को पूरा अवसर दिया । जो इस सदन में मुख्य विरोधी दल हैं, उसको अवसर नहीं दिया । मान्यवर, नीति विषयक प्रश्न पर यह परिपाटी रही है कि दल की राय आ जानी चाहिए थी । मान्यवर कांग्रेस दल की राय ऐसे विषय पर नहीं आई है । इसलिए मैं इस नीति विषयक प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

इसे मैं आक्षेप मानता हूं, औचित्य का प्रश्न नहीं मानता हूं । आपने कहा कि इस सदन में जो मुख्य विरोधी दल है, उसकी अवहेलना हुई है, मेरी तरफ से, तो नहीं हुई है । संसदीय कार्य मंत्री इस पर प्रकाश डालेंगे ;

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री का बहुत सम्मान करता हूं । मान्यवर, पहले मेरी बात सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइये । मैंने ससदीय कार्य मंत्री को बुला लिया है ।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, इनके खड़े होने पर ही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

जब मैंने उनको बुला लिया और वह खड़े हो गये, तो आप व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए खड़े हो गये । आप बैठ जायें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

इनके बाद मान्यवर, हमें सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह सदन के अन्दर हठवादिता नहीं होनी चाहिए ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मैं यह याद दिला रहा हूं । आप संरक्षण भविष्य में देते रहें हैं ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

माननीय नेता विरोधी दल भी आ गये, इसलिए हमको अपनी बात कहने में उनकी ओर से बड़ी सहायता मिलेगी । माननीय मुईद अहमद ने नियम 300 के अन्तर्गत यह सूचना दी है कि कल एक प्रश्न में उनको अनूपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गयी है । मान्यवर, यह पीठ के प्रति आक्षेप है और हम सब संसदीय परम्पराओं और मान्यताओं का दम भरते हैं, माननीय नेता विरोधी दल हम सब के लिए मार्ग दर्शक हैं । अगर माननीय मुईद अहमद ने माननीय नेता विरोधी दल से इस संबंध में परामर्श किया होता, तो शायद वह इनको अनुमति ही न देते कि इस प्रकार का प्रश्न उठावें । कौल और शकधर साहब की संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार की हम लोग सब इज्जत करते हैं । उसमें दिया हुआ है पृष्ठ 110 पर, "जहां तक संभव में या उससे संबंधित मामलों का प्रश्न है, उनके बारे में संविधान तथा नियमों का निर्वाचन करने का अधिकार अध्यक्ष का है और कोई भी–सरकार भी–ऐसे किसी निर्वाचन या व्याख्या के संबंध में अध्यक्ष के साथ बहस या वाद-विवाद में नहीं पड़ सकता ।" इसी में आगे दिया हुआ है कि–"सदस्य सभा में या उसके बाहर अध्यक्ष द्वारा दिये गये विनिर्णय, व्यक्त किये गये विचार या दिए गए वक्तव्य की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना नहीं कर सकते ।"

श्रीमन्, यह तो एक तरह से हम सब लोगों की व्यवस्था संबंधी विषय है, जो मा0 सदस्य ने उठाया और हम आपसे और आपके साथ-साथ मा0 नेता विरोधी दल से अनुरोध करेंगे कि हमारा सहयोग करें संसदीय मर्यादाओं का पालन करने में और वे अपने मा0 सदस्यों को निर्दिष्ट करें कि वे इस प्रकार के प्रश्न न करें ।

*नेता विरोधी दल (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन्, मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने कृपा करके मुझे इंगित किया, इस माने में कि जो थोड़ा बहुत इस सदन की सेवा में मेरा समय बीता है, उसका कृपा पूर्वक उल्लेख किया है । मैं उनका बड़ा आभारी हूं । श्रीमन्, जो प्रश्न मा0 सदस्य सुल्तानपुर ने उठाया, वह कल और परसों, कोई आपकी आलोचना के स्वरूप में नहीं बल्कि जो एक सामान्य स्थिति है, अधिकार है, उसके संबंध में कल या परसों यह प्रश्न आपस में यहां पर उठा था । यह आप पर किसी प्रकार का आक्षेप करने का विचार नहीं रहा है। मैं मा0 सदस्य को जानता हूं, वह शासन के सदस्य रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा उन्होंने इसलिए उठाया था, मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री को विश्वास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिलाना चाहता हूं, इस विषय में शासन का सीधा कोई संबंध भी नहीं है। उन्होंने आपसे आग्रह किया है कि मुख्य विपक्षी दल को कृपया ध्यान में रखें क्योंकि सवालों का मुख्य विपक्षी दल का अधिकार है । आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगे । इसका एक कारण है, जिसके कारण विपक्षी दल के सदस्यों पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि इससे पहले विपक्षी दल ''हां'' पक्ष में बैठता था । कई बार, मैं दो तीन दिन से देख रहा हूं, खास तौर पर संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कभी-कभी बिना पूरी जानकारी किये इस बात को कहा गया कि पिछली सरकार में मनमाने ढंग से काम होता था । पुरानी सरकार की बिना तथ्यों की जानकारी किये कोई आलोचना हो तो उसके पास अपने बचाव का कोई कारण नहीं है । मैंने दो बार देखा, चुपचाप बैठा था, कहा गया कि पिछली सरकार ने मनमाने ढंग से काम किया । उनको पूरे तथ्यों की जानकारी नहीं है, खास तौर पर मंत्रियों को, जो बिना जानकारी किये कहते हैं । वे अब शासन में हैं तो तथ्यों की जानकारी करके ही कोई बात पिछली सरकार के बारे में कहें । अगर कोई बात कहते हैं तो प्रश्न उठता है । पिछले शासनकाल में भी उठे थे । चूंकि इसमें स्पष्टीकरण का अवसर नहीं होता और बीच में टीका-टिप्पणी नहीं होती तो प्रश्न पूछ कर ही उत्तर मांगा जा सकता है । मुझे विश्वास है कि इसमें कोई आक्षेप की बात नहीं है। यदि इसको आक्षेप मानते हैं तो इसको वापस मानें, मैं मा0 सदस्य सुल्तानपुर से आग्रह करता हूं । लेकिन यह आक्षेप नहीं सुझाव है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, मैं आभारी हूं कि मा0 नेता विरोधी दल ने परोक्ष रूप से मेरी बात को मान लिया, प्रत्यक्ष रूप से नहीं माना । आशा है कि उन्होंने सूचना पढ़ ली होगी । सूचना स्पष्ट है । आशा है कि भविष्य में इसको ध्यान में रखा जायगा । यह मेरा अनुरोध है ।

अध्यक्ष पीठ की इजाजत के बिना मंत्री द्वारा जवाब देने हेतु खड़े होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मा0 सदस्य सुल्तानपुर ने प्रश्न उठाया तो आपने अस्वीकार किया । कोई व्यवस्था का प्रश्न उठता है, आप स्वीकार करते हैं तो उसके बाद इस प्रश्न पर अक्सर देखता हूं कि मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हो जाते हैं । जब कोई प्रश्न आपके सामने आये और आप व्यवस्था स्वीकार करों और आप इजाजत दें तभी मंत्री जी बोल सकते हैं । यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है कि मा0 सदस्य बिना अनुमति के न बोलें ।

श्री अध्यक्ष–

आप बार-बार क्यों दोहरा रहे हैं ? मैं व्यवस्था देने जा रहा हूं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

दूसरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

एक व्यवस्था का आपने प्रश्न किया, उस पर व्यवस्था जाने बिना दूसरा व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं । मैं इस संबंध में सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा .

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, विशेषकर मंत्रियों के लिये भी कहें, वे भी खड़े हो जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सभी की बात कह रहा हूं, मंत्री लोगों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं उनका नाम लेता हूं, मंत्री जी कहता हूं, तब ही वे बोलते हैं । कोई अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है. यह तो सब अधिकार है । मैंने कभी कोई अवसर नहीं देखा जब यहां बिना मेरी अनुमति के कोई मंत्री यहा पर बोला हो । माननीय उपाध्याय जी आप बैठें, पूरी बात सुनें । जब मैंने कहा मंत्री जी, तब ही कोई मंत्री जी बोले हैं, जब नाम लिया है, तब ही बोले हैं । खड़े होने का सबको अधिकार है ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, यह प्रश्न इसलिये आपके समक्ष रखा, निवेदन पूर्वक कहा ताकि इस प्रकार की अवहेलना की पुनरावृत्ति न हो ।

श्री उपाध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न आपकी अनुमति से उठाना चाहता हूं ।

संविधान की आर्टिकल 178, 179, 180 की ओर मैं आपका ध्यान आकृर्षित करना चाहूंगा । इसी तरह से नियमावली का नियम 8, 9 व 10 है । मान्यवर, माननीय विरोध पक्ष के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं । लेकिन स्वयं हमारे इस सदन की परम्परा रही है कि विपक्ष को हमेशा उपाध्यक्ष का पद देते रहे हैं, सत्तारूढ़ दल देता रहा है । उपाध्यक्ष का चुनाव किस तरह होगा तथा इस संबंध में अन्य बातों का आर्टिकल 178, 179, 180 में उल्लेख है, और इसी के तहत नियमावली के नियम 8, 9, 10 बनाये गये हैं । मान्यवर, जब तक उपाध्यक्ष का चुनाव न हो तब तक अधिष्ठाता मंडल के सदस्यों द्वारा सदन की कार्यवाही का संचालित कराना असंवैधानिक तो नहीं है लेकिन अमर्यादित अवश्य होगा मान्य परम्पराओं के प्रतिकूल होगा ।

आज उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है । श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल यहां मौजूद हैं, विपक्ष पक्ष की ओर से उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि एक नाम देते और अब तक उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता । मैं स्वयं 2-3 दिन से देख रहा हूं कि आप जब चले जाते हैं तब अधिष्ठाता मंडल के लोगों से सदन की कार्यवाही संचालित करानी पड़ती है, मजबूरी में । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा केवल उस आर्टिकल को पढ़कर, आर्टिकल 180 में व्यवस्था है "अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करन की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति"–जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष, या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो विधान सभा का एसा सदस्य, जिसको राज्यपाल इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा ।

श्रीमन् इसी के दूसरे क्लाज को देखें इसमें यह स्पष्ट व्यवस्था है कि जब आप अनुपस्थित होंगे तो उपाध्यक्ष प्रिसाइड करेंगे उपाध्यक्ष जब अनुपस्थित होंगे तब अधिष्ठाता मंडल के सदस्यगण संचालित करेंगे । श्रीमन् अनुपस्थिति का मतलब नान एक्जिसटेन्स नहीं होता है। यहां तो उपाध्यक्ष ही नहीं है। मैं अपने इस कथन के समर्थन में एन-साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में जो एबसेंट का मतलब लगाया गया है वह पढ़ना चाहूंगा। एबसेंट शब्द का अर्थ, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका जो आक्सफोर्ड डिक्शनरी से बड़ा है, उसमें दिया हुआ है । "दि फैक्ट टु बि अवे आइदर इन बाडी आर इन माइन्ड।" तो बाडी में एबसेंट ही है उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ तो इस उपाध्यक्ष का चुनाव न होने से कितनी दिक्कत हो सकती है। श्रीमन्, जरा आर्टिकल 179 देख लीजिए, 179 में व्यवस्था है अगर किन्हीं कारणों से, श्रीमन्, अगर आप इस्तीफा देना चाहें तो आर्टिकल 179 में व्यवस्था है कि आप उपाध्यक्ष को त्याग-पत्र देंगे आज उपाध्यक्ष ही नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की थी। इस तरह से संविधान की मंशा यही है कि अधिष्ठाता मंडल के सदस्यगण तभी सदन में आपकी पीठ पर बैठेंगे, जब उपाध्यक्ष रहेगा किन्तु वह अनुपस्थित रहेगा। तो श्रीमन्, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में यह व्यवस्था की गयी और श्रीमान, आज जो लोग व्यवस्था की बात उठा रहे हैं, वही इस सदन की मर्यादित, स्थापित परम्पराओं का स्वयं ही अनुपालन नहीं कर रहे हैं। तो इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा क्योंकि मुझे शंका हो रही है कि हमारी कान्स्टीट्यूशन की जो स्प्रिट है, उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है । इसलिए उपाध्यक्ष का चुनाव अविलम्ब कराने के लिये विशेष-कर माननीय नेता विरोधी दल को सहयोग करना चाहिए, ताकि जो हमारी स्थापित परम्परायें हैं, उनका निर्वहन हो सके।

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, वह व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं बनता है, लेकिन एक सुझाव जरूर है और इस सदन को मर्यादित बनाये रखने के लिए उनके सुझाव को मैं उचित समझता हूं। इसीलिये मैं नेता विरोधी दल से दो बार प्रार्थना कर चुका हूं कि उपाध्यक्ष पद के लिये कोई एक नाम दे दीजिये, उसे ही हम डिप्टी स्पीकर स्वीकार कर लेंगे। अभी तक सत्ता पक्ष की ओर से परम्परा यही रही है कि कहा जाता था कि 3 का पैनल दे दीजिये, 5 का पैनल दे दीजिए। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारी उत्तर प्रदेश की विधान सभा, देश की सबसे बड़ी विधान सभा है, उसकी मर्यादायें भी बड़ी हों। इसलिए हमने पहले भी पबलिकली कहा है और आज इस बात को सदन में कहता हूं कि नेता विरोधी दल जिसका नाम दे देंगे, उसी को डिप्टी स्पीकर स्वीकार कर लेंगे । मेरी नेता विरोधी दल से प्रार्थना है और तिवारी जी का भी सुझाव है कि एक नई परम्परा बने और डिप्टी स्पीकर की कुर्सी खाली न रहे। जितनी जल्दी वह नाम दे सकते हैं, नाम देने की कृपा करें। इस प्रकार तिवारी जी ने जो सवाल उठाया है, वह ठीक ही उठाया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*नेता विरोधी दल (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, मैं सदस्य कटहेरी का बहुत आभारी हूं, उन्हें हमारे बारे में बड़ी चिन्ता है, वह हमारी सहायता ही करना चाहते हैं और पहले भी उनकी सहायता हमारे साथ रही है, आज भी वह सहायता ही कर रहे हैं। उन्होंने सही बात रखी और विशेषकर आपसे आग्रह किया कि उपाध्यक्ष के चुनाव के लिये आप तारीख तय कर दें। मान्यवर, उपाध्यक्ष के चुनाव की एक प्रक्रिया है और चुनाव की तारीख आप तय करते हैं, परामर्श करने के बाद । जहां तक मुझे पद्धति याद है, माननीय अध्यक्ष अपने चुनाव के बाद उपाध्यक्ष के चुनाव के लिये प्रक्रिया तय करते हैं और परामर्श कर लेते हैं। तो श्रीमन्, हम बहुत अनुगृहीत होंगे क्योंकि जैसी कि मुझे सूचना है, कल सदन उठ रहा है, इसलिये इतनी जल्दी में उपाध्यक्ष का चुनाव तो हो नहीं सकता।

मैं माननीय नेता सदन का भी बहुत अभारी हूं कि उन्होंने पुरानी परम्परायें जो कायम थीं, जिसमें उनका नेता विरोधी दल के रूप में योगदान रहा है, जिन परम्पराओं को हमने कायम किया था, मुझे बड़ी खुशी है कि उन परम्पराओं पर वह कायम रहना चाहते हैं। जो हमारी ओर से परम्परायें कायम हैं, उससे भी अच्छी वह कायम करेंगे और जो हमने किया, जितना हमने किया, उससे ज्यादा ही करेंगे। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उपाध्यक्ष पद के संबंध में एक स्वस्थ बात कही कि जो विरोधी दल की ओर से नाम प्रस्तुत किया जायगा, उसे वह स्वीकार करेंगे । अब आप जब कभी तारीख तय करेंगे, हम तुरन्त एक नाम देंगे और ऐसा नाम देंगे, जो सर्वमान्य हो और जिसमें सदन की मर्यादा हो । संसदीय मंत्री जी से हमारा विश्वास है कि वह अगले सत्र का कार्यक्रम बता देंगे कि वह कब बुलाया जायेगा । क्योंकि अब जब कभी बुलाया जायेगा, उसके पहले ही सप्ताह में आप तारीख तय कर देंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । मैं माननीय सदस्य कटहरी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आपका ध्यान आकर्षित किया है कि आप जल्दी तारीख तय कर लें।

नीतिगत प्रश्नों पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस (आई) के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न की अनुमति न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण श्री मुईद अहमद की सूचना पर जो विचार माननीय नेता विरोधी दल ने व्यक्त किए हैं, उस सम्बन्ध में मुझे आपसे निवेदन करना है कि प्रश्नकाल में जिन माननीय सदस्यों के प्रश्न होते हैं या जिन माननीय सदस्यों का प्रश्न होता है, उनका यह अधिकार है कि उन्हें अनुपूरक प्रश्नों में वरीयता दी जाय। मैं अपने विवेक से इसका प्रयास करता हूं कि उन्हें वरीयता दी जाय। पिछले दिनों से मेरा ऐसा अनुभव हो रहा है कि माननीय सदस्यगण मेरी कुछ उदारता का लाभ उठा-कर ऐसा प्रयास करते हैं कि प्रश्न दूसरा आने ही न पाय । एक या दो प्रश्न पर ही प्रश्नकाल समाप्त हो जाय । विशेषकर जो मुख्य विरोधी दल के लोग हैं उनका तो हित इसी में है कि जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल आयें और ज्यादा से ज्यादा समय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्रीगण उनके सामने खड़े रहें और उनसे आप अनुपूरक प्रश्न कर सकें। मैं तो जिस तरह से संचालन कर रहा हूं, हृदय से यही चाहता हूं कि प्रश्नकाल में माननीय विपक्ष के सदस्यों को अधिक से अधिक अवसर मिले। एक मूल बात आपकी सूचना में यह है कि नीतिगत प्रश्न यदि कोई था तो उसमें मुख्य विरोधी दल कांग्रेस उसमें छूट गया। मुझे ऐसा याद पड़ता है कि उसमें बहुत देर तक प्रश्न होते रहे और बहुत देर तक व्यवधान होता रहा । माननीय मंत्री जी भी प्रश्न नहीं सुन पाये और न मैं ही प्रश्न सुन पाया । इसलिए सम्भवत: बिना मेरी जानकारी के कि कोई मुख्य विरोधी दल की बात आई थी या नहीं, मैंने आगे का प्रश्न बुला लिया । माननीय नेता विरोधी दल आप कुछ कहना चाहते हैं ?

*नेता विरोधी दल (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था। मुझे दो सन्दर्भ याद आ रहे हैं। एक प्रश्न के उत्तर में माननीय लघु उद्योग मंत्री जी ने यह कहा था कि 5 लाख कुटीर उद्योग 8वीं योजना काल में लगाये जायेंगे। जहां तक मुझे स्मरण है कि किसी कारणवश आप उस पर मुख्य विरोधी दल को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे पाये । उसमें एक ही प्रश्न हो सकता था कि यह निर्णय नई सरकार का है या पुरानी सरकार का।

दूसरा, श्रीमन्, परसों शायद मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो माननीय शिक्षा मंत्री जी बहुत अच्छा उत्तर दे रहे थे, परन्तु उत्तर देते-देते वह कुछ संदर्भ से परे चले गये थे । उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मनमानी होती रही । कुछ इस तरह की बात हुई। तो उस समय प्रश्न करने की आवश्यकता पड़ी । शिक्षा नीति, व केन्द्र की एक शिक्षा नीति है। सारे देश की शिक्षा नीति होती है, प्रदेश की शिक्षा नीति होती है तो फिर उसमें यह मनमानी वाली नीति की बात नहीं होनी चाहिए । ऐसी स्थिति में मुख्य विपक्षी दल का अनुपूरक प्रश्न पूछना अनिवार्य हो गया था । वैसे आपकी जो व्यवस्था है, वह शिरोधार्य है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी कृपा है । मेरा ध्यान आपने आकर्षित किया । शिक्षा के विषय में बहुत देर तक अपने संशोधन के प्रस्ताव पर बात कही । मैं इसको स्वयं सुन रहा था। आशा करता हूं कि माननीय नेता, विरोधी दल ने जो कुछ भी कहा है, माननीय नेता, सदन उसका उत्तर देंगे। अब यह बात यहीं पर समाप्त होती है।

श्री उपाध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो प्रश्न उठाया है उन्होंने संविधान के किसी अनुच्छेद के उल्लंघन के लिए भी कहा है, तो संविधान के अनुच्छेद 180 (2) में यह स्पष्ट कहा गया है कि–"विधान सभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति, जो विधान सभा की प्रक्रिया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति, जो विधान सभा द्वारा अवधारित किया जाए, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।'' उसी के अनुसार कार्य चल रहा है। जैसी माननीय नेता, विरोधी दल ने इच्छा व्यक्त की है, नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं से मिलकर मैं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि निर्धारित कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। हम सभी आपका बड़ा आदर करते हैं, आप सर्वोच्च पीठ पर बैठे हैं, आपने महान परम्पराओं का सृजन किया है। माइक खराब होने के कारण कुछ सुनायी भी कम पड़ता है। मा0 रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने कहा है कि आप त्याग-पत्र देने जा रहे हैं। आप केवल यह बता दें कि त्याग-पत्र तो नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारी इच्छा है कि आप उस पद पर रहें। आप केवल बता दें।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रमोद तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि जो भी माननीय सदस्य सदन में कहें, उसे ध्यान से सुनें। ऐसा न करें कि अपने को जबर्दस्ती वरीयता दिलाने के लिए या अपनी ओर सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी कह दिया माननीय तिवारी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है ।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1988†

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से खाद्य तथा रसद अनुभाग–10 की अधिसूचना जी0 आई0-10/29-10-सी0 पी0 (8)-87 दिनांक 30 नवम्बर, 1988 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1988 को विलम्ब के कारणों सहित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 31 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-एस0 टी0 दो0 2646/दस-9(66)/1984-उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश-89†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की दिनांक 5 अक्तूबर, 1989 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या–एस0 टी0 दो0 2646/दस-9(66)/1984-उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश-89 की उत्तर प्रदेश बिक्रीकर एक्ट 1948 की धारा 3–क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987†

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से खाद्य तथा रसद अनुभाग–10 की अधिसूचना संख्या

---

† छापी नहीं गयी।

सी0 पी0-72/उन्तीस-10 सी0 पी0 (8)-87 दिनांक 31 अगस्त, 1987 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 जो दिनांक 28 सितम्बर, 1989 को विलम्ब के कारणों सहित सभा के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान एवं विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा–31 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ (सातवां संशोधन) नियमावली, 1989†

*खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–360-बी/33-2-24 बी (9)/85-यू0 पी0 ए0 33-1961 नियम–1972 संशोधन (7)-1989 दिनांक 15 जुलाई, 1989 के साथ प्रकाशित जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ (सातवां संशोधन) नियमावली, 1989 जो दिनांक 28 सितम्बर, 1989 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान एवं विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (पांचवा संशोधन) नियमावली, 1987†

(समय 1 बजकर 20 मिनट पर)

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पंचायती राज अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 1147 बी/33-2-700 (85)/85-85 यू0 पी0 ए0 33-1961-नियम-1966-संशोधन-(5)-1987, दिनांक 1 मई, 1987 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (पांचवां संशोधन) नियमावली, 1987 जो दिनांक 17 जुलाई, 1987 को सदन के पटल पर रखी गयी थी से संबंधित शुद्धि-पत्र संख्या 4618-बी/33-2-700 (85)-85, दिनांक 23 नवम्बर, 1987 को विलम्ब के कारण सहित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (छठा संशोधन) नियमावली, 1987†

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संसदीय कार्य अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–336 सं/17-1-87-78 सं-86, दिनांक 11 फरवरी, 1987 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (छठा संशोधन) नियमावली, 1987 जो दिनांक 10 मार्च, 1987 को सदन के पटल पर रखी गयी थी से संबंधित शुद्धि पत्र संख्या 3458/सत्रह-सं-1-89-134 सं-89, दिनांक 8 नवम्बर, 1989 को

---

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा रुड़की विश्वविद्यालय रुड़की के वर्ष 1985-86 का सम्परीक्षित वार्षिक लेखा एवं महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा परीक्षित रुड़की विश्वविद्यालय रुड़की का वार्षिक लेखा वर्ष 1985-86‡

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा रुड़की विश्वविद्यालय रुड़की के वर्ष 1985-86 का सम्परीक्षित वार्षिक लेखा एवं महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा परीक्षित रुड़की विश्वविद्यालय रुड़की का वार्षिक लेखा वर्ष 1985-86 को नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19–ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1990

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1990, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 1990 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 15 जनवरी, 1990 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 15 जनवरी, 1990 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश म्युनिसपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 1990 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 जनवरी, 1990 को वापस प्राप्त हो गया है।

दिनांक 15 जनवरी, 1990 को डा0 शिवानन्द नौटियाल के भारतीय जनता पार्टी तथा कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता पक्ष में शामिल माना जायेगा अथवा नहीं के सम्बन्ध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

कल डा0 शिवानन्द नौटियाल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि भारतीय जनता

---

‡ छापा नहीं गया।

पार्टी तथा कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता पक्ष में शामिल माना जायेगा अथवा नहीं । पीठासीन अधिकारी माननीय शंकर सिंह ने उक्त मामले में निर्णय सुरक्षित रखा था । मैं उक्त बिन्दु पर निर्णय दे रहा हूं।

विधान सभा सचिवालय द्वारा जो दलीय सूची प्रकाशित की गयी है उसमें अंकित जनता दल के सदस्य सत्ता पक्ष माने जायेंगे। शेष दल के सदस्य विपक्ष के माने जायेंगे। भारतीय जनता पार्टी तथा कम्युनिस्ट पार्टी के मा0 सदस्यगण विचारों की अभिव्यक्ति के दौरान किस दल का साथ देते हैं, यह उनके विवेक की बात है। इस पर किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

(क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष–

माननीय कल्याण सिंह जी पहले यह निर्धारित हुआ था कि प्रत्येक दल का नेता, नेता सदन व मा0 नेता विरोधी दल को छोड़कर, सभी 10–10 मिनट का ही समय लेंगे । इसका जरा ख्याल रखते हुए ही अपनी बात को समाप्त करेंगे ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मुझे आज तीन पक्ष प्रस्तुत करने हैं इसलिए . . . (व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, एक मेरा मामला विशेषाधिकार की सूचना से सम्बन्धित था, आपने कहा था कि उसे बाद में देख लिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

जी हां, उसका परीक्षण हो रहा है ।

श्री कल्यान सिंह–

मैं मान्यवर, प्रार्थना करूंगा कि चूंकि आज मुझे तीन पक्षों पर बोलना है इसलिए हो सकता है कि कुछ समय निर्धारित समय से ज्यादा लग जाए ।

अभी मान्यवर, विधान सभा में हमारे कांग्रेसीय मा0 मित्र कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की "चमचा गीरी" में लगी हुयी है । मैं स्पष्टतौर पर उनसे यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस कार्य में न अब तक लगी है और न लगेगी, लेकिन हमारे कांग्रेसी मित्र अवश्य जब से सत्ता पक्ष से हटे हैं, उसके बाद से जरूर हाराकीरी में लगे हुये हैं और उन्हें इस बात का अफसोस भी बहुत है कि सत्ता आखिर उनके हाथों से क्यों निकल गयी ।

मान्यवर, मैं यह 10वीं विधान सभा के अन्दर पहला भाषण कर रहा हूं । सबसे पहले मैं सत्ता परिवर्तन के लिये प्रदेश की जनता को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं । मैं साथ ही माननीय मुख्य मंत्री जी को भी उनके इस पद पर आसीन होने पर बधाई देता हूं (तालियों की गड़गड़ाहट) और साथ ही इस सरकार के प्रति

---

†दिनांक 15 जनवरी, 1990 की कार्यवाही से ।

शुभ-कामनाएं व्यक्त करना चाहता हूं कि यह सरकार पूरे 5 वर्ष तक चले और मान्यवर, आपके माध्यम से इस सरकार से यह अपेक्षा भी करना चाहता हूं कि यह सरकार पूरी दक्षता से चले, पूरी स्वच्छता से चले और यह सरकार पूरे तौर पर जनहित के कार्यों में ही लग कर चले ।

भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इस सरकार को पूरे 5 वर्षों तक बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट करना आवश्यक समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल की सरकार को, जो कि जनता की आकांक्षाओं के फलस्वरूप बनी है, पूरे समर्थन की देने की बात कही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन अन्ध समर्थन नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बंधुआ समर्थन भी नहीं होगा। हमारा दल सरकार का समर्थन गुण और दोष के आधार पर देगा । इस सरकार के प्रति समर्थन हम मुद्दों पर आधारित रहकर करेंगे । अनेक मुद्दों व मामलों पर हमारे सरकार से मत-भेद भी होंगे जिनका हम समर्थन नहीं करेंगे । हमारा समर्थन होगा तो सिर्फ गुण और दोष के आधार पर ही होगा यह बात इस नई सरकार को स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। इस सरकार को समर्थन देने के दो प्रमुख कारण हैं एक तो यह कि उत्तर प्रदेश की जनता का जो जनादेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में गैर-कांग्रेसी सरकार की स्थापना होनी चाहिए, हम उस जनादेश का सम्मान करेंगे और इस जनादेश का हम पालन करेंगे और दूसरी बात यह है कि हम लोग जनता में यह विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि कांग्रेस के अलावा भी दूसरी कोई पार्टी प्रदेश का शासन चला सकती है। हम इस धारणा को भी गलत सिद्ध करना चाहते हैं कि कोइ दूसरी पार्टी शासन चला ही नहीं सकती है, बल्कि इसी सरकार को यह सिद्ध करना होगा कि दूसरी पार्टियां भी कांग्रेसी सरकार से बेहतर तौर पर सरकार चला सकती है और पूरे 5 सालों तक शासन चला सकती है । यह हमारे दो सेतु हैं और दोनों स्वस्थ लोकतंत्र के विकास के लिए आवश्यक हैं । मान्यवर, आज मेरे भाषण के तीन पक्ष होंगे-एक पक्ष राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रस्ताव पर धन्यवाद का दूसरा पक्ष होगा माननीय नेता विरोधी-दल के भाषण का और तीसरा पक्ष होगा भारतीय जनता पार्टी की सोच, नीति और प्रगति के कार्यक्रमों का। मैं संक्षेप में तीनों पक्षों पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। राज्यपाल के अभिभाषण के अंतिम अनुच्छेद में एक बात की चर्चा है कि वर्तमान सरकार के सामने अनेक चुनौतियां हैं, जिनका सामना करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। मैंने उन चुनौतियों को 4 वर्गों में बांटा है, इस वर्तमान शासन के सामने 4 प्रकार की चुनौतियां हैं, जिनका सामना उसे करना होगा और उन चुनौतियों की सफलता की कामना करने के लिए पूरा परिश्रम करना होगा। पहली चुनौती है, गत शासन से मिली विरासत में समस्यायें, दूसरी चुनौती है वर्तमान शासन की आगत योजनाओं और घोषणाओं की पूर्ति, तीसरी चुनौती है इन योजनाओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त संसाधन की आपूर्ति और चौथी चुनौती जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है अब तक चली आने वाली वर्तमान विकृत व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की।

मान्यवर, जहां तक गत शासन की समस्याओं का सम्बन्ध है, उसको मैंने 10 खन्डों में बांटा है- विरासत में मिला है भ्रष्टाचार, मंहगाई, बेरोजगारी, गरीबी, क्षेत्रीय असंतुलन, प्रदेश का पिछड़ापन, अराजकता-आतंक, अपराधों का बोलबाला, कानून व्यवस्था की दुर्दशा और साम्प्रदायिक उन्माद ।

मान्यवर, मैं एक-एक के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूं । इस समय की जो सबसे बड़ी चुनौती है, वह है विकृत व्यवस्था परिवर्तन की। आज स्थिति यह है कि लोक तो बदल गया, लोक का मन बदल गया, लोक का मनोविज्ञान भी बदल गया लेकिन तंत्र नहीं बदला है। शासन तो बदल गया, लेकिन अब तक प्रशासन नहीं बदला है। सत्ता बदली है किन्तु अभी व्यवस्था नहीं बदली । मान्यवर, मैं आंकड़े देकर अपने भाषण को दुरुह नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि शासन के सामने कठिनाइयां हैं। आज थाना का रवैया वही है, तहसील का रवैया वही है, ब्लाक का रवैया वही है और एस0 डी0 एम0 का रवैया भी वही है। आज भी बदमाश को कोई भय नहीं है और नागरिक में सुरक्षा का भाव नहीं पैदा हुआ है। इस कठिन काम को पूरा करने के लिए शासन जो कदम उठायेगा, मेरा दल उसका समर्थन करेगा । आज भी ऐसे कर्मचारी हैं, जो पुरानी कांग्रेस सरकार की मानसिकता वाले हैं । वह आज भी अनहोनी गाथा अपने मन में पाले हुए है कि यह सरकार कुछ दिन की है और लौटकर वही सरकार आयेगी जिसमे लूट व खुली छूट थी । ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों का भ्रम दूर हो जाना चाहिए, यह सरकार 5 सालों के लिए निर्वाचित हुई है और 5 साल तक चलेगी । मान्यवर, लेकिन जनता यह एहसास कैसे करे कि व्यवस्था बदल गयी है। मेरे सामने एक तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव है और दूसरी ओर सुयोग्य और विद्वान माननीय नेता विरोधी दल का 3 घंटे का लम्बा भाषण है । मैंने राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा । उसमें से बहुत सी बातें मुझे अच्छी लगीं । किन्तु मैंने महसूस किया कि कुछ बातें और ऐसी हैं जिसमें कुछ न कुछ और जोड़ा जाना चाहिए था । मैंने नेता विरोधी दल के भाषण को सुना । उसमें से कुछ बातें अच्छी हैं लेकिन शेष सारी बातें ऐसी हैं जिनसे

(इस समय 4 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री ऊदल पीठासीन हुए ।)

सहमत नहीं हुआ जा सकता । और उनके पूरे भाषण को सुनने के बाद मैं नहीं सोच पाया कि उस दिन का उनका भाषण किस श्रेणी में रखा जाय । मान्यवर, जहां तक राज्यपाल के अभिभाषण का प्रश्न है उसमें जो बातें कही गयी हैं, वह स्वागत योग्य हैं जैसे किसानों के, मजदूरों के, कारीगरों के, गरीबों के, बुनकरों के 10 हजार रुपये तक के कर्जे माफ कर दिए जायेंगे । किन्तु केवल 10 हजार रुपये तक के कर्जे की ही माफी क्यों, उनके सारे जितने कर्जे हैं उन सबको क्यों माफ नहीं किया जायेगा । हमारी पार्टी ने कहा है कि ऐसे लोगों के सारे के सारे कर्जे माफ किए जाने चाहिए । लेकिन तिवारी जी ने नेता विरोधी दल ने संसाधनों की बात उठाकर ऐसे कर्जे माफी को नकारने की कोशिश की है । मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बड़े-बड़े पूंजीपतियों के 45 हजार करोड़ रुपये के कर्जे माफ हुए हैं तो क्यों मौजूदा सरकार किसानों के 14000 करोड़ रुपए के सारे कर्जे माफ नहीं कर सकती है ?

नेता विरोधी दल (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

क्षमा करेंगे माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी, जो आप 45 हजार करोड़ रुपए की माफी की बात कह रहे हैं, क्या उसका ब्योरा आप दे सकते हैं ? मैं समझता हूं कि जो सूचना आपने दी है, वह सत्य से परे है । 45 हजार करोड़ की राशि कोई कम नहीं है ।

श्री कल्यान सिंह–

पूंजीपतियों के यह एक दिन के कर्जे नहीं है । देश की आजादी के बाद से जितने बड़े-बड़े पूंजीपति हैं सबके कर्जे उसमें शामिल हैं जिन्हों कांग्रेस सरकार ने माफ किया है । पिछले दो वर्षों में आपने ही अकेले रिलायन्स कम्पनी को 200 करोड़ की छूट दी है । मैं कोई असत्य आंकड़े नहीं दे रहा ।

दूसरा प्रश्न है वृद्धावस्था पेंशन का । मैं चाहता हूं कि इसमें किसी प्रकार का श्रेणी विभाजन नहीं किया जाना चाहिए । यह तो शासन का दायित्व है कि प्रत्येक वृद्ध के सम्मान की रक्षा करें । अतः इसमें श्रेणीकरण या वर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिए । जितने भी वृद्ध हैं सबको वृद्धावस्था पेंशन दी जानी चाहिए । इस मांग के साथ मैं इस घोषणा का भी स्वागत करता हूं ।

मान्यवर, ग्रामीण विकास के लिए जो निवेश परिव्यय है उसका 50 फीसदी खर्च करने की बात कही गई है । मेरी पार्टी ने कहा है कि जो 50 फीसदी का परिव्यय है वह कम है । यह 60 फीसदी होना चाहिए । मुझे मा0 तिवारी जी का भाषण सुनकर आश्चर्य हुआ । उन्होंने कहा कि 60 फीसदी तो कांग्रेस ही कर रही थी । काश, ऐसा होता । सच्चाई तो यह है कि पहली पंचवर्षीय योजना में 37 फीसदी, छठवीं योजना के अन्तर्गत 24 फीसदी और 7वीं पंच वर्षीय योजना में केवल 17 फीसदी ही धनराशि गांवों के विकास के लिए रखी गई । इस देश और प्रदेश की गरीब जनता के और यहां के गांवों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जब तक बजट का 60 प्रतिशत नहीं मिलता है तब तक यह प्रदेश और देश तरक्की नहीं कर सकेगा ।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी दाम दिया जायेगा । किन्तु यह नहीं कहा गया कि खेती में पैदा होने वाली जिन्सों और कारखानों में बनने वाली चीजों के दामों में पैरिटी की जायेगी । जब तक खेती में और कारखानों में बनने वाली चीजों के दामों में कोई संतुलन नहीं किया जाता है तब तक किसान का भला नहीं होगा । इस प्रकार पूरे अभिभाषण में किसानों की फसलों का पशुओं का बीमा करने के लिए योजना को कोई चर्चा नहीं है ।

इसी तरह से इसमें बेरोजगारी दूर करने की बात तो कही गई है किन्तु काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने का कोई संकेत नहीं है । हालांकि यह केन्द्र का मामला है अतः संविधान में संशोधन केन्द्र ही कर सकता है । तो इस ओर संकेत तो होना चाहिए था लेकिन जहां तक बेरोजगारी भत्ता देने की बात है इस पर तो इस प्रदेश की सरकार को विचार करना चाहिए । हमारी पार्टी इसकी पक्षधर है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए । आज नौजवान काम चाहते हैं । वे अपने कर्मों से बेरोजगार नहीं हैं गत सरकार की गलत नीतियों से बेरोजगार हैं । उनके हाथ काम पाने के लिए लालायित हैं किन्तु काम नहीं है । यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह उनको रोजगार दे । और रोजगार नहीं तो बेरोजगारी का भत्ता दें । शिक्षा के स्तर के सुधार की भी बात कही गयी है । मैं इसका तो स्वागत करता हूं लेकिन इसमें एक मौलिक बात जरूर आनी चाहिए कि शिक्षा रोजगार सृजक होगी । शिक्षा केवल रोजगार परक ही नहीं अपितु रोजगार सृजक भी होनी चाहिए । "एजूकेशन शुड नाट वि ओन्ली जौब ओरियेन्टेड बट जौब क्रियेटिव आलसो" । किन्तु इसका उल्लेख अभिभाषण में नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हो गया, अब आप समाप्त करें । 12 मिनट आपको हो गये दो मिनट मैंने ज्यादा दे दिये हैं ।

श्री कल्यान सिंह–

15 मिनट और लूंगा ।

ग्रामीण विद्युतीकरण की बात कही गयी है मैं इसका स्वागत करता हूं । लेकिन आज भी प्रदेश के अन्दर किसानों के नलकूपों के लिये फुल कास्ट डिपाजिट सिस्टम चालू है । इस फुल कास्ट डिपाजिट सिस्टम के अन्दर बड़े किसान पैसा जमा कर फायेदा उठा लेते हैं लेकिन छोटे किसानों को बिजली लेने में महीनों नहीं वर्षों लग जाते हैं और उसे बिजली कनैक्शन नहीं मिलता है । इसलिये इस फुल कास्ट डिपाजिट सिस्टम को खत्म किया जाय और नार्मल स्कीम चालू की जाय । जो पहले आये उसे पहले पाये के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिये ।

इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण सवाल और भी छूट गया है बिक्री कर की समाप्ति और सम्पूर्ण कर ढांचे के सरलीकरण का । मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे और बिक्री कर की समाप्ति की घोषणा करे । यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर लोगों में बड़ा असंतोष है ।

सरकार ने महिलाओं की प्रतिष्ठा रखने का वायदा किया है, गांवों को सड़कों से जोड़ने का वायदा किया है और सरकारी खर्च में कटौती करने की बात कही है यह सब स्वागत योग्य है । इन सब में सबसे बड़ी स्वागत योग्य बात यह है कि लोकायुक्त की परिधि में माननीय मंत्रियों, माननीय मुख्य मंत्री और सभी राजनेताओं को रखने की बात कही है जो भ्रष्टाचार को रोकेगा ।

एक और स्वागत योग्य बात कही है कि 1984 के दंगों की जांच के लिये जो रंगनाथ मिश्र आयोग बना था उसकी रिपोर्ट आ गयी है उसके आधार पर दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । (लाल बत्ती होने पर) मुझे 15 मिनट और दे दीजिये जैसा मैंने कहा था ।

डा0 दिनेश जौहरी–

सारे बी0 जे0 पी0 के सदस्यों का समय दे दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

यह मेरे लिये कठिन होगा । माननीय अध्यक्ष जी ने जो समय दिया है और सदन ने तय किया है कि माननीय नेताओं को 10 मिनट बाकी लोगों को 5 मिनट (व्यवधान) 7 ही सही । मंत्रियों को 10–10 मिनट माननीय मुख्य मंत्री और माननीय नेता विरोधी दल को जितना वह बोलना चाहे बोल सकते हैं (व्यवधान) यह सदन ने तय किया है । 14 मिनट मैं आपको दे चुका हूं ।

डा0 दिनेश जौहरी–

हमारे सारे बी0 जे0 पी0 के सदस्यों का समय हमारे नेता जी को दे दीजिये ।

(कई सदस्य खड़े होकर कहने लगे ।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी आप मेरी मदद करें मैं सभी माननीय

सदस्यों का समय आपको कैसे दे सकता हूं ? माननीय अध्यक्ष जी से आप इस बात को कहें । आप 3 मिनट और ले लीजिये ।

श्री कल्यान सिंह–

3 मिनट में तो मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, कम से कम 15 मिनट का समय और दे दें । मेरी पार्टी के सदस्य भी कह रहे हैं एक दो का समय काट भी देंगे तो कोई बात नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप मेरी मदद करें 5 मिनट और ले लें ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर उनका समय श्री कल्यान सिंह को देने की मांग करने पर)

चलिए आप बोलिए ।

श्री कल्यान सिंह–

मैं सरकार को बधाई देता हूं आरक्षण की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दृढ़ता के साथ रखा है । मेरी पार्टी आरक्षण की समर्थक है । मैं इस बात के लिये भी बधाई देता हूं कि शासन ने एक क्रांतिकारी फैसला किया है कि दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त किया जायेगा ।

इसके बाद मैं माननीय नेता विरोधी दल के भाषण पर आता हूं । समय कम है अतः मैं संक्षेप में कह रहा हूं । मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने एक सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित किया है । वह है टेहरी बांध के निर्माण का विषय । उसे किसी भी हालत में रोका न जाय मैं उनकी इस बात से सहमत हूं । उन्होंने जो प्रदेश के पिछड़ेपन पर चिन्ता व्यक्त की है मैं उससे सहमत हूं । यद्यपि पिछड़ेपन का 2/3 हिस्सा बताया है । एक बढ़ती हुई आबादी और दूसरे जोतों का छोटा आकार । यह दोनों सच हैं । किन्तु प्रदेश के पिछड़ेपन का एक तीसरा भी बड़ा कारण है और वह है इस प्रदेश का इतना बड़ा विशाल आकार । इसलिये बी0 जे0 पी0 ने इस स्टेज पर उत्तरांचल राज्य के गठन की मांग करते हुए आन्दोलन चलाया है ।

मान्यवर, मैं इस बात का भी स्वागत करता हूं कि नेता विरोधी दल ने कहा है कि सब चीजों को भूलो और विकास का वातावरण सृजन करो । मान्यवर, एक और बात से भी सहमत हूं कि जो जिला परिषद् के अध्यक्षों और स्थानीय निकायों में अविश्वास का प्रस्ताव लाने की अवधि दो वर्षों से घटाकर, एक वर्ष में अविश्वास का प्रस्ताव लाने का संशोधन उचित नहीं है तो यह नहीं होना चाहिए । सरकार का यह फैसला उचित नहीं है । इससे अस्थिरता पैदा होगी । स्थानीय निकायों का प्रशासन गिरेगा । हर 6 महीने के बाद अविश्वास के प्रस्ताव की तलवार लटकी रहेगी । जैसा आज का माहौल है, खरीद फरोक्त का बाजार गर्म है । इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा । इसलिए स्थानीय निकायों के प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव दो वर्ष से पहले नहीं आना चाहिए । लेकिन एक बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि जो नामिनेशन पिछली सरकार द्वारा किया गया था उसको समाप्त किया गया है । किन्तु एक और भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जो गलती पिछली सरकार ने अलोकतांत्रिक कदम उठाकर की थी वह गलती वर्तमान सरकार को नहीं करना

चाहिए और इलेक्टेड बाडी में नामिनेशन का कोई स्थान नहीं होना चाहिए । मैं अपेक्षा करता हूं कि इस प्रकार से कोई नया नामिनेशन नहीं करना चाहिए । लेकिन अगर नामिनेशन करते हैं तो उनको मतदान का अधिकार नहीं होना चाहिए । इसलिए अपेक्षा करता हूं कि इस पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी क्योंकि निर्वाचित निकायों में नामांकन करने की गलत प्रणाली का हमने और वर्तमान सरकार में बैठे लोगों का कसकर विरोध किया था । जो बात कल तक गलत थी, वही बात आज कैसे सही मानी जा सकती है ?

इन चार बातों के अलावा माननीय नेता विरोधी दल का शेष लम्बा भाषण सुनने के बाद मैं यह नहीं तय कर पाया कि उस दिन समाजवादी तिवारी जी बोल रहे थे या सामन्तवादी तिवारी बोल रहे थे । उस दिन समतावादी तिवारी या विषमतावादी तिवारी बोल रहे थे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, कल्याणवादी बोल रहे थे ।

श्री कल्यान सिंह–

कल्याणवादी बोलना शुरू करेंगे तो कल्याण हो जायेगा ।

मान्यवर, मैं यह भी नहीं तय कर पाया कि श्री तिवारी सम्पन्न वर्ग के वकील की हैसियत से बोल रहे थे या विपन्न वर्ग के हिमायती की हैसियत से बोल रहे थे । यह भी नहीं तय कर पाया कि हिन्दुस्तान के तिवारी बोल रहे थे या इंडिया के तिवारी बोल रहे थे । हम यह भी नहीं तय कर पाये कि उस दिन भाषण में परिवर्तनवादी तिवारी या यथास्थिति वादी तिवारी बोल रहे थे ।

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने पांच बातें कही हैं । पहली बात कि उन्होंने प्रकारान्तर से भ्रष्टाचार को न्याय संगत बताया है उसे जस्टिफाई किया कि भ्रष्टाचार सब जगह होता है और उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिये । लेकिन भ्रष्टाचार है तो मैं कहता हूं कि उसकी चर्चा होनी चाहिए । प्रशासन के अन्दर भ्रष्टाचार होगा तो चर्चा होनी चाहिए । राजनीति में दलाली करते हैं तो उसकी चर्चा होनी चाहिए और बेईमानों तथा भ्रष्टाचारियों को जनता में बेनकाब किया जाना चाहिए । उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये । भ्रष्टाचार कैंसर है ।

मान्यवर, उन्होंने दूसरी बात बड़े उद्योगों की वकालत की कही है तीसरी बात उन्होंने अंग्रेजी की वकालत की है और पब्लिक स्कूलों का पक्ष लिया है । दोहरी शिक्षा नीति को बनाये रखने की बात कही है चौथे उन्होंने किसानों और गरीबों के कर्ज़ माफी का प्रकारान्तर से विरोध किया है । इसी सोच के 42 वर्षों का परिणाम हमारे सामने इसी सोच का परिणाम है कि 42 साल आजादी के बाद सात साल पंच वर्षीय योजनाओं के बीत जाने के बाद और इन योजनाओं पर 3,52,224 करोड़ रुपये का खर्चा हो जाने के बाद और अब तक कुल मिलाकर 96,320 करोड़ का विदेशी कर्जा देश पर लद जाने के बाद और कुल मिलाकर 2,24,180 करोड़ रुपये की देशी देनदारियां चढ़ जाने के बाद और 17 हजार करोड़ का सालाना ब्याज अदा करने के बाद, तिवारी जी की नीतियों का परिणाम आज हमारे सामने है और वह यह है कि आज भी हमारे देश के अन्दर, सरकारी आंकड़े कुछ भी बोलते हों, 51 प्रतिशत लोग कंगाली के नीचे का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं । 70 फीसदी लोग निरक्षर हैं और आज इस

देश में और प्रदेश में 70 प्रतिशत खेती भगवान भरोसे पल रही है, उसके लिए सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं हो सका है । 33 लाख बच्चे कुपोषण के कारण अपनी आंखों की ज्योति खो रहे हैं । यहां पर अन्धे होने वाले बच्चों की संख्या बहुत है । पूरे विश्व में जितने अन्धे हैं उनमें से हर तीसरा अन्धा भारत में है । अंन्धों की दृष्टि से भारत तीसरा है ।

इस देश में 5 करोड़ नवजवान बेरोजगार हैं । इसीलिए मैंने कहा कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए । काम के अधिकार जिस दिन मौलिक अधिकार हो जाएगा, हमारी सारी नीत बदल जायेगी, नियोजन बदल जायेगा प्राथमिकताएं बदल जायेंगी, आर्थिक और सामाजिक क्रन्ति आ जाएगी । मुझे खुशी है कि जनता दल ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा है और भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में यह कहा है कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जायेगा । आज भी देश के अन्दर 50 हजार आत्म हत्याएं प्रतिवर्ष हो रही हैं और इसमें एक बड़ी संख्या नवजवानों की है और नवजवानों में बड़ी संख्या बेरोजगार नवजवानों की है । बेरोजगार और निराश नौजवान के सामने दो ही विकल्प होते हैं । यदि उसकी भुजाओं में ताकत और शरीर में बल है तो वह दोनाली बन्दूक उठाता है और चम्बल के बीहड़ों में उतर जाता है तथा अपराध क्षेत्र में पहुंच जाता है और यदि वह कमजोर है तो रेल से कटकर या फन्दा लगाकर आत्म हत्या के क्षेत्र में चला जाता है । अपराध या आत्म हत्या, यही नियति होती है बेरोजगार और हताश नौजवान की । कांग्रेस की विकृति का परिणाम है कि 42 वर्षों की आजादी के बाद भारत में 10 प्रतिशत लोगों की इण्डिया और 90 प्रतिशत गरीबों का हिन्दुस्तान बन गया है । और माननीय तिवारी जी ने अपने भाषण में इण्डिया की बात तो कही है किन्तु 90 प्रतिशत के असली हिन्दुस्तान गांवों के गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इन्सान और बेरोजगार नौजवानों के हिन्दुस्तान की बात करना वह भूल गये । आज हमारी आबादी गांव से शहरों की ओर क्यों भाग रही है । मान्यवर, गांव उजड़े क्यों, गरीब पिछड़े क्यों ? किसान कर्जदार क्यों ? यह सब कांग्रेस की गलत नीतियों और उसके कार्यक्रमों का परिणाम है । भारत में गांवों की संख्या 5,57,138 है और शहरों की संख्या 3449 है और अपने उत्तर प्रदेश में गांवों की संख्या 1,12,566 और शहर लगभग 800 है । हम देखते हैं कि योजनाओं के माध्यम से और अन्य तरीके से सारा पैसा बड़े-बड़े शहरों के विकास के लिए गया है और गांव की ओर सदैव दुलक्ष्य किया गया है । आजादी की दृष्टि से देखें तो गांवों की आबादी 77 प्रतिशत और शहरों की 23 प्रतिशत है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी पर देश की आय का बहुत थोड़ा भाग ही व्यय किया जाता है । गांवों पर 17 प्रतिशत व्यय किया जाता है तो शहरों पर 83 प्रतिशत व्यय किया जाता है ।

इसी तरह पेयजल हेतु नगरों पर 7 प्रतिशत खर्च होता है तो गांवों पर 5 प्रतिशत व्यय किया जाता है, चिकित्सा पर शहरों पर 93 प्रतिशत खर्च किया जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र की चिकित्सा पर केवल मात्र 7 प्रतिशत व्यय किया जाता है । देश में शिक्षा की जो नीति है और पढ़ाई की जो हालत है उसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों से 7.3 प्रतिशत आई0 ए0 एस0 निकल कर आते हैं और शहरी क्षेत्र से 92.7 प्रतिशत यह निकलते हैं । इस तरह से अन्य प्रशासनिक सेवाओं में बड़े-बड़े शहरों के सम्पन्न और सामन्तवादी लोगों के घर के लड़के 91 प्रतिशत आते हैं और गांवों से मात्र 9 प्रतिशत लोग इस योग्य निकल

पाते हैं । शहरों में जहां बड़ी-बड़ी फैक्टरिया और कारखाने हैं कुल बिजली उत्पादन का 85 प्रतिशत दिया जाता है और गांवों में खेती के लिए केवल 15 प्रतिशत उन्हें बिजली मिल रही है ।

इसीलिए मैंने कहा कि गांवों की ओर पैसे के प्रवाह को मोड़ देना चाहिए । इसीलिए मैंने दोहरी शिक्षा नीति का भी विरोध किया है । इन तमाम विषमताओं की जड़ यह दोहरी शिक्षा नीति भी है । जितनी जल्दी दोहरी शिक्षा प्रणाली की यह व्याधि समाप्त होगी, जितनी जल्दी इसमें आग लगाई जायगी, उतनी जल्दी देश में आजादी आएगी और लोकतंत्र आएगा । देश की जनता का शासन जिस दिन जनता की भाषा में होना शुरू होगा, उसी दिन इस देश में सच्ची आजादी और वास्तविक लोकतंत्र होगा। पब्लिक स्कूल हैं, अंग्रेजी स्कूल हैं उनके बारे में कहना चाहूंगा कि उन स्कूलों में सम्पन्न लोग बच्चों की पढ़ाई का इन्तजाम करते हैं। गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई का इन्तजाम वहां नहीं है। यहां तक कि गांवों के 60 प्रतिशत स्कूलों में भवन नहीं है। 40 प्रतिशत स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है । 56 प्रतिशत स्कूलों में पंचमुखी अध्यापक हैं । जो पहली कक्षा को खिला रहे हैं, तो दूसरी कक्षा को पहाड़ा बोलते हैं, तो तीसरी को लिखने को कह देते हैं, किसी को पानी पीने भेज देते हैं, कभी किसी कक्षा को देखते है तो कभी किसी को देखते हैं । कक्षायें 5 हैं और मास्टर जी एक अकेले हैं । क्या ऐसे स्कूलों के बच्चे आई0ए0एस0 में आ सकते हैं? इसी प्रकार यह भी कहना चाहूंगा कि गांव का पैसा जो आप बढ़ा रहे हैं तो कोई एहसान नहीं, शिक्षा नीति है । अगर आप इनके लिए कुछ करते हैं तो वह अब तक के किए गए पाप का परिमार्जन होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपके तीन मिनट और शेष हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, किसान के समूचे कर्जे माफी की बात हुई है । आंकड़े इस बात के साक्षी हैं कि किसानों ने पैदावार बढ़ाई है लेकिन पैदावार बढ़ाने के बावजूद भी किसान के घर सम्पन्नता नही आई, जिसकी पैदावार बढ़ी हो उसके घर में सम्पन्नता बढ़नी चाहिए, लेकिन किसान ने पैदावार बढ़ाई और उसका घर विपन्नता की ओर बढ़ रहा है इसके लिए कौन कसूरवार है? इसके लिए सरकार की गलत नीति कसूरवार है । टाटा 1947 में 30 करोड़ की सम्पत्ति का मालिक था अब 5559 करोड का है । बिरला 1947 में 32 करोड़ का स्वामी था अब वह 5564 करोड़ का पूंजीपति है । और किसान, किसान 650 करोड़ रुपये का कर्जदार था अब 13501.80 करोड़ रुपये का कर्जदार है, किसानों का बीस गुना से भी अधिक कर्जा बढ़ा है । मान्यवर, उसकी पैदावार बढ़ने के बाद उसकी विपन्नता बढ़ी है । दूसरी ओर बड़े-बड़े पूंजीपतियों की सम्पन्नता में 185 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है। इससे समाज में आर्थिक विषमता और शोषण पैदा हुआ है । कुछ के पास दौलत के अम्बार लगे हैं तो दूसरी ओर गांव, गरीब-किसान और झोपड़ी के इन्सान कंगाली की गहरी खाई में पड़े हैं । आज बीस बड़े पूंजीपति घरानों के पास 17166 करोड़ की सम्पत्ति है । टाटा, बिड़ला, सिंहानिया, रिलायेन्स, थापर, इन पर 1,17,44, 48,000 का टैक्स बकाया है । इसलिये किसान, मजदूर, गरीब, कारीगर और बुनकरों के सभी कर्जे माफ करना आवश्यक हो गया है । किसान अपने कर्मों से नहीं अपितु शासन के कुकर्मों के कारण कर्जदार हैं ।

किसान कर्जदार है सरकार की गलत दाम नीति के कारण । उसे लाभकारी दाम नहीं मिल रहे हैं, लागत खर्चों में वृद्धि है, पशुओं, फसलों का बीमा नहीं है । अब तक दैवी आपदाओं से 15000 करोड़ की क्षति हो चुकी है । किसान एक रुपये में अपना माल बेचता है और बाजार से शेष चीजें डेढ़ रुपये में खरीदता है । इस 50 के अन्तर के कारण वह कर्जदार है वह इसलिए कर्जदार है कि कृषि उत्पादों और कारखानों में बनी चीजों के दामों में सन्तुलन नहीं है । कृषि उपज के दामों को मूल्य सूचकांक के साथ क्यों नहीं जोड़ा जाता ?

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

एक सदस्य–

मान्यवर, पूरा सदन इनको सुनना चाहता है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करते हुए कृपया आप एक-दो मिनट में समाप्त कर दें और हमारी सहायता करें ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मैं अपनी शेष बातों को समय की कमी के कारण छोड़ दे रहा हूं मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदेश और देश के आर्थिक विकास के लिये कुछ व्यावहारिक नीतियां हैं, कुछ अच्छे फार्मूले हैं जिनको अपनाया जाय । अब क्योंकि समय कम है इसलिए मैं सूत्रों में बोलूंगा पहला सूत्र है, सारे विकास और नियोजन की दिशा को गांवों की ओर मोड़ना होगा । इस सूत्र के अन्तर्गत हमें नियोजन ऐसा करना पड़ेगा, कि नम्बर एक योजनाओं का ग्रामीणीकरण किया जाय और ग्रामों का औद्योगीकरण किया जाय, उद्योगों का श्रमिकीकरण किया जाय और श्रम का पूंजीकरण किया जाय । दूसरा सूत्र है कि रोजगार परक नियोजन बने, उत्पादन परक रोजगार बने, आवश्यकता परक उत्पादन हो और समाजपरक आवश्यकतायें हों और क्रय शक्ति सम्पन्न समाज हो तब कहीं जाकर देश और प्रदेश का उत्थान होगा ।

तीसरा सूत्र है कि हमें उद्योग धंधों को चार हिस्सों में वर्गीकरण करना होगा नंबर एक कुटीर उद्योग, दो छोटे उद्योग धंधे, तीन मध्यम श्रेणी के उद्योग धंधे और नं0 चार बड़े उद्योग धंधे । उद्योग धंधों का वर्गीकरण करने के बाद हमें उनके संबंध में कानून बनाकर यह प्रतिबन्ध लगाना होगा कि जो सामान बहुत छोटे उद्योग धंधे बना सकते हैं उसको बड़े उद्योग न बनायें । हमारे देश में हो यह रहा है कि सुई भी टाटा बनायेगा और साबुन भी टाटा बनायेगा तो छोटे उद्योग वाला क्या बनायेगा ? उद्योगों का वर्गीकरण करके कानून बनाकर इस संबंध में व्यवस्था करनी चाहिए । आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का झगड़ा चल रहा है । मेरा अपना नजरिया है, मेरी पार्टी का नजरिया है कि यह झगड़ा बेमानी है । मेरे देश और प्रदेश की आर्थिक समस्यायें इतने विशाल आयाम में हैं कि चाहे वह पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, दोनों को अगर मिला भी दिया जाय तब भी वह समस्याओं के हल करने में छोटे पड़ रहे हैं । आज एक तीसरे सेक्टर को विकसित करने की आवश्यकता है वह

सेक्टर स्वरोजगार क्षेत्र, जन-क्षेत्र, अर्थात् सेल्फ इम्पलायड सेक्टर जो सबसे बड़ा सेक्टर है। सरकार को चाहिए कि वह सेल्फ इंप्लायड सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दें और उद्यमियों पर ज्यादा ध्यान दे और उनको टेक्निकल नो-हाउ, टेक्निकल ट्रेनिंग दे। उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता देकर उनके छोटे-छोटे उद्योग धन्धे खुलवाने में प्रोत्साहन दें । जब तक सेल्फ इम्प्लायड सेक्टर का विस्तार नहीं होता है तब तक प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलाकर भी देश की समस्याओं का निदान करने में असमर्थ रहेंगे । इसलिए तीनों सेक्टरों को मिलाना पड़ेगा । इन शब्दों के साथ, इन सुझावों के साथ और श्री मुलायम सिंह की वर्तमान सरकार से इन सारी अपेक्षाओं के साथ मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं और धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, राज्यपाल महोदय ने जनता दल की सरकार की नीतियों का संक्षिप्त उल्लेख किया अपने अभिभाषण में । जिस दिन माननीय नेता विरोधी दल, माननीय तिवारी जी अपना भाषण दे रहे थे उस दिन बड़े ध्यान से हम लोगों ने उनका भाषण सुना । वह दो बार हमारे सामने विपक्ष के नेता के रूप में आये हैं। वह 1977 में और फिर इस समय ।

श्रीमन्, जैसा कि माननीय कल्यान सिंह जी ने कहा, हमारी भी समझ में नहीं आया कि माननीय नेता विरोधी दल, तिवारी जी जिनके बारे में हम लोग सुनते थे कि समाजवादी हैं, उनका समाजवादी चरित्र उस दिन हमें देखने को मिला । श्रीमन्, मुझे भी हिन्दुस्तान ही नहीं दुनिया के प्रख्यात समाजवादी नेता स्व0 लोक नायक जय प्रकाश नारायण और वर्तमान हिन्दुस्तान के जाने माने समाजवादी नेता चन्द्रशेखर के नेतृत्व में रहकर काम करने का मौका मिला है । उस दिन जब तिवारी जी अंग्रेजी की वकालत कर रहे थे इस हाउस में तो मेरे जैसे आदमी का सर शर्म से झुक गया । 1967 के पहले माननीय नेता विरोधी दल हिन्दुस्तान से अंग्रेजी भाषा को हटाने के संबंध में और हिन्दुस्तान की भाषा हिन्दी रखने के संबंध में जेल गये हैं और आंदोलन किया है लेकिन आज जब राजीव गांधी की छाया उनके सर पर मंडरा रही थी तो दून संस्कृति के उनको अंग्रेजी की वकालत करनी पड़ी जिसका हम लोग घोर विरोध करते हैं । आज भी मैं मांग कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से कि उत्तर प्रदेश की तो भाषा हिन्दी है ही, हिन्दुस्तान की भाषा, सम्पर्क भाषा हिन्दी रहे । इसके लिए ये केन्द्र सरकार से भी सिफारिश कर रहे हैं । मैं बधायी देना चाहता हूं जनता सरकार को कि इन्होंने अपने बचन के अनुरूप किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा कर दी । हिन्दुस्तान में यह पहली सरकार है जो सत्ता में आने के बाद जो चुनाव घोषणापत्र में कहा गया था, उसे माननीय मुलायम सिंह यादव ने कुर्सी पर बैठने के बाद कर दिया । मैंने इससे पहले की जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेसों की सरकारों को देखा है कि चुनाव घोषणा पत्रों में वादा करते हैं, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद वे बिल्कुल वादा भूल जाते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, 10 हजार रुपये की कर्जे की माफी की बात कहते हुए माननीय नेता विरोधी दल मुद्रा स्फीति और मंहगाई बढ़ने का बहाना कर रहे थे । मान्यवर, कुछ हद तक तो यह बात सही हो सकती है, लेकिन 10 हजार रुपये कर्जे की घोषणा जनता दल सरकार को क्यों करना पड़ा, मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार की जो गलत रुढ़ि नीतियां थीं, उस गलत रुढ़ि नीतियों के कारण हमारी सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा । मान्यवर, किसान कर्जा लेता था, मोटर खरीदने के लिए, बोरिंग कराने के लिए, किसान मोटर भी खरीद लेता था और बोरिंग भी करा लेता था, लेकिन कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण वर्षों-वर्षों तक उसको बिजली नहीं मिलती थी और कर्जा उस पर बढ़ता जाता था । छोटे उद्योग लगाने के लिए सरकार ऋण देती थी, उद्योग लग जाते थे, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण उत्पादन नहीं होता था और कर्जा बढ़ता जाता था । मान्यवर, कांग्रेस सरकार की कुनीतियों के चलते हुए किसानों, दस्तकारों और ऐसे उद्यमियों का दिन प्रति दिन कर्जा बढ़ता गया । इसलिए जनता दल की सरकार को यह फैसला देना पड़ा कि जो कर्जे से और कर्जे के ब्याज से उत्तर प्रदेश के किसान, मजदूर, दस्तकार लदे हुए हैं, हम उनके कर्जे माफ करके, हम उनको राहत देने का काम करेंगे ।

श्रीमन्, दोहरी शिक्षा नीति के अंतर्गत वह पब्लिक स्कूलों की हिमायत कर रहे थे । मान्यवर, इससे पहले जब जनता सरकार शासन में आयी थी, तो उस समय भी यह कहा था कि हिन्दुस्तान में जब जनता सरकार बनेगी, तो हम दोहरी शिक्षा नीति समाप्त कर देंगे । मान्यवर, दुर्भाग्य से वह पहले की जनता सरकार चली गयी और दुबारा यह सरकार आई है, हमारी सरकार दोहरी शिक्षा नीति समाप्त करेगी । दोहरी शिक्षा नीति समाप्त करने से इनको कठिनाई हो जाएगी, क्योंकि इस देश और प्रदेश के अन्दर अफसर, बड़े राजनेताओं के लड़के शुरू से प्राइमरी स्कूलों से ही कुर्सी पर, पंखे के नीचे, टाई-सूट पहनकर पढ़ने का काम करते हैं और गांव में साधारण किसान और गरीब का लड़का बोरा लेकर पीठ पर और पटरी लेकर पेड़ के नीचे पढ़ने का काम करते हैं । जो टाई-सूट पहन कर, एयर कण्डीशन्ड कमरों में बैठ कर पढ़ने का काम करते हैं, उनमें से अधिकांश लोग आई0 ए0 एस0 और आई0 पी0 एस0 बनने का काम करते हैं । जो गरीब के बच्चे खुले मैदान में शिक्षा लेते हैं, वे क्लर्क, चपरासी और गार्ड होने का काम करते हैं । इसलिए जनता दल की सरकार यह महसूस करती है कि बड़े पूंजीपति, बड़े अफसर, राज नेता, बड़े लोगों को जो सुविधायें मिलती हैं, अगर वही सुविधायें सभी लोगों को मिलेंगी, तब तो ठीक है, नहीं तो दोहरी शिक्षा नीति हम समाप्त कर देंगे । श्रीमन्, एक और घोषणा मा0 मुख्य मंत्री जी ने की कि 60 वर्ष तक के ऊपर जो पेंशन मिलती थी, 65 वर्ष के लोगों को, उसको 60 वर्ष कर दिया और 100 रुपया, 60 रुपये से बढ़ाकर कर दिया । मा0 कल्याण सिंह जी ने जैसा कहा, मैं अनुरोध करूंगा कि किसी वर्ग, किसी धर्म या किसी भी जाति का हो, हर बूढ़ा-बूढ़ी जो 65 वर्ष की उम्र पार कर गया हो और असहाय हो, उनका जीवन स्तर सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था न हो, ऐसे तमाम लोगों को पेंशन देने की व्यवस्था सरकार करे । मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, दो मिनट और बोलने दें । मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा । श्रीमन्, जहां तक बेरोजगारी की बात है, यह बात सही है कि जनता दल के घोषणा पत्र में काम के अधिकार को मूल अधिकार में जोड़ने की बात कही गयी है । श्रीमन्, आज अगर जनता दल की सरकार यह काम कर दे तो कांग्रेस पार्टी की सत्ता से चिपके और सत्ता के लिए लालायित लोग, जो आरक्षण विरोधी आन्दोलन चलाने की बात कर रहे हैं, वह आन्दोलन समाप्त हो जाएगा । जब काम के अधिकार की गारन्टी हो जाएगी संविधान में तो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का व्यक्ति हो, नौजवान हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो उन तमाम लोगों को संविधान में गारण्टी दे दी जाएगी रोजगार की, नौकरी करने की । नौकरी न मिले तो रोजगार हो, रोजगार न हो तो रोजगार भत्ता देने का अधिकार संविधान में जोड़ा जाएगा और तब आरक्षण की नीति बहुत बड़ा सवाल नहीं रह जाएगा और जो नौसिखिये आरक्षण विरोधी आन्दोलन चला रहे हैं, सन् 1952 से कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, बीच में संविद सरकार बनी और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, कभी आरक्षण विरोधी आन्दोलन नहीं चला । क्या कारण है कि हिन्दुस्तान में जब भी विरोधी पार्टी की सरकार बनती है तो कांग्रेस के लोग आरक्षण विरोधी आन्दोलन चलाते हैं, इसीलिए काम के अधिकार की गारण्टी दे देंगे । इसके लिए जनता दल की सरकार को बधाई देता हूं । श्रीमन्, इसके साथ ही आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री मुईद अहमद–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है अशोक बाजपेयी जी द्वारा और जिसका समर्थन राजेन्द्र त्रिपाठी जी ने किया है, मैंने दोनों के भाषणों को बड़े गौर से सुना और उनके भाषणों से ऐसा लग रहा था कि उनको विश्वास नहीं रह गया है कि सत्ता दल की ओर बैठे हैं । भाषण ऐसा हो रहा था जैसे चुनाव का माहौल हो और उसी माहौल में सदन को संबोधित कर रहे हों । मान्यवर, उस भाषण में कोई ऐसी बात नहीं थी.. (व्यवधान) . .धीरज रखिये । मान्यवर, आज सत्ता दल में बैठ करके ये जितनी भी बात कर रहे हैं, वह सब विपक्ष के ऊपर छोड़ दी जाती है कि विपक्ष ने ऐसा किया । विपक्ष को आरोपित किया है । लेकिन जब खुद सवालों में फंसते हैं तो जो बात गलत थी तो उसको आज भी गलत नहीं कहते । जो बात पहले सही थी, उसको आज भी सही कहते हैं और जो बात गलत थी उसको इधर के ऊपर छोड़ देते हैं । मान्यवर, यह चीजें जो हैं इससे मान्यवर सत्तादल की एक बुद्धिमत्ता का परिचय हो रहा है । माननीय कल्याण सिंह चले गये उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि उनका दल चमचागिरी कर रहा है । मैंने यह नहीं कहा मैंने कहा कि उनका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दल सत्तादल की गलत नीतियों का समर्थन कर रहा है । सत्तादल के समर्थन में वे सारी सत्ता का उपयोग कर रहे हैं । यह बात तब भी कही थी आज भी कह रहा हूं । सत्तादल के लोग सब्जबाग दिखाकर रोजाना घोषणा करके जनता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं । इस प्रदेश की 14 करोड़ जनता का विश्वास जीत कर वे यहां आये हैं । मैं चाहता हूं कि वह सब्जबाग वे कार्यान्वित करें जो घोषणायें उन्होंने की हैं वह कार्यान्वित हों । मैं यह नहीं कहता कि सरकार गिर जाये । यह पांच साल चले, जनता इनके गुण-दोषों को देखे । अगर सरकार गिर गयी तो स्वयं जनता कन्फ्यूजन में रहेगी कि इस सरकार का मामला क्या है, इस सरकार ने क्या काम किया है । जनता इनकी अच्छाई बुराई को स्वयं देखे । जो प्रदेश की समस्यायें हैं उसको निपटाने के लिए यह प्रयास करें । मैं चाहता हूं कि जो सब्जबाग इन्होंने दिखाये हैं जो घोषणायें इन्होंने की हैं, जो पूरी होना नामुमकिन है, इसे वह पूरा करें । इसका हम लोग स्वागत करेंगे । लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है । माननीय सदस्य मुझे सुन लें । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

ऐसा श्राप आप क्यों दे रहे हैं ?

श्री मुईद अहमद–

मैं सद्भावना व्यक्त कर रहा हूं । जो इनके इलेक्शन मेनिफेस्टो में है वह उसको पूरा करें । मगर यह जो कह रहे हैं वह आप कर नहीं पा रहे हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने बिजली के मामले में बड़ी कठोरता दिखायी है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि बीच में न बोलें, आप लोग तरीके से जवाब दें ।

श्री मुईद अहमद–

घोषणा की कि 14 घण्टे देहातों में बिजली जाएगी । आज 10–12 घण्टे भी बिजली वहां नहीं जा पा रही है । तमाम अखबारों में सूचना आ रही है कि देहातों में बिजली नहीं पहुंच रही है । कहीं-कहीं तो मुश्किल से 4-5 घण्टे ही बिजली पहुंच रही है । इस सिंचाई के अवसर पर देहात में 11 बजे बिजली आती है और सुबह चली जाती है, किसान सिंचाई नहीं कर पाता। विद्युत बोर्ड ने कह दिया है 14 घण्टे बिजली नहीं दे पायेंगे । स्वयं मुख्य मंत्री जी के जनपद में भी विद्युत व्यवस्था लुंजपुंज हो गयी है । मुख्य मंत्री जी या किसी मंत्री के क्षेत्र की बात नहीं है आज प्रत्येक जनपद में यह स्थिति हो गयी है । मैं कहना चाहता हूं कि जो घोषणा की गयी है उसका 50 प्रतिशत भी बिजली वहां नहीं जा रही है । मैं कहना चाहूंगा कि बिजली के रेट बढ़ा दिये गये हैं । दूसरी ओर महंगाई बहुत बढ़ गयी है ।

श्री विजय सिंह राणा–

यह रेट भी आपने ही बढ़ाये हैं और महंगाई भी आपने बढ़ाई ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राणा जी और माननीय गोपीनाथ वर्मा जी आप लोग बैठें, बीच में न बोलें ।

श्री मुईद अहमद–

विद्युत परिषद् आटोनोमस बाडी है उसने बिजली के रेट बढ़ाने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा । इससे पहले भी 3-4 बार प्रस्ताव आया लेकिन कांग्रेस शासन ने उनके प्रस्ताव को नहीं माना था ।

श्री विजय सिंह राणा–

यह रेट तो आपने ही बढ़ाये हैं ।

श्री मुईद अहमद–

अगर अब बढ़ा दिये हैं तो आप उसको वापस कर दीजिए । अगर आप में हिम्मत है, आप उस स्थिति में हैं, मुख्य मंत्री जी में साहस है और इस प्रदेश की जनता को राहत देना चाहते हैं तो बढ़े हुए बिजली के रेट वापस कर दें और प्रदेश की जनता को किसानों को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करायें । बिजली के बढ़े हुए रेट को वापस करायें । मान्यवर, बसों का किराया बढ़ा दिया गया है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा–

यह भी आपने ही बढ़ाया ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मेरे भाषण के दौरान तमाम बार व्यवधान डालकर के मुझे अपनी बात नहीं कहने दी गयी । मुझे पूरा समय देने का कष्ट करें, यह मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है । मान्यवर, चुनाव के दौरान कहीं-कहीं दंगे हुये हैं तमाम लोगों की दुकानें जली हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि दंगे से प्रभावित लोगों को, जली हुयी दुकान के दुकान-दारों को मुआवजा बांटने की मुख्यमंत्री कृपा करें ।

(समय 2 बजकर 20 मिनट पर)

श्री अधिष्ठाता–

मुईद जी, आपका समय समाप्त हो गया है, आप बैठें ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मैं बस अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं, केवल इतना कहना चाहता हूं कि अंधे के हाथ बटेर लगी है । जो इनके हाथ में सत्ता आयी है, वह इनके कारनामों के कारण नहीं आयी है और न ही इधर के लोगों की गलतियों के कारण आयी है । केवल अंधे के हाथ बटेर लग गयी है, कुछ अप्रत्याशित घटनायें ऐसी घट गयीं, जिनकी वजह से आज यह लोग उधर बैठे हैं और अपने को बड़ा तीरन्दाज बन रहे हैं । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं और धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का नाम पुकारे जाने तथा कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जनता दल की तरफ से माननीय अध्यक्ष के पास बोलने वालों की लिस्ट आयी है, उसी के क्रम में मैंने पहले राम गोविन्द चौधरी का नाम लिया और अब जनार्दन प्रसाद ओझा को बुलाया है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आपके पास जो सूची आयी है, उसका मतलब है कि आप उसका सहारा ले सकते हैं, लेकिन जो माननीय सदस्य आपके सम्मुख खड़े हैं और जिनकी ओर आपकी दृष्टि पड़ेगी, उनको आप बुलवाने की अवश्य कृपा करेंगे, यह श्रीमन, आपका अलग विवेक है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय रघुबर दयाल वर्मा जो आपकी बात से मैं सहमत हूं । यह सूची जो आयी है, मैंने उसी के हिसाब से नाम पुकारा । आप धैर्य रखें, आप लोगों को भी बुलवाऊंगा ।

*श्री जर्नादन प्रसाद ओझा–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया है, वह इस बात का प्रतीक है कि वर्तमान सरकार जो प्रदेश की जनता की जनआकांक्षाओं की प्रतिमूर्ति बनकर आई है, वह क्या करना चाहती है । श्रीमन्, बजट का आधा हिस्सा गांवों में खर्च होगा, इससे किसानों की स्थिति में उन्नति होगी, उन्हें उनके सामान का उचित दाम मिलेगा और कर्जों की माफी होगी । इसके अलावा विधवाओं, निराश्रतों को पेंशन मिलेगी, इन्हीं बातों को जनता दल ने कहा था और मुझे प्रसन्नता है कि इतने थोड़े समय में ही हमारे मुख्यमंत्री ने इलेक्शन मेनीफेस्टो के अनुसार आचरण करते हुए इस दिशा में मजबूती के साथ बढ़ना शुरू किया है ।

श्रीमन्, उधर बैठे हुये लोगों को यह बात दिमाग में नहीं आ रही है कि उन्होंने इस प्रदेश का क्या किया है, इस प्रदेश को इन्होंने गढढे में डालने का काम किया, इसको लूटने का काम किया, साढ़े 37 साल तक । हमको बेरोजगारी विरासत में मिली, खाली खजाना मिला और अन्य तमाम समस्यायें हमको विरासत में मिली हैं, उसके बावजूद भी हम अपनी घोषणाओं के ऊपर मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं । नेता विरोधी दल यहां नहीं है, उस दिन उन्हें 10 हजार के कर्जे के संबंध में बड़ी तकलीफ हो रही थी । हमारे प्रदेश के बगल में ही बिहार प्रान्त है, वहां जगन्नाथ प्रसाद मुख्यमंत्री हैं, कभी इन्होंने यह जानने की कोशिश की, कि वह क्या कर रहे हैं, बगल में मध्यप्रदेश है कि उन्होंने क्या काम किया है ? यह कोई राजनैतिक तकाजा नहीं है, बल्कि नैतिकता का तकाजा है कि प्रदेश में हमारे किसान भाई जो कर्ज से डूबे हुये हैं, इनकी गलत नीतियों के कारण, उनके संबंध में हमारा नैतिक दायित्व है कि उससे उनको मुक्त कराया जाय और इसलिए 10 हजार रूपये कर्जा माफी करना एक समाजवादी कदम है। माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नेता विरोधी दल तो समाजवादी तरीका से आये हैं, उन्हें तो इसका समर्थन करना चाहिए था। इधर से जब वह उधर बैठे तो उनका दिमाग भी उल्टा हो गया। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार लोकायुक्त विधेयक को लाने का संकल्प दोहराया है। इसमें न केवल छोटे-मोटे अधिकारी, ब्यूरोक्रेट अपितु सफेद कुर्ता पहनने वाले सरकार की ऊंची कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों को भी उसकी परिधि में लाया गया है। यह एक साहसिक कदम है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। जब तक पूर्वान्चल का विकास नहीं होगा तब तक इस प्रदेश का विकास नहीं होगा। सर्वाधिक समय से पिछड़ा हुआ पूर्वान्चल के लिए केन्द्र सरकार ने छितौनी बगहा रेल पुल के लिए 155 करोड़ रुपए का परिव्यय दिया है, जिसमें से हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने 25 करोड़ रुपए देने का वायदा किया है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। पूर्वान्चल की जनता और पश्चिमी बिहार की जनता के लिए इस पुल के बन जाने के बाद 500 कि0 मी0 का रास्ता केवल 100 कि0 मी0 रह जायेगा। इस स्वतंत्र भारत में उस इलाके के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए हम पूर्वान्चल के लोग सरकार को बधाई देना चाहते हैं और साथ ही केन्द्र सरकार को भी बधाई देना चाहते हैं।

पटेल आयोग की सिफारिशों, मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए हमें मजबूती से आगे आना चाहिए। आरक्षण की जो नीति है, जिस बुनियादी मुद्दे को लेकर जनता दल शासन में आया है, उसे मजबूती से लागू करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, इसलिए यह सरकार उसे लागू करने के लिए कारगर कदम उठायेगी। प्रशासन के अधिकारी इस सरकार को विफल करने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि उत्पादन का जो उचित मूल्य है, धान का जो मूल्य है, वह पूर्वान्चल में किसानों को नहीं मिल पा रहा है। क्रय केन्द्र नहीं खोले गये हैं। शासन के निर्देशों के बावजूद भी सरकारी अधिकारी जो पिछली सरकार से किसी रूप में सटे रहे हैं और उनसे सुविधा लेते रहे हैं, इस सरकार को विफल करने के लिए उन नीतियों को लागू नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल यही स्थिति गन्ना के क्षेत्र में है। आज गन्ना किसान भयभीत हो गये हैं। पिछली सरकार से सटे हुए जो अधिकारी हैं, वह स्पष्ट रूप से कोई नीति निर्धारित नहीं कर रहे हैं और इसीलिए आज पूर्वान्चल में गन्ना किसानों के सामने गन्ने की पिराई की विकट समस्या उत्पन्न होती चली जा रही है। मैं यह भी कहना चाहता हूं पूर्वान्चल के विकास के लिए एक संसदीय आयोग का गठन होना चाहिए। पटेल आयोग की जो सिफारिशें हैं, अशोक माहरा आयोग की जो सिफारिशें हैं, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उन्हें भी मजबूती से लागू किया जाय। बेरोजगारों को रोजगार देना इस सरकार की प्राथमिकता है। मुझे विश्वास है कि इस दिशा में सरकार कारगर कदम उठायेगी। बेरोजगारों की बढ़ती फौज को कम करेगी

माननीय सदस्य बी0 जे0 पी0 ने कहा कि 2 साल की जगह पर एक साल पर जो अविश्वास का प्रस्ताव लाने की बात है वह अलोकतांत्रिक है। मैं श्री कल्याण सिंह जी से कहना चाहता हूं कि यही लोकतांत्रिक है। दो साल क्यों ? जब तक अविश्वास की तलवार जनप्रतिनिधियों पर नहीं लटकेगी तब तक वह ठीक तरह से अपने कर्तव्यों

का निर्वहन नहीं कर सकेंगे। श्री जय प्रकाश जी ने राइट आफ रिकाल का नारा दिया था । राइट आफ रिकाल होना चाहिए । आदरणीय सदन से यह छिपा नहीं है कि किस प्रकार से ब्लाक प्रमुखों के चुनाव हुए हैं। 5-5 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। यह हमारी सरकार की उदारता है कि इन संस्थाओं को भंग नहीं किया जा रहा है। पैसे के बल पर, गुण्डा गर्दी के बल पर और बन्दूक की नोंक पर इन संस्थाओं का चुनाव हुआ है । ऐसी संस्थाओं को तो कानून बना कर भंग कर देना चाहिए था । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो वायदे किए हैं, उन्हें पूरा करेगी और जनता को जो सौगातें देना चाहती है, उन्हें पूरा करेगी । इन्हीं आकांक्षाओं को लेकर जनता ने इस भ्रष्ट साढ़े सैंतीस साल की सरकार को उखाड़ फेंका है। मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि इस बात की आशा छोड़ दो कि यह सरकार 5 साल नहीं चलेगी, यह सरकार 5 साल ही नहीं बल्कि हमेशा चलने वाली है । पांच साल के बाद प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के राजनीतिक क्षितिज से कांग्रेस (आई) का नाम मिट जायगा।

श्री राज किशोर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से इस देश की, प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं और उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने कांग्रेस (आई) की सड़ी गली सरकार को उखाड़ फेंका और जनता दल की सरकार को चुना । हमारी पार्टी ने जनता दल की सरकार का बिना किसी शर्त के समर्थन किया है और समर्थन करती रहेगी । शर्त केवल यह है कि जनता दल अपनी घोषणाओं को पूरी तरह से पूरा करे। अगर घोषणाओं को जनता दल पूरा करता है तो मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस (आई) के लोग जो समझते हैं कि उनको जल्द ही मौका मिलने वाला है तो उनको कभी भी मौका मिलने वाला नहीं है ।

महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में व्यवस्था परिवर्तन और ऐसा नया वातावरण पैदा करने की बात कही है जिसमें हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता, गरिमा को महसूस करे कि वह एक स्वतंत्र देश का नागरिक है। यह मामूली बात नहीं है । पिछली सरकार के सत्ता दल के नेता माफिया दल के लोगों, पुलिस और नौकरशाही की साजिश से 90 प्रतिशत लोगों के लिये आतंक का राज्य बन गया था । ऐसी परिस्थिति कर दी थी। जनता दल की सरकार से मैं उम्मीद करता हूं कि जो स्थिति पैदा हुई थी उसका अंत करके ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि जनता महसूस करेगी कि वे जनतांत्रिक देश में जी रहे हैं । कांग्रेस (आई) की सरकार ने, जब वह यहां और अन्य प्रदेशों में थी, उसने जनतांत्रिक मूल्यों के परखच्चे उड़ा दिये थे । महामहिम राज्यपाल ने स्वीकार किया है कि प्रदेश पिछड़ा हुआ है । हमारे आंकड़े इसी तरह कहते हैं । उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय में 13वां स्थान है, कृषि उपजों में चावल में 11वां स्थान है, गेहूं में 5वां स्थान है, गन्ने में 9वां स्थान है, इसी तरह अन्य फसलों के उत्पादन में भी प्रदेश पिछड़ा हुआ है । विद्युत उत्पादन में 9 वां स्थान है, विद्युत उपभोग में 15 वां स्थान है, साक्षरता में भी प्रदेश काफी पीछे है 21वां स्थान, योजना

खर्च में इसका 21वां स्थान है । माननीय नेता, विरोधी दल ने बहुत ही स्वागत योग्य बात कही है कि प्रदेश की प्रगति के लिये मिल जुलकर योजना का निर्माण तथा काम होना चाहिए । मुझे उम्मीद है कि जनता दल की सरकार योजना का प्रारूप बनाते समय इसको प्रकाशित करायेगी जिसमें प्रदेश की जनता, राजनीतिक दल और जन संगठन और अर्थशास्त्री भाग लेंगे और बहसें चलेंगी और उनके आधार पर सरकार अन्तिम निर्णय लेगी । मान्यवर, 42 साल बीत जाने के बाद भी हमारे प्रदेश में जमीन की इजारेदारी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है । जितने खेत हैं, कुल खाता में से 20 प्रतिशत खातेदारों के पास 20 प्रतिशत से अधिक जमीन उनकी है और जो अधिक छोटे खातेदार हैं उनके पास मामूली 10 प्रतिशत जमीन है । प्रदेश के अन्दर जो कारखाने हैं देश की 6 प्रतिशत जमीन है और प्रदेश के अन्दर जो औद्योगिक श्रमिक हैं वे देश के हिसाब से 5.3 प्रतिशत हैं । यह आंकड़े दिखलाते हैं कि किस तरह से हमारा प्रदेश औद्योगिक मामलों में पिछड़ा हुआ है।

हमारे प्रदेश में आवश्यकता इस बात की है कि जमीन की इजारेदारी टूटे, ग्राम समाज की भूमि का आवंटन हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि केवल इन जमीन के आवंटन से गांव के गरीबों की समस्या का हल नहीं हो सकता है क्योंकि जिस देश की हजारों हजार एकड़ जमीन मौजूद है पूंजीपतियों के पास, इजारेदारों के पास, उनसे जमीन लेकर भूमिहीनों को आप दे नहीं रहे हैं जबकि उनको ही जमीन दी जानी चाहिए 42 वर्षों में कांग्रेस की नीतियां भेदभाव वाली रही हैं । किसानों को कभी लाभकारी मूल्य नहीं दिया गया । बड़े-बड़े उद्योगपतियों और इजारेदारों के पक्ष में ही कांग्रेस सरकार ने अपनी नीतियों को निर्धारित किया । सामान का संतुलित मूल्य कभी कृषकों को नहीं दिया गया और न सन्तुलित मूल्य तय ही किया गया और परिणामस्वरूप इस प्रदेश का किसान कर्ज के बोझ के तले दब गया ।

जनता दल की सरकार ने 10 हजार तक के कर्जे को माफ करने की घोषणा की यह स्वागत योग्य बात है, हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है । नेता विरोधी दल ने कर्जे की माफी पर प्रश्न चिह्न लगा दिया । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार या राजस्थान की सरकार कर्जे की माफी की घोषणा चुनावी लाभ के लिए कर रही है ? अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो पहले आप अपनी सरकार की तरफ देखने का कष्ट करिये या देखने की कोशिश करिये।

आरक्षण की बात आयी है, जो यहां आरक्षण की बात कर रहे हैं नेता विरोधी दल और जो उनके चेले-चाटी हैं, आरक्षण की नीतियों की घोषणा की बात चली तो जैसे कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोंचे वाली बात हो गयी । शुरू हो गये विद्यार्थियों को लेकर कि आरक्षण का विरोध करो नहीं तो तुमको नौकरी नहीं मिलने वाली है । उन्हें यह भी नहीं मालूम हुआ कि यह आरक्षण किसलिए हो रहा है नौकरी के लिये या फिर लोक सभा, राज्य सभा और विधान सभाओं के लिये हो रहा है । यह उनकी जिम्मेदारी थी कि हमारे प्रदेश में अनेक युवकों को मारा गया है आरक्षण के विरोध में जो इन्होंने आन्दोलन खड़े कराये थे । मान्यवर, जिस समाज के लिये आरक्षण है, आज तक भी उसमें आरक्षण नहीं हुआ है । पूर्ववर्ती सरकार ने अभि-

यान चलाया कि आरक्षण किया जायेगा तो क्या उसने ईमानदारी से उसके कोटे को भरने की कोशिश की ? आज उस वर्ग का व्यक्ति पिछड़ा हुआ है और उसका छुआ पानी तक लोग नहीं पीते हैं । इस समाज में उसे समानता नहीं दी गयी है और जब तक उसको समाज में समानता नहीं मिलेगी, तब तक यह आरक्षण चलता रहेगा । क्योंकि यह जनहित में है, मानवता के हित में है ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में बेकारी बहुत है । खुशी की बात है कि जनता दल की सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में समायोजित करने का निर्णय लिया है । हमारे प्रदेश में कृषि के डिप्लोमा होल्डर हैं, स्नातक हैं, डिग्री होल्डर हैं । इसी तरह से यूनानी, होम्योपैथी डिप्लोमा होल्डर हैं तथा डिग्रीधारी भी हैं । कहा जाता है कि पिछली सरकार ने फैसला किया था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर होम्योपैथिक डाक्टर रखे जायेंगे जो कि डिग्री होल्डर होंगे और होम्योपैथी के डाक्टर तीसरे नम्बर पर होंगे । उस पर तीसरे डाक्टर होम्योपैथिक हो, लेकिन श्रीमन् यह काम आज तक नहीं हो पाया है, लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं कि यह सारे कार्य अब जनता दल सरकार अवश्य करेगी । आज भी पहाड़ों पर ऐसे बहुत से इलाके हैं, जहां पर आयुर्वेदिक डाक्टर्स को अंशकालिक वेतन दिए जा रहे हैं और इस क्षेत्र में हर जगह पर हर विभाग में जगहें हैं, उन्हें वहां भेजा जाए और उनके पदों का विनियमितीकरण भी किया जाए ।

इसी प्रकार से मान्यवर, हमारे यहां जूनियर हाई स्कूल्स हैं, जो मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें अनुदान की आवश्यकता है, उसे अनुदान दिया जाए ताकि पठन-पाठन का कार्य ऐसे जगहों पर सुचारु रूप से चल सके । दूसरे इसी प्रकार से बहुत से ऐसे स्कूल हैं, जिन्हें पब्लिक सेक्टर के लोग चला रहे हैं क्योंकि वहां 2–2 किलो मी0 की दूरी पर कोई मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं है, जिसकी वजह से अभिभावक इतनी-इतनी दूर अपने बच्चों को भेज नहीं सकते हैं, इसलिए ऐसे स्कूल जो प्राइवेट लोग चला रहे हैं, जो बहुत ज्यादा फीस वसूल करते हैं, को अपने हाथों में सरकार ले ताकि उन स्कूलों के काम सुचारु रूप से चल सकें और अभिभावकों व बच्चों के लिए आसानी भी हो सके ।

साथ ही सिंचाई की समस्या, बिजली की समस्या भी वैसी ही अभी बनी हुयी है और नए कनेक्शन्स लोगों को अभी मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाए । बिजली 14 घंटे व 18 घंटे तभी सुनिश्चित होगी, जब हर प्रकार की जरूरत का सामान मुहैया रहे ।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य अब आपका समय समाप्त हो रहा है, कृपया एक मिनट में अपनी बात को कहकर समाप्त करें ।

श्री राजकिशोर सिंह–

मान्यवर, यह साम्प्रदायिकता का जहर आज किसने फैलाया यह जहर जो फैलाया गया है, पिछली कांग्रेसी सरकार ने फैलाया और बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया, कांग्रेसी मुख्य मंत्री, स्व0 वीर बहादुर सिंह ने और हर जगह बदायूं में, मेरठ में व देश व प्रदेश में हर जगह जो दंगे हुए हैं, यह सब इन्हीं की देन है और आज

भी यह इसी कोशिश में लगे हुए हैं, इसलिए मैं इस मौजूदा सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का सिर कुचलने में जरा भी उदारता न दिखाइए, इसी बात को लेकर बराबर हमारी पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ रही है और अंत में एक बात और कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि पिछली सरकार से यह वर्तमान सरकार सबक सीख ले कि आज जो लोग मंत्री बने बैठे हैं, वह पिछली सरकार की तरह के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या नेता न बने जो यह सारे के सारे पूरे भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे ताकि इस सरकार की छवि बराबर बनी रहे और हमेशा कायम रहे, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं ।

(एक साथ कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने का समय मांगने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

(श्री रघुबर दयाल वर्मा को सम्बोधित करते हुए) आप काफी पुराने सदस्य हैं और हमारे मित्र भी हैं, आपका नाम आज की सूची में नहीं है, इसलिए पहले मैंने आपको नहीं बुलाया, मा0 शंकर सिंह जी का नाम है, इसलिए सूची के अनुसार उन्हें बुला रहा हूं, कृपया आप बैठ जाएं, मैं बाद में आपको मौका अवश्य दे दूंगा ।

(एक साथ कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, पहले उसे आप सुन तो लीजिए .....

(शोर)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है, उसे आप पहले सुन लीजिए.....

(व्यवधान)

*चौधरी शंकर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आप ने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, सर्वप्रथम तो मैं अपनी इस 5 हफ्ते की सरकार को बधाई देना चाहता हूं जिसने थोड़े से अल्प काल में वह कल्याणकारी कार्य किये हैं, जो विरोध पक्ष में बैठी पार्टी 5 सालों में भी नहीं कर पायी है । मान्यवर, आज प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि चुनाव में वादा किया था कि बृद्धाओं को पेंशन और 10 हजार तक के कर्जों को माफ किया जायेगा, तो हमारी सरकार ने बृद्धाओं को पेंशन देने की घोषणा की है और जो किसान हैं, कमजोर हैं, दलित हैं, बेसहारा हैं, बुनकर हैं, उनके 10 हजार तक कर्जे माफ करने की घोषणा की है ।

(व्यवधान)

जरा सी बात पर खफा हो गये ।
चन्द दिन में क्या से क्या हो गये ।।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, हमारे सामने बहुत सी समस्यायें हैं । इन्हीं लोगों ने जिन्हें जनता ने तिरष्कृत कर दिया है नवयुवकों को भड़काया और इनके ही इशारे पर आरक्षण का आन्दोलन चला । परदे के पीछे से काम करते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उसका सामना किया, उसके लिये यह सरकार बधाई की पात्र है । मान्यवर, इस प्रदेश में मुख्य मंत्री तो बहुत हुये, मैं मानता हूं कि कुछ मुख्य मंत्री स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाने के कारण हुये, लेकिन कुछ मुख्य मंत्री एसे हैं जो सत्ता दल की हां हजूरी करके हो गये और कुछ मुख्य मंत्री दिल्ली से थोप दिये गये । मैं माननीय तिवारी जी का आदर करता हूं, लेकिन वह दिल्ली दरबार के कारण जिस तरह से पिछले वर्षों में शन्टिंग इंजन की तरह उनका दुरुपयोग किया गया है, वह लज्जा की बात है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को पहला मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जैसा मिला है, जो धरती से जुड़ा हुआ है, इस प्रदेश और देश की धरती से जुड़ा हुआ है, इस देश की जनता से जुड़ा हुआ है । बिहार में शुरूवात कर्पूरी ठाकुर ने की थी

(व्यवधान)

देश की राजनीति मुट्ठी भर भ्रष्ट लोगों और पूंजीपतियों के हाथ में थी । इस की शुरूआत की थी बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने और उसको पूरा किया है मुलायम सिंह यादव ने, जिन्होंने पूंजीपतियों के हाथ से राजनीति को निकाल कर जनता की झोली में डाल दिया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं । इतिहास अपने आप को दुहराता है । आप जानते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव इटावा से पड़ी, लेकिन वह अपने रास्ते से भटक गयी, तो मुझे खुशी है कि उससे जुड़ा लाल पैदा हो गया, जिसने इस कांग्रेस को दफन करने का काम किया । मान्यवर, हमें विरासत में क्या मिला, इस पर कल्यान सिंह जी ने विस्तार से कहा । गरीबी, बेरोजगारी, फिरकापरस्ती, असमानता, खाली खजाना, यह सब मिली हैं । जिन प्रश्नों को कल्यान सिंह जी ने उठाया है, जिन समस्याओं को उन्होंने उठाया है, उनको हमारी सरकार दूर करेगी । किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिये हम वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं । यह हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में है कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जायेगा । इसका हमें विश्वास है । बीमा पद्धति भी लागू होगी । लेकिन हमारे कुछ मित्र बौखला रहे हैं । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने इस प्रदेश के लिये क्या किया ? पिछड़े क्षेत्रों के लिये क्या ? सत्ता दल के भी विधायक हैं । बुन्देलखण्ड के बारे में कल बहुत माननीय सदस्यों ने–हमीरपुर के, जालौन के, झांसी के माननीय सदस्य बोले । लेकिन यह बड़ी बिडम्बना की बात है कि स्वतंत्रता के 42 वर्ष के बाद भी अतीत का गौरवशाली बुन्देलखण्ड विकास के लिये अपना हिस्सा नहीं मांग रहा है । वहां के जनप्रतिनिधि खड़े होते हैं, विकास की बात नहीं कहते हैं, पीने के पानी की बात करते हैं ।

मान्यवर, एक समय था जब पूरे देश में बुन्देलखण्ड की गौरवगाथायें गायी जाती थीं । आज रानी झांसी की, लाला हरदौल लाल, छत्रसाल की कोई बात नहीं करता। बुन्देलखण्ड में फूलन देवी, ददुआ मुस्तकीम गैंग और अन्य डाकुओं की बात कही

जाती है । इन्हें इन लोगों ने डाकू बनाया है । वहां पर पीने का पानी नहीं है । वहां की स्त्रियां गौरव गाथायें इस तरह से गाती हैं–"मैं विधवा हो जाऊं, लेकिन हे नाले तेरा पानी बहना बन्द न हो ।" .(व्यवधान)

मान्यवर, संक्षेप में एक निवेदन और करना चाहता हूं । मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं । बुन्देलखण्ड में पांच-पांच नदियां होते हुये भी वहां पर पानी की कमी है । इसके लिये सरकार जिम्मेदार है । मान्यवर, मेरे पास केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की 1985 की रिपोर्ट है । उसमें कहा गया है कि बुन्देलखण्ड में भूमिजल जो है वह 1,31,022 लाख घन मीटर पानी उपलब्ध हो सकता है लेकिन आज वहां पर मात्र 14,355 लाख घन मीटर पानी ही उपलब्ध है जो क्षमता का 11 प्रतिशत भी नहीं आता ।...(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ । कृपया बैठ जायं ।

श्री जयराज गौतम–

मान्यवर, मैं आपका बहुत ही अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे धन्यवाद के प्रस्ताव में प्रस्तुत संशोधन के, प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है । अभी हमारे सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने 10 हजार तक के ऋण की माफी के बारे में कहा और उसकी गुहार लगाते आ रहे हैं पिछले चुनाव से लेकर अब तक । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इसी गुहार की वजह से वे सत्ताहीन हुये हैं । मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब से आप सत्तासीन हुये हैं क्या सत्ता पक्ष में बैठे हुये लोगों को यह जानकारी है कि कांग्रेस हुकूमत के दौरान जिन किसानों को यूरिया 98 रुपये बोरी मिलती थी वह आज 120 रुपये रुपये बोरी मिल रही है ? इसी तरह से और चीजों के दाम भी बहुत बढ़ गये हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने जून 89 से लेकर 15 जुलाई 89 तक समस्त नलकूपों और नहरों से की गई सिंचाई का लगान माफ कर दिया गया था । लेकिन आज बदकिस्मती यह है कि पिछली सरकार द्वारा जो यह लगान माफ किया गया था वह पूरे प्रदेश में जोरों से वसूल किया जा रहा है । सुल्तानपुर में वसूल किया जा रहा है ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं । आप कहते हैं कि हम लघु उद्योग धंधों को बढ़ावा देंगे । बदकिस्मती यह है कि स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज पर वर्तमान सरकार ने विद्युत दरें तीन गुनी और चार गुनी बढ़ा दी हैं और उससे प्रदेश में ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि सारे के सारे लोग अपने स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को बन्द कर रहे हैं । दूसरी ओर साधारण किसान मजदूर और गरीब लोग जो पहले 15 पैसा प्रति किलो चक्की में पिसाई के देते थे आज उनको 30, 40 और 50 पैसा प्रति किलो पिसाई के देने पड़ रहे हैं । मैं माननीय सदस्यों से और विशेष रूप से माननीय नेता सदन से आग्रह करना चाहूंगा कि विद्युत बढ़ोत्तरी को तत्काल वापस लें और जो वायदा आपने किया है उसे पूरा करें ।

माननीय नेता सदन ने कहा था कि हम बदले की भावना से कोई कार्य नहीं करेंगे । मैं निवेदन करना चाहूंगा सत्ता पक्ष में बैठे माननीय सदस्यों से कि पिछली सरकार ने श्रीमती इन्दिरा गांधी की स्मृति में प्रिय दर्शिनी पर्यावरण पुरस्कार की व्यवस्था की थी जिसमें 8 तरह के पुरस्कार एक-एक लाख के आठ पुरस्कार थे जिसमें टाउन एरिया, नगर पालिका और ग्राम सभाओं को एक-एक लाख रुपया दिया जाता था लेकिन बदकिस्मती यह है कि जिस श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के नाम पर अपनी कुर्बानी दे दी थी उसे उनके नाम से हटा कर के0 एम0 मुंशी के नाम से देने की बात कही गयी है (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि माननीय के0 एम0 मुन्शी जी इस प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं अगर आप उन्हें सम्मान देना चाहते हैं तो कोई और संस्था बना कर दे दीजिये इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी ।

बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही गयी है मैं बताना चाहता हूं कि 1977 में नसबन्दी के पेट से पैदा हुयी एक सरकार पैदा हुयी थी वह भी इसी तरह से आई थी उस वक्त जनता पार्टी की सरकार थी और आज जनता दल की सरकार है । उस समय भी बेरोजगारों की समस्या का समाधान करने के लिये कहा था ।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें ।

श्री जयराज गौतम–

उस समय बेरोजगारों का एक प्रतिनिधि मण्डल तत्कालीन प्रधान मंत्री मोरार जी देशाई से मिला था तो उन्होंने कहा कि पार्टी के घोषणा पत्र में दिये गये वायदे पूरा करना जरूरी नहीं है । आज ठीक उसी प्रकार माननीय मुलायम सिंह की सरकार बेरोजगारों को बेरोगारी भत्ता देने के वायदे से मुकर रही है और इसी सदन में माननीय श्रम मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि इस तरह का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री जयराज गौतम–

आज उनकी इस घोषणा से प्रदेश के नौजवानों की आशाओं पर पानी फिर गया है ।

अंत में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार ने जो जिला परिषदों, क्षेत्र समितियों तथा नगर पालिकाओं आदि के प्रमुखों के विरुद्ध जो दो साल तक अविश्वास प्रस्ताव न लाने की बात रखी थी वह काफी विचार विमर्श से तय हुआ था उसे आज यह सरकार एक साल कर रही है यह लोकतंत्र के विरुद्ध है । मैं इसकी भर्तसना करता हूं । इन शब्दों के साथ, मैं धन्यवाद प्रस्ताव पर रखे संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, इस प्रदेश की गरीब जनता को और बेरोजगारों को कांग्रेस के कुशासन से राहत मिली है । इनकी गलत नीतियों के कारण ही साम्प्रदायिक आग से जनता का मनोबल टूट चुका था उससे आज उनको राहत मिली है उन्होंने जो फैसला लिया इस चुनाव में सत्ता बदलने का और उनके हाथों में सत्ता सौंपी जो गांव में काम करते थें, जिनके मनमें इच्छा शक्ति थी कि गांव के लोगों की तरक्की करेंगे, जो बेसहारा हैं, जो उपेक्षित रहे हैं, जो गैर बराबरी की चक्की में पिसते रहे हैं उनके उत्थान और प्रदेश के विकास के बारे में जनता दल की सरकार ने जो महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण प्रस्तुत किया है, जो आपके सामने है, मुझे खेद है कि विपक्ष के एक भी माननीय सदस्य ने उसको पढ़ने की कोशिश नहीं की और न अपनी नीतियों के बारे में ही वह प्रखर हो पा रहे हैं ।

मान्यवर, मैंने नेता विरोधी दल को गम्भीरता से सुना । उन्होंने 4-5 बिन्दुओं पर ही अपने भाषण में जोर दिया । पहला जोर उन्होंने अर्थ नीति के बारे में दिया । जनता दल सरकार की अर्थ नीति से उनको चोट लगी क्योंकि हिन्दुस्तान और प्रदेश में जो गरीब किसान है जो कर्ज में डूबता जा रहा है उसके कर्जे को माफ करने की इच्छा शक्ति सरकार ने व्यक्त की है जिससे तिवारी जी को क्षोभ हो रहा है । मैं तिवारी जी से जानना चाहता हूं कि जो रणनीति उन्होंने बनाई थी इंसालवेन्सी एक्ट, दिवालियापन एक्ट की उसमें जिस किसान के पास एक एकड़ जमीन है और कर्ज लेने के बाद किसान की फसल को ओले या अतिवृष्टि या सूखे से नुकसान हो जाता है तो वह अपने दिवालियापन की अदालत में प्रार्थना नहीं कर सकता है कि उसके कर्ज को माफ कर दिया जाये । कांग्रेस ने एक कानून इंसालवेन्सी एक्ट बना दिया जिसके तहत एक करोड़ रुपया कोई होटल वाला ले लेता है और 10 दिन बाद कह दे कि दिवालिया हो गया तो एक भी पैसा उससे वसूल नहीं हो सकता है । इसलिये जनता दल सरकार का ध्यान इन गरीब किसानों की ओर गया और 10 हजार कर्ज माफी की इच्छा शक्ति व्यक्त की जिसकी ओर कांग्रेस सरकार का ध्यान कभी नहीं गया तो कांग्रेस सरकार और तिवारी जी को दर्द हो रहा है ।

मान्यवर, दूसरी बात जिस पर उन्होंने बल दिया कि पुलिस का वही कानून है तो सरकार पुलिस ढांचे में क्या परिवर्तन चाहती है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी वही दरोगा, वही एस0 पी0 और वही कलेक्टर है तो मैं जनता दल सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको करना चाहिए कि जो दरोगा जन-सेवक की जगह मालिक हो गया, एस0 पी0, एम0 एल0 ए0, प्रधान जो मालिक बन बैठे और मुख्य मंत्री जो अपनी प्रदेश में मिल्कियत समझने लगे उन सबको जन सेवक की हैसियत में उतारा जाये तभी प्रदेश और दश का भला हो सकता है अन्यथा देश और प्रदेश डूब जायेगा । इस प्रकार जब जन सेवक की इच्छा शक्ति अधिकारियों में पैदा करने की हमारी सरकार की हुई तो कांग्रेस के लोगों को अफसोस होता है चूंकि दरोगा, कलेक्टर और तहसीलदार की मिल्कियत देश और प्रदेश में समाप्त होने जा रही है और जो जन सेवक मालिक बन गये थे उनको जनसेवा की तरफ लाया जायेगा । इससे उनको दर्द हो रहा है ।

मान्यवर, आरक्षण नीति के संबंध में तिवारी जी ने कहा कि मैं इसका समर्थन करता हूं । लेकिन उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि आर्थिक मुद्दा आरक्षण में और जोड़ दिया जाये. . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ । आप बैठ जांय ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आरक्षण के खिलाफ आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का दर्द हो रहा है । मान्यवर, यह मनोवृत्ति जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक इससे लड़ना पड़ेगा, यह मनोवृत्ति इस देश और प्रदेश में जब-जब ऐसे लोग जन सेवा के लिये गद्दी पर आये तब-तब हिन्दुस्तान और प्रदेश में आरक्षण नीति का विरोध हुआ । यह मनोवृत्ति हानिकारक है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मंडल आयोग की संस्तुतियों को आप लागू करें । इन शब्दों के साथ, मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का जो मौका दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । इसके साथ ही मैं प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि उसने कांग्रेस को उखाड़ कर जन–आकांक्षा की सरकार लायी । मान्यवर, मुझे विश्वास है कि जनता दल सरकार के मुख्य मंत्री जन आकाक्षाओं को पूरा करेंगे । मान्यवर, 10 जनवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण हुआ वह इस सदन में यादगार के रूप में इस कारण रहेगा कि उसमें जो वायदे उल्लिखित हैं या जो वायदे उल्लिखित नहीं हैं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि राज्यपाल महोदय जो अभिभाषण पढ़ते हैं वह उनकी निजी राय नहीं होती है बल्कि वह प्रदेश मंत्रिमंडल की सरकार की नीति होती है । मुझे दुःख हुआ कि राज्यपाल महोदय ने जब अभिभाषण पढ़ा तो उसमें उन्होंने संशोधित करके पढ़ा । उनका संशोधन इस बात का प्रतीक है कि या तो महामहिम को सरकार पर विश्वास

(इस समय 3 बजकर 6 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 शिवानन्द नौटियाल पीठासीन हुये ।)

नहीं रह गया है या उनकी नीति जिस सरकार ने बनायी थी उसके प्रति वफादारी दिखा रहे थे या अन्य कोई कारण हो सकता है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है चूंकि राज्यपाल महोदय की भूमिका पर कई बार चर्चा हो चुकी है और उनकी भूमिका समाप्त होती जा रही है ।

मान्यवर, आज का अखबार देख लें, देश में कई राज्यपालों से इस्तीफे मांगे गये हैं और वह इस कारण कि राज्यपालों की भूमिका पर अविश्वास व्यक्त किया गया है । मान्यवर, 14 तारीख का अखबार देखें, मध्य प्रदेश में वहां के राज्यपाल ने सरकार के 4 विधेयकों पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया और सरकार के सामने राजनीतिक संकट पैदा हो गया है । आज इस बात की आशंका इस सदन को है कि[x x x]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आक्षेप कर रहे हैं जो संसदीय परम्परा के और नियमावली के विरुद्ध है ।

श्री अधिष्ठाता–

राज्यपाल महोदय के आचरण पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, मैं इसको कार्यवाही से निकलवा दूंगा ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, 11 फरवरी, 1986 को नेता सदन ने मांग किया था कि संविधान सभा में एक बार 30 मई, 1949 को सरदार हुकुम सिंह जी ने सुझाव दिया था, "यदि राज्य विधान मण्डल द्वारा नामों का एक पैनल राष्ट्रपति को भेजा जाए यद्यपि तब भी राज्यपाल की नियुक्ति का अंतिम अधिकार सत्ताधारी दल का होगा और वे उस नाम को भेजें जो उन्हें सबसे ज्यादा पसन्द होगा ।" लेकिन उस स्थिति में पैनल में भेजे गए व्यक्तियों की योग्यता जनता के सामने होगी और यदि सही व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाता तो जनता को आलोचना करने का अधिकार होगा। यह आलोचना निश्चित ही पक्षपातपूर्ण तरीके से और शक्ति के दुरुपयोग पर अंकुश का काम करेगी। मेरी मांग है कि यह विधान सभा, इस सम्बन्ध में संविधान में संशोधन करने के लिए संसद को एक प्रस्ताव भेजे कि वह इस संबंध में सरदार हुकुम सिंह जी की राय के अनुसार पैनल बनाकर राष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति किया करें । आज आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि सरकारिया आयोग ने भी यही कहा है। यह भविष्य का प्रश्न है, क्योंकि राज्यपाल ने स्वयं अपने अभिभाषण में संशोधन कर दिया, अर्थात् उन्हें सरकार ने जो अभिभाषण पढ़ने हेतु दिया था, उसमें उन्होंने परिवर्तन कर दिया। इसलिए उनकी नीयत और मंशा में शंका पैदा हो गई है। इसलिए यह सरकार के लिए चिन्तनीय प्रश्न है . . . (व्यवधान) श्रीमन्, आप तो ज्ञानी हैं, लेकिन आप ज्ञान की बात सुनना नहीं चाह रहे हैं। यहां माननीय संसदीय कार्य मंत्री और नगर विकास मंत्री बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस सदन से एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को जाना चाहिए कि भविष्य में प्रदेश में राज्यपाल की जब नियुक्ति हो, तो वह तीन नामों का एक पैनल भेजा करें और उसमें से यहां एक को चुनकर राज्यपाल नियुक्त किया जाया करे। न कि आज की तरह जो चमचागीरी कर लेते हैं, उनकी नियुक्ति की जाया करे। इन शब्दों के साथ, मैं अभिभाषण के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष की ओर से जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, मैं आपका आभारी हूं कि उसका विरोध करने के लिए आपने मुझे यह मौका दिया है और योग्य नेता विरोधी दल द्वारा रखे गए संशोधन के प्रस्ताव के समर्थन का मुझे मौका दिया है । मान्यवर, जब हम यहां बोलने के लिए खड़े हुए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेता विरोधी दल के भाषण के उपरान्त यह सरकार इतनी बौखी नजर आ रही है कि सरकार नेता विरोधी दल के सामने परी तरह नत मस्तक हो

चुकी हैं। यदि आप इस पांच सप्ताह पुरानी जनता दल की तुलना करें तो यह एक ऐसा जानवर हैं, जिसके दो मुंह हैं। इसका एक मुंह वह हैं जो सदन में बोलता हैं और दूसरा मुंह वह हैं जो सदनों के बाहर बोलता हैं । इस दो मुंहे जानवर की कथनी और करनी में कितना अन्तर हैं यह मैं बताना चाहता हूं। यह कल तक जो सदन के बाहर कहते थे कि आते ही पहले दिन 10 हजार तक के कर्जे माफ करेंगे, उसी सरकार के पास आज यह बताने के लिए तैयार नहीं हैं कि इस कर्जा माफी के लिए वह संसाधन कहां से जुटाएंगे। आप आज का अखबार पढ़ लीजिएगा, सहकारी संस्थाओं को 4 हजार 4 अरब का जो लोन मिलने वाला हैं, उस पर उसने नाबार्ड ने रोक लगा दी हैं। मैं जानता हूं कि इनको सरकार चलाना नहीं आता हैं, लेकिन सरकार चलाना सीखिए तो। इस दो मुंहें जानवर का मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं, यह अपराधों की बात कहते हैं किन्तु उस समय वह 77 से 80 के बीच हुए अपराधों को भूल जाते हैं। उस समय 40 से अधिक खूंखार अपराधी प्रदेश में उभड़ आए थे । मलखान सिंह, छविराम और पोथी जैसे जाने कितने अपराधी उस जमाने में पनपे थे।

पिछली बार तो इनकी सरकार इन कुकर्मों के कारण ढाई वर्ष भी नहीं चल पाई लेकिन इस बार जिस तरह से आपकी ताजपोशी हुई हैं, गौर से देखियेगा, उसमें सुजानगढ़ और गोरखपुर के छात्रों का लहू लगा हुआ हैं, जिनकी आरक्षण के नाम पर आपने हत्यायें की हैं। निश्चित रूप से वह आपकी सरकार के लिए कफन में कील का काम करेगी, ज्यादा दिन आप इस सदन में नहीं बैठ सकेंगे। जो आप बात करते हैं उसको आपको कर भी दिखाना चाहिए। आपने आरोप लगाया कि आरक्षण की आग हमने जलाई हैं। आपमें हिम्मत हैं, साहस हैं तो आरक्षण की आग लगाने वाले जो आपके उप प्रधानमंत्री हैं उनको उत्तर प्रदेश में आने पर तुरन्त गिरफ्तार कराईए। आरक्षण की आग लगाने वाले तो आपके उप प्रधान मंत्री हैं और उसी गुट की आपकी सरकार हैं। आप क्या अपने उप प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते हैं ? आपके मुख्य मंत्री जी का बयान हैं कि वह तत्कालीन 80-82 की सरकार मुख्य मंत्री का नाम नहीं लेना चाहती हैं जो पांच हजार से ज्यादा राजनीतिक हत्याओं की दोषी थी । अपराधी उत्तर प्रदेश में हैं आप ही उसको गिरफ्तार कराइये तब हम समझेंगे। शेख चिल्लियों की बातों का क्या कहना, 10 हजार रुपयों के कर्जे को माफ करने की बात यह एक मुंह से कहते हैं, और एक मुंह से कहते हैं कि खजाने खाली हैं, तो यह खजानों को भरने का इन्तजार करेंगे या खजानों को खाली करने का इन्तजाम करेंगे। कितनी गलत बयानी आप कर रहे हैं। लोकतंत्र की बात करते हैं। तो लोकतंत्र के हत्यारे की शकल, अपने ही निर्वाचित जिला परिषद् के भंग होने के शकल, 77 से 80 के बीच की सरकार से मिलती हैं, पिछली बार किसने गल्ती की उसको आप दोहराना चाहते हैं। नगपालिकाओं और जिला परिषदों के अध्यक्षों को हटाने के लिए आप दो साल से पहले अविश्वास का प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। आप दो साल इन्तजार नहीं कर सकते हैं आप संशोधन ला रहे हैं। आप संशोधन विधेयक ला रहे हैं और दो साल के बदले आप एक साल कर रहे हैं। मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि जो बात हम आपसे कह रहे हैं, वह जब आप इधर बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी जो हमने कहा वह पूरा नहीं किया तो हम तो शान्ति के साथ इधर चले आए लेकिन जब आप इधर आयेंगे तो जनता आपकी वह दुर्गति करेगी कि आपका चेहरा नहीं पहचाना जायगा ।

मान्यवर, मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं इस दो मुंहा जानवर की सरकार से मैं तीन सवाल करना चाहता हूं। जब गन्ना मंत्री जी इधर बैठते थे तो गन्ने का मूल्य 80 रुपये करने की बात करते थे। मैं विधान सभा की कार्यवाही के अंश दिखा सकता हूं अब आप क्यों नहीं करते हैं जो आप कहते थे। महंगाई का नाम लेकर आप आए थे। यह किसानों की सरकार है तो फिर मिट्टी के तेल की किल्लत क्यों है? चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं ? अगर सस्ती कोई चीज है तो वह इन्सान की जान है । इन्सान की जान को छोड़कर कुछ सस्ता नहीं है हर चीज महंगी है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल होने चाहिए हैं वह शुरुआत से [xxx]

(व्यवधान)

व्यवस्था परिवर्तन की यह बात करते हैं, तो व्यवस्था सिर्फ इतनी परिवर्तित हुई है कि गांधी जी की समाधि पर, जब इनकी सरकार बनी तो यह नहीं गये, चौधरी चरण सिंह जी की समाधि पर यह नहीं गये। यह फिल्म अभिनेत्री की घुंघरुओं पर थिरकन देखने के0 डी0 बाबू स्टेडियम चले गये . .

(व्यवधान)

इस सरकार को घुंघरुओं की सरकार, शेखचिल्लियों की सरकार और दो मुंहा जानवर की सरकार के सिवा इसको कुछ नहीं कहा जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री हर नारायण सिंह (पीलीभीत)–

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हमारे माननीय बाजपेयी जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और इसी संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इस अभिभाषण में जो वादे किये हैं उसके लिए हम लोगों को सरकार को बधाई देनी चाहिए। इन लोगों ने अपने 40 वर्षों के शासन में इस देश को खोखला कर दिया। माननीय तिवारी जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ओवर ड्राफ्ट हुआ है, मैं बताना चाहता हूं कि खजाना कैसे खाली हुआ है। खजाना खाली नहीं हुआ है बल्कि इन लोगों ने खजाने की लूट की है, खजाना लुटा दिया है। कैसे यह सब हुआ है उसको मैं बता रहा हूं। आपने 66 निगम बनाये हैं जिनमें करोड़ों रुपयों का घाटा है। जो लोग हार गये थे उनको इन निगमों में अध्यक्ष बनाया गया। उनको मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया और सारा पैसा लुटवा दिया गया और प्रदेश कंगाल हो गया।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज गरीब मोहताज हैं, परेशान हैं। मान्यवर, इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि शारदा नदी में बाढ़ आयी थी जिसमें 4 हजार आदमियों की जमीन, मकान बह गये। हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री वहां पर गये थे और कहा था कि सहायता दी जायगी लेकिन 4 महीने हो गये हैं कुछ नहीं दिया गया। हमारे माननीय मुख्य मंत्री सिंचाई मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उन लोगों को सहायता दी जायेगी, जमीनें दी जायेंगी। आप लोगों ने इस देश को आवास विकास के नाम पर, शहरी विकास प्राधिकरणों के नाम पर लूट लिया, बर्बाद कर दिया है। बड़े-बड़े महल बनाये हैं लेकिन गरीबों की दशा सुधारने पर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं यहां जब गर्मी में आया तो मैंने देखा कि अफसरों के यहां हीटर लगे हुए हैं। आपने सेन्ट्रल हाल, जलपान गृह बनवाया, एनेक्सी बनवायी और बड़े-बड़े महल बनवाये लेकिन हमारे गरीब भाइयों के लिए आज झोपड़ियों के लिए फूस भी नहीं मिल रहा है जिससे वह परेशान हैं। आपने गरीब रिक्शावालों पर 20 रुपये लाइसेंस फीस लगा दी, उनको 40 रुपया टैक्स देना पड़ता है। आज गरीब बेचारे परेशान हैं। आपने एम0 एल0 एज0 के लिए सुविधायें बढ़ायीं। 85 रुपया रोज देकर हमारा ईमान गिराने का काम किया है। घर बैठाकर 85 रुपया देते हैं, हमें भी बेईमान बनाया है। आपने रोजगार के नाम पर आई0 आर0 डी0 स्कीम चलायी जिसमें गरीब किसानों, हरिजनों को सहायता दी जाती है। इसमें 2 हजार रुपये बैंक वाले, दलाल, बी0 डी0 ओ0 वगैरह खा जाते हैं। इसी तरह से गरीबों के लिए जो मकान बनाने की योजना है उसमें भी लाखों रुपया बर्बाद हो रहा है और जो मकान बनाये गये हैं वह खराब होने के कारण ढह गये हैं। माननीय तिवारी जी ने कहा कि 100 रुपये कहां से देंगे। हमारे मुख्य मंत्री जी ने साफ लिखा है कि हम संसाधन बढ़ायेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे। आपने खर्चों को बढ़ाया है खर्चों में कोई कटौती नहीं की। हमारे मुख्य मंत्री जी खर्चों में कटौती करने जा रहे हैं। आपने प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपया बेकार खर्च कर दिया और प्राइमरी शिक्षा की तरफ नहीं देखा।

आज डाक्टर मारे-मारे घूम रहे हैं पहाड़ों पर उनको 50 रुपये रोज दिये जाने की बात की गयी जबकि वह 5 साल पढ़ते हैं और उन्होंने बी0 एस0 सी0 आदि पास किया है। आई0 ए0 एस0 अफसर सिर्फ एक साल ट्रेनिंग करता है और उसको 8 हजार रुपया दिया जाता है लेकिन डाक्टर बेचारे मारे-मारे घूम रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार उनको जगहें देगी। माननीय अधिष्ठाता जी, हमारी सरकार न्याय दिलायेगी, हाई कोर्ट की बेंच खोलवायेंगी। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार के जो वादे हैं, जो खर्चे नाजायज आपने किये हैं, उन्हें बन्द कर हमारी सरकार तमाम संसाधन जुटायेगी। मैं यह कहता हूं कि हमारी सरकार ने जो वादे किये हैं, वह कार्यान्वित होने पर कांग्रेस (ई0) का सफाया हो जायेगा।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

*डा0 सरजीत सिंह डंग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय अशोक बाजपेयी जी के द्वारा प्रस्तुत महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के साथ अपने को सम्बद्ध करता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण और नेता विरोधी दल का विचार दोनों को बड़े ध्यान पूर्वक सुना है और मैं यह भी बराबर सदन में सुनता आया हूं कि कोई कल्याणकारी योजनाएं लागू नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि वित्तीय संसाधन का अभाव है और यह बात सिद्ध हो चुकी है कि पिछली सरकार के ही कारण प्रदेश वित्तीय दिवालियेपन के कगार पर पहुंच गया है। इसी संदर्भ में मैं माननीय नेता विरोधी दल को चन्द पंक्ति पेश करना चाहता हूं कि –"तू इधर-उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें राहजनों से मिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।"

मान्यवर, मिर्जापुर का विभाजन होने के पश्चात् सारे उद्योग-धंधे सोनभद्र जिले में चले गये और पिछली सरकार के समय से ही बराबर यह मांग चली आ रही है कि मिर्जापुर को उद्योग शून्य और पिछड़ा जिला घोषित किया जाय और इस वर्तमान सरकार से मेरा आग्रह है कि इसको शीघ्रातिशीघ्र उद्योग शून्य एवं पिछड़ा जिला घोषित करके कोई बड़ा सरकारी उद्योग लगाया जाय, जिससे वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके। मिर्जापुर में अलौह धातु उद्योग मृतप्राय होता जा रहा है। यह मुख्य उद्योग था, इससे हजारों लोगों को रोजी रोटी मिलती थी। सेल्स टैक्स अन्य प्रान्तों से अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण यह उद्योग नष्ट होता जा रहा है और व्यापारी नम्बर दो का काम करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि सेल्स टैक्स की दरें अन्य प्रान्तों में लगने वाली दरों को ध्यान में रखते हुए कम की जायं, जिससे ये उद्योग फिर से खड़े हो सकें।

मैं बेरोजगारों के बारे में कहना चाहता हूं, माननीय कल्याण सिंह जी ने भी बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही थी । जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता है, तो उनको कम से कम बेरोजगारी भत्ता अवश्य दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे सरकारी नियोजन की प्राथमिकता बदलेंगी । ऐसी स्थिति में यदि सरकार बेरोजगारों को काम नहीं देती है, तो यह उसका उत्तरदायित्व हो जायेगा कि उन्हें भत्ता दें । इससे जितनी फालतू योजनाएं हैं, जो अनुत्पादक योजनाएं हैं, वे नियोजन में नहीं आयेंगी और नियोजन में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा, इसका भी ध्यान सरकार रखेगी । मेरा इस सरकार से अनुरोध है कि बेरोजगारी भत्ता के बारे में आज या कल में स्पष्ट घोषणा हो जानी चाहिए । जनता दल के एक माननीय वक्ता ने कहा कि आरक्षण की नीति को लेकर के कभी कांग्रेस के लोग चिल्लाते हैं और कभी भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय हमारे पेट में कोई दर्द नहीं है, आप सिर दर्द की चिन्ता कीजिए। एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से इस सरकार से कि इस प्रदेश की जनता ने बड़ी आशाओं और अपेक्षाओं के साथ जनता दल को सत्तारूढ़ किया है। आज जनता दल इस प्रदेश की जनता का हृदय बन चुका है, इसीलिए उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि फूंक-फूंक कर कदम रखें । कहीं ऐसा न हो कि "बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा-ए-खूं भी न निकला ।

*श्री राम पाल सिंह एडवोकेट–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद देता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। समर्थन इसीलिए करता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने यहां पर जो अभिभाषण दिया है, उसमें कोई भी नीति नहीं दिखायी गयी है, केवल पुरानी बातें दोहराई गयी हैं। मैं दो एक उदाहरण देना चाहता हूं जिसके सम्बन्ध में मैं सत्तापक्ष के लोगों से निवेदन करूंगा कि वे विचार करें कि कौन सी चीज जनता के हित में है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में एक बात कही कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। लेकिन 2–3 महीने हो गये, भ्रष्टाचार में बढ़ोत्तरी हो गयी है और भ्रष्टाचार में कमी नहीं आयी है, इसको आप देखें, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं मिटता है तो जिस कारण से जनता ने हम सबको चुनकर भेजा है, उसका निवारण नहीं होगा । यहां ऐसा न हो कि एक पक्ष एक बात कहे और दूसरा उसका जवाब दे। यहां पर दो-एक मंत्रीगण हैं जिनके सम्बन्ध में आम चर्चा है, जैसे कि नगर विकास मंत्री हैं, ये जहां-जहां जा रहे हैं, वहां कोई न कोई डर जरूर पैदा हो रहा है। दूसरे मंत्रियों में ऐसा कोई डर क्यों नहीं है। चाहे रेवेन्यू हो या मुन्सिफ कोर्ट, कहीं भी कोई वातावरण नहीं बन पाया है जिसमें भ्रष्टाचार का निवारण हो पाए। मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए हर जिले में एक विजिलेंस सेल की स्थापना की जाय। वह हर कोर्ट में कभी-कभी जाय और इससे लोग जो अंधाधुंध कमाई कर रहे हैं, उसमें कुछ कमी आएगी। यह हम तभी कर पाएंगे जब हर जिले में इस सेल की स्थापना की जाय। हाईकोर्ट में जो बंधन लगा है, इस पर विचार करें कि कैसे उस बंधन को समाप्त किया जाय और इस तरह से सेल की स्थापना करेंगे तो जरूर भ्रष्टाचार में कमी आएगी। बिना इस सेल के भ्रष्टाचार में कमी नहीं आएगी । जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, उसको कम करेंगे, तो कैसे कम करेंगे, इसका कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर एक प्रश्न में आया था कि ट्यूबवेल रोज खराब हो रहे हैं । अगर ट्यूबवेल खराब हो रहे हैं तो उसका निराकरण कैसे हो, इसके बाबत राज्यपाल महोदय ने कुछ नहीं कहा क्योंकि रोज ट्यूबवेल ठीक कर दिये जाते हैं और दूसरे दिन जल जाते हैं । अगर ट्यूबवेल ठीक हो जाते हैं और आपरेटर्स ड्यूटी पर नहीं जाएंगे तो रोज ट्यूबवेल खराब रहेंगे । हमारे क्षेत्र गोण्डा में न कोई ट्यूबवेल है, बिजली की वहां बहुत कमी है । मैं निवेदन करूंगा कि ये ट्यूबवेल हमेशा ठीक हो जाते हैं और वही ट्यूबवेल हमेशा खराब रहते हैं । इस पर विचार करें । अगर सिंचाई की क्षमता बढ़ानी है तो उसके लिये इन सब समस्याओं का भी मौके पर निराकरण करें । अन्त में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के सम्बन्ध में और जनपद के सम्बन्ध में, गोंडा किसी न किसी कारण से अधूरा रह जाता है । चाहे जो भी कारण हो । बार्डर एरिया पड़ जाता है, नेपाल से मिला हुआ है । वहां पर न तो विद्युत की व्यवस्था ठीक है और न कहीं कोई ग्रामीण विद्युती-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करण हुआ है जो विद्युतीकरण हुआ है उसका परसेंटेज बहुत कम है । जो सड़कें हैं उनमें निर्माण बहुत कम है । जो मंत्री जी हुए हैं, वह बाराबंकी के उसी से हुए हैं। मुझे डर है कि फिर गोण्डा जनपद रह जायेगा । वह अपनी जगह खींच ले जायेंगे । इसका भी कोटा और बढ़ाया जाय गोंडा जनपद के लिये ताकि वहां विकास कार्य आगे बढ़ सकें । मेरी कांस्टीटूएंसी मुझाना है वहां पर नये-नये थाने बन गये हैं उनकी कोई बिल्डिंग नहीं है उन बिल्डिंगों को भी बनाया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया ।

श्री रीवदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की 14 करोड़ जनता को इस बात की बधाई दे रहा हूं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त बड़े-बड़े पूंजीपतियों की हिमायती कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया है। मान्यवर, पिछली सरकार ने जो दोहरी व्यवस्था लागू की थी उसी के कारण से अमीर अधिक अमीर हुए थे और गरीब और अधिक गरीब हुए थे । पिछली सरकार के मंत्रियों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये 80 करोड़ जनता की सारी गाढ़ी कमाई को 80 घरानों में पहुंचाने का काम किया है। मान्यवर, पिछली सरकार ने बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हितों के लिये जो कार्य किये हैं उसी के कारण से आज उत्तर प्रदेश के अंदर अनेकों प्रकार की समस्यायें व्याप्त हो गयी हैं । मान्यवर, आज वर्तमान सरकार प्रदेश के करोड़ों, गरीबों, असहायों, दलितों और ऐसे शोषित लोगों के आंसुओं को पोछने का काम कर रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि पांच तारीख को प्रदेश के मुख्य मंत्री रात में एक बजे फुटपाथों पर सो रहे तमाम गरीब लोगों को कम्बल बांटने का काम कर रहे थे । मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के आज विपक्ष में बैठे हुए लोग उस समय सो रहे होंगे । उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री गरीबों के बीच खड़े थे और उन्हें सर्दी से बचाने के लिये कम्बल बांटने का काम कर रहे थे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

लखनऊ में ही यह कार्य उन्होंने किया देहात में कम्बल नहीं बांटे ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

उस समय मैं भी उनके साथ था । वे गरीब लोग केवल बनियान और जांघिया पहने हुए थे, उनके बदन पर कुर्ता नहीं था, बोरा जरूर पड़ा था और फुटपाथ पर पड़े हुए थे । ऐसे असहाय लोगों को कम्बल बांटने का काम हमारे मुख्य मंत्री जी रात एक बजे कर रहे थे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य बीच में न बोलें, शांत रहें । माननीय मेहरोत्रा जी अपनी बात कहें।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

लखनऊ में स्टेडियम के कार्यक्रम की जो बात आप कह रहे थे, अभी प्रमोद तिवारी जी ने भी उसे कहा था । वह जो कार्यक्रम हुआ था, उससे हमारी पार्टी का कोई संबंध

नहीं था । प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सैकड़ों एसे मुहल्ले हैं, जहां पीने के पानी का इन्तजाम नहीं है । जहां सफाई का इन्तजाम नहीं है । पिछली सरकार ने केवल कागजों पर ही कर्यवाहियां की हैं । अनेकों काम कागजों पर हुए हैं कि फलां मुहल्ले में नल लग रहे हैं पम्प लग रहे हैं कहीं कोई काम नहीं हुआ है । सारे पैसे का बंटवारा किया गया है पिछली सरकार ने मंत्रियों और अधिकारियों के बीच में ? यही कारण था कि आज नयी सरकार को जनता ने चुनकर भेजा और उस सरकार को उखाड़ फेंका । पिछली सरकार के पुलिस जुल्मों की बाबत भी मैं आपके माध्यम से जिक्र करना चाहूंगा । पूरे प्रदेश के अन्दर पिछली सरकार द्वारा इनके कार्यकाल में इतनी पुलिस जुल्म की घटनायें हुयी हैं, थानों के अन्दर पुलिस की मार से लोगों की मौतें हुयी हैं और केवल थानों में ही नहीं, बल्कि इसी विधान सभा के सामने 29 फरवरी को अक्षयवर मल्ल की हत्या कराने का काम इस सरकार द्वारा किया गया । मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार के हाथ हजारों निर्दोष लोगों के खून से रंगे हुये हैं । इनकी ही सरकार के जमाने में मुरादाबाद के अन्दर कितने लोगों की हत्यायें हुयीं, इस प्रकार इस प्रदेश को इन कांग्रेसियों ने ही साम्प्रदायिकता की आग में डाला है । इसी कारण से आज यह मुह दिखाने के काबिल नहीं हैं और जनता ने इनको इसीलिये उखाड़कर फेंकने का काम किया है । मान्यवर, इन कांग्रेसियों को [xx] बोलने की आदत पड़ गयी है ।

श्री धर्मपाल–

मान्यवर, यह [xx] शब्द असंसदीय है, इसको निकाला जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर इस तरह का कोई शब्द आया होगा, तो उसको निकाल दिया जायगा ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, बिजली के दामों में वृद्धि इनकी ही सरकार ने करी और इसीलिये आज इनमें यह कहने का साहस नहीं है कि यह खड़े होकर कह सकें कि हमने गल्ती की अब यह सरकार बिजली के दामों में वृद्धि को वापस ले ले, इसी कारण आज पूरे उद्योग बन्द होने की कगार में आ गये हैं । मान्यवर, यह वही लोग हैं, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में मंत्री होकर [xx] करने का काम किया और इसीलिए इनको बार-बार सोनम की याद आती है, अखबारों के माध्यम से स्पष्ट किया जा चुका है कि जो कार्यक्रम स्टेडियम में हुआ था, उससे सत्तारूढ़ पार्टी का कोई संबंध नहीं था । यह वही लोग हैं, जो लगातार [xx] करते रहे हैं, इसीलिए इनको आज भी घुंघरुओं की बात याद आती है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, यह नव-निर्वाचित सदस्य हैं, इनको रोका जाय, यह असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ।

(इसी बीच कांग्रेस पक्ष के तमाम सदस्य उत्तेजित हो गये और एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

मेहरोत्रा जी, आप बैठें, आपका समय भी समाप्त हो चुका है और आप लोग भी बैठें ।

नोट:–[xx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री धर्मपाल–

मान्यवर, यह असंसदीय बात कह रहे हैं इनको रोका जाय ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, इसी कांग्रेस पार्टी में [XXX] बल्कि यह कहा जाय कि इस पूरी कांग्रेस पार्टी ने ही जनभावनाओं को कुचलने का काम किया है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, आप इनको रोक नहीं रहे हैं, यह लगातार असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किये जा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

मेहरोत्रा जी आप भाषण समाप्त करें ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, [XXX] शब्द संसदीय है, इनको मालूम नहीं है । मान्यवर, आप द्वारा निर्धारित समय समाप्त हो गया है, इसलिये मैं भाषण समाप्त कर माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(पुन: विरोध पक्ष के तमाम सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर–शोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मेहरोत्रा जी आप बैठिये, बाकी माननीय सदस्य भी बैठने की कृपा करें, जो शब्द असंसदीय होंगे, उनको कार्यवाही से निकाल दिया जायगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

पिछली सरकार में एक मंत्री थे, जो अब नहीं है, उनके लिये संभवत: कहा था।

*डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । [XXX] शब्द पूर्ण रूप से संसदीय है। इस पर आप बहस करा लें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस पर अपनी व्यवस्था दे चुका हूं ।

डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, कांग्रेस के कुशासन से ऊबकर इस देश और प्रदेश की जनता ने नई लोकतांत्रिक सरकार को बनाया है और इस लोकतांत्रिक सरकार से जनता को विश्वास है कि यह सरकार जनता के लिए काम करेगी । 42 वर्ष में पहली बार यह एक ऐसी सरकार जिसने गांवों की तरफ ध्यान दिया है । 50 प्रतिशत बजट का राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार

नोट :–[XXX] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के गांवों में खर्च करने के लिये राज्यपाल के अभिभाषण में घोषित किया है । इसके अतिरिक्त इसमें कार्य को मौलिक अधिकार से जोड़ने के लिए प्रदेश और केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा ताकि बेरोजगार, भुखमरी और हर गरीब परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को काम मिल सके। इसके लिए प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि कार्य को मौलिक अधिकार से जोड़ा जाना चाहिए ।

उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड कांग्रेस के कुशासन से उपेक्षित नहीं रहा है । 42 सालों में कांग्रेस का राज्य रहने के कारण पेयजल की समस्या आज भी वैसे ही बरकरार है । माननीय सदस्य जब बुन्देलखण्ड पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ प्रदेश और देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, औद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है, वहीं आज बुन्देलखण्ड पीने के पानी के लिए लड़ रहा है । यह कांग्रेसी सरकार जो आज तक वहां पीने के पानी नहीं दे पाई तो उससे विकास की आशा करना कोई दिमागी काम नही होगा । बुन्देलखण्ड की समस्या पहाड़ों की समस्याओं से भी जटिल है । सिंचाई की समस्या है पेयजल की समस्या है, औद्योगिकीकरण की समस्या है, भूमि सुधार की समस्या है और चिकित्सा की समस्या है । बुन्देलखण्ड की ये समस्यायें अपनी तरह की है । जब तक बुन्देलखण्ड के लिए केन्द्र से अलग बजट नहीं मिलेगा तब तक बुन्देलखण्ड का विकास सम्भव नहीं । मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार से प्रदेश सरकार यह संस्तुति करे कि पहाड़ों की तरह बुन्देलखण्ड के लिए भी अलग से बजट दिया जाय । आज वहां की सबसे जटिल समस्या है, दस्यु समस्या । कांग्रेस सरकार का आज भी वहां असर है । बुन्देलखण्ड में लोग आज भी असुरक्षित हैं । जब जन-प्रतिनिधि क्षेत्रों में जाते है तो वहां के लोग विकास की जगह पर यह मांग करते है कि उन्हें विकास नहीं चाहिए उन्हें डकैतों से सुरक्षा चाहिए । . .हमारी डकैतों से सुरक्षा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मैं चाहूंगा कि बुन्देलखण्ड के विकास के लिये ठोस योजनायें बनायी जायं वह दस्यु प्रभावित क्षेत्र है । केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार इस पर अलग से बजट दे

*श्री विमल प्रसाद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा चल रही है, उसमें मुझे भाग लेने का अवसर दिया । माननीय नेता, विरोधी दल ने इस अभिभाषण में जो संशोधन प्रस्तुत किये है, उनका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । वास्तविक बात भी यह है कि इस पूरे अभिभाषण को अगर ध्यान से पढ़ा जाय तो इसमें कहीं भी किसी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है । केवल दिशा निर्देश है कि हमें इस दिशा में काम करना है फलां काम करेंगे । एक विचित्र बात जो सदन में सामने आयी, जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है, जो लोग सत्ता पक्ष में बैठे है, उनको भ्रम है कि माननीय नेता, विरोधी दल नारायण दत्त तिवारी जी ही नेता, सदन है । हर सदस्य जो उधर से बोलता है, माननीय तिवारी जी के भय से डरा हुआ लगता है ।

सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के बोलने से घोर-व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

आपको भी समय मिलेगा, आप लोग शान्त रहें ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी–

मैंने स्वीकार किया कि मैं आतंकवादी दल से सम्बद्ध हूं मैं पूछना चाहता हूं कि भारत की सरकार ने आतंकवाद का समर्थन करके रूबिया की रिहाई क्यों स्वीकार की ? उन दुर्दान्त आतंकवादियों में एक पाकिस्तानी भी था, जिसके छूटने के बाद काश्मीर में आतंक बढ़ा । सत्य कटु होता है, उसे सुनने में कठिनाई होती है । कहा गया कि आरक्षण

(घोर व्यवधान)

नीति के विरुद्ध जो आन्दोलन चल रहा है, उसको कांग्रेस ने हवा दी है । राज्यपाल के अभिभाषण में आपने स्वीकार किया है कि आपकी सरकार अपने चुनाव घोषणा-पत्र में किये गये वायदे के अनुरूप वर्तमान आरक्षण नीति को मजबूती से लागू करेगी । वर्तमान आरक्षण नीति कांग्रेस के शासन की दी हुई है, जिसको लागू करने की आप बात कर रहे हैं । अगर भ्रम पैदा हुआ है तो उप प्रधान मंत्री देवीलाल के उस बयान से हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिये । राजेन्द्र त्रिपाठी जी जब इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे थे तो अंत में उन्होंने भी कहा कि मैं निवेदन करूंगा माननीय नेता, सदन से कि वह इस पर विचार कर लें कि आरक्षण की नीति का आधार आर्थिक होना चाहिये ।

माननीय प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे कि आपके दो मुंह हैं, स्पष्ट है कि आपके दो मुंह हैं क्योंकि आप वैसी ही बात कर रहे हैं । कभी-कभी सदन में ऐसा लगता है कि आपका भाषण ऐसा है जैसे चुनावी भाषण हो । आप 10 हजार रु0 तक कर्ज माफी की घोषणा कर रहे हैं कितनों ने पढ़ा राज्यपाल अभिभाषण में लिखा है कि छोटे किसान, भूमिहीन कृषि मजदूरों, दस्तकारों और बुनकरों को राहत दी जायगी 10 हजार रु0 से कम के कर्जे पर । ऐसा लगता है कि 'राहत' और 'माफ' का अन्तर आप नहीं समझते हैं । जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हम तो विरोध में बैठे हुए हैं, कब तक आप हमें कोसेंगे ? यह आपकी अब जिम्मेदारियां हैं, आपके ऊपर दायित्व है प्रदेश के शासन को चलाने का । बार-बार आप इस माननीय सदन में माननीय नेता विरोधी दल की आलोचना करके, इधर बैठने वाले सदस्यों की आलोचना करके अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। आपको बतलाना पड़ेगा कि कौन से कार्यक्रम हैं जिनको चला कर आप गंहगाई को दूर करेंगे, वे कौन से कार्यक्रम हैं जिनके जरिये आप गरीबों की स्थिति में सुधार करेंगे, आपको उन कार्यक्रमों को बतलाना पड़ेगा । यह राज्यपाल का जो अभिभाषण है देखा जाय तो इसकी छपाई पर जितना पैसा खर्च हुआ उतना भी इसका मूल्य नहीं है । इसमें लिखी थोथी बातें ऐसी नहीं हैं कि जिनकी कि प्रशंसा की जाय ।

(इस समय 3 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था कि कब तक जनता दल की सरकार के सत्ताधारी लोग हमारी आलोचना कर पायेंगे ? माननीय नेता विरोधी दल ने अपना संशोधन पेश करके यह सिद्ध कर दिया कि वे रचनात्मक सहयोग सत्ता पक्ष का देना चाहते हैं परन्तु यदि आप वह रचनात्मक सहयोग नहीं लेना चाहते हैं तो वे इसके लिये क्या कर सकते हैं ? इसके साथ ही मैं नेता विरोधी दल के द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं ।

*श्री धर्मपाल (बुलन्दशहर)–

सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चल रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया । वास्तव में देश की जन शक्ति ने प्रदेश की जन शक्ति ने इस देश को और प्रदेश को नई सरकारें दी हैं । और यह नई सरकारें इस रूप में दी हैं कि कितने निष्पक्ष, कितने निडर और कितने शक्तिशाली रूप में माननीय मुख्य मंत्री, श्री मुलायम सिंह जी यादव जन शक्ति के रूप में उभर कर सामने आये हैं । इस देश में वास्तव में बहुत वर्षों के बाद आम जन मानस ने यह महसूस किया है कि उनके बीच का एक आदमी, उनके बीच की एक सोच, वास्तव में सही जगह पर पहुंची है । यह सोच मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव के रूप में हमारे बीच में है । वास्तव में यह किसी कम्प्यूटर की सोच नहीं है न किसी एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए लोगों की सोच है ।

यह सोच किसानों की सोच है, पीड़ितों की सोच है, दलितों की सोच है, शोषितों की सोच है । मैं अपने माननीय विपक्ष के सदस्यों से एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी लगायी हुई आग पंजाब में अभी तक बुझी नहीं है, आपकी नीतियों के कारण ही मौत का ताण्डव काश्मीर में नाच, नाच रहा है । अब नये वक्त ने नया आयाम इस प्रदेश में मुख्य मंत्री के रूप में दिया है तो फिर उसका विरोध क्यों ? दोस्तों, यह नई सुबह है, नई सरकार है, नया आयाम है । वर्षों के बाद तवारीख के जरिये नया सवेरा हुआ है । हमारी विनती है कि आईये, इस नई सुबह का स्वागत करें ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि मैं जिस क्षेत्र व जनपद का हूं उसका नाम बुलन्दशहर है मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं, उसका नाम बुलन्दशहर है । कहने के नाम पर तो बुलन्दशहर पिछली सरकार का वी0 आई0 पी0 का डिस्ट्रक्ट रहा है । 5-5 व 6-6 मंत्रियों की लाल बत्ती लगी हुयी गाड़ियां वहां हमेशा घूमती रहती थीं ।इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बुलन्दशहर में विकास के नाम पर आज तक कुछ भी प्रगति नहीं हुयी है ।

मान्यवर, माननीय सदस्य, विपक्ष अभी कह रहे थे कि बदले की भावना से कार्य किए जा रहे हैं, मैं उनके द्वारा कही बातों के व कार्यों के बारे में कहना चाहता हूं कि आप लोग इतना डरे क्यों हैं, जो कार्य आपने किए हैं, उनके बदले में दुश्मनी या नफरत ही मिलेगी, ऐसा क्यों सोच रहे हैं, प्यार भी मिल सकता है, वैसे भी आप करुणा के पात्र हैं, इस पर आपको प्यार ही दिया जायेगा । जहां तक मेरा सरकार का मामला, इस संबंध में मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि. . . . (एक साथ कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर व्यवधान) . . .

इन्हीं शब्दों के साथ, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति प्रदान की । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुख्य मंत्री के पद पर आने के बाद ही प्रदेश के नाम पर अपने संदेश में पहाड़ों के विकास पर एक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बयान दिया था, जिससे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों में काफी आशाएं जागी थीं, परन्तु महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो कि सरकार की नीतियों, भावी कार्यक्रमों एवं विनिश्चयों आदि का संकलन होता है, में कोई उल्लेख नहीं है कि पर्वतीय विकास की स्पष्ट रूप से क्या रूप रेखा होगी तथा क्या-क्या प्राथमिकताएं होंगी और उनके माप-दण्ड क्या होंगे और इन लक्ष्यों की प्राप्ति की रणनीति क्या होगी ? इनमें से किसी बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है ।

मान्यवर पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए आज पर्यावरण बाधक बन गया है, इसी प्रकार से हमारी वन नीतियां बाधक बन गयी है तथा वन संरक्षण नियमों के द्वारा भी सारे पर्वतीय क्षेत्र के विकास में रूकावट बन गये हैं । इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा सरकार को सुझाव है कि पर्यावरण और विकास के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करके बिना विनाश के विकास की नीतियां वहां पर बनायी जायं ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि पहाड़ों पर जब योजनाएं बनायी जाएं तो जनसंख्या के आधार माप दण्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि विकास के कार्यों की दुर्गमता एवं भौगोलिक स्थिति जैसी चीजों को देखकर आधार बनाए जाएं । यदि आप वास्तव में वहां पर विकास कार्य करना ही चाहते हैं तो वहां पर प्रशासनिक इकाइयां छोटी-छोटी बनायी जाएं और उनका वहां पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए इसी प्रकार से ब्लाक स्तर पर, तहसील स्तर पर व ग्रामों के स्तर पर सभी प्रकार की प्रशासनिक इकाइयों का छोटे स्तर पर पुनर्गठन किया जाए, तभी वहां पर विकास कार्य संभव है, दूसरे जब तक सत्ता व नियोजन का विकेन्द्रीकरण वहां पर नहीं किया जाता है, तब तक वहां का विकास संभव नहीं है और साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि वहां पर जो क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये हैं, उनमें जितने भी अधिकारी हैं चाहे वह निदेशक के रूप में हों, चाहे चीफ इन्जीनियर्स के रूप में हों, उनको पूरे अधिकार नहीं दिए गये हैं, अभी भी उन विभागों के अधिकारियों को प्रदेशीय सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है छोटी-छोटी समस्याओं पर भी, इसलिए मेरा अनुरोध है कि वहां जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उन्हें अधिकार सम्पन्न किया जाए और साथ ही सत्ता व नियोजन का विकेन्द्रीयकरण किया जाना आवश्यक है ।

मान्यवर, कृषि के क्षेत्र में, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में, वहां पर निश्चित नीति सरकार की ओर से बननी चाहिये कि जो भी उत्पादन हो वह इस प्रकार का हो कि उसका आयतन कम हो भार कम हो और कीमत अधिक हो । दूसरी बात यह है कि यह क्षेत्र रेल हेड से दूर पड़ता है और चीजों को वहां से लाने और ले जाने में काफी पैसा देना पड़ता है, इसलिये चीजें बहुत महंगी हो जाती हैं और गाड़ियों में जो भाड़ा पड़ता है, उसमें परिवहन सब्सीडी की व्यवस्था होनी चाहिये । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना होनी चाहिये । इसका कारण यह है कि मैदानी क्षेत्र के जो लोग चुनकर वहां जाते हैं, वह वहां पर रहना पसन्द नहीं करते हैं और स्थान रिक्त पड़े रहते हैं । सेवाओं के लिये हिल कैडर बनाना बहुत ही आवश्यक है । मान्यवर, कृषि के क्षेत्र में, किसी भी नकदी फसल का समर्थन मूल्य

निर्धारित नहीं किया गया है । सरकार को चाहिये कि वह उनका समर्थन मूल्य घोषित करे और जो नकदी फसलें हैं, उनके विपणान का सारा दायित्व सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप का समय समाप्त । आप अपना स्थान ग्रहण करें

*श्री संगम लाल शुक्ला–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, तमाम सदस्य इससे पहले बोले हैं और तमाम बातों पर रोशनी डाल चुके हैं, तो मैं उन बातों को अपने भाषण में दुहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ मूल बिन्दुओं पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, आरक्षण की बात कही गयी है, हम लोग जब छोटे-छोटे थे, उस समय डा0 लोहिया के नेतृत्व में उनकी नीतियों पर चलते हुये कहते थे कि–

"पिछड़े पावें सौ में साठ, सोशलिस्टों ने बांधी है गांठ ।"

हम उनकी विचार धारा को जोरदार ढंग से समर्थन करते हैं, लेकिन उसके कार्यान्वयन में अब तक जो गलती हुई है, उसे नजरन्दाज नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आरक्षण का कोटा आई0 आर0 डी0 की तरह, जैसा कि कुछ समय के लिये आई0 आर0 डी0 योजना में नाम चयनित किया जाता है और यह मान कर चला जाता है कि 10 साल में वे गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जायेंगे और दूसरे साल दूसरे लोगों को उप सूची में शामिल किया जाता है, उसी प्रकार से आरक्षण की नीति को लागू करना चाहिये । 10 साल का या 5 साल का समय बांध देना चाहिये कि जिन लोगों को आरक्षण दिया जा चुका है, उनको अलग कर दिया जाये । हजारों लोग पड़े हैं, जो विशेष अवसर का लाभ उस आरक्षण के अंतर्गत ले लेते हैं और बाकी वंचित रह जाते हैं. इसलिए मेरा सुझाव है कि जो एम0एल0ए0, एम0पी0 हैं, उनको आरक्षण के कोटे से मुक्त किया जाये, वह चाहे जिस जाति का आदमी हो । जो व्यक्ति एम0 एल0 ए0 या एम0 पी0 बन जाता है, तो उसको आरक्षण कोटे में नहीं रहना चाहिये । इसी प्रकार से आई0 ए0 एस0, आई0 पी0 एस0 और पी0 सी0 एस0 के लड़कों को आरक्षण के कोटे से अलग कर देना चाहिये ।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि आयकर दाता जो होते हैं वे अपने बच्चों को नौकरी लगाने के लिये सक्षम होते हैं । इसलिये आयकर दाताओं को आररक्षण कोटे से अलग करना चाहिए ।

चौथा सुझाव मेरा यह है कि टैक्निकल एजूकेशन जैसे डाक्टरी है, इंजीनियरिंग है, इसमें आरक्षण का प्राविधान नहीं होना चाहिए । मेरी मान्यता है कि आप टैक्निकल एजूकेशन लेने के पूर्व चाहे जितना आप उन्हें हास्टल में रखें, अनुदान दें या उन्हें जितनें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पढ़ने के साधन मुहैय्या करा दें लेकिन उसके बाद आरक्षण नहीं होना चाहिए । इसलिये इंजीनियरिंग और डाक्टरी में आरक्षण कोटा नहीं होना चाहिए । अन्यथा भयंकर कांड हो जाया करते हैं, यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है और अनुभव है ।

पांचवा मेरा सुझाव यह है कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए । क्योंकि अगल-बगल में बैठे लोग मेहनत करके अपना काम करते हैं और दूसरे निठल्ले बैठे रहते हैं, आरक्षण के चलते उन्हें प्रोन्नति मिल जाती है बगल में बैठने वाले जब अफसर बन जाते हैं तो उनके साथ में बैठने वाले के मन में कुढ़न होती है जिससे सारे प्रशासन का काम चौपट हो जाता है इसलिये मेरा सुझाव है कि आरक्षण प्रोन्नति में नहीं होना चाहिए ।

मान्यवर, मैं प्रतापगढ़ से आता हूं । वहां से केन्द्र में भी मंत्री हुआ करते थे और राज्य में 3/4 मंत्री हुआ करते थे । जब प्रमोद तिवारी चहक रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी । . . .(लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, मैंने तो अभी शुरुवात ही की है । प्रतापगढ़ में जितनी भी विकास की योजनायें हैं वे सब प्रमोद तिवारी कुंडा में ले गये । इसी तरह की वहां पर एक आटो फैक्टरी है जिसके सी0 एम0 डी0 श्री ए0 पी0 सिंह हैं । वे लखनऊ में बैठे हैं और सारे कारखाने का काम चौपट हो गया है । इसी तरह से हमारे यहां चीनी मिल का, सीवरेज का और पुलों का उद्घाटन तो हो गया किन्तु उसका कार्यान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र के विषय में ध्यान दिया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(श्री अकबर हुसैन बाबर का नाम पुकारे जाने पर)

(घोर व्यवधान)

एक सदस्य–

मान्यवर, कृपया सदन को व्यवस्थित कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

जो नये सदस्य हैं वे अपना नाम कृपया मुझे दे दें ।

*श्री अकबर हुसैन बाबर–

श्रीमन्, इस सदन में माननीय नेता विरोधी दल तथा माननीय नेता सदन को सुनने का मुझे अवसर मिला है । पिछले सत्र में माननीय नेता विरोधी दल को और इस सत्र में माननीय नेता सदन को, दोनों नेताओं को सुनने का अवसर मिला है । माननीय नेता विरोधी दल पिछले सत्र में जब बोल रहे थे तो दिल्ली की गद्दी पर सम्राट राजीव गांधी बैठे हुये थे । पिछली बार इस सदन के अन्दर नेता विरोधी दल जब नेता सदन के रूप में बोलते थे और उस जमाने में जिस भाषा का वह प्रयोग करते थे वह सुनने को नहीं मिली । वह एक विद्वान सदस्य हैं इस पक्ष और उस पक्ष के सभी लोग उनका सम्मान करते हैं वह संसदीय प्रणाली के ज्ञाता हैं उनकी स्थिति इस सदन में पितामह की सी है । पिछले सदन में उनकी वाणी में वह आवाज थी जो दुर्योधन को सम्बोधित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करते हुये भीष्म पितामह बोल रहे थे और इस बार जो मैंने उनको सुना और माननीय कल्यान सिंह जी की भी आवाज मैं सुन रहा था तो उनकी आवाज ऐसी ही थी जैसे महाभारत के समय अर्जुन की वाणों की शैय्या में पड़े भीष्म पितामह की आवाज हो और उनको ज्ञान तब आया जब वह वाणों की शैय्या पर थे तो यही स्थिति माननीय नेता विरोधी दल की है तो हम उनके ज्ञान का स्वागत करते हैं ।

श्रीमन्, नेता विरोधी दल को बड़ी चिन्ता थी 10 हजार तक के कर्जे की माफी पर–"सांप छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं" तो न वह सच्चाई की मुखालफत करना चाहते हैं और न उसका समर्थन । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बोलें ।

श्री अकबर हुसैन बाबर–

माननीय नेता विरोधी दल बड़े चिंतित थे इस विषय पर जब भ्रष्टाचार का जिक्र हो रहा तो हर कोई आदमी को चिंतित होना चाहिए जो मुजरिम होता है उसकी आत्मा चिंतित होती है ऐसे ही उनकी आत्मा भी चिंतित थी । माननीय नेता विरोधी दल लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे । हमने यहीं अक्षयवर मल की हत्या होते देखा है और इसी लोकतंत्र के मंदिर में जो भाई आज विपक्ष में बैठे हैं उन्हीं के रहते उन्हीं के दल के लोगों को सुना है कि पुलिस ने हमें पीटा है उन्हीं के दल के एक माननीय सदस्य डाक्टर साहब बनारस में पुलिस द्वारा पीटे गये और बलिया के माननीय सदस्य पीटे गये । आज उनको बड़ी परेशानी हो रही है नेता विरोधी दल को जुल्म की बात सुनने में । उस समय लोकतंत्र मर गया था और आज उस लोकतंत्र की कब्र से माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे हैं । (व्यवधान) हमने मौका दिया है विरोधी दल के लोगों को उधर से बोलने वालों को, आज यह पहली बार है जब उन्होंने यहां से अपना नेता विरोधी दल को चुना है इसी तरह हमें भी मौका है इस सदन के विधायकों में से नेता सदन चुनने का मैं उसके लिये जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने नेता चुनने का अवसर दिया है । कांग्रेस के जमाने में तो दिल्ली से नेता चुन कर आते थे ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें । (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का एक पत्र मिला है कि आज उनके दल के नेता को आधे घंटा बोलने के लिये दिया जाय (व्यवधान) ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि अब औरों को समय न दिया जाय लेकिन जो नये सदस्य आये हैं वह मेरे पास नाम भेज दें तो मैं देख लूंगा । (व्यवधान) बाबर जी, आप बैठें आपका समय हो गया है । (व्यवधान)

(समय 4 बजकर 20 मिनट पर)

(घोर व्यवधान)

बाबर जी, अब आप बैठ जाइये ।

श्री अकबर हुसैन बाबर–

यह ताला इन्होंने नहीं खोला, इसे इनकी सरकार के जमाने में . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइये । आप देखिए कि कितने लोग बोलने के लिए एक साथ खड़े हैं । आपसे निवेदन है आप बैठ जाइये, आपका समय समाप्त हो गया है । जो नए सदस्य हैं वह अपनी स्लिप भेजें । विद्यार्थी जी, कृपया आप बैठ जाएं . . . (व्यवधान) आप इसी में समय नष्ट करेंगे तो कैसे चलेगा ? द्विवेदी जी आप बोलें न । द्विवेदी जी, नहीं बोलना चाहते हैं तो वह बैठ जाएं ।

श्री संत श्रीराम द्विवेदी–

मान्यवर, मुझे बोलने का अवसर तो मिले, बोलने तो मुझे लोग दें । मैं खड़ा हूं बोलने के लिए लेकिन भाई मुझे बोलने नहीं दे रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सबको समय मिलेगा, आप बैठ जाएं, उनको बोलने तो दीजिए . . . (व्यवधान) अब 10/15 मिनट आप यही कर लीजिए ।

श्री सन्त श्रीराम द्विवेदी–

मेरा पहला निवेदन आपसे यह है कि यह जो मेरा व्यवधान में समय गया है, मेरे समय में उसको न शामिल कीजिएगा और इसका आप मुझे आश्वासन दीजिए । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पिछली सरकार थी और इस समय हमारे सामने बैठी है, इनके नियोजन के कारण और इनकी कमजोरी के कारण पूरे देश के पैमाने पर सारा देश और प्रदेश आर्थिक रूप से चरमरा गया था, देश के अन्दर भयंकर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा । मैं इसी सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने जनता दल की सरकार ने सबसे पहले प्रदेश में और देश के अन्दर मा0 प्रधान मंत्री ने सत्ता और अर्थ के विकेन्द्रीकरण की ओर ध्यान दिया है और उस पर बल दिया है । उसका नतीजा यह है कि हमारे उधर बैठे साथी जानते हैं कि कांग्रेस के चलते सत्ता और अर्थ का केन्द्रीकरण हुआ था । आज पहली बार उत्तर प्रदेश विधान सभा में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो प्रस्ताव रखा है, जिस तरह अपनी बातें रखी हैं, जिस तरह का अभिभाषण है, उससे यह मंशा झलकती है, उससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में वह प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं । पिछली सरकार में नई शिक्षा नीति की बात सुनते-सुनते हमारे कान पक गये थे । पहली बार उत्तर प्रदेश के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा की है कि हम एक तरह के स्कूल चलाएंगें । नेता विरोधी दल ने उसके विरुद्ध जैसी वकालत की है कि दोहरी शिक्षा नीति को चलना चाहिए और पब्लिक स्कूलों को चलना चाहिए वह बहुत ही गलत और अनुचित बात है । हमारी जनता दल सरकार ने जो निर्णय लिया है, एक तरह की तालीम के बारे में, वह बहुत अच्छी बात है । दोहरी शिक्षा नीति के चलते हमारे देश में विषमता पैदा हुई है और अलगाववाद को पनपने का मौका मिला है और लोगों के बीच में मतभेद पैदा हुए हैं । हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो फरमाया और जो आधारशिला रखी है, आने वाले समय में अंग्रेजी स्कूलों में ताले लगेंगे । सारे के सारे पब्लिक स्कूल बन्द होंगे । एक जैसी विद्या दिलाई जाएगी ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सन्त श्रीराम द्विवेदी–

कांग्रेस राज्य के चलने देश और प्रदेश में साम्प्रदायिकता का जाल फैला है, आतंकवाद का जाल फैला है । जनता ने इस बुनियादी कार्य को अपने हाथ में लिया है और दृढ़ता का परिचय दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सन्त श्रीराम द्विवेदी–

देश में आतंकवाद को रोकने के लिए विशेष दस्तों का गठन करायें । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो अशोक बाजपेई जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

*श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के उपर मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं धन्यवाद इसलिए और देना चाहता हूं कि मुझे अपने बृज क्षेत्र के बुनियादी प्रश्न को रखने का मौका दिया । महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण है वह सरकार के क्रिया करने का , कार्य करने का दर्पण है, प्रतिबिंब माना जाता है । इसमें कोई नयी चीज नहीं रखी गयी है जिससे कि जनता को राहत मिल सके । इस समय जनता दल के लोग सत्ता में आए हैं जो बाहर दूसरी बात करते हैं और सदन में कुछ और कहते हैं । इनकी दोनों बातों में बड़ा अन्तर है । इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर देखने को मिलता है । किसानों को बड़ी भारी आशा थी कि गन्ने के भाव ऊंचे होंगे । गन्ना ऊंची दरों पर खरीदा जायेगा और देखने को मिला कि तीन रुपये मात्र बढ़ाए गये । जनता में और किसानों में निराशा छाई है । दूसरी बुनियादी सवालों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । गांव में रहने वाले जो लोग हैं वहां एक घर पर मात्र एक किलो चीनी मिलती है और शहरों में रहने वाले लोगों को एक किलो प्रति यूनिट चीनी दी जाती है इसमें बड़ा भारी बुनियादी अन्तर है । इसका समावेश इसमें नहीं किया गया है और बातों की तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, बिन्दु-16 देखें इसमें दर्शाया गया है कि विद्युतीकरण की दरें बढ़ाई गईं यह लोग कहेंगे कि हमारे दल की सरकार ने बढ़ाई थीं, लेकिन जो कहकर वोट मांगकर यह सत्ता में आए हैं, तो आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं ? जो चुनाव के समय वायदे किए थे कि हम 24 घंटे में से 20-22 घंटे बिजली देंगे, लेकिन देखने को मिला कि कुर्सी पर बैठते-बैठते माननीय नेता सदन जो हमारे बीच इस समय नहीं बैठे हैं, उन्होंने घोषणा की कि 14 घंटे बिजली लेकर किसानों को सुविधा देंगे । 14 यंटे के बाद वह 10 घंटे पर आ गये और उसके बाद भी बिजली नहीं मिल रही है । बृज क्षेत्र अंधकार में डूबा है । बिजली के नाम पर एक घंटे भी बिजली नहीं आती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्वीक्षण नहीं किया ।

मथुरा की बात मैं कह रहा हूं, बृज की बात कह रहा हूं । मान्यवर, विन्दु-21 की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सस्ता न्याय प्रदान करने की बात आपने कही है मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से पूंछना चाहता हूं कि सस्ता न्याय प्रदान करने की बात जो इसमें कही गई है उसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है ? अभिभाषण सरकार की नीतियों का दर्पण होता है । वादकारी के हित को ध्यान में रखते हुए आप क्या करने जा रहे हैं ? कितने लम्बे समय से वकीय समुदाय हड़ताल पर है पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ स्थापित करने के संबंध में सिद्धान्त रुप में मानने को सरकार तैयार नहीं है हम कैसे मान लें कि आप सस्ता न्याय प्रदान करने के लिए कीटबद्ध हैं ? मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यह जो अभिभाषण है इसमें मथुरा की जो समस्यायें हैं उनका कोई समावेश नहीं है । गोकुल बैराज , आगरा बैराज, मथुरा में यमुना नदी पर पुल, शेरगढ़ में यमुना नदी पर पुल और यमुना की बाढ़ से जो कटान हो रहा है उन गांवों की कटान की विनाशलीला रोकने के लिए सरकार क्या करने जा रही है उसका इसमें कहीं कोई समावेश नहीं है । हमारे यहां हरियाणा का जो पानी आता है जिससे मथुरा की जनता त्रस्त रहती है उसका निराकरण कैसे होगा इसका भी इस अभिभाषण में कोई समावेश नहीं है । मैं आपको धन्यवाद देते हुए माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन पेश किये हैं उनका समर्थन करता हूं ।

*श्री रामधनी–

मान्यवर, आपने जो मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

एक सदस्य–

अध्यक्ष महोदय, मैं पुराना सदस्य हूं ।

श्री अध्यक्ष–

यह भी पुराने सदस्य हैं, बहुत साल बाद चुनकर आये हैं । आपको भी मौका मिलेगा ।

*श्री रामधनी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि धरती के पुत्र, गरीबों, किसानों के रहनुमा, शेरेदिल माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह इस प्रदेश से भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, माननीय चौधरी चरण सिंह, डा0 राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के सपनों को पूरा करने का जो उन्होंने व्रत लिया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । मैं कहना चाहता कि वह पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने शासन में आते ही, शपथ लेने के बाद बड़ी दिलेरी से घोषणा की कि चुनाव के समय जिन घोषणाओं को किया गया है उनको लागू किया जायगा । उन्होंने कहा कि गन्ने का मूल्य कम है और उसको 41 रुपया करने जा रहे हैं । उन्होंने यह भी सदन के पहले घोषणा की कि 10 हजार रुपये तक के जो ऋण हैं उनको माफ करने जा रहे हैं । उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में जो बेरोजगारी बढ़ी है उसका उन्मूलन होगा ।

मैं आपके माध्यम से अपने जनपद गाजीपुर जो पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा जिला है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पिछले 40 सालों में सिर्फ दो सालों को छोड़कर वहां पर कोई विकास का काम नहीं किया गया है । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1962 में गहमरी साहब लोक सभा में यह प्रस्ताव लाये थे कि गाजीपुर में अब तक कुछ नहीं हुआ है । उन्होंने कहा था कि गाजीपुर में सड़कें, स्कूल, अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है । तो उस समय मान्यवर, एक पटेल आयोग बना था । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस शासन में पटेल आयोग की सिफारिशों पर कोई काम नहीं किया गया । मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गाजीपुर जो सबसे पिछड़ा जिला है वहां पर सड़कें, अस्पताल, स्कूल, बनाने के लिए अधिक से अधिक धन का आवंटन करना चाहिए । मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार जो हरिजनों की दुहाई देती थी उसने कभी आरक्षण को पूरा नहीं किया । यहां तक फोर्थ क्लास में जो स्वीपर की पोस्ट है उसका भी कोटा पूरा नहीं हुआ है यह बड़ी शर्म की बात है । हरिजनों की दुहाई देने वाली सरकार के जमाने में हरिजनों की सामूहिक हत्यायें हुयीं, हरिजनों के सामूहिक रूप से घर जलाये गये और हरिजनों की सबसे बड़ी अवहेलना हुयी है । मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार "हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और" की भांति थी । इन शब्दों के साथ मैं माननीय अशोक बाजपेयी के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री फौजदार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं दो शब्द अपने रखना चाहता हूं । अभी आरक्षण के संबंध में जो बात चल रही थी, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि अभिभाषण में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ, तो क्यों नहीं पूरा हुआ है । मैं चाहता हूं कि आरक्षण को अभिभाषण में जोड़ दिया जाय तथा कोटा अविलम्ब पूरा किया जाय ।

दूसरी बात यह कि मान्यवर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग आज भी असुरक्षित हैं । उसकी सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था पुलिस की की गयी है, वह तो है ही, लेकिन उसके साथ-साथ हम चाहते हैं कि जो बन्दूकों के लाइसेंस देने के लिए प्रतिबन्ध लगाया गया है, वह लाइसेंस उनको दिया जाय, ताकि वे अपनी सुरक्षा कर सकें । जो कमजोर वर्गों के लिए यह बात कही गयी है, मैं बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जो बड़े पूंजीपति और जो बड़े काश्तकार लोग हैं, वे कितने हैं ? उनके पास 1 हजार एकड़ से लेकर 5 हजार एकड़ तक की कितनी भूमि है ? इनकी भी संख्या अभिभाषण में रखी जाय कि कितने लोग कितने हजार एकड़ जमीन रखे हैं और जमींदारी उन्मूलन के बाद फिर भी इस प्रदेश के अन्दर इतने बड़े काश्तकार लोग हैं । उनसे जमीन क्यों नहीं निकाली गयी है ?

दूसरी बात मैं मुसलमानों की सुरक्षा के लिए कहना चाहता हूं कि अभिभाषण में कहा गया है कि अल्प संख्यकों की सुरक्षा उनमें जागृत हो । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किस नियम के अंदर उनकी सुरक्षा जागृत होगी इस पर कोई नियम बनेगा ? उनके लिए यह नहीं कहा गया है कि उनकी सुरक्षा किस नियम के तहत

रखी जाय या बनाई जाय । अभिभाषण में तो यह कहा गया है कि ताकि उनके अन्दर सुरक्षा की भावना जागृत हो सुरक्षा की गारन्टी नहीं है । मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को यह सरकार कब तक लागू करना चाहती है । इस बात को निर्धारित करना चाहिए और मण्डल कमीशन की रिपोर्ट में जो है, वह किन-किन क्षेत्रों में मण्डल कमीशन लागू किया जाय, इस चीज को भी अभिभाषण में रखा जाय और 42 सालों में कांग्रेस सरकार ने जो यह पूरा नहीं किया, उसको मैं क्या कहूं, वर्तमान सरकार का मैं स्वागत करूंगा, जब वह मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को शीघ्र वर्तमान सरकार पूरा कर दे । पिछली सरकार ने जो काम पूरा नहीं किया, उसको वर्तमान सरकार पूरा करे । यह बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है, जिसने सत्ता को उधर ऊंचे से इधर नीचे कर दिया । यह बहुजन समाज पार्टी की देन है कि इसने सरकार को उधर से इधर कर दिया । मैं चाहता हूं कि वर्तमान सरकार दलित शोषित पिछड़े वर्ग के लोगों को पूरा हक और अधिकार दे । जिस संविधान के तहत यह सरकार चल रही है, उस संविधान के निर्माता बाबा साहब डाक्टर अम्बेदकर की तस्वीर इस सदन में अविलम्ब लगाई जाय । इसके लिये बहुजन समाज पार्टी हमेशा संघर्ष करती रहेगी ।

*श्रीमती कमला साहनी–

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, जनता की कल्याणकारी सरकार की संज्ञा देने वाले इन लोगों ने किस तरह से सब्जबाग दिखाकर प्रदेश के लोगों के वोट छीने है, इसको पूरा प्रदेश ने देखा है । दस हजार रुपये तक के कर्जे माफ करने की बात कह कर लोगों को गुमराह किया गया है और जब कर्जे माफ करने की बात आयी तो कहते है कि दिल्ली से पूछेंगे । अगर ऐसा था तो उसी समय कहते कि दिल्ली से पूछ कर निर्णय करेंगे ।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लोक कल्याण की बात कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती । उसमें महिलाओं के कल्याण और बालिकाओं की शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा गया है । लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने की बात नहीं कही गयी है । वैसे भी महिलाओं को विकास के मार्ग पर ले जाने के लिये अलग से कोई बात नहीं कही गयी है । इतना ही नहीं, अपने को पिछड़े वर्ग का खैरख्वाह कहने वाली सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिये कुछ नहीं कहा, जबकि पिछड़े वर्गों के वोट समेट लिये है । लेकिन उनके आगे बढ़ने के लिये, उनको विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिये कोई बात नहीं कही है । लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं कि ये लोग कह भी क्या सकते है ? इनमें बहुत सी दीवारे है, खुद ही अलग-अलग बिखरे है, कुर्सी के लिये एक साथ दिखाई पड़ रहे है । इसके बारे में एक शेर कहना चाहती हूं "कुर्सियां फुटपाथ के जजबात से अवगत नही, हर तरफ दीवार है, कोई छत नहीं, थाम कर पतवार, सब मल्लाह बैठे नाव में, पर सभी एक तरफ चलाने को सहमत नहीं ।" तो मान्यवर, ऐसी सरकार जिस नाव में बैठी हो, जिसमें बैठे हुए लोग अपनी दीवार विभिन्न दिशाओं में तोड़ रहे हों तो कैसे गरीबों का कल्याण होगा और कैसे गरीब और महिलाएं आगे बढ़ेंगी, कैसे लड़कियों को समान शिक्षा देंगे और कैसे पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ायेंगे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और ऊंचे स्थान पर पहुंचाएंगे, इसका आंकलन आसानी से किया जा सकता है । इस-लिये मान्यवर, मा0 नेता विरोधी दल द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करती हूं और अपना भाषण समाप्त करती हूं ।

श्री रवीन्द्र सिंह चौहान–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत आभारी हूं । मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दस्यु प्रभावित जनपदों के विकास के लिये कोई रूपरेखा नहीं दिखाई गयी है । इटावा की जमुना चंबारी आदि नदियों पर बनने वाले पुलों को रोक दिया गया है । मा0 नेता सदन जब कह रहे थे, इटावा में हुए कार्यों पर चर्चा कर रहे थे, तब मा0 नेता विरोधी दल ने कहा कि सरकार बदले की भावना से कर रही है तो मुख्य मंत्री जी से जानना चाहा कि कौन सा कार्य कर रहे हैं, तो मैं इटावा जनपद की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इटावा जनपद जो कि दस्यु प्रभावित क्षेत्र है, वहां से जसवन्तनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हेमवरा पुलिस चौकी हटा ली गयी है, जब कि वह वहां पिछले 25 वर्षों से थी । वहां थाना भी प्रस्तावित था लेकिन चूंकि वह कांग्रेस के उम्मीदवार दर्शन सिंह यादव का गांव है, आज उनकी सुरक्षा खतरे में है, वहां की पुलिस चौकी को हटाकर इस सरकार ने बदले की भावना से काम किया है ।

दूसरे सरैयागांव की बाबत मैं कहना चाहूंगा कि वहां कि पुलिस चौकी 20 वर्षों से कार्यरत थी, उसको भी हटा दिया गया है । क्योंकि वह उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय बलराम सिंह यादव जी का गांव है । आज कहते हैं कि कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहेगा, लेकिन इन सब कृत्यों से स्पष्ट है कि यह सरकार बदले की भावना से काम कर रही है । इसी तरह से सरैया गांव में जो अस्पताल था जो 20 वर्षों से जन कल्याण का कार्य कर रहा था, उसे भी सरैया गांव से हटा दिया गया है क्योंकि वह माननीय बलराम सिंह यादव जी का गांव है । मैं कहना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से कि इटावा में कांग्रेस जनों पर जो जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं उन्हें रोका जाय, उनको सुरक्षा प्रदान की जाय ।

मैं अब शिक्षा के सम्बन्ध मे कहना चाहता हूं । मैं शिक्षा के क्षेत्र में कान्वेंट स्कूलों को समाप्त करने के सवाल पर कहना चाह रहा हूं । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय नेता सदन का लड़का धौलपुर के कान्वेंट स्कूल का विद्यार्थी है । यह सरकार दोहरी बात करती है । कानवेंट स्कूलों को समाप्त करने की बात कहते हैं और इन्हीं के बच्चे उनमें पढ़ते हैं । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इटावा जनपद के लेखपाल का स्थानान्तरण बदले की भावना से कुमायूं डिवीजन में किया गया है जबकि शासन का जी0 ओ0 है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का स्थानान्तरण तहसील से बाहर नहीं किया जा सकता है । मान्यवर, आप बैठने के लिये इशारा कर रहे हैं । इन्हीं शब्दों के साथ, अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गए संशोधनों के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । संशोधनों का समर्थन करते हुए औरैया विधान सभा क्षेत्र के उस ग्रामीण अंचल की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मधुवापुर में नदी

पर पुल बन जाय तो कानपुर और इटावा की जनता को बहुत ही सुविधा होगी । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर – व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें । अब मैं माननीय राम तेज जी को बुला रहा हूं ।

*श्री राम तेज–

परम आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यदाद । मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को, बहराइच की जनता को, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नयी सरकार को आने का अवसर दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पद पर माननीय मुलायम सिंह यादव जैसे योग्य, ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति को बैठने का अवसर दिया । मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जनपद से 7 लोग चुनकर आये हैं, उनमें से आपने मुझे पहले बोलने का अवसर प्रदान किया । इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

मैं आपके माध्यम से मान्यवर यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के आने से, जनता दल की सरकार के आने से, किसानों, बुनकरों, असहायों, गरीबों और हिन्दू मुस्लिम सभी का कल्याण होना ही होना है । इस सरकार के आने से आज प्रदेश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसमें सुरक्षा की भावना न हो । इस सरकार के आने से आम आदमियों में सुरक्षा की भावना जागी है । आज जो हमारे सामने बैठे हुए हैं जिनके भ्रष्टाचार के कारण कर्मचारी जो दूसरे मामलों में फंसे हुए थे उन्होंने भी मन बनाया है कि जो मौजूदा सरकार है माननीय वी0 पी0 सिंह और माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने की कोशिश करेंगे ताकि जनता का पूरा-पूरा हित सुनिश्चित हो सके । यह बहुत अच्छा अवसर आज प्रदेश में आया है । किसानों के बीच से उठकर चौधरी चरण सिंह जी ने नम्बर लखनऊ में लगाया था, फिर नम्बर लगाया हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी सभा में दिल्ली में । उनका कहना था कि इस मुल्क का नेता ईमानदार होगा, तो देश प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी गलत तरीके से काम करने की हिम्मत नहीं कर सकते । आज केन्द्र में माननीय वी0 पी0 सिंह जी, यहां माननीय मुलायम सिंह जी, मुख्तार अनीस, राम शरण दास, आजम खां, बेनी वर्मा तथा सुखदा बहन जैसे ईमानदार और कर्मठ लोगों ने काम संभाला है, तो अधिकारियों ने भी मन बनाया है कि अब बेइमानी से काम नहीं हो पायेगा । मैं अपने बहराइच जनपद के बारे में भी कहना चाहता हूं, जिसके बारे में इस सरकार को विशेष ध्यान देना होगा और वहां की उन्नति के लिये विशेष व्यवस्था करनी होगी । मान्यवर, जो इस प्रदेश का अल्पसंख्यक वर्ग है, उसने इस सरकार के आने से राहत की सांस ली है, उनके ऊपर जो एक काली छाया मंडरा रही थी, उससे उसने राहत महसूस की है । इसी तरह विद्यार्थियों ने भी अब अपने को सुरक्षित महसूस किया है, मजदूर वर्ग भी, जिसको रोजी रोटी की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं थी, उसने भी अपने को सुरक्षित महसूस किया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, हमारा बहराइच जनपद बहुत पिछड़ा हुआ जिला है और अनेक नदियों से घिरा हुआ है, वहां जल जमाव की समस्या है, इसके लिए इस सरकार को कोई ठोस उपाय करने होंगे इसी प्रकार हम चाहते हैं कि दोहरी शिक्षा नीति को खत्म किया जाय, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुये आपको धन्यवाद देता हूं ।

*श्री शिव बहादुर सक्सेना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं ऐसे जिले से जीतकर आया हूं, जहां से मुगल तो चले गये, परन्तु अपनी जहनियत को छोड़ गये, ऐसे ही एक जिले रामपुर से मैं जीतकर आया हूं । हमारा पूरा देश आज आजाद हो गया है, लेकिन रामपुर आज भी गुलाम है । पहले रामपुर में नवाब हुआ करते थे, उनका डोला निकला करता था, [xxx]

(सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के तमाम सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया आपत्तिजनक और साम्प्रदायिक बातों को सदन के अन्दर न कहें ।

श्री शिव बहादुर सक्सेना–

मान्यवर, आज तक हमारे रामपुर जिले में कोई काम नहीं किया गया । वहां से जो एम0 पी0 चुने गये, उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया और वहां से एम0एल0ए0 चुनकर जो लोग आये, उन्होंने भी यहां बैठने के सिवा कोई काम नहीं किया । आज मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं कि रामपुर में आज तक कोई बड़ा पुल नहीं बना, कोई बड़ा अस्पताल नहीं खुला और पूरी तरह से रामपुर के साथ अन्याय किया गया है । मेरी मांग है कि रामपुर के अन्दर फैक्टरियां लगवायी जायें तथा कोसी नदी पर पुल बनवाया जाय, जिससे आने जाने वालों को सुविधा हो सके । इसके साथ ही वहां पर ला एण्ड आर्डर मेन्टेन करने के लिये अधिकारियों को निर्देश दिया जाय । आज तक रामपुर में एक तरफ राजनीति रही है और यह रामपुर वालों का दुर्भाग्य रहा है कि वहां के लिये कभी कुछ नहीं किया गया । इसी के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । नेता विरोधी दल ने जो संशोधन पेश किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हूं । मान्यवर, गाजियाबाद एक औद्योगिक नगरी है, और औद्योगिक नगरी होने के साथ ही साथ इसको श्रमिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है । मेरा आपसे आग्रह है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में गाजियाबाद जनपद के विकास और उन्नति के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है । मेरा आपसे यह अनुरोध है कि गाजियाबाद की बढ़ती हुयी आबादी को देखते हुये, वहां जो आज से 20 वर्ष पहले इण्टर कालेज और स्कूल थे, वही आज भी हैं, जबकि 20 वर्षों के अन्दर गाजियाबाद की आबादी 25 गुना बढ़ चुकी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां पर कम से कम 4 राजकीय इण्टर कालेज-दो कन्याओं के लिए और दो लड़कों

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिए खोले जायं। इसके साथ ही साथ, रईसपुर में एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना की जाय। मेरे क्षेत्र में जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, उन सबके भवन टूटे पड़े हैं, किसी भी स्कूल का भवन ठीक नहीं है, पढ़ाने के लिए अध्यापकगण की नियुक्त नहीं की गयी है, इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि भवनों का निर्माण कराया जाय अध्यापकों की नियुक्ति की जाय। जिन किसानों की भूमि 1960-61 व 1962 में अधिग्रहित की गई थी, उन सभी किसानों को 28(ए) के तहत बड़ी हुई दर पर मुआवजे का भुगतान तुरन्त किया जाय। खाद पर जो दाम बढ़ गये हैं, उसे तुरन्त वापस लिया जाय। बिजली की दरों में वृद्धि से आज उद्योगों व किसानों को काफी परेशानी हो रही है। इसलिए बढ़ी हुई दरों को वापस किया जाय। मेरे क्षेत्र में जहां सड़कों का निर्माण शीघ्र कराया जाय। सिंचाई विभाग द्वारा सभी राजबाहों को साफ किया हुआ कागजों में दिखाया गया है, परन्तु उन्हें साफ नहीं किया गया है और कागजों पर उनकी पेमेण्ट हो गयी है, इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि तुरन्त आदेश दिया जाय कि सिंचाई विभाग उन सभी राजबाहों की सफाई करायें। तथा जिन अधिकारियों ने भुगतान किया है उनके विरुद्ध शीघ्र ही जांच कराकर दण्डित कराने की कार्यवाही की जाये ।

मलिन एवं हरिजन बस्तियों में युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य कराये जायं, इसके लिए सरकार विकास प्राधिकरण, नगर पालिका गाजियाबाद को आदेश दे और जो अवैध बस्तियां हैं, उन्हें शीघ्र ही वैध घोषित किया जाय । विकास प्राधिकरण द्वारा बड़े पैमाने के भवन होते हैं और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए उस अनुपात में मकान नहीं बनाये जाते जिससे कमजोर वर्ग के लोगों को मकान नहीं मिल पाते हैं। लिहाजा मेरा सरकार से अनुरोध है कि गरीबों को अधिक से अधिक संख्या में मकान बनाकर उपलब्ध करायें जाये ।

इसके साथ ही मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के गांवों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिन गांवों में बिजली नहीं पहुंची है, उनका शीघ्र ही विद्युतीकरण किया जाय। मेरे क्षेत्र में जहां आबादी 5-10 हजार या 15 हजार की है, उन सभी गांवों में चिकित्सा केन्द्र खोले जायं, जैसे रईसपुर, सदरपुर, शाहपुर, बम्हैटा, हरसांव, इकलापूठी, खिचरा, बैभड़ा खुर्द, चौना, हिजारसी (लौनी) डुन्डाहेड़ा आदि गांव आते हैं। जब मैं 1980 से 1985 में एम0 एल0 ए0 था, तो उस समय गन्ना मंत्री जी ने निरीक्षण किया था और मौके पर कहा था कि हम शुगर मिल की स्थापना करेंगे, इसलिए मेरे विधान सभा क्षेत्र ग्राम देहरा ब्लाक घौलाना में शुगर मिल की स्थापना शीघ्र की जाय। 1983 में विकास प्राधिकरण द्वारा गरीबों के लिए जो मकान बनाये गये हैं और उनमें से जो लोग रह गये थे उन्हें विकास प्राधिकरण द्वारा आरक्षण पत्र दिया हुआ है, उन लोगों को शीघ्र ही मकान व प्लाट दिलाने की व्यवस्था की जाये। माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करते हुए एक बात और कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश में ला एण्ड आर्डर जैसी कोई चीज नहीं है। कृपया गाजियाबाद पर इस संबंध में विशेष ध्यान दिया जाय। चूंकि वह वी0 आई0 पी0 शहर के रूप में भी जाना जाता है और अधिकांशत: देश भर से वी0 आई0 पी0 आते

जाते रहते हैं, और जिस तरह से वहां पर अपराध बढ़ रहे हैं, शर्म की बात है उन पर नियंत्रण करने के लिए सख्त कार्यवाही किये जाने का सरकार से अनुरोध करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं।

*श्री नरेश चन्द्र उत्तम–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद से चुनकर आया हूं। 40 वर्षों से यह इलाका उपेक्षित रहा है लेकिन वर्तमान लोकप्रिय सरकार के बनते ही विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद में प्रगति के रास्ते लगातार बनते जा रहे हैं और उनका खुलासा हुआ है। अभी विगत 5 तारीख को प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह व माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने वहां की जनता की वेदना को देखते हुए सिंचाई की सुविधा के लिए 50 स्टेट ट्यूबवेल्स दिये हैं। उनका मैं विधान सभा जहानाबाद और फतेहपुर के नागरिकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। यह क्षेत्र सूखे से प्रभावित है और यहां पर सिंचाई की असुविधा रही है। माननीय रेवती रमण सिंह और मुलायम सिंह यादव जी ने वहां पर सिंचाई की कमी को देखते हुए जो 50 ट्यूबवेल दिये हैं, उनके लिए मैं उनका आभारी हूं। वहां पर शिक्षा की भी कमी है। शिक्षा की कमी को देखते हुए, वह क्षेत्र प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर श्री मुलायम सिंह यादव जी ने एक कन्या महा-विद्यालय देकर गौरव बढ़ाया है, इसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। चूंकि मैंने विद्यार्थी जीवन में डी0 ए0 वी0 कालेज, कानपुर में शिक्षा ग्रहण की, वर्ष 1981 में कांग्रेस की सरकार के चलते 12 नवम्बर, 1981 को छात्रों का छात्रावास खींचा था कांग्रेस ने, मुझे अपने नेता पर पूरा विश्वास है, जो 12 नवम्बर, 1981 को गरीब छात्रों से छात्रावास खींचा गया, उसे खुलवा दें। शिक्षा मंत्री मा0 श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी जी ने आश्वासन दिया है कि पुरानी सरकार के घिनौने कामों को समाप्त करके छात्रावास छात्रों को दिलावयेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सरकार गरीबों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए अच्छे काम करने में सफल हो सकेगी।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मा0 नेता, विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा था, उसके समर्थन में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जब हमें महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण को पढ़ने का अवसर मिला, तो मैंने उसमें देखा कि पूर्वांचल के जो जनपद हैं, उनके लिए इसमें कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया है। नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र, जहां से चुनकर मैं आया हूं, न वहां पर टाउन एरिया है, न नगरपालिका है, न डिग्री कालेज है, न कन्या विद्यालय है, मेरी मांग है कि महामहिम राज्यपाल के अभि-भाषण में इसे जोड़ा जाय। हमारा आधा निर्वाचन क्षेत्र घाघरा नदी के पेट में है, जहां सीधे पचासों गांवों का कटान होने की सम्भावना दिखायी दे रही है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि घाघरा नदी के किनारे जो गांव पड़ते हैं जैसे मुरलापुर, ससवां, बखरिया आदि जो एचासों गांव हैं, जो नदी के बीच में जाना चाहते हैं, उनका बचाव करने संबंधी प्रस्ताव भी इस अभिभाषण में जोड़ा जाना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र उद्योग धन्धों के क्षेत्र में बिल्कुल शून्य है। अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां पर उद्योग धन्धे की व्यवस्था की जाय। यहां पर राज्यपाल जी का जो अभिभाषण जो पढ़ा गया, उसमें नयी सरकार श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कहा कि जो कर्ज माफ करने की घोषणा की है, उसमें विश्वास के साथ उन्होंने कहा कि कर्ज माफ करेंगे। जबकि आज पेपर में इलाहाबाद बैंक के महाप्रबन्धक ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणा के बिना बैंकों का ऋण माफ किया जाना सम्भव नहीं है। हरियाणा के द्वारा भी कर्ज माफ नहीं किया गया। जैसा कि मा0 प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि सरकार की दोहरी बातें हैं कि वह सदन में कहती कुछ और है और बाहर करती कुछ और है। इससे स्पष्ट होता है कि कथनी और करनी में अन्तर है। इसमें बिन्दु 16 में कहा गया है कि 14 घण्टे बिजली दी जायेगी। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र जनपद मऊ में पता लगाया जाय जहां सिर्फ केवल दो-तीन घण्टे बिजली मिलती है जबकि प्रदेश का मुख्य भोजन गेहूं की सिंचाई का सवाल है, प्रदेश की भोजन व्यवस्था का सवाल है मुझे आशा है कि सरकार अपनी कथनी और करनी के अंतर को दूर करके इस क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को व्यापक पैमाने पर सुधार करेगी। इसके साथ ही मैं संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राजमणि पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। लगातार दो-तीन दिनों से चर्चा के दौरान मैं तमाम सदस्यों की बातों को सुन रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मा0 प्रमोद तिवारी बोल रहे थे उन्हें बड़ा रंज था कि गोरखपुर में आरक्षण के नाम पर लड़के मारे गये। सचमुच विद्यार्थी मारे जा रहे हैं तो इन्हीं की सरकार के द्वारा थ्री इयर्स डिग्री कोर्स करके उनको तबाह किया है। पूर्वान्चल के विकास के नाम पर मैं बस्ती से चुनाव जीत कर आया हूं। आज बस्ती में स्कूल और कालेजों की जो हालत है बड़ी खराब है कि हमारे घर के लड़के वहां पढ़ने जायं तो वे वहां पढ़ाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्राइमरी स्कूल में लड़के एक दूसरे को चिकोटी काट लेते हैं। जब तक देहात की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं की जायेगी तब तक देश के नव-निर्माण की कल्पना करना बेबुनियादी बात होगी। आज हमारे मुख्य मंत्री जी एवं सरकार की दृष्टि साफ है। चाहे किसान का सवाल हो, चाहे मजदूर का सवाल हो, चाहे विद्यार्थी का सवाल हो, पुरानी सरकार तो दृष्टिहीन रही है। पिछली सरकार ने जनहित की ओर ध्यान नहीं दिया था।

आज के नेता विरोधी दल जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने विकास के नाम पर तमाम घोषणायें कर दी लेकिन उनकी सरकार ने आज तक विकास का कोई काम नहीं किया, लोहिया ने कहा था कि 6 महीने के अन्दर अगर कोई सरकार एक भी चमत्कारिक काम करने की घोषणा कर दे तो वह अच्छी सरकार मानी जायेगी। इस सरकार ने 10 हजार तक के कर्जे को माफ करके, विधवाओं को पेंशन देने की घोषणा करके, प्रदेश के बुजुर्गों को पेंशन देने की बात कह कर दल को पूरे परिवार से जोड़ने का काम किया है इस जनता दल की सरकार ने। इस तरह से डाक्टर लोहिया की दृष्टि में इस सरकार

की दृष्टि साफ है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का समय बढ़ाये जाने की जानकारी

डाक्टर बृजभूषण मणि त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या आपने समय बढ़ा दिया है?

श्री अध्यक्ष–

जी हां, मैंने समय बढ़ा दिया है, आप कृपया बैठें।

(घोर व्यवधान)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, ऐसा है कि अभी तक यही परिपाटी रही है कि जब भी हाउस का समय बढ़ाया जाता है, या एजेंडे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तो सदन की अनुमति लेनी पड़ती है, यदि आपने ऐसी कोई अनुमति ली है, जिसे मैं सुन नहीं सकी, इसीलिए मैं आपसे यह जानना चाह रही थी कि क्या आपने समय बढ़ाया है ?

श्री अध्यक्ष–

हां, समय बढ़ाया गया है ताकि कुछ और लोग बोल सकें, अब इसमें आपने एक मिनट से अधिक ले लिया जो इन माननीय सदस्यों का था ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

डाक्टर बृजभूषण मणि त्रिपाठी–

मान्यवर, आपने मुझे इस अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं । मैं मान्यवर जनपद फैजाबाद के (अयोध्या) मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं जहां पर श्री रामचन्द्र जी जन्मे और जहां पर बड़े-बड़े राज्यनेता डा0 राम मनोहर लोहिया तथा आचार्य नरेन्द्र देव जैसे विद्वान पैदा हुए और जहां पर बाबरी-मस्जिद और राम जन्म भूमि की, पूरे विश्व में चर्चा है, फैजाबाद अयोध्या में आज पूरे तौर पर चैन, शांति व अमन है, से आया हूं । लेकिन अयोध्या के विकास के नाम पर तथा बाबरी मस्जिद व राम जन्म भूमि के मसले का हल का उल्लेख मा0 राज्यपाल के इस अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । और यहां के इसी मसले को लेकर 50 फीसदी जनादेश जो जनता दल को प्राप्त हुआ है, वहां मुसलमानों को गुमराह करके और हिन्दुओं को विभाजित करके ही फायदा उठाया गया है धोखे से । (शेम-शेम की आवाजें विपक्ष की ओर से) दूसरी ओर असामप्रदायिकता की बात आप करते हैं और हमारे यहां से कम्युनिस्ट पार्टी के एक सांसद चुनकर आए जो जनता दल के साहयोगी हैं, उन्होंने मुसलमानों को गुमराह किया है । फिर भी वहां की इन समस्याओं के बारे में कोई उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं किया गया है और चुनाव अभियान के समय चुनावी प्लेटफार्म पर राष्ट्रीय मोर्चा व जनता दल ने मिलकर जो

भी वायदे किए थे और माननीय मुख्य मंत्री जी जब इस पद पर पदारूढ़ हुए थे, तब भी उन्होंने इन वायदों का जिक्र किया था, लेकिन अभिभाषण में उनके बारे में स्पष्टतौर से कुछ नहीं कहा गया है, कर्जे की माफी का एलान भी किया गया था और पेंशन के बारे में कहा गया था, लेकिन अब यह कह रहे हैं कि इन बातों पर विचार करेंगे । मैं मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र के मिल्कीपुर के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो फैजाबाद, बाराबंकी और सुल्तानपुर की सरहदों से मिलता है, जहां पर मड़ही नदी और गोमती नदी भी है, बाढ़ में तमाम लोग बेघर बार हो जाते हैं कृषि भूमि जल मग्न हो जाती है वहां पर अभी तक एक भी औद्योगिक केन्द्र की स्थापना नहीं हो पायी है । और न कोई कन्या के स्कूल व कालेजेज हैं, जिनकी स्थापना की जाए । नदी पर पुल बनवाया जाय । बस केवल एक नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय है । इसके निर्माण के समय आश्वासन दिया था कि जिन लोगों की जमीन ली गयी है उन्हें नौकरियों में वरीयता दी जायगी ।

दूसरे हमारे यहां के लोगों की जमीनें ली गयी हैं, लेकिन उन लोगों को आज तक नौकरियां नहीं दी गयी हैं, इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों को नौकरियां दिलाई जाएं और वहां पर जो नदियां हैं, उन पर पुल बनवाए जाएं । मड़ही नदी पर डेवटी अमानीगंज मार्ग पर पुल बनना नितान्त आवश्यक है । मिल्कीपुर में तहसील की स्थापना की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें, दूसरे एक नए मा0 सदस्य हैं, मोहम्मद सईद भ्रमर, उनको बुला लिया है ।

*श्री मोहम्मद सईद भ्रमर–

मान्यवर, मैं एक ऐसे जनपद से चुनकर आया हूं कि जो अन्तर्राष्ट्रीय स्थान है, जहां पर महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जो कपिल वस्तु के नाम से प्रसिद्ध है, जहां के विकास से काफी तादाद में विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है, उसकी ओर मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कुछ समस्यायें हैं । अब तक जिला बनने के बाद जो रुपया सरकार ने दिया है, उसका इस्तेमाल अभी तक हो नहीं पाया है । इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी उस रुपये का इस्तेमाल किया जाये और जनता की सुख-सुविधाओं में वृद्धि की जाये ।

मान्यवर, नेपाल सीमा पर हमारा जिला है और जब पिछली सरकार थी तो उस समय नेपाल से हमारे संबंध अच्छे नहीं थे और जब से हमारी सरकार आयी है, भारत नेपाल संबंधों में सुधार हुआ है । इसलिये मैं चाहता हूं कि जो योजनायें अधूरी पड़ी हैं, उनको पूरा किया जाये । जो सड़के भारत और नेपाल सीमा पर हैं और जिन मांगों से इनकी दूरी कम हो सकती है, उनका निर्माण कराया जाये, पुलों का निर्माण कराया जाये । माननीय नेता विरोधी दल ने जो शंकायें व्यक्त की हैं, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि अगर उनकी नीतियां अच्छी होतीं, तो उन्हें विपक्ष में बैठना न पड़ता । 42 साल से हम उनकी नियत को परख रहे हैं, जनता की सुख-सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं किया है । इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

भारतीय जनता पार्टी के लोगों का समय उनके नेता को दे दिया गया और अब कोई नया सदस्य रह गया हो, तो उसको अवसर दिया जायेगा ।

*श्री जय सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया । जैसे ही यह सरकार आयी, इसी सरकार ने यह घोषणा किया था कि जो लोग 58 साल की उम्र से ज्यादा हैं, उनका कार्य-काल नहीं बढ़ाया जायेगा । उच्च न्यायालय में जो इस समय सरकारी वकील हैं और जो सरकारी कर्मचारी की तरह ही माने जाते हैं, उनको निर्वाजन में रख लिया गया है । सरकारी कर्मचारियों के बराबर उनको माना जाता है, ऐसा पिछली सरकार ने आदेश पारित कर दिया था । जब कोई सरकार बनती है तो वह अपनी पहली बैठक में यह निश्चय करती है कि महाधिवक्ता कौन हो । जब कोई संवैधानिक संकट आ जाता है तो उसमें महाधिवक्ता की सलाह लेना आवश्यक हो जाता है । इसलिये महाधिवक्ता का चुनाव तुरन्त किया जाना चाहिये । मान्यवर, मैं अधिक समय नहीं लूंगा एक बात कहकर समाप्त करता हूं । [x x x]

श्री अध्यक्ष–

समाचार-पत्र पर आधारित किसी बात का जिक्र न करें ।

(समय 5 बजकर 20 मिनट पर)

श्री जय सिंह–

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा है कि बिना किसी को ट्राइल किये, बिना कानूनी खाना पूरी किये किसी की जान नहीं ली जा सकती, किसी को फूंका जलाया नहीं जा सकता है । वह जमानत पर था, उसको पुलिस ने क्यों मारा ? मैं चाहता हूं कि यह सरकार उसके ऊपर जांच बिठाये । इलाहाबाद से उच्च न्यायालय के किसी उच्च न्यायाधीश से इसकी जांच करायी जाय । चाहे कोई किसी पद पर बैठा हो, कानून के लिये सब बराबर हैं । मान्यवर, मैं भी एक वकील हूं, वकालत करता हूं । न्यायालय की गरिमा के खिलाफ नहीं बोल सकता है । जिस प्रकार यह न्याय का मन्दिर विधान सभा है उसी तरह से वह भी एक न्याय का मन्दिर विधान सभा है उसी तरह से वह भी एक न्याय का मन्दिर है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री जय सिंह–

मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि इस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच करवा लें

श्री अध्यक्ष–

आप बार-बार वही बात कह रहे हैं । अब समाप्त करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री जय सिंह–

इतनी बातें कहते हुये मैं आपक आज्ञा का पालन करता हूं । मैं प्रेस को इसकी प्रतियां दे रहा हूं जिसमें यह खबर छपी है ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका तहे दिलसे आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया है । मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कहीं हैं । मैं उनमें नहीं जाना चाहता । मैं लखनऊ से चुनकर आया हूं । लखनऊ इस प्रदेश की राजधानी है लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि यहां की एक चौथाई जनता गन्दे नालों के बीच में रहकर अपना जीवन यापन कर रही है । चारों ओर गन्दगी का वातावरण है । उनके घरों के सामने खड़ंजों तक की व्यवस्था नहीं है । यहां के लोगों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है । मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे ।

दूसरी बात यह है कि लखनऊ का जो मेडिकल कालेज है या दूसरे अस्पताल हैं आप आश्चर्य करेंगे कि वहां दवाओं के नाम पर लाल दवा के अलावा और कुछ नहीं मिल पाता है । अभी हमारे एक विधायक को चोट आयी थी । मैं मेडिकल कालेज गया था । मैंने देखा कि वहां पर लाल दवा के अलावा रुई भी नहीं थी । यह लखनऊ के मेडिकल कालेज की स्थिति है ।

नौजवानों के लिये रोजगार देने की बात है । अभिभाषण जो दिया गया है वह बहुत अच्छा है । इस ओर सरकार ध्यान दे कि सन् 87 में रिक्त पदों पर भर्ती पर रोक लगा दी गई थी । यह व्यवस्था नौजवान विरोध है । आज नौजवानों को रोजगार देने की आवश्यकता है । इसलिए मैं चाहूंगा कि इस रोक को हटा दिया जाय । कई विभागों में हजारों जगहें खाली पड़ी हुई हैं । चाहे वह पुलिस के सिपाही की हों या दफ्तरों की हों । नई भर्ती पर रोक लगने से राजकाज भी रुका हुआ है । इसलिए नौजवानों को रोजगार दिलाया जाय ताकि उन्हें रोजी मिल सके ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि लखनऊ में लिंक रोड अभी तक नहीं बनी है । सारे शहर के भीतर से ही ट्रकों और बसों का आवागमन होता है जिससे बच्चे बूढ़े लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर मर जाते हैं । 15 साल हो गये हैं लिंक रोड अभी तक नहीं बन पाया है । श्रीमन्, लखनऊ इस प्रदेश की राजधानी है, इसलिये मुझे एक मिनट का ज्यादा समय दिया जाय । लखनऊ में गोमती नदी है । उसका पानी हमारे विधायक गण पीते हैं । एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आयी है कि गोमती नदी का पानी जहरीला हो गया है । इसमें मछलियां मर चुकी हैं । मोहनमेकिन का कारखाना इस नदी के किनारे बना हुआ है । इसे शहर के बाहर जाना चाहिए । इसका प्रदूषित पानी गोमती नदी में जाता है । इस कारण लोगों का जनजीवन सुरक्षित नहीं रह गया है । इसलिये मैं सरकार का ध्यान लखनऊ राजधानी की ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं जिससे सामाजिक सुरक्षा बढ़ सके ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपना परिचय दे दें ।

*श्री राजेन्द्र सिंह–

श्रीमन् , मैं हमीरपुर के राठ क्षेत्र से आया हूं । मेरा नाम राजेन्द्र सिंह है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं इसका समर्थन करते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि विगत कांग्रेसी सरकार ने जो उप चुनाव हुए, उसमें क्या किया, वह बताना चाहता हूं । हमारे यहां राठ में भी फरवरी मार्च में उपचुनाव हुआ था उसके साथ ही प्रतापगढ़ और काशीपुर में भी उप-चुनाव हुआ था तो उस समय कांग्रेसी सरकार के 26-26 मिनिस्टर मेरे क्षेत्र में रहते थे और प्रत्येक की कार में शिलान्यास और उद्घाटन के लिए पत्थर रखे रहते थे । तो कांग्रेस के भ्रष्ट शासन में मंत्री जिस गांव में जाते थे और जहां पर देखा कि छोटा गांव है तो वहां पर पत्थर लगा देते थे कि यहां हाईस्कूल होगा और जहां किसी नाले से निकलते थे तो वहां पत्थर लगा देते थे कि पुल होगा । तो मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कांग्रेस के कुशासन में कितने भ्रष्ट मंत्री थे उन्होंने मेरे क्षेत्र में 40 जगहों पर बूथ कैप्चरिंग की और मुझे 87 के इलेक्शन में पराजित किया यह राइफलों के माध्यम से किया गया ।

मैं इस कल्याणकारी सरकार के लोकप्रिय नेता मुलायम सिंह जी को बधाई देता हूं कि अल्प समय में ही उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है जिसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं । मैं पुनः अपने क्षेत्र राठ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कांग्रेस के कुशासन में जो पत्थर लगाये गये हैं उनको अब सही माने में पूरा किया जाय और उनको व्यवस्थित किया जाय और जो योजनायें छूटी हुई हैं उनको पूरा किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । जय भारत ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाने हेतु व्यवस्था का प्रश्न

*श्री मुईद अहमद–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उसके लिए आप समय बढ़ा रहे हैं । कार्य संचालन नियमावली के अनुसार समय बढ़ाने के लिए पहले प्रस्ताव आना चाहिए । माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं वह इस संबंध में प्रस्ताव लायें, तब समय बढ़ेगा ।

श्री अध्यक्ष–

दो दिन पूर्व यह बात प्रस्ताव के रूप में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कही थी ताकि माननीय सदस्यों को अधिक बोलने के लिए अवसर उपलब्ध हो । इसलिए आज भी मैंने इस बात को कहा था कि समय बढ़ते हैं और साढ़े 5 बजे तक इसके लिए किया था । अभी साढ़े पांच होने में एक दो मिनट का समय है । कई माननीय सदस्य अभी चर्चा में भाग लेना चाहते हैं इसलिए मैं 15 मिनट समय बढ़ाता हूं । नए सदस्यों को समय होगा । (व्यवधान) 15 मिनट का ससय बढ़ा दिया है पहले विद्यार्थी जी को बोल लेने दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने पर बोलने का अवसर दिया । मैं पक्ष और विपक्ष से तीन दिन से राज्यपाल महोदय के भाषण पर चर्चा को सुन रहा हूं । सबसे पहले मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस देश की रक्षा के लिए पूर्व प्रधान मंत्री कांग्रेस के नेता राजीव गांधी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश को सर्वोपरि समझा उसकी सुरक्षा को सर्वोपरि समझा और कुर्सी को नहीं इसीलिए राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले को लकर जो मानव हत्या होने वाली थी, उसको नहीं होने दिया और कड़ाई से एक निर्णय लिया उसमें अपनी कुर्सी की परवाह नहीं की । देश के विकास के लिए एक निर्णय लिया इसलिए बधाई देना चाहता हूं । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जनता दल की सरकार जो जनता से वायदा करके आयी है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनता दल सरकार के मुख्य मंत्री मुलायम सिंह पिछड़े वर्ग और हरिजनों की भलाई के लिए जो भी निर्णय लेंगे इस दल के लोग उस विचारधारा का समर्थन करेंगे लेकिन यह भी सचेत करना चाहता हूं कि चाहे उस दल या इस दल में जो ऐसे कुछ लोग हैं जिनके बीच में वह फंस गये हैं, जो उनकी विचारधारा से अलग हैं लेकिन उनकी बैसाखी पर सरकार है और वह लोग मुलायम सिंह से काम तो लेना चाहते हैं लेकिन मुख्य मंत्री जो पिछड़े वर्ग और हरिजनों से वायदा करके आये हैं उसे पूरा नहीं होने देना चाहते हैं आज उनको निराशा नजर आ रही है, जब वह लोग इधर थे तो सरकार से मांग करते थे कि हमारी सरकार आने के बाद पिछड़े वर्ग के आरक्षण को पूरा करेंगे, अनुसूचित जाति के लोगों की सुरक्षा रखेंगे लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सहानुभूति का नाम लेकर अपने को बचा लिया है, इससे मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर कुछ साम्प्रदायिक और पिछड़े वर्गों एवं हरिजनों के विरोधियों का दबाव पड़ रहा है इसलिए उनको निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है । उनको डरना नहीं चाहिए और हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के ऊपर जो सरकार बनी है उनको हिम्मत से काम लेना चाहिए, उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो बैसाखी का सहारा देकर उनको धमकी दे रहे हैं कि हरिजनों और पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर निर्णय लेंगे तो सरकार गिरा देंगे तो इससे उनको डरना नहीं चाहिए और हरिजनों, पिछड़े वर्ग के बारे में जो भी निर्णय देंगे हम उनका साथ देंगे ।

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र मंझनपुर, इलाहाबाद की ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र बांदा के पास में है, जहां वर्तमान प्रधान मंत्री के भाई श्री सी0 पी0 एन0 सिंह की हत्या की गयी थी, वहां की हालत बहुत खराब हो गयी है और बांदा क्षेत्र के डकैत और खूंखार गैंग के लोग हमारे क्षेत्र में घुस आये हैं । इस संबंध में मैं पश्चिम शरीरा थाने में धरना भी दे चुका हूं दो प्लाटून पी0 ए0 सी0 भेजी गयी थी कि हम लोगों की सुरक्षा की जाए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और इस सरकार ने तो हमारा गनर भी वापस ले लिया है । जब मैं जीत कर उस क्षेत्र का दौरा करने जा रहा था तो गैंग के लोगों ने फायरिंग करते हुए यह

समझ कर चले गये कि पुलिस फोर्स की गाड़ी आ रही है । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वहां आतंक लूटपाट शुरू हो गयी है इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि इस संबंध में कोई सुरक्षा की व्यवस्था की जाय ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में कुओं का पानी सूख गया है जिससे वहां पानी की काफी कठिनाई हो रही है । वहां सूखा की स्थिति हो गयी है । इसलिए पानी की वहां समुचित व्यवस्था की जाय । इन शब्दों के साथ, मैं संशोधन का जो प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री अशोक बाजपेयी द्वारा रखे धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, हमारा दुर्भाग्य है कि जब नेता विरोधी दल, श्री नारायण दत्त तिवारी. बोल रहे थं तां उनकां समझन का प्रयास किया कि आज के 42-43 दिन पहले जब तिवारी जी नेता सदन के रूप में बोलते थे तो लगता था कि कुछ करने के लिए कह रहे हैं लेकिन जब अब नेता विरोधी दल के रूप में बोलने लगे तो लगा कि पहली बार नेता विरोधी दल के रूप में बोलना चाहते हैं । मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया कि सरकार उन नीतियों पर काम कर रही है जिन्हें आजादी मिले 42 वर्षों के बाद भी, कांग्रेस सरकार दुर्भाग्य से एक शिक्षा नीति नहीं बना सकी । यह उस समय केन्द्र में मंत्री थे । नई शिक्षा नीति बनाने के लिए कभी शिक्षाविदों और प्रधानाचार्यों को उसमें नहीं रखा गया । आज यह कहा गया है राज्यपाल के अभिभाषण में कि दोहरी शिक्षा नीति बन्द कर दी जाएगी और समाप्त कर दी जाएगी । मैं इसलिए भी बधाई देता हूं कि इस कांग्रेस की हुकूमत में 32 रुपया और 35 रुपया किलो में कड़ुवा तेल था और 15 रुपये और 20 रुपये में शक्कर थी, उसको इस सरकार द्वारा घटाया गया है, लेकिन इसको नेता विरोधी दल ने समझने का प्रयास नहीं किया है । आज से पहले अक्टूबर-नवम्बर में जो ला एण्ड आर्डर के बारे में कहा जाता था वह भी स्थिति बहुत खराब थी । जो उन्होंने कहा है उससे लगता है कि सदन की परम्परा और मर्यादा के अनुसार कहा था, पिछले बजट अभिभाषण के समय जब उन्होंने कहा था, उसको काटकर कहा है ।

पिछले समय में इस देश और प्रदेश में हिन्दुस्तानियों ने एक जनादेश देने का काम किया है । उसके अनुसार अब उसमें पिछली सरकार की काली करतूतों का साफ करने का काम किया जा रहा है । और जो कहा गया था कि भ्रष्ट लोगों को हटाया जाएगा, सो विद्युत परिषद् में सबसे भ्रष्ट और कांग्रेस सरकार के पोषक अध्यक्ष थे, उनको हटाया गया है और नलकूपों की व्यवस्था में भी काफी सुधार किया गया है । माननीय नेता विरोधी दल ने बड़ी चालाकी के साथ कहा था कि इस सरकार को तीन महीने का समय देना चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में 11 वर्षों से कभी विभागीय प्रोन्नति हेतु कमेटी नहीं बनाई जा सकी थी, जो किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया है और इसी तरह नलकूपों के लिए किया गया है । उधर के लोग जब यहां पिछली बात दोहराते हैं तो दुर्भाग्य लगता है, उस समय अगर काम किया होता तो यह दिन आपको देखने को नहीं मिलता । इसके साथ मैं इस अशोक बाजपेयी जी के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री सूबास–

मान्यवर, मैं सबसे पहले आपका आभारी हूं और राज्यपाल के अभिभाषण के संसाधनों के सम्बन्ध में दो तीन बातें कहना चाहता हूं । सबसे पहले विरोधी दल की अपनी हैसियत से यह कहना चाहता हूं सत्तादल की, जनता दल की जो आज परम्परा रही है, उसके बारे में कि इनके जो प्रधानमंत्री श्री वी0 पी0 सिंह हैं, उन्होंने मऊ में चुनाव के एक दिन पहले कहा था कि आज जो गन्ने का रेट पूरबी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग है, उसमें आगे से फर्क नहीं रहेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अधिक रेट दिया जाता है, इसकी हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इसमें इसकी चर्चा कहीं नहीं की गई है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जबसे यह आदेश किया कि बिजली 14 घंटे लगातार किसानों को दी जाएगी, तब से हम देख रहे हैं कि पूरब में महज 3-4 घंटे ही बिजली मिल रही है, और कभी-कभी वह भी नहीं मिल रही है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार 14 घंटे यह मिल रही है।

कानून व्यवस्था के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मऊ जनपद के घोसी चुनाव क्षेत्र में जनता दल की तरफ से पार्लियामेंट का जो सज्जन चुनाव लड़े थे, वह पहले से कातिल साबित थे । उन पर ऐसे कई मुकदमे थे, उन्होंने चुनाव के दिन एक आदमी की मारकर हत्या कर दी । इसके बाद भी वह आज सड़क पर और इस विधान सभा में आजाद घूम रहे हैं और वह मुकदमा सी0 आई0 डी0 को सौंप दिया गया है। इस पर अन्य कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। न कोई गोली चली । दो-तीन लोगों पर फर्जी मुकदमा कायम करके कार्यवाही हो रही है। जहां इस तरह के कत्ली लोग हैं जो सरेआम कत्ल करता है वह सरेआम मीटिंग करता है और उसके पीछे पुलिस सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है । वही इस विधान सभा में घूम रही है उसे सरकार संरक्षण दे रही है ।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री सूबास–

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री रविकांत गर्ग–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने हेतु समय दिये जाने के लिये मैं आपका तथा भाजपा नेतृत्व का आभारी हूं एवं अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद का पूर्ण समर्थन करते हुये अभिभाषण में सरकार की ग्रामोन्मुखी योजना, निर्बल वर्ग को सहायता, प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर किये जाने हेतु दिये गये

बचन ग्रामों में महिला शौचालयों की स्थापना, उद्योगों के विकास में सुधार, विद्युत आपूर्ति में सुधार, प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता तथा माननीय मंत्रियों द्वारा व्यक्तिगत सुख सुविधाओं में कमी एवं पांच वर्ष में सभी गांवों के विद्युतीकरण की प्रस्तावित सरकारी योजना का हार्दिक स्वागत करता हूं।

साथ ही, मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगा कि अगर निम्नलिखित उल्लेखित मुद्दों को भी अभिभाषण में शामिल किया जाता हम और अधिक जन आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध होते । सर्वप्रथम मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आज आजादी के 42 वर्ष बाद भी हम प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को आवश्यकतानुसार पेयजल आपूर्ति तथा शौच का समुचित स्वच्छ स्थान भी नहीं दे पाये हैं, जिससे हमारी गर्दन शर्म से झुक जाती है। कल्याणकारी सरकार द्वारा उक्त दोनों कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर शहरी एवं ग्रामीण सभी क्षेत्रों के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए । प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर किये जाने हेतु आवश्यक है कि ग्राम. नगर हर क्षेत्र में लघु एवं कुटीर उद्योगों का जाल बिछाया जाए उन्हें हर प्रकार की आर्थिक सहायता एवं कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कर तैयार माल के विक्रय हेतु मंडी खोले जाने में व्यवहारिक सहायता प्रदान की जावे, जिससे उनका हर स्तर पर शोषण रोका जा सके तथा पूर्व सरकार द्वारा बढ़ाई गई विद्युत दरों को अविलम्ब वापिस लिया जा सके । विद्युत बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोके जाने हेतु अनुभवी व्यक्तियों का एक ग्यारह सदस्यीय आयोग गठित किया जाय तथा विद्युत सतर्कता विभाग को बिजली चोरी रोके जाने तथा पुरानी बकाया धनराशि की वसूलयावी हेतु लगाया जाए । इसी तारतम्य में यह भी आवश्यक है कि प्रदेश के हर कोने में स्थित दस्तकार, शिल्पकार एवं हस्त कलाकार आदि को भी सहायता व सहयोग प्रदान किया जावे जिससे वह प्रदेश के विकास की मुख्य धारा में समाहित हो सके।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री रविकांत गर्ग–

मान्यवर, थोड़ा समय और दे दें । प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत करोड़ों नौनिहालों एवं भावी पीढ़ी के भविष्य निर्माण हेतु सर्वप्रथम आवश्यक है कि विगत शासन के दौरान प्राइमरी शिक्षा के स्तर में आई चिन्ताजनक गिरावट को सुधारे जाने हेतु प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अराजकता के वातावरण में पर्याप्त सुधार हेतु व्यापक योजना तैयार की जाये तथा शिक्षण संस्थाओं में हो रहे राजनैतिक हस्तक्षेपों को कड़ाई से रोका जाये तथा बेरोजगार नौजवानों को काम या बेरोजगारी भत्ता दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

आप तो पढ़ रहे हैं।

श्री रविकांत गर्ग–

अभिभाषण में उल्लिखित अल्प संख्यकों की समस्याओं से सहानुभूति के साथ ही इस देश के राष्ट्रवादी बहुसंख्यक हिन्दू समाज के हितों की रक्षा करना भी सरकार का दायित्व होना चाहिए, इसलिए बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं के अनुरूप श्री राम जन्म भूमि मन्दिर,

अयोध्या के विवाद को अविलम्ब समाप्त कराये जाने हेतु सरकार द्वारा कदम उठाये जा तथा प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ एवं कृषि उन्मुखी बनाये जाने हेतु "गौ वंश" हत्या पर रोक लगाई जाए । बिक्रीकर, चुंगी कर की समाप्ति हेतु आवश्यक कद उठाये जायें, सस्ते गल्ले की दुकानों में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं को दूर कि जाने हेतु कठोर प्रभावी कदम उठाये जाएं । सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किय जाये । सबको सस्ता न्याय उपलब्ध कराये जाने के क्रम में प्रदेश के न्यायालयों में लम्ब हजारों वादों को निपटाये जाने हेतु व्यापक उपाय किये जायें तथा जसवन्त सिंह आयोग क रिपोर्ट को लागू कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाए । मथुरा वृन्दावन जैसे पवित्र, धार्मिक तीर्थस्थलों को "तीर्थ स्थल" के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान कर तीर्थ के रूप में विकसित करें तथा सौन्दर्यीकरण हेतु व्यापक योजना तैयार की जाये वृंदावन धाम को देश की राजधानी व प्रदेश की मुख्य धारा से जोड़े जाने हेतु "वृन्दावन मांट पुल" का निर्माण कराया जावे । गोकुल बैराज योजना के शीघ्र क्रियान्वन हेतु साधन व अनुदान शीघ्र उपलब्ध कराये जाने के साथ ही "वृन्दावन बैराज" की प्रस्तावित योजना क लागू किया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त कर दें ।

श्री रविकांत गर्ग–

मथुरा जनपद के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर किये जाने हेतु उक्त जनपद का वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण प्रतिबन्धों से मुक्त कर क्षेत्र में औद्योगिक विकास सुनिश्चित किया जाए तथा उक्त क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रताड़ित पूर्व विकसित साड़ी उद्योग पर लगे अवैधानिक प्रतिबन्धों को भी समाप्त कर हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराई जाये जिससे लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सकें । मैं आगरा के चर्म-नगर, फिरोजाबाद के चूड़ी नगर तथा अलीगढ़ के ताला नगर की भांति मथुरा को "साड़ी नगर" घोषित किये जाने की भी पुर जोर मांग इस सरकार से करूंगा । ऐसे धार्मिक स्थानों पर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चितता हेतु विशेष कारगर उपाय किये जायें तथा पर्याप्त मात्रा में नवीन नलकूपों, जल भंडारण हेतु विशालकाय टंकियों तथा अधिकाधिक मात्रा में हैण्ड पंपों का निर्माण कराया जावे तथा सिर पर मैला ढोने एवं नली में बहाये जाने से उत्पन्न दुर्गन्ध से छुटकारा दिलाये जाने हेतु सारे क्षेत्र में सीवर लाइन की व्यापक योजना तैयार की जावे ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठें । आपका समय समाप्त हुआ ।

(श्री देव कुमार यादव का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री रविकान्त गर्ग–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

यह गर्ग जी ने जो भी बोला है, कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया । मैं आपके माध्यम से इस सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार में कई तरह के लोग हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप जरा रुक जायं । 15 मिनट का समय बढ़ाया गया था वह पूरा हो गया है, मैं 10 मिनट का समय और बढ़ाता हूं ।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, इस सरकार में हमारे रामशरण दास जैसे मूर्धन्य समाजवादी भी हैं और हमारे मुख्य मंत्री जी लोहिया जी के पक्षधर हैं जो समाजवादी थे लेकिन मान्यवर, यह जो अभिभाषण है इसमें कहीं भी समाजवाद का उल्लेख नहीं है । अभिभाषण किसी भी सरकार की नीतियों का घोषणा-पत्र होता है । इसमें पहले पेज पर कहा गया है कि "जन आकांक्षाओं के लिये नई प्रतिबद्धता से परिपूर्ण प्रदेश में मौलिक विचारधारा से प्रेरित एक नयी सरकार आई है जिसका लक्ष्य सम्पूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन का संस्कार जगाना है। एक ऐसी व्यवस्था बनेगी जो आम लोगों के लिये कल्याणकारी होगी ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि या तो इस अभिभाषण को पूरी कैबिनेट के सामने रखा नहीं गया है या इस सरकार की कोई दिशा नहीं है, यह दिशाहीन सरकार है । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस सरकार को कुछ लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है । उन्होंने आशीर्वाद दिया है जो 1967 में और 1977 में इसमें शामिल थे और उन्हीं की वजह से उस समय की सरकार टूटी थी । मुख्य मंत्री जी पहले क्रान्ति रथ पर चलते थे और उन्होंने एक ऐसा रथ रोका था । राम जानकी का रथ उन्होंने रोका था आज उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि राम जानकी के जो घोड़े थे, रथ में जो घोड़े चलते थे वह इस क्रान्तिरथ में जुते हुये हैं । मुझे आशंका थी कि कहीं यह घोड़े इधर-उधर न भाग जायं और रथ तोड़ डालें । लेकिन आज सी0 पी0 एम0 और बी0 जे0 पी0 के नेता ने आश्वासन दिया है कि सरकार को गिरने नहीं देंगे । हम चाहते हैं कि मुलायम सिंह की सरकार 5 साल चले और जो वचन उन्होंने दिया है वह उसको निभायें क्योंकि इन्हीं लोगों ने 1967 में और 1977 में सरकार को गिरा दिया था ।

अब मैं अपने जनपद के संबंध में दो मिनट खासतौर से चाहूंगा । मान्यवर, मैंने 12 तारीख के सदन की व्यवस्था तोड़कर, जिसे मैं नहीं पसन्द करता था, बेल में आ गया । बुन्देलखण्ड के जिले बांदा जिसका उल्लेख अभी माननीय सदस्य प्रतापगढ़ कर रहे थे । वहां पर हमारे माननीय प्रधान मंत्री के भाई श्री सी0 एस0 पी0 सिंह जस्टिस की हत्या बांदा जिले में हुई थी । मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि यह सरकार ने हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया है । पहले सेंध काट कर चोरियां होती थीं, फिर डकैतियां होने लगीं, अब अपहरण होने लगा है । बिड़ला जी के मुनीम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से 12 लाख रुपये लेकर छोड़ा गया । इस समय 20 व्यक्ति डकैतों की हिरासत में हैं । 7 लड़कियां हैं, चार लड़कियां पहले थीं और अब तीन लड़कियां 11-1-90 को जी0 जी0 आई0 सी0 बांदा से दिन दहाड़े अपहरण कर ली गयीं । पिछले 10 वर्षों में करीब 20 करोड़ रुपये फिरौती के रूप में डाकुओं ने वसूल किये हैं । लेकिन सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगती है । हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थाना कमासिन का घेराव इन घटनाओं के खिलाफ कर रहे हैं । एक बार 13–14 जनवरी की रात में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया ।

मान्यवर, बांदा में जीने के अधिकार को कम से कम सुरक्षित किया जाय और यह सरकार युद्ध स्तर पर कार्यवाही करे । इस हालत से ऊबकर बांदा के लोग बांदा को अशान्त क्षेत्र घोषित करके सेना के हवाले करने और बुन्देलखण्ड राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं । बुन्देलखण्ड और बांदा को न तो पेट के लिए पानी है और न खेत के लिए पानी है ।

श्री अध्यक्ष–

यह आप जो जिद कर रहे हैं, यह निर्देश होगा कि आपकी बात नहीं लिखी जायगी ।

(व्यवधान)

श्री देव कुमार यादव–

बुन्देलखण्ड से सदन की सत्ता और सम्पत्तियों में समान भागीदारी नहीं मिली है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपकी अब कोई भी बात कार्यवाही में नहीं लिखी जायगी । आप बोल लीजिए, समय नष्ट कर लीजिए । अब आपकी कोई भी बात कार्यवाही में नहीं लिखी जायगी ।

श्री देव कुमार यादव–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मैं नेता विरोधी दल के संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए निम्नवत् निवेदन करना चाहता हूं कि इस महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कृषि और कृषि पर आधारित उद्योगों के संबंध में कोई स्पष्ट योजना नहीं है ।

दूसरी दैवी आपदा, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए कुछ नहीं कहा गया है । हमारा क्षेत्र जहूराबाद विधान सभा क्षेत्र बलिया, आजमगढ़, मऊ तीन जनपदों की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है और नदी के करीब पूरा क्षेत्र है, जहां अक्सर बाढ़ आ जाया करती है, जिसमें गांवों को ऊंचा करने के लिए योजना होनी चाहिए, जल निकासी

नोटः–[xxx]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

के लिए कोई योजना इसमें प्रस्तावित नहीं की गयी है । मान्यवर, अल्प संख्यकों के प्रति सहानुभूति तो दिखाई गयी है, परन्तु उनकी रोजी-रोटी और उत्थान के लिए कोई योजना नहीं है । सार्वजनिक उपक्रमों जो घाटे पर चल रहे हैं, उनके संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान अखबारों में देखने को मिला था कि उन्हें निजी क्षेत्रों को सौंपा जायगा । इस संबंध में मेरा निवेदन है कि निजी क्षेत्रों की बसों के लिए फ्री परमिट पालिसी लागू कर दी जाय, जिससे कि पुलिस की पेट में जाने वाला पैसा सरकारी खजाने में आ सके ।

परिवहन निगम जो करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष घाटा देता है, उसके संबंध में मेरा सुझाव है कि, आपके माध्यम से इस सरकार से, जो अपने को लोकप्रिय कह रही है, अपने मुंह मिया मिट्ठू क्यों बनते हैं, जनता कहे तो बात है, मेरा सुझाव है कि इस घाटे के निगम की ओर ध्यान देते हुए सरकार बसों को प्राइवेट परमिट देने की व्यवस्था करे जिससे कि जो धन पुलिस की जेब में जाता है, वह सरकार के खजाने में जा सके ।

श्री अध्यक्ष–

समय समाप्त हो गया ।

श्री वीरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

इसी के साथ ही पूर्वांचल के विकास के लिये जैसे पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये योजनाएं बनी हैं, उसी तरह से पूर्वान्चल के विकास के लिये कोई योजना बनाई जाय । वहां पर आवागमन की व्यवस्था की जाय और उद्योगों के लिये पूर्वी उत्तर प्रदेश को विशेष दर्जा दिया जाय । मैं आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया फिर भी पूरी बात नहीं सुन सके । मैं मा0 नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

जागेश्वर जी आप पुराने सदस्य हैं, मंत्री रहे हैं । कल पहले नम्बर पर आपका नाम होगा । जो मा0 सदस्य रह गये हैं, कल भी समय है, बोलेंगे । आज नये सदस्यों को समय दे दिया ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1990

*ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, हम लोग लोकतांत्रिक प्रणाली को रखने तथा जनतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिये कटिबद्ध हैं और उसका मूल आधार हमारा पंचायती राज है । उसको मजबूत करने के लिये हमारी नयी सरकार आगे कार्यरत है और इसीलिये इसी संशोधन को हम लाए हैं । पहले 1961 में यह मूल अधिनियम बना था, उसमें संशोधन करके सन् 1965 में कुछ ऐसी बाधाएं आ गयीं जिनके कारण हमारी जिला परिषदें नहीं चल पा रही थीं, इसलिये उसमें एक संशोधन लाया गया । इसमें जैसा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि मा0 सदस्यों ने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित है, तो ऐसा नहीं है । मैं आशा करती हूं कि वह इसके मूल आधार को सर्वसम्मति से स्वीकार करेंगे । मान्यवर, हम आपका ध्यान धारा 15 और धारा 28 की ओर आकर्षित करते हैं जिसमें अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष, प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ लाया जाता है । मूल अधिनियम 1961 में एक साल का प्रस्ताव था और यदि किसी कारण से वह प्रस्ताव गिर जाता था तो उसके बाद एक साल बाद ही पुनः अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था । यह मूल अधिनियम था,, लेकिन सितम्बर, 1965 में, जब उस समय कांग्रेस सरकार थी और मा0 बंशीधर पाण्डे जी ग्राम्य विकास मंत्री थे, वे इसमें परिवर्तन लाये । वे दो साल में अविश्वास के प्रस्ताव का परिवर्तन लाए और पास कराया । हमारा कहना है कि दो साल तक इस अविश्वास प्रस्ताव में यदि किसी वजह से कोरम पूरा नहीं होता है या मीटिंग नहीं हो पाती है और वह प्रस्ताव नहीं लाया जा सका तो फिर वह प्रस्ताव दो साल के बाद ही लाया जा सकता है, ताकि जिला परिषद् का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो जाय । यह जनतांत्रिक नहीं है । इससे मूल भावना में बाधा आती है क्योंकि अविश्वास एक साल में आने में कोई कठिनाई नहीं है, उससे जिला परिषद् के अध्यक्ष और लोग भी आगाह रहते हैं । एक साल में अविश्वास प्रस्ताव आना है । मेरा यह विचार है कि उसमें जो कार्य प्रणाली है, जो अध्यक्ष हैं, वह अच्छी तरह से कार्य करेंगे । इसलिये एक साल लाने की बात कर रहे हैं । माननीय सदस्य यह जो कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित है मेरे ख्याल से जो समाज के अच्छे लोग हैं वह इससे प्रभावित नहीं है । आप जानते ही हैं कि मुख्य मंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाने का प्राविधान है अगर कोई अविश्वास आता है मुख्य मंत्री के खिलाफ तो उस पर भी चर्चा होती है तो मुख्य मंत्री के लिये भी अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है लेकिन उसके साथ भी भावना यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब यह नहीं है कि अध्यक्ष, मुख्य मंत्री किसी को हटाना चाहते हैं । जैसा कि विपक्ष के लोगों को डर हो रहा है । बिल आया है, उसकी चर्चा जिस भावना से कर रहे हैं उसका मकसद यह नहीं है । अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद यह होता है कि नहीं पास हुआ तो गिर गया, आप अध्यक्ष रह सकते हैं । मकसद यह है कि अगर कोई गलत तरीके से काम हो रहा है या किसी जिला परिषद् से कोई अच्छे तरीके से काम नहीं हो रहा है उसके कामों की आलोचना आग्रह करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाना है हाउस में जिला परिषद् में । अगर उसमें विश्वास है तो नहीं गिरेगी, अध्यक्ष रहेंगे । तो यह किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है । इन्हीं कारणों से यह जो बिल हम लोग मान्यवर ला रहे हैं । वैसे तो कर्नाटक में और दूसरे सूत्रों में आप देखें वहां कोई समय सीमा नहीं है वहां किसी भी वक्त अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है । दूसरा संशोधन मान्यवर, जो इसमें ला रहे हैं वह धारा 18 की उप धारा 1 के खण्ड 5 में ला रहे हैं जो कि सदस्यों से संबंधित है । इस धारा में मान्यवर, सदस्यों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भूतपूर्व सैनिक वगैरह इसमें नामजद किये जा सकते हैं

श्री अध्यक्ष–

आप लोग उन्हें अपनी बात कह लेने दें बीच में टोका टाकी न करें ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

दिसम्बर 1988 में कांग्रेस सरकार ने नामजद करने की बात करी उन्होंने वह किया और बहुत से नामजद उन्होंने जिला परिषद् में किये । मान्यवर, यह बात हम अपने सामने बैठे हुए सदस्यों से कहना चाहती हूं । एक दृष्टांत देना चाहती हूं । दृष्टांत तो बहुत से हैं लेकिन समय नहीं मिला । लेकिन मैं यह कोशिश करूंगी कि जो पिछली दफा यह नामजद हुए हैं उसमें इस दृष्टांत से मैं बताना चाहती हूं कि किस तरह से गलत लोगों का उसमें हो गया । सरकार के पास कोई ऐसा नियम नहीं कि कोर्ट में न जाय और उसे हटाया जा सके । मैं दृष्टांत पढ़े दे रही हूं ।

20 दिसम्बर, 1988 की अधिसूचना के द्वारा श्री विद्यापाल सिंह ग्राम व पोस्ट बलेसर जिला गोण्डा को सामाजिक सांस्कृतिक साहित्यिक एवं व्यावसायिक कार्य में लगे व्यक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था । इनका चयन श्री दीप नारायण वन जो कांग्रेस आई के सांसद थे, की संस्तुति के आधार पर किया गया था । अब इस चयनित सदस्य का पूर्ववृत्त सुनिये । श्री श्याम लाल, सदस्य विधान परिषद् द्वारा माननीय नेता विपक्ष, जो उस समय मुख्य मंत्री के उच्च पद पर आसीन थे, को यह सूचना दी गई कि श्री ? विधापाल सिंह ने झगड़ू नाम के हरिजन को बैगार न करने का दुस्साहस करने पर अपने घर बुलाया और उसकी आंख निकाल ली । जिलाधिकारी गोंडा की रिपोर्ट के अनुसार इस सम्बन्ध में धारा 147/148/326/323 भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत श्री विधापाल सिंह एवं कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध 3-9-87 को मुकदमा पंजीकृत हुआ था और विवेचना के उपरान्त 12-10-87 को न्यायालय में आरोप पत्र भी भेज दिया गया । इस जघन्य अपराध के अभियुक्त को जिला परिषद् में सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से क्यों नामित किया गया ?

सदन में अनुपस्थित सदस्य के ऊपर आरोप लगाने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री पंचानन राय–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, जो व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं है उसका जिक्र यहां कैसे हो रहा है वह कैसे अपना स्पष्टीकरण दे सकेगा ?

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आपको प्रवर समिति के सुझाव के वक्त बोलना चाहिये । बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, जो व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं है, उसके ऊपर आरोप लगाना उचित नहीं है क्योंकि वह अपना स्पष्टीकरण देने के लिए सदन में उपस्थित नहीं है, जो इस सदन का सदस्य भी नहीं है, उसके ऊपर आक्षेप नहीं लगाया जाना चाहिए, इसके ऊपर मान्यवर, आप अपनी व्यवस्था दें।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत हो जायें और अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, यह लोग आपके व्यवस्था देने के अधिकार को भी चुनौती दे रहे हैं। व्यवस्था हमें इन लोगों से नहीं चाहिए, जो मंत्री बनने के लिए उतावले हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पंचानन राय जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसके संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने केवल एक तथ्य का उल्लेख किया है और इस तथ्य का से कोई ऐसा संबंध नहीं है, जिससे आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। इसलिए माननीय मंत्री जी आप अपना भाषण जारी रखें।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1990 (क्रमागत)

*ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)–

तो मान्यवर, मैं बता रही थी कि इनको एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से नामित किया गया था, लेकिन जब इन्होंने एक जघन्य अपराध कर डाला, तो प्रश्न आया कि इनको हटा देना चाहिए। लेकिन देखा गया कि सरकार को इनको नामित करने का अधिकार तो था, लेकिन उनको हटाने का अधिकार नहीं था और उन्होंने यह भी कहा कि हटा तभी सकते हैं, जब वह 6 महीने के सजायाफ्ता रह चुके हों। तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। एक दूसरा दृष्टान्त मैं देना चाहूंगी, जो चमोली जनपद का है, वहां एक पूर्णानन्द वैद्य थे, जिनको पिछली सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जिला परिषद् चमोली में सदस्य नामित किया था, बाद में उनके कार्यकलापों की वजह से उनको हटाने की बात आयी और जिला परिषद् चमोली ने उसकी जांच की, तो पता लगा कि कोई पूर्णानन्द जी थे, जो बहुत बीमार थे, अब पता नहीं क्या है ? वह अपने कांशस में नहीं थे और उनसे आप लोगों ने लिखा लिया, कि एक कुमरानन्द ढिमरी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके साथ जेल में थे और उसी के तहत उनको नामित कर दिया गया। वहां पर तब मान्यवर, जिलाधिकारी, चमोली ने इसकी जांच की और यह पता लगा कि वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे और उन्होंने धोखाधड़ी किया था। ऐसे वक्त में यह प्रश्न फिर उठा कि इनको कैसे हटाया जाय, उसके बाद जब उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा कायम हुआ तो उन्होंने कोर्ट जाकर स्टे ले लिया और उसका नतीजा यह हुआ कि हम उनको हटा नहीं पाये। जिस तरह से नामजद हो गये, उसी तरह से कई और लोग हो सकते हैं जो धोखाधड़ी से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने होंगे। इनको हटाने की बात हमने कही है।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया है, इसलिए स्पष्टीकरण चाहता हूं। जिन उपाध्याय जी का नाम लिया गया है, वे कौन हैं?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मंत्री उपाध्याय का नाम लिया गया है।

श्री कुंवर सिंह भंगी–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि श्री पूर्णानन्द वैद्य जी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा चल रहा है। माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि वह मुकदमा किस अदालत में चल रहा है ? यह मेरे जिले का मामला है। मेरे निश्चित जानकारी है कि उनके खिलाफ धोखाधड़ी का कोई भी मुकदमा नहीं चल रहा है । मंत्री जी गलत बयानी कर रही हैं ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मान्यवर, जिला जज के यहां मुकदमा चलाया गया था और उस पर वह उच्च न्यायालय से स्टे आर्डर ले आये। यह सूचना हमें दी गई है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, अब आप अपनी बात जल्दी समाप्त करें।

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

तीसरा संशोधन जो है वह यह है कि जो हमारे उपाध्यक्ष होते हैं जिला परिषद् के उनका कार्यकाल पहले एक साल था, समता लाने के लिए, जिला समितियों में, ब्लाक प्रमुख व जिला परिषद् के अध्यक्ष इन सबका कार्यकाल 5 साल का होता है, इसलिए इनके कार्यकाल को भी हम 5 साल करने जा रहे हैं। मेम्बरों के बारे में बताना चाहती हूं कि उनका कार्यकाल भी एक साल रहेगा। उसके बाद अगर वह ठीक से काम करेंगे तो नामजद रह सकेंगे, नहीं करेंगे तो उन्हें हटाने का प्राविधान है। इसलिए श्री पंचानन राय जी जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने का अपना प्रस्ताव ला रहे हैं, उसे वह वापस ले लें ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1990 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। मान्यवर, काफी लम्बे अर्से के बाद जिला परिषदों का गठन हो सका था। एक बार इस देश में और इस प्रदेश में इसी तरह से गुस्से में देश की जनता ने हमारे मित्रों को सत्ता सौंप दी थी तो आते-आते 1977 में निर्वाचित जिला परिषदों को भंग कर दिया और उसके बाद वह खुद चुनाव नहीं करा सके। कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में आई वह भी चुनाव नहीं करा सकी। 1977 में भंग जिला परिषद् 1988 में आकर किसी तरह से गठित हुई। मान्यवर, आज यह फिर सत्ता में आये हैं तो पिछले इतिहास से इन्होंने सबक नहीं लिया जब ये निर्वाचित होकर आये थे तो निर्वाचित संस्थाओं को इन्होंने भंग कर दिया, उसका हश्र यह हुआ कि 5 सालों के लिए जनता ने इन्हें भेजा था, ढाई साल में जनता की अदालत में इन्हें वापस जाना पड़ा और जनता ने इन्हें अस्वीकार कर दिया ।

आज पुनः उसी इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है । ये चुनकर आये, राम शरण दास जी मेरे सामने बैठे हैं, डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायती राज व्यवस्था की बात करते थे, उनके अनुयायी हैं, आज पंचायती राज संस्थाएं, जो बड़ी मुश्किल से

गठित हो पायी हैं, उनको अव्यवस्थित करने का प्रयास इस विधेयक के माध्यम से किया जा रहा है । मंत्री जी ने उचित कहा कि 1961 में, 1960 में जब क्षेत्र समिति अधिनियम बना था तब यह प्राविधान था कि एक साल के बाद अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा, उसमें कठिनाई हुई, क्षेत्र समिति के प्रमुख, जिला परिषदों के अध्यक्ष अपना काम निश्चिंतता से नहीं कर पा रहे थे । चुने जाते थे उसी दिन से अविश्वास की तलवार उनके सर पर लटकने लगती थी, निष्पक्ष रूप से पंचायती राज की संस्थाएं काम कर सकें, 1965 में इसकी अवधि दो वर्ष इसीलिए की गयी थी । इनका इरादा उनको स्थायी न रहने देने का है । इसीलिए पुनः घटा कर दो साल का एक साल कर रहे हैं । अपने दिल में तो अरमान लिए होंगे कि पूरे पांच साल रहें लेकिन दूसरे के लिए 2 साल भी रहने देना नहीं चाहते हैं । मेरा निवेदन है कि चुनी हुई संस्थाओं को नष्ट न करिये, नष्ट करेंगे तो खुद नष्ट हो जायेंगे, 1977 के इतिहास को दोहराइये मत । (व्यवधान) ये क्या प्राविधान कर रहे हैं ? प्राविधान कर रहे हैं कि जो है.... आप लोग लहर के साथ आए हैं, जनता ने गुस्से में आपको यहां भेजा है ।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के बोलने से व्यवधान)

(व्यवधान)

मैं कह रहा था प्राविधान क्या कर रहे हैं ? प्राविधान यह कर रहे हैं कि तब तक सदस्य पद धारण किए रहेगा, जब तक सरकार के योग्य रहे, जब तक कि उसके स्थान पर किसी व्यक्ति को सदस्य होने के लिए न चुन लिया जाय । किसी को नामित किया गया पांच साल के लिए, आगे जिसको नामित करें उसकी कार्यविधि घटा सकते हैं लेकिन जो पांच साल के लिए निर्वाचित हुआ उसकी कार्यविधि घटाना न्याय के समस्त सिद्धान्तों के प्रतिकूल है ।

इसी सिलसिले में मैं सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय उद्धृत करना चाहता हूं खेम चन्द बनाम यूनियन आफ इण्डिया । इसमें महामहिम राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं आर्टीकिल 310 (1) के अन्तर्गत, उसकी व्याख्या की गयी है ।

''द लिमिटेशन दज इम्पोज्ड आन द एक्सरसाइज आफ दि प्लेजर आफ द प्रेसीडेन्ट आर दि गवर्नर इन द मैटर आफ दि डिसमिसल, रिमूवल आर रिडक्शन इन रैंक आफ गवर्नमेंट सरवेन्ट्स कान्सिस्ट्स दि मेजर आफ दि कान्सटीट्यूशन प्रोटेक्शन एफोर्डेड टू दि गवर्नमेन्ट सरवेन्ट्स बाई आर्टिकल्स 311(2)''.

श्री अध्यक्ष–

इसका हिन्दी अनुवाद कर दें ।

(समय 6 बजकर 20 मिनट पर)

श्री पंचानन राय–

ठीक है, मान्यवर । राष्ट्रपति या राज्यपाल का जो प्लेजर है, उस पर भी रिट्रक्शन है । करते क्या हैं कि जब सन् 1977 में चुनकर आये तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में इन्होंने काला अध्यादेश लागू किया कि 4 जनवरी, 1978 को जो सदस्य कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे उनकी सेवाएं स्वतः समाप्त हो जायेंगी अध्यादेश को मा0 उच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया । पहला आर्डिनेंस न्यायालय ने रद्द कर दिया और आज फिर उसी तरह का कानून लेकर आये हैं । न तो जन भावनाओं का आदर करना,

न तो न्याय के सिद्धान्तों का पालन करना, खुद यहां किसी गुस्से के सहारे पर चले आते हैं और प्रदेश में विकास करने और शान्ति स्थापित करने के बजाय इस तरह का कानून बना देते हैं । इसी के साथ मैं पुनः बल देता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

श्री श्याम नारायन तिवारी–

मान्यवर, आपको याद होगा कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में आई, मा0 मोरार जी देसाई प्रधान मंत्री हुए और उस समय राज्यों में संस्कारों को खत्म करने और उनको तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ और 1980 में उसके पश्चात् कल से यह पुनरावृत्ति फिर हुई । मान्यवर, जो विधेयक आया हुआ है इससे यह आशंका बन रही है कि सत्ता में आ गए और अब इसके बाद उनका नम्बर होगा कि पंचायतों को भी ये भंग करेंगे और इस तरह से पूरे प्रदेश को चुनाव में झोंक देंगे । इसका प्रभाव यह होगा कि पहले जनतांत्रिक भावनाओं को आघात पहुंचेगा, दूसरा प्रभाव यह होगा कि फिर चुनाव के दौरान गांवों में तनाव पैदा होगा । तो मान्यवर, इनकी जो मंशा है वह यह है कि अब क्षेत्र समितियों को भंग करके अपने प्रभाव से लोगों को किस तरह से वहां पहुंचायें ।

इसमें एक हास्यास्पद बात यह है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्षेत्र समितियों में ब्लाक प्रमुखों के अविश्वास के लिए कार्यकाल दो साल का हुआ करता था उसे अब एक साल का कर रहे हैं और उप प्रमुख जिसका कि कार्यकाल केवल एक साल के लिए हुआ करता था उसके लिए पांच वर्ष बने रहने का प्रस्ताव लेकर आए हैं तो उसे मुतवाहिर रहने के लिए पांच साल वाला प्रस्ताव लेकर आए हैं ।

इस पर सभी को आशंका पैदा हो गयी है कि जनतंत्र का दम भरने वाली यह सरकार जिसको कि अभी जनादेश प्राप्त हुआ कहते हैं वह जनता का आदेश नहीं पाए हैं बल्कि माननीय कल्याण सिंह के आदेश के बल पर यहां आए हैं । 1977 में जनता पार्टी की सरकार का जो हश्र हुआ था कहीं फिर इनका यह हश्र न हो । हालांकि हमारी इच्छा है, हमारी कामना है कि ये पांच वर्ष तक अपना काम करें, यह तभी हो सकता है कि इन्होंने जो वायदे जनता से किए हैं उसको ये पूरा करें, लेकिन इनके जो तौर-तरीके हैं, इन्होंने जो रास्ता अपनाया है या अपना रहे हैं उसका यही नतीजा होने वाला है जो कि 1977 में हुआ था ।

मैं विरोधी पक्ष में रहकर इसी बात की चिन्ता करता हूं । मेरा निवदन है कि बहुत से नए जिलों का गठन हुआ गोरखपुर को महराजगंज और गोरखपुर दो हिस्सों में बांटा गया । महराजगंज में और गोरखपुर में जिला परिषदों का होना है । इसी तरह से बस्ती के दो हिस्से हो गए हैं बस्ती और सिद्धार्थनगर, लेकिन इसके लिए जो सीमांकन हुआ है उसके लिए वहां पर जनाक्रोश है ।

मैं तो यह भी निवेदन करूंगा माननीया मंत्री जी से कि बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर व देवरिया आदि जनपदों के मा0 प्रतिनिधियों को बुलाकर पुनः सीमांकन करवायें । . . . तथा फरेन्दा व नौतनवां को गोरखपुर जिले में ही रखा जाए ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अब विराजें, बात आपकी हो गयी ।

*श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, बड़े ही खेद का विषय है । जनता की आकांक्षाओं की और जनतंत्र की यह आज दुहाई दे रहे हैं, मैं मान्यवर, इनसे पूछना चाहता हूं कि जब नगर प्रमुखों व ब्लाक प्रमुखों के चुनाव हो रहे थे तो सारे प्रदेश के छटे हुए लोगों में से बदमाशों व गुण्डों को इन्होंने खड़ा किया था जो पैसों के बल पर और बन्दूक की नोंक पर चुनाव जीत कर आए हैं, लोगों का अपहरण कर व कराकर जीतकर आ गए हैं । आज जब हम जनता की आकांक्षाओं और स्वच्छता के नाम पर फिर से चुनाव कराकर उन माफिया गिरोहों व गुण्डागर्दी की शक्ति को जिसे कांग्रेसीय सरकार ने पालने और बढ़ाने का काम किया था, का कदम उठाया है तो यह जनतंत्र और जन आकांक्षाओं की बात कहकर जनता को फिर धोखे में डालना चाहते हैं ।

श्री अमरमणि–

मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने अभी-अभी एक विधेयक रखा, जिसके माध्यम से वह चाहती हैं कि जो क्षेत्रीय निकायें हैं और इनमें जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके प्रति एक वर्ष के अन्दर ही अविश्वास का प्रस्ताव रखा जा सके, मैं बड़ी विनम्रता के साथ सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात का विश्वास भी है कि उनका शासन एक वर्ष तक चलेगा भी या नहीं यदि होता तो वह ऐसा विधेयक नहीं लाती लेकिन इस सरकार को मालूम है कि पिछली बार की तरह इनका शासन दो साल भी नहीं चल पायेगा, इसीलिए यह अविश्वास कराकर अपने लोगों को वहां पर लाने का एक षड़यंत्र है, अगर ऐसी इच्छा है तो यह एक अलोकतांत्रिक रवैया है और पहले के जो अध्यक्ष हैं, उन्हें ही रखा जाए ऐसा करके आप लोकतांत्रिक रवैया अख्तियार करिए आपने जो लोक कल्याण की बात जनतंत्र की बात कही है उसी चेहरे को जाहिर कीजिए नहीं तो इतिहास में आपके ऊपर जवाब देही होगी कि ऐसा क्यों किया जैसा कि अभी मा0 श्याम नारायण तिवारी जी ने कहा गोरखपुर, बस्ती, देवरिया व सिद्धार्थनगर आदि जिलों को पुनर्सीमांकन कराने की बात कही है, मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूं ।

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आधे घंटे का समय इसके लिए मात्र निर्धारित है, इसलिए इसके लिए सभी मा0 सदस्य बोलने के लिए खड़े न हों ।

श्री अमरमणि–

मैं मान्यवर, निवेदन कर रहा था कि जिन जनपदों का उल्लेख मा0 श्याम नारायण तिवारी जी ने किया है, तहसील नौतनवा और फरेन्दा को महराजगंज से निकाल कर जनपद गोरखपुर में ही रखा जाए जिससे उक्त तहसील के लोगों को जो अपार असुविधा का सामना करना पड़ रहा है उससे राहत मिल सके और उक्त तहसील के लोगों का जीवन सुलभ हो सके ।

श्री अध्यक्ष–

इस मामले में 15 मिनट का समय और बढ़ा दिया गया है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया बोलने के लिए वैसे मैं ज्यादा समय न लूंगी । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से कहना चाहती हूं कि इन्होंने जो बड़े ही सुन्दर तरीके से "विष रस भरा कनक घट जैसे" ठीक उसी तरह से अपना प्रस्ताव रख दिया । मैं मान्यवर, बड़े ही सीधे ढंग से कहना चाहती हूं कि यह सरकार भी बहुत ही सीधे तरह से जनतंत्र के विरोध में है ।

यह तो जहां आप बैठे हैं उस पर अटैक करते थे, वह हम करने वाली नहीं है । मान्यवर, मैं थोड़ा बोलूंगी, लेकिन मेरे अधिकारों का हनन न किया जाये । मान्यवर, तो पहले तो माननीय मंत्री जी ने नाक सीधी पकड़ी, 1977 में जिला परिषद् भंग कर दी । अब आ गए, तो सोचा कि कुछ कपड़ा पहना दूं, अच्छी शकल बना दूं और इस कारण माननीय मंत्री जी ने एक संशोधन रख दिया । तो माननीय मंत्री जी ने बड़े सुन्दर ढंग से यह काम किया है जैसे विष रस भरा कनक घट जैसे । उन्होंने परोस दिया और कहा कि जनतंत्र है और लोकतंत्र है, लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि यह जनतंत्र और लोकतंत्र पर कुठाराघात है । इसलिए 1977 में जब इन्होंने इनको तोड़ दिया, तो फिर यह जोड़ नहीं पाए इनको और चले गए । ढाई साल रह गए, कुछ बना तो देते । माननीय मंत्री जी उधर बैठ गयीं, पहले इधर हमारे साथ बैठती थीं, कल तक वह हमारे साथ थीं और आज वह कह रही हैं कि इनकी सरकार ने ऐसा किया, वैसा किया ।

अब मैं मान्यवर, कहना चाहती हूं कि इन्होंने आते ही वही काम करना शुरू किया है । मैं कहना चाहती हूं कि आप इसको गम्भीरता के साथ लें । ठीक है जनादेश आपको मिला है, उसका आदर करना चाहिए । जो जनादेश जिला परिषदों को मिला है, उस पर आप कुठाराघात न करें । मैं नम्रता पूर्वक कहना चाहती हूं कि उधर के सभी माननीय सदस्यों से, आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं कि अगर उन्हें जनादेश मिला है तो उसकी हत्या आप न करें । आपको उसकी हत्या करने का अधिकार नहीं है, बहुमत आपका है, बहुमत के आधार पर जो आप चाहे कर सकते हैं, लेकिन आप जनतंत्र का गला न घोटें, लोकतंत्र की हत्या न करें। आप बहुमत के आधार पर जो चाहेंगे, उसको पास करा लेंगे । आपने कहा कि उपाध्यक्ष 5 साल चलेगा और सदस्य जो है अगर वह ठीक कार्य करता रहेगा तो उसका समय बढ़ाया जा सकता है, अगर कार्य ठीक नहीं होगा तो उसको निकाल दिया जायेगा, तो आप इस तरह जनतंत्र की हत्या न करें । इन शब्दों के साथ, मैं इस बिल का घोर विरोध करती हूं।

प्रस्तुत विधेयक पर विचार हेतु सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब किसी का बोलना संभव नहीं है । इसके लिये समय निर्धारित है ।

(व्यवधान)

इसके लिए आधे घंटे का समय था, लेकिन मैंने 15 मिनट और बढ़ा दिए हैं, लेकिन अब संभव नहीं है । इतने माननीय सदस्य खड़े हैं, अब किसी का बोलना संभव नहीं है ।

(व्यवधान)

आप बैठें । माननीय पंचानन राय जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उस पर अपने विचार व्यक्त करें । इतने माननीय सदस्य खड़े हैं, संभव नहीं है ।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

इसका महत्व इसलिये और बढ़ जाता है । इधर के लोग खड़े हैं और उधर के लोग खड़े हैं, इसलिये आप इसको प्रवर समिति को भेज दें ।

(व्यवधान)

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, आपने उचित ही कहा है कि कार्यमंत्रणा समिति में सभी दलों के प्रतिनिधि हैं और उन सब से परामर्श करने के बाद सर्वसम्मति से इसके समय के बारे में निश्चय किया गया है । उसमें आपका कोई नोट आफ डिसेन्ट भी नहीं है । इसके लिये आधे घन्टे का समय निश्चय किया गया है । सदन ने भी इसको मान लिया है । मैं माननीय पंचानन राय जी से कहूंगा कि वे कोई नई परम्परा न डालें । कार्य मंत्रणा समिति में जब इसके लिये समय निर्धारित हो चुका है और फिर आपने 15 मिनट और भी मान्यवर, समय दे दिया है . . . (व्यवधान) अभी दो विधेयक और बाकी हैं ।

(श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं । आप सदैव खड़े हो जाते हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, कार्य मंत्रणा समिति के पारित प्रस्ताव का समादर करें । इसका समय समाप्त हो गया है, मान्यवर, इसको पारित करायें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पंचानन राय जी, आपको इस विधेयक के बारे में अब कुछ कहना है । नहीं तो मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

(श्री मुईद अहमद व रघुराज प्रसाद उपाध्याय तथा कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और अध्यक्ष पीठ की ओर जाकर । [x x x] के नारे लगाने लगे ।)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, सदन इसका समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव करता है ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपने स्थान पर जाकर प्रस्ताव करें । मैं प्रश्न कर लेता हूं ।

(विरोधी पक्ष के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये ।)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर आधा घन्टे का समय और बढ़ा दिया जाय ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय मुईद अहमद ने जो प्रस्ताव किया है कि इस विधेयक पर सदन का समय आधा घन्टा और बढ़ा दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

अब आपका प्रस्ताव गिर गया है । आप सदन की मर्यादा का ध्यान रखें ।

(श्री पंचानन राय का नाम पुकारे जाने पर)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1990 (क्रमागत)

श्री मुईद अहमद–

[x x x]

(श्री मुईद अहमद सदन त्याग कर चले गये ।)

(श्री पंचानन राय के अतिरिक्त विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन [xxx] में नारे लगाते हुए सदन त्याग करने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ भी कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, यह विधेयक प्रजातंत्र की हत्या है, लोकतंत्र पर चोट है और पंचायती राज व्यवस्था को तहस-नहस करने वाला है । इसलिये मैं प्रवर समिति के प्रस्ताव को वापस नहीं लेता हूं ।

(पंचायती राज मंत्री का नाम पुकारे जाने पर विरोध पक्ष के सभी सदस्य पुनः सदन में आ गये ।)

*ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)–

मान्यवर, मैं अपने विरोध में बैठे हुये माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगी कि वे मुझे कुछ भ्रमित नजर आ रहे हैं ।

जैसा माननीय पंचानन राय जी ने कहा कि तलवार लटकी हुई है और माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि भंग हो रही है और बार बार यही बात दोहरा रहे थे । मुझे आश्चर्य है उनकी इस बात से, अविश्वास प्रस्ताव लोक तंत्र का आधार है । अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है कोई मूल में परिवर्तन नहीं हो रहा है जो सन् 61 में था वहीं दुबारा मूल में वापस होने की बात है मैं नहीं समझ पा रही हूं कि क्यों बार-बार भंग होने की बात कह रहे हैं । इसमें अविश्वास प्रस्ताव की बात है भंग होने की कोई बात नहीं है इसलिए मैं सहयोगियों से कहूंगी कि वह भंग होने की बात को वापस लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, समय कम है । माननीय पंचानन राय जी, आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री पंचानन राय–

माननीय मंत्री जी ने जो कहा वह भंग करने से ज्यादा खराब है । भंग करके दुबारा चुनाव करा देते तो कोई न कोई रास्ता निकल आता । यह ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहती हैं कि अमावस्या का राज्य हो जाय इसलिए मैं अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले सकता हूं क्योंकि यह जनतंत्र विरोधी विधेयक है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1990 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1990

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत के गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम 1990 कहा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961 की धारा 15 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की, जिसे आगे मूलअधिनियम कहा गया है, धारा 15 में, उपधारा (12) और (13) में, जहां-जहां शब्द "दो वर्ष" आये हों उनके स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिये जायेंगे ।

धारा 20 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (4) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्—

"(ग) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धोंके अधीन रहते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति की पदावधि जो, चाहे उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1990 के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (5) के अधीन सदस्य होने के लिए चुना गया हो, एक वर्ष होगी, किन्तु वह तब तक पद धारण किये रहेगा जब तक कि उसके स्थान पर किसी व्यक्ति को सदस्य होने के लिए न चुन लिया गया जाय ।

स्पष्टीकरण :—शंकाओं के निवारण के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया किया जाता है कि धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (5) के अधीन सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति का चयन, धारा 17 में जिला परिषद् के गठन या

पुनर्गठन के पूर्व किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा निरस्त किया जा सकता है।"

धारा 21 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (2) में, शब्द "उस के निर्वाचित होने के दिनांक से एक वर्ष का होगा किन्तु जिला परिषद् के कार्यकाल से आगे न बढ़ेगा" के स्थान पर शब्द "उसके निर्वाचित होने पर प्रारम्भ होगा और जिला परिषद् के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 28 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 28 में, --

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब्द "या उपाध्यक्ष" बढ़ा दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब्द "उपाध्यक्ष बढ़ा दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (11) में, खण्ड (ख) में, शब्द "अध्यक्ष" पश्चात् शब्द "या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो," बढ़ा दिये जायेंगे ;

(घ) उपधारा (12) और (13) में, जहां-जहां शब्द "दो वर्ष" आये हों, उनके स्थानपर शब्द "एक वर्ष" रख दिये जायेंगे और जहां-जहां शब्द, अध्यक्ष" आया हो, उसके पश्चात् शब्द "या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो" बढ़ा दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 5 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक 1990 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1990

नगर विकास मंत्री (श्री विक्रमादित्य पाण्डेय)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, जो संशोधन विधेयक मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है उसकी मुख्य चार चीजें हैं। एक में यह कहा गया है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व एक की जगह पर दो कर दिया जाय। दूसरा यह है कि नामित सदस्यों को नामित करने का अधिकार सरकार या विहित प्राधिकारी को हो। तीसरा नगर प्रमुख, उपनगर प्रमुख या अध्यक्ष के विरुद्ध जो दो साल में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात थी उसके स्थान पर एक वर्ष लिया जाय।

अंतिम बात जो है वह यह है कि नगरपालिकाओं और महा पालिकाओं को लोन लेने का अधिकार दिया जाय । मुझे प्रसन्नता है कि इस संशोधन विधेयक के पूर्व जो विधेयक पारित हुआ माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर कर दी है । विरोधी दल के जो नेता हैं वह जब बोल रहे थे अभिभाषण पर तो उन्होंने कोट किया था, आज भी सुना है, बहुत से सदस्यों ने कहा है कि यह लोकतांत्रिक नहीं है और जनतंत्र विरोधी है, तो मैं बताना चाहता हूं कि 1977 से पूर्व 1976 में चलें तो जितने भी संशोधन हुए हैं जिनको आज 1990 में आपके सामने लाकर जनतांत्रिक शक्तियों को मजबूत करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, 1976 की वह सब करतूत हैं । 1976 में हिन्दुस्तान में आपात-काल का समय था, उसमें जो सत्ता में थे, उनका जनतंत्र पर विश्वास नहीं था, वह समझते थे कि जनता को वोट देने का अधिकार मिलेगा तो हमारी सत्ता समाप्त हो जायेगी, ऐसी दशा में जो 1976 में महान परिवर्तन हुआ नगरपालिका, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरियाज में बृहद संशोधन किया गया और उसमें व्यवस्था की गयी, 2 वर्ष, जो एक-एक वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव आता था, उसकी अवधि दो वर्ष कर दी गयी । यही नहीं जो नामित सदस्य थे, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि 1976 का जो संशोधन था वह आपात्काल की कोख से पैदा हुआ जो लोकतांत्रिक शक्तियों को कमजोर करने वाला था । ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यह विधेयक आपके सामने लाना पड़ा ।

मान्यवर, इसी तरह महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से संशोधन कर रहे हैं और महिलाओं की संख्या एक ही जगह दो कर दी जाये । आप देखें तो 1914 और 1916 में जो विधेयक आया था उसमें क्रमशः ऐसी व्यवस्था थी कि कुल का क्रमशः 1/4 1914 में और 1916 में कुल का 1/2 महिलाओं की संख्या होगी लेकिन लोग महि-लाओं का आदर करने की बात करते हैं और प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं किन्तु जब यह विधेयक लाये कि एक की जगह दो कर दिया जाये तो कहने लगे कि यह विधेयक जनतंत्र विरोधी है । मैं पूछना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई को देखें तो पुरुषों से महिलायें पीछे नहीं रही हैं । आप देखें जिस नगर की व्यवस्था इस एक्ट के तहत करते हैं इसमें महिलाओं की राय उपयोगी हो सकती है । इस परिस्थिति में हमने यह व्यवस्था की है कि इस विधेयक के माध्यम से कि एक की जगह दो महिलाओं की संख्या कर दी जाये ।

मान्यवर, दूसरी चीज कहना चाहता हूं नामित सदस्य जो हैं, जिनको कहा है अनप्लेजर रहेंगे, यह जनतांत्रिक नहीं हैं । जिस व्यवस्था के तहत आप बैठे हैं जिसमें आपकी गवर्नमेन्ट बनी है उसमें पहला शब्द लिखा है "आन दि प्लेजर आफ दि गवर्नमेन्ट" केन्द्र में राष्ट्रपति के प्लेजर पर सरकार होगी । तो इसमें ऐसा काम नहीं किया जा रहा है जो अलोकतांत्रिक हो । इलेक्टेड और नामिनेटेड मेम्बर में अन्तर होना चाहिए । इलेक्टेड मेम्बर सीधे जनता द्वारा चुनकर आता है और महसूस किया जाता है कि वह व्यक्ति ठीक से काम नहीं करता है जिसको रखा है, तो अधिकार है कि उस पर पुनर्विचार करें । इस परिस्थिति में यह बिल लाये हैं । इसलिए अनुरोध है कि दो वर्ष अविश्वास प्रस्ताव को जिसके बारे में हमने कहा है कि एक वर्ष कर दिया जाय और जैसा ग्राम्य विकास मंत्री कह रही थीं मैं सहमत हूं, अविश्वास का मतलब किसी को हटाना नहीं होता है बल्कि उसका

मतलब जो व्यक्ति शक्ति लेकर बैठा है उसमें विश्वास रह गया है कि नहीं, इसलिए दो वर्ष की अवधि को एक वर्ष किया है । तो मेरा कार्य ऐसा नहीं है कि हम जनतंत्र की नींव को खोद रहे हैं बल्कि 1976 में आपात्काल में जो लोकतंत्र को खोदकर बाहर करने का प्रयत्न किया गया था इसे 90 में लाकर हम मजबूत करने का प्रयास करते हैं । ऐसी परिस्थिति में हमारा अनुरोध है कि हमारा यह विधेयक सामयिक और लोकतांत्रिक है । हम इस विधेयक में एक और संशोधन लाए हैं । आज नगरपालिकाओं, नगर महापालिकाओं और टाउन एरिया की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और साथ ही उनकी समस्यायें भी बढ़ती जा रही हैं । उनके विकास की समस्या है और इस समय स्वायत्त शासी इन संस्थाओं के पास किसी प्रकार के अपने आय के साधन नहीं रह गये हैं । ऐसी हालत में नगर महापालिकाओं की भांति नगरपालिकाओं को भी ऋण लेने का अधिकार दिया जाए, यह समुचित होगा । इसको भी हम इसमें लाए हैं । इसलिए मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वह इसे लोकतांत्रिक समझकर अपने प्रस्ताव को वापस ले लें और इसका समर्थन करें ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । पाण्डेय जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए 1976 की चर्चा की है, मैंने भी निवेदन किया था कि 76 में जो कुछ हुआ है, उसके गर्भ से आप 77 में पैदा हुए थे और पूरे ढाई साल आप 76 का रोना रोते रहे, और जब जनता में गए, तो जनता ने आपको अस्वीकार कर दिया अब 76 के 13 साल हो गये हैं, आप उसको रोकर राज्य न चलायें, राज्य तो जनता का कल्याण करके चलाना होगा । किसी ने कुछ किया, उसका नतीजा जनता ने उसको दिया । आपको जनादेश मिला है जनता का कल्याण करने के लिए, 76 का रोना रोने के लिए नहीं। पाण्डेय जी ने ब्रिटिश राज्य का उदाहरण दिया, वह उनको अच्छा लगता है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पुत्र होने के कारण मुझे ब्रिटिश राज्य के समान कोई काला समय नहीं दिखाई पड़ता है । उसके लिए बहुत से लोग शहीद हुए, लाठियां खाईं, तब जाकर कितने त्याग और बलिदान के बाद यह आजादी आई । वह ब्रिटिश राज्य का उदाहरण लेकर आये हैं । वह दुबारा अंग्रेजी राज्य कायम करना चाहते हैं । उनके हिसाब से जनतंत्र से वह राज्य अच्छा था, यह उन्हीं को मुबारक हो । उनकी दुहाई देकर सरकार को चलाना है तो इस देश की जनता उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी । उन्होंने कहा कि नामांकित और निर्वाचित सदस्यों में अन्तर होना चाहिए । यदि वह वास्तव में नामांकन प्रणाली के खिलाफ होते तो पाण्डेय जी यह विधेयक लाते कि इन संस्थाओं में कोई भी नामांकन की संख्या बढ़ाने के लिए आए हैं, घटाना नहीं चाहते हैं . . . (व्यवधान) . . . मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब मंत्री महोदय ने इसे प्रस्तुत किया, तो मैंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की । (श्री अध्यक्ष द्वारा अगले सदस्य श्री श्याम नारायण को बोलने के लिए पुकारा गया ।) तो ऐसे सदनों में जिसमें विशिष्ट श्रेणी के लोगों के सलाह की आवश्यकता होती है, वह नामजद किये जाते हैं, और कभी उनमें अन्तर नहीं किया जाता है । दोनों को बराबरी के अधिकार पर रखा जाता है । जिनको नामजद करें उनको द्वितीय श्रेणी का नागरिक बनाकर नामजद न करें । बराबरी का दर्जा दें । यदि समानता में

आपका विश्वास है तो किसी को किसी संस्था में नामजद करके विशिष्ट सदस्य के रूप में उसको द्वितीय श्रेणी में न रखें ।

उनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए । यह क्या कि कड़वा-कड़वा तो थू, और मीठा-मीठा गप । वह अगर इनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते, गलत सही काम में सहयोग नहीं करते हैं तो एक साल में हटा दिए जायेंगे यह उन्हें निर्भीकता से काम सम्पन्न नहीं करने देना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री पंचानन राय–

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, जो संशोधन विधेयक लाया गया है यह मौजूदा सरकार की कुनिष्ठा एवं कुमंत्रणा का नतीजा है यह सब जो किया जा रहा है । यह बदले की भावना प्रेरित है और सब कुछ बदले की भावना से किया जा रहा है । इस सरकार ने प्रजातन्त्र और लोकतन्त्र की दुहाई दी है । तो चाहे वह पाण्डेय जी हों, जिनका लोकतन्त्र और प्रजातन्त्र में पूर्ण विश्वास है इसी तरह से चाहे सुखदा मिश्रा हो वर्तमान सरकार ने प्रजातन्त्र का गला घोंटने के लिए यह सब किया है । मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है इनको सौभाग्य मिला है कि यह प्रजातन्त्र का गला घोंट रहे हैं अगर यही होता रहा तो यह जल्दी ही इधर आ जायेंगे । आज इनकी कुनिष्ठा और कुमंत्रणा की ही वजह से यह संशोधन विधेयक लाया गया है । अगर इनकी कुनिष्ठा और कुमंत्रणा नहीं थी, तो क्या कारण है कि जो एक बार नामित हुआ, तो क्या कारण है कि उसे पूरे कार्यकाल के लिए न रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष–

अब कृपया समाप्त करें । आप उनके संशोधन का समर्थन कर रहे हैं जो बात उन्होंने कही वही आप भी कह रहे हैं, कोई नयी बात नहीं कह रहे हैं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा । यदि भंग करन की इनकी इच्छा नहीं है, प्रजातन्त्र में इनकी आस्था है तो एक वर्ष की अवधि के लिए नामित करने की व्यवस्था क्यों रखी जाती है । मान्यवर, जो संशोधन, माननीय पाण्डेय जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है मैं आपके माध्यम से विशेष रूप से इस सरकार से और अपने बड़े भाई पाण्डेय जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने द्वारा प्रस्तुत संशोधन को वापस ले लें तो इतिहास के पृष्ठों पर उनका नाम लिखा जायेगा अन्यथा भविष्य इन्हें माफ नहीं करेगा । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और पंचानन राय जी द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, मैंने इस विधेयक को पढ़ा, यह विधेयक उसी तरह का है जैसा सुखदा मिश्रा जी ने रखा था और जिसमें जिला परिषद के अध्यक्षों को साल भर बाद हटाने की व्यवस्था थी उसी तरह से हमारे विद्वान पाण्डेय जी ने यह प्रस्ताव रखा है । मैं बहुत अधिक कुछ कहना नहीं चाहता, उसमें जो महिलाओं की संख्या में वृद्धि की गयी है

मैं उसका समर्थन करता हूं, महिलाओं की संख्या और बढ़ाना चाहें तो बढ़ाइये लेकिन मेरा कहना है कि नगर पालिकाओं को भी नगर महापालिकाओं की तरह लोन लेने का हक हो । हमारी नौतनवा नगर पालिका की हालत बहुत खराब है । तमाम ऐसी नगर महापालिकायें हैं जहां बड़े-बड़े लोगों, नेताओं के घर पड़ते हैं सरकार वहां पर अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराती है, संसाधन मुहैय्या करती है । मैं इसमें यह प्रस्ताव रखता हूं कि जनसंख्या के आधार पर नगर पालिकाओं को संशाधन मुहैय्या कराये जायं । इन शब्दों के साथ, पंचानन राय जी ने जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं । प्रवर समिति में सारे बिन्दुओं पर विचार हो जायगा । यह विधेयक जल्दबाजी में लाया गया है इसको प्रवर समिति में भेजा जाय ताकि सभी बिन्दुओं पर विचार हो सके और सही तरीके से यह विधेयक आ सके ।

सदस्यों का भाषण दिये जाने के समय के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

गौरी भइया, मैंने उनको बुला लिया है

श्री गौरी शंकर भइया–

इसी के संबंध में मैं कहना चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष जी, 1977-78 से मैं इस विधान सभा का सदस्य रहा हूं । जब विधेयक टेबिल होता है तो विपक्ष से जो प्रस्ताव आता है उसको रखा जाता है और उसके बाद एक सदस्य सत्तापक्ष का और एक विपक्ष का बोलता है । लेकिन यह परम्परा बदलती नजर आ रही है, जबसे आप विधान सभा के अध्यक्ष हुये हैं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, यह आप पर आक्षेप है, इसको कार्यवाही से निकलवा दें

श्री अध्यक्ष–

यह आक्षेप नहीं है, उन्होंने अपनी बात कही है । ऐसा है, समय कम रहता है, जो इसमें संशोधन के प्रस्ताव आये हैं, श्री पंचानन राय, श्री श्याम नरायन तथा श्री अमरमणि द्वारा, तो उन माननीय सदस्यों को समय देना ही है । संशोधन पर उन्होंने बोल लिया । इसमें भारतीय जनता पार्टी का राय जान लें इसलिए डाक्टर जौहरी को बुलाया है ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायन्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक 1990 (क्रमागत)

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह जो 1 वर्ष का कार्यकाल रखा है इस पर सरकार पुनर्विचार करे । मेरी तथा मेरी पार्टी की मान्यता है कि अगर 2 वर्ष में अविश्वास का प्रस्ताव आता तो नगर प्रमुख या नगरपालिका या नोटीफाइड एरिया के अध्यक्ष को 2 वर्ष काम करने का समय मिल जाता और अगर एक वर्ष के बाद अविश्वास का प्रस्ताव आ जाता है, तो चुनने के तुरन्त बाद ही, उसके सिर पर जैसा कि राय साहब कह रहे थे, तलवार लगी रहती थी, और उसको यह चिन्ता हो जाती है कि कैसे यह अविश्वास का प्रस्ताव झेलेंगे । जब यह प्रस्ताव

आ गया, वैसे ही कुछ लोगों के चेहरे पर लाली चमकने लगी है । तो कम से कम दो साल का कार्य काल नगर पालिका के प्रमुखों को मिलना चाहिए । बड़ी मुश्किल के बाद, 17 साल के बाद चुनाव हुआ, तो हर वर्ष नगर प्रमुख चुनाव में लग जायगा । मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं कि हमें ऋण मिलना चाहिए नगर पालिकाओं को और इसमें एक महिला होनी चाहिए । एक वर्ष का जो आपने दिया है, इस पर पुनः विचार कर लें । इसे दो साल का रहने दें ।

*श्री गौरी शंकर भइया–

माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि जैसे जिलों में, नगरपालिका में, विधायक मेम्बर हैं, वैसे टाउन एरिया नोटी फाइड एरिया में विधायक मेम्बर नहीं होते हैं, तो आप उसमें जैसे यह सुविधा दिया है, नगरपालिकाओं में, उसमें भी सुविधा दें और अनुरोध करना चाहूंगा, तिवारी जी हैं और उन लोगों ने दो साल का अविश्वास का प्रस्ताव लाने का समय दिया था, जिसे एक साल करने पर बड़ी आपत्ति है । लोक सभा में आप जानते हैं, प्रधान मंत्री विधान सभा में मुख्य मंत्री के अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए मात्र 6 महीने का समय होता है । मैं नहीं जानता था कि माननीय नारायण दत्त तिवारी, मुख्य मंत्री और राजीव गांधी प्रधान मंत्री हुआ करते थे, इनकी स्थिरता में खतरा होगा कि नहीं । अगर नगर पालिका और नगर महापालिका में अविश्वास के प्रस्ताव का समय देते हैं, तो इसमें कौन सी बुराई है । आपने जो ऋण लेने का अधिकार नगरपालिकाओं को दिया है, इसका हम लोग पूरे मन से समर्थन करते हैं और पूरा स्वागत करते हैं । यह जो छोटी-छोटी टाउन एरिया हम लोगों के क्षेत्र में भी हैं, 6-6 महीने से जो स्वीपर हैं, उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है और विकास भी नहीं हो रहा है । यह अधिकार देकर आपने एक सराहनीय काम किया है । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने प्रकारान्तर से मेरे इस प्रस्ताव का समथन किया है । उनके हिसाब से भी इस विधेयक में कमियां हैं । उन्हीं के सहारे हमारे माननीय राम शरण दास जी का समाजवादी राज्य चल रहा है । मान्यवर, ऐसा है कि जब हम इस सदन में बैठते हों तो हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के हित में अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए । उन्होंने उसका विरोध इसलिए नहीं किया कि प्रदेश की किसी भी क्षेत्र समिति में उनके दल का कोई भी सदस्य नहीं है, इसलिए अब उनको पीड़ा होने लगी (व्यवधान) उन्होंने नगरपालिकाओं पर कब्जा कर लिया, चाहे मारुति कार देकर किया हो, मैंने कहीं भी मारुति कार को चर्चा नहीं की... (व्यवधान) अब जब सरकार उन पर चोट कर रही है तो उनके दिलों में दर्द होना स्वाभाविक है । अब तो कम से कम उस दल द्वारा मेरा समर्थन कर दिया गया है जिसकी बैसाखी के सहारे ये यहां पर और केन्द्र में राज करना चाहते हैं । इसलिए मेरा पुनः निवेदन है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री पंचानन राय–

जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी बोलना चाहते हैं । नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं । (व्यवधान) मा0 राम गोविन्द चौधरी जी आपको इतनी चिन्ता है तो आप भी एक संशोधन प्रस्तुत कर दीजिए ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–2

अध्याय - दो

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

2-- संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम 1916 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 9 में,--- संयुक्त प्रान्त अधिनियमसंख्या 2सन् 1916की धारा 9 का संशोधन

(क) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्---

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि खण्ड (ख) अधीन निर्वाचित सदस्यों में कोई महिला न हो या केवल एक महिला हो, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, दो महिलाओं को या एक और महिला को नाम-निर्दिष्ट कर सकती है, जिससे कि बोर्ड में महिला सदस्यों की संख्या दो से कम नहो और तदनन्तर बोर्ड की सामान्य रचना में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायगा"

(ख) तृतीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् और वर्तमान स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्---

"प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई सदस्य जो इस धारा अधीन चाहे उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1990 प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात नाम-निर्दिष्ट हो, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा :"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, इस काले विधेयक के विरोध में जिसमें प्रजातंत्र और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हम लोग बहिष्कार करते हैं ।

(श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

खण्ड-3

3--मूल अधिनियम की धारा 87--क में, उपधारा (13) और (14) में, जहां- जहां भी शब्द "दो वर्ष" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिये जायेंगे। धारा 87-क का संशोधन

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 3 के अन्त में "पूर्ण विराम" के चिह्न के स्थान पर चिन्ह ", रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित अंश जोड़ दिया जाय:–

तथा उपधारा (13) में शब्द "दो तिहाई से कम न होगी" के स्थान पर शब्द "आधे से एक अधिक होगी" रख दिये जायं ।

मान्यवर, बहुत छोटा सा संशोधन है । मैं भाषण नहीं दूंगा क्योंकि भाई लोग सुनने को तैयार नहीं हैं । हम लोग बिलों पर बोलते थे तो कितना हुड़दंग मचाते थे । तो इसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता था तो कोरम 2/3 का होता था जबकि वह बहुमत से पारित होता था । अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कोरम 2/3 का है तो उसका परिणाम यह होता था कि उस प्रस्ताव को लाने का मूल उद्देश्य इस विसंगति से रुक जाता था । ऐसी विसंगति किसी अन्य ऐक्ट में नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव तो बहुमत से पारित हो और कोरम 2/3 का हो । इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है । आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको स्वीकार कर लें ताकि वह विसंगति दूर हो जाय ।

नगर विकास मंत्री (श्री विक्रमादित्य पाण्डेय)–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि मा0 पाण्डेय जी जो यह संशोधन लाए इसको आना चाहिये था । मैं सहमत हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 के अन्त में पूर्ण विराम के चिन्ह के स्थान पर कामा का चिन्ह रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित अंश जोड़ दिया जाय:–

"तथा उपधारा (13) में शब्द "दो तिहाई से कम न होगी" के स्थान पर शब्द "आधे से अधिक होगी" रख दिये जायेंगे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड-4 से खण्ड-9 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

4.–मूल अधिनियम की धारा 14-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्,–– धारा 144-क का प्रतिस्थापन

"114-क. बोर्ड अपने कर्तव्यों और कृत्यों के सम्पादन के लिए, चाहे वे आज्ञापक या वैवेकिक हों, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, और इस निमित्त विहित नियमों के अधीन रहते हुए डिबेंचर जारी करके या किसी अन्य प्रतिभूति पर खुले बाजार में या किसी वित्तीय संस्था से ऋण ले सकता है।" धन लेने की बोर्ड की शक्ति

5.–मूल अधिनियम की धारा 338 में, उपधारा (2) में,–– धारा 338 का संशोधन

(क) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्––

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस उपधारा के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त या निर्वाचित, सदस्यों में से कोई भी महिला न हो या केवल एक महिला हो तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति दो महिलाओं को या एक और महिला को नाम-निर्दिष्ट कर सकती है जिससे कि कमेंटी में महिला सदस्यों की संख्या दो से कम न हो और तदुपरान्त कमेटी की सामान्य रचना में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायेगा :"

(ख) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई सदस्य, जो पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्डों के अधीन राज्य सरकार द्वारा चाहे उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1990 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात्, नाम-निर्दिष्ट हो, राज्य सरकार के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करेगा।"

अध्याय तीन

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 6 का संशोधन

6. उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 में,—

(क) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(3) यदि इस धारा के अधीन सभासदों में से कोई महिला न हो या केवल एक महिला हो, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, दो महिलाओं को या एक और महिला को नाम-निर्दिष्ट कर सकती है जिससे कि महिला सभासदों की संख्या दो से कम न हो और तदुपरान्त महापालिका की सदस्य संख्या में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायगा।";

(ख) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(6) कोई सभासद जो इस धारा के अधीन चाहे उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1990 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् नाम-निर्दिष्ट हों, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।"

धारा 16 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

(क) उपधारा (2) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (16) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिए जायेंगे।

अध्याय—चार

संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1914 की धारा 5 का संशोधन

8. संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 में, उपधारा (2) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित सदस्यों में से कोई भी महिला न हो या केवल एक महिला हो तो, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा यथास्थिति, दो महिलाओं को या एक और महिला को नाम-निर्दिष्ट कर सकती है, जिससे कि समिति में महिला सदस्यों की संख्या दो से कम न हो और तदुपरान्त समिति की सामान्य रचना में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायगा।"

धारा 6 का संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा 6 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"(2क) कोई सदस्य जो धारा 5 के अधीन, चाहे उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1990 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् नाम-निर्दिष्ट हों राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।"

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) बिधेयक, 1990

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 और संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

अध्याय--एक

प्रारम्भिक

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1990 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 से खण्ड 9 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 1990

*गन्ना विकास एवं राजस्व मंत्री (श्री राम शरण दास)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

यह तो आपका पास ही हो गया।

श्री राम शरण दास--

माननीय पंचानन राय जी का इसमें कोई संशोधन है नहीं इसलिये पास तो है ही यह। मान्यवर, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 7-10-89 को कि यह एक रुपया था डेढ़ रुपया कर दिया जाय। उसके ऊपर चले गये थे, खांडसारी के लोग उच्च न्यायालय में। यह अधादेश लाने वाले थे, लेकिन लाये नहीं जानबूझ कर क्योंकि सेशन चलने वाला था, इसे एक विधेयक की शक्ल में लायें। इनका जो पाप है, उसकी सफाई कर रहे हैं। इसे पास करा दीजिये यह व्यवहारिक है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम नारायन तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1990 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, वैसे मूल रूप में मैं इस संशोधन का विरोधी नहीं हूं लेकिन मान्यवर, मैं इतना जरूर चाहता हूं कि इस सरकार ने जो वायदे किये हैं उसको पूरा करे जा नहीं हो रहा है । इन्होंने कहा था कि गन्ने के दाम, जब यह इधर बैठा करते थे, 50 रु0 कर दिया जाय, 50 रु0 करने का इन्होंने जनप्रिय नारा बनाया था और जब यह सत्तापक्ष में पहुंच गये तो 3 रु0 जैसे कि परम्परा है कि हर बार 3-3 रु0 बढ़ा उसी को कर दिया इस प्रकार उसी परम्परा की लीक में चले । उम्मीद यह थी कि गन्ने के दाम 50 रु0 कम से कम नहीं करेंगे । तो यह मान्यवर, एक ऐसी बात है कि जो कहते हैं कर पायेंगे कि नहीं । कहते क्या हैं और करते क्या हैं । अभी मैं अपने संशोधन पर आऊंगा । जरा सुनें ।

(समय 7 बजकर 20 मिनट पर)

यह मान्यवर, कहते हैं किसानों को उनके जींस का दाम उचित मिलना चाहिए और स्थिति यह है कि खरीफ की फसल में कहीं भी किसी भी जगह और विशेष रूप से हमारे क्षेत्र में तो क्रय केन्द्रों पर कोई सरकारी खरीद हो ही नहीं रही है और किसान अपना गल्ला सस्ते दर पर बेचने के लिए मजबूर हैं । मान्यवर, समर्थन मूल्य भी यह नहीं दे पा रहे हैं और न यह गन्ने का दाम सही दे पा रहे हैं और कह यह रहे हैं कि अनाजों के दाम बढ़े । इसलिये हमको शक है कि यह कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं । अन्त में मान्यवर, मैं यही कहना चाहूंगा इन्होंने जो गन्ने का दाम बढ़ाया है, उस पर कर बढ़ाने की कोशिश अब न करें और इस प्रकार मैं अपने प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं ।

श्री अमरमणि–

मान्यवर, जो विधेयक लाया गया है, उसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह नारायन दत्त जी की इच्छा थी और उनकी सरकार इसे नहीं ला सकी, इसलिए मैं अपनी सरकार में इसे ले आया । मान्यवर, यह जो कर बढ़ाया गया है, यह कर कहीं न कहीं से मिल मालिकों से वसूलेंगे, ऐसा यह कहते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि इसका असर आखिर कार किसानों पर ही पड़ेगा और उन्हें ही इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा । जहां यह गन्ने का दाम 3 रुपये बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसे यह पचास पैसा कम करने की साजिश भी कर रहे हैं । इसी के साथ मैं पेश किये गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं और मैं चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति के समक्ष रखा जाय , और तब इसके सभी विन्दुओं पर विचार होगा और विस्तार से इस विषय पर वाद विवाद होगा । मान्यवर, इस विधेयक को जल्दबाजी में लाया गया है। इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, नहीं तो आम जनता में आक्रोश होगा और सरकार ने एक वचन दिया था कि 50 रुपये दाम करेंगे, उसे यह कर नहीं पाये और केवल 3 रुपया बढ़ाया है, उसमें भी 50 पैसा यह काटने के लिए इस विधेयक को यहां ले आये हैं । इस प्रकार श्याम नारायन तिवारी जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा

है, मैं उसका समर्थन करते हुए इस पर बल देता हूं । यदि सरकार 50 रुपया गन्ने का मूल्य दे तो मैं संशोधन वापस लेने के लिए तैयार हूं ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, यह दोनों लोग बहुत भले आदमी हैं । अगर कोई अड़चन लगाते, तो पंचानन राय जी लगाते । आज इस प्रदेश में गन्ने का दाम जितना इस सरकार ने बढ़ाया है, उतना आज तक कभी इस सरकार से पहले किसी ने नहीं बढ़ाया, इससे ज्यादा आप और क्या चाहेंगे । मेरा पुनः निवेदन है कि यह लोग अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री अमरमणि–

मान्यवर, यह फ्लोर पर आकर आश्वासन दे दें, तो मैं इसे वापस लेने को तैयार हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1990 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड-2 व खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक 1990 उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1990 कहा जायेगा ।

(2) यह 7 अक्तूबर, 1989 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1961 की धारा 3 का संशोधन

2.–उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 की धारा 3 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(ख) यदि वह इकाई के स्वामी द्वारा हो तो एक रुपया पचास पैसे प्रति क्विन्टल की दर से या गन्ने के प्रति क्विन्टल मूल्य से दस प्रतिशत से अनधिक ऐसी उच्चतर दर से, जैसी राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे,"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अंतर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 16-1-1990 को नियम–51 के अन्तर्गत 9 सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना सर्वश्री हरिशंकर तिवारी, श्याम सुन्दर शर्मा, अमरेश चन्द्र पाण्डेय, वीरेन्द्र सिंह व श्री धर्मपाल जी की है । दूसरी, श्री पंचानन राय, तीसरी, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, चौथी श्री कृष्ण कुमार नवभान, पांचवीं डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा, छठी श्री दयाराम भास्कर, सातवीं श्री रविकान्त गर्ग, आठवीं श्री चनाभान मौर्य और नवीं सूचना श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी जी की है जिसमें से नम्बर–एक पर अंकित सूचना को स्वीकार किया गया । शेष सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया गया ।

दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर-खीरी के हाथी, सुअर, चीतल, पाड़ा, सांभर, बारहसिंघा आदि जानवरों द्वारा समीपवर्ती गांवों की फसलों को क्षतिग्रस्त किये जाने के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–24 को कल के लिए स्थगित करता हूं । बहुत समय हो गया है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, चर्चा करने वाले माननीय सदस्य तो सदन में उपस्थित नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं घोषणा कर चुका हूं । इसलिए यह मद स्थगित हो गई है । अब हम उठते हैं और कल 11,00 बजे पुन: मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
16 जनवरी, 1990

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित ता0 प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ– 1 पर)

26 कारागारों में स्थापित एक्स-रे प्लाण्ट की सूची

क्रमांक	कारागार का नाम
1	केन्द्रीय कारागार, बरेली
2	केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़
3	केन्द्रीय कारागार, नैनी
4	केन्द्रीय कारागार, आगरा
5	केन्द्रीय कारागार, वाराणसी
6	सम्पूर्णानन्द शिविर धुर्मा, सोनभद्र
7	सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज
8	जिला कारागार, कानपुर
9	जिला कारागार, उन्नाव
10	जिला कारागार, सीतापुर
11	जिला कारागार, बरेली
12	जिला कारागार गोण्डा
13	जिला कारागार, मेरठ
14	जिला कारागार, मुरादाबाद
15	जिला कारागार, अलीगढ़
16	जिला कारागार, एटा
17	जिला कारागार, आगरा
18	जिला कारागार, सहारनपुर
19	जिला कारागार, गोरखपुर
20	जिला कारागार, लखनऊ
21	जिला कारागार, हरदोई
22	जिला कारागार, शाहजहांपुर
23	जिला कारागार, फैजाबाद
24	जिला कारागार, फतेहगढ़
25	जिला कारागार, रायबरेली
26	जिला कारागार, इटावा

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0प्र0सं0 44 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर)

संलग्नक—1

मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत उपयोग की गई धनराशि का बस्तीवार विवरण।

क्रमांक	बस्ती का नाम	व्यय की धनराशि	कार्य का विवरण
1	2	3	4
1	कटरा दारा शिकोह	1,33,949,52	फर्श नाली, प्रकाश
2	बघवा नाला	91,945,56	फर्श, नाली, पानी, प्रकाश
3	अन्साराबाद	2,39,516,07	फर्श, नाली, सीवर, प्रकाश
4	अनौला	93,017,16	फर्श, नाली
5	मीरापुर बसही	41,249,90	फर्श, नाली
6	टकटकपुर	3,18,316,34	फर्श, नाली, प्रकाश
	योग:—	9,17,994,55	

संलग्नक—2

विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत मलिन बस्तियों के उन्नयन हेतु उपयोग की गई धनराशि का बस्तीवार विवरण।

क्रमांक	बस्ती का नाम	व्यय की गई धनराशि रु0	कार्य का विवरण
1	2	3	4
1	नई बस्ती नगवा	1,67,700,00	फर्श, नाली
2	डिटोरी मोहास	2,55,500,00	फर्श, नाली
3	लक्ष्मनपुर	1,42,600.00	फर्श, नाली
4	हकूलगंज	2,25,600.00	फर्श, नाली
5	परमानन्दपुर हवेलिया	1,26,00.00	फर्श, नाली
6	नई बस्ती हवेलिया परसानन्दपुर	2,00,000.00	प्रकाश व्यवस्था
7	परमानन्दपुर हकूनगंज लक्ष्मनपुर	2,75,625.00	पेयजल व्यवस्था
	योग :—	13,93,025.00	

पी0एस0यू0पी0—एल0 387 विधान सभा (641)--1990--813।